सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

(राजस्व क्षेत्र)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-3

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)
उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2013 का प्रतिवेदन सं0–3

एचटीटीपी: / / डब्लूडब्लूडब्लू.सीएजी.जीओवी.इन / एचटीएमएल / सीएजी_रिपोर्ट्स / यूपी / इन्डेक्स.एचटीएम

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय–I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	1
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग के दायित्व	1.2	3
राज्य सरकार के हितों के संरक्षण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जवाबदेही लागू करने में विफलता	1.2.1	3
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.2.2	5
आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों का प्रत्युत्तर	1.2.3	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तरवर्ती–सारांश	1.2.4	6
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.2.5	6
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण	1.3	7
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.3.1	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं पर शासन/विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन	1.3.2	7
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.3.2.1	7
शासन/विभागों द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही	1.3.2.2	8
लेखापरीक्षा योजना	1.4	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	9
वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.5.1	9
यह प्रतिवेदन	1.5.2	9
अध्याय–II : वाणिज्य कर/मूल्य संवर्धित कर		
कर प्रशासन	2.1	11
प्राप्तियों का रुझान	2.2	11
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	2.3	12
प्रति व्यापारी वैट लागत	2.4	12
कर निर्धारण हेतु बकाये मामले	2.5	12
संग्रह की लागत	2.6	13
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	2.7	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.8	13
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	2.9	15
कर की गलत दर लगाये जाने तथा वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.10	15
अर्थदण्ड का अनारोपण एवं ब्याज का प्रभारित न किया जाना	2.11	18
विभिन्न घोषणा पत्रों पर अनियमित करमुक्ति/कर छूट	2.12	25
प्रवेश कर का अनारोपण	2.13	29
राज्य विकास कर का अनारोपण	2.14	30

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
पंजीयन/मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति	2.15	31
इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने से सम्बन्धित अनियमितताएं	2.16	33
व्यापारियों को पंजीकृत न किये जाने के कारण कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.17	37
कर जमा की पुष्टि से सम्बन्धित प्रावधान का न होना	2.18	38
कर सम्परीक्षा न किया जाना	2.19	39
निष्प्रयोज्य व्यय	2.20	40
अध्याय–III : राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	3.1	41
प्राप्तियों का रुझान	3.2	41
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	3.3	42
संग्रह की लागत	3.4	42
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	3.5	43
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.6	43
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	3.7	44
माडल दुकानों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण	3.8	44
विदेशी मदिरा की दुकानों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण	3.9	45
आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	3.10	46
कुल अपचायक शर्करा (टी.आर.एस.) का मार्गस्थ एवं भण्डारण छीजन	3.11	46
शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	3.12	48
परीक्षण शुल्क का कम वसूल किया जाना	3.13	49
विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण/वसूली किया जाना	3.14	49
बीयर की थोक आपूर्ति पर लाइसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण	3.15	50
अध्याय–IV: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	53
प्राप्तियों का रुझान	4.2	53
राजस्व बकाये का विश्लेषण	4.3	54
संग्रह की लागत	4.4	54
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	4.5	54
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.6	55
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	4.7	56
टाटा मैजिक वाहन की सीटिंग क्षमता कम ग्रहण किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण	4.8	56
तीन माह से अधिक समर्पित वाहनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना	4.9	57

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
वाहनों द्वारा अधिक भार का परिवहन	4.10	58
बकाये की वसूली हेतु नियन्त्रण एवं क्रियाविधि का अभाव	4.11	60
कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर जो वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे, पर कर तथा अर्थदण्ड का अनारोपण	4.12	61
स्कूल वाहनों पर परमिट शुल्क का वसूल न किया जाना	4.13	62
बिलम्ब से पंजीकृत होने वाले वाहनों से शास्ति की न/कम वसूली होना	4.14	62
राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र का नवीकरण नहीं किये जाने के कारण राजस्व क्षति	4.15	63
वाहनों के बिना स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र के संचालन के कारण हानि	4.16	64
वेतन एवं भत्तों पर अनुत्पादक व्यय	4.17	64
अध्याय–V : स्टाम्प एवं निबन्धन फीस		
कर प्रशासन	5.1	65
संग्रह की लागत	5.2	65
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	5.3	65
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.4	66
"स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की कार्यप्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	5.5	67
अध्याय–VI : खनन प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	6.1	103
राजस्व का रुझान	6.2	103
राजस्व का प्रभाव	6.3	103
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.4	104
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	6.5	105
रायल्टी का वसूल न किया जाना	6.6	105
ईंट बनाने की मिट्टी के अवैध हटान पर अर्थदण्ड का अनारोपण	6.7	106
स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क के भुगतान के लिए प्रावधानों का न होना	6.8	107
विलम्ब से भुगतान की गयी रायल्टी पर ब्याज का अनारोपण	6.9	108
नये पट्टे/पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने से राजस्व क्षति	6.10	109
रायल्टी की वसूली न/कम किया जाना	6.11	111
अनधिकृत उत्खनन	6.12	112
खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के बीच असमानता	6.13	114
अवैध खनन पर खनिज मूल्य और रायल्टी की वसूली न किया जाना	6.14	114
कोयला पट्टा	6.15	115
पारगमन पासों की पंजिका का रख–रखाव	6.16	116
अवैध रूप से उत्खनित उपखनिजों के परिवहन को रोकने के लिए तन्त्र	6.17	117

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
पत्थर गिट्टी/मिट्टी के संग्रहण पर रायल्टी का अनारोपण/कम आरोपण	6.18	121
प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण	6.19	122
अध्याय–VII : अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा परिणाम	7.1	123
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	7.2	124
कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित न किया जाना	7.3	124
तेन्दू पत्ते पर रायल्टी का न वसूल किया जाना	7.4	125
निरर्थक व्यय	7.5	125
आवश्यकता के बिना नये पौधे उगाने पर परिहार्य व्यय	7.6	126
यूजर चार्जेस का कम आरोपण	7.7	128
रक्त एवं रक्त अवयवों के ट्रान्सफ्यूजन पर सर्विस चार्ज का कम आरोपण	7.8	129
पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (पी.एन.डी.टी.) नियमों का अनुपालन नहीं किया जाना	7.9	130
निष्प्रयोज्य/बेकार वाहनों का निस्तारण न किया जाना	7.10	131
साइकिल स्टैण्ड की नीलामी से राजस्व की वसूली न हो पाना	7.11	131
गन्ना क्रय कर, अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण	7.12	132
आटो रिक्शा से मीटर सत्यापन एवं मुद्रांकन फीस वसूल न किया जाना	7.13	133
शुल्क/अतिरिक्त शुल्क की वसूली न किया जाना	7.14	134
परिशिष्टियाँ		139 - 180

प्राक्कथन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व क्षेत्र की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा परिणामों का प्रस्तुतीकरण है जिसमें वाणिज्य कर/मूल्य संवर्धित कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनिज प्राप्तियाँ एवं अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलों में वे मामले हैं जो वर्ष 2011–12 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामले, जिन्हें विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में **''स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की कार्यप्रणाली''** विषयक एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 56 प्रस्तर सम्मिलित हैं जिसमें कर, शुल्क, ब्याज एवं शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण आदि से सम्बन्धित ₹ 857.95 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 438.41 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 2.60 करोड़ की वसूली कर ली गयी है। कुछ मुख्य आपत्तियाँ नीचे वर्णित हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2010–11 के 1,11,183.76 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2011–12 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,30,869.70 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 52,613.43 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ₹ 10,145.30 करोड़ को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 62,758.73 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 68,110.97 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग ₹ 50,350.95 करोड़ और सहायक अनुदान ₹ 17,760.02 करोड़) थी। इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व का 48 प्रतिशत ही उगाह सकी। वर्ष 2011–12 के दौरान वाणिज्य कर/मूल्य सवंर्धित कर (₹ 33,107.34 करोड़) तथा विविध सामान्य सेवाओं पर कर (₹ 4,035.23 करोड) क्रमशः कर एवं करेत्तर राजस्व के मुख्य साधन थे।

(प्रस्तर 1.1)

दिसम्बर 2011 तक निर्गत किये गये 11,538 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 5,234.12 करोड़ की धनराशि के 28,455 प्रस्तर जून 2012 के अन्त तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.2)

वर्ष 2011–12 के दौरान वाणिज्य कर/मूल्य संवर्धित कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियों के 1,356 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 4,878 मामलों से सम्बन्धित ₹ 1,754.31 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 637 मामलों में ₹ 33.83 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के मामले स्वीकार किये जिनमें से ₹ 30.68 करोड़ के 78 मामले वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान 326 मामलों में ₹ 3.79 करोड़ की वसूली की गई जिनमें से ₹ 25.79 लाख के 44 मामले वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये थे तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे।

(प्रस्तर 1.5.1)

II. वाणिज्य कर/मूल्य संवर्धित कर

कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक की अवधि में 55 वाणिज्य कर कार्यालयों के 79 व्यापारियों के मामले में ₹ 3.32 करोड़ के व्यापार कर/मूल्य संवर्धित कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.10.1)

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 की अवधि में 11 वाणिज्य कर कार्यालयों के 13 व्यापारियों के मामले में सकर्म संविदा कर समय से जमा न किये जाने पर ₹ 1.36 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.11.5)

वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की अवधि में पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों के पाँच व्यापारियों के मामले में ₹ 2.67 करोड़ के केन्द्रीय बिक्री कर की अनियमित छूट/रियायत की गयी।

(प्रस्तर 2.12.2)

वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक की अवधि में छः वाणिज्य कर कार्यालयों के सात व्यापारियों के मामले में ₹ 1.56 करोड़ के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.13)

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 की अवधि में छः वाणिज्य कर कार्यालयों के छः व्यापारियों के मामले में ₹ 1.55 करोड़ के गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 का उत्क्रमण तथा अर्थदण्ड एवं ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

(प्रस्तर 2.16.3)

III. राज्य आबकारी

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में 10 जिला आबकारी कार्यालयों में 27 माडल शापों पर ₹ 1.54 करोड़ की लाइसेंस फीस का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.8)

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में क्रमशः सात एवं आठ जिलों के वि0 म0–2 के लाइसेंसों पर ₹ 80 लाख की लाइसेंस फीस कम आरोपित/वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 3.14)

वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की अवधि में क्रमशः 52 एवं 54 जिलों में बीयर की थोक आपूर्ति पर ₹ 9.25 करोड़ की लाइसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.15)

IV. वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर

अक्टूबर 2009 से फरवरी 2012 तक की अवधि में कम सीटिंग क्षमता ग्रहण किये जाने के कारण 27 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में 3,467 वाहनों पर ₹ 99.71 लाख कम कर आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 4.8)

अप्रैल 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि में तीन माह से अधिक समर्पित 753 वाहनों के सम्बन्ध में 33 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में ₹ 2.29 करोड़ के कर/अतिरिक्त कर वसूल नहीं किए गए।

(प्रस्तर 4.9)

अप्रैल 2008 से जनवरी 2012 तक की अवधि में 12 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/ सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय से सम्बन्धित 2,248 वाहन अधिक भार ढो रहे थे, जिससे न केवल ओवरलोडेड वाहन खतरनाक ढंग से चल रहे थे बल्कि उससे मानव जीवन की हानि और सड़क नष्ट हो सकती है, पर ₹ 2.14 करोड़ की शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 4.10)

अप्रैल 2008 से जनवरी 2012 तक की अवधि में 12 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/ सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय से सम्बन्धित 533 ट्रैक्टर, जो कृषि कार्य हेतु पंजीकृत थे किन्तु वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे, उन पर कर तथा अर्थदण्ड के रूप में ₹ 29.05 लाख आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.12)

V. स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

"स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की कार्यप्रणाली" विषयक निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि:

- विक्रय विलेख पर स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 23.13 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 5.5.12)

- विभिन्न प्रकार के पट्टों पर स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के अनारोपण से ₹ 12.48 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.5.16)

- सम्पत्ति के अवमूल्यांकन से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस ₹ 19.69 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.5.19)

- दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण से स्टाम्प शुल्क ₹ 44.79 लाख का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.5.20)

- जिलाधिकारी द्वारा शक्तियों का अनियमित प्रयोग करने से ₹ 2.81 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.5.22)

VI. खनन प्राप्तियाँ

वर्ष 2005–06 से 2010–11 की अवधि के दौरान 13 जिला खान कार्यालयों से सम्बन्धित ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा ईंट बनाने की मिट्टी के अवैध हटान पर ₹ 159.79 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नही किया गया।

(प्रस्तर 6.7)

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान सम्बन्धी प्रावधान न होने के कारण वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान 11 जिला खान कार्यालयों से सम्बन्धित 122 पट्टों से शासन ₹ 2.48 करोड़ का राजस्व पाने से वंचित रहा।

(प्रस्तर 6.8)

2005 से 2012 की अवधि के दौरान पट्टों का नवीनीकरण न होने तथा नये पट्टे स्वीकृत न होने के कारण, 602 खनन पट्टों से ₹ 50.93 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई।

(प्रस्तर 6.10)

वर्ष 2005–06 से 2010–11 की अवधि के दौरान पाँच जिला खान कार्यालयों से सम्बन्धित 22 प्रकरणों में अनधिकृत उत्खनन के लिए उत्खनित खनिजों का मूल्य वसूल न किये जाने के कारण ₹ 77.87 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 6.12.1)

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य 21 जिलों में अनियमित एम0एम0–11 प्रपत्रों के विरुद्ध अवैध रूप से उत्खनित उप खनिजों के परिवहन को रोकने के लिए क्रियाविधि का अभाव रहा।

(प्रस्तर 6.17)

VII. अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ

वन विभाग द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुसार रायल्टी की गणना न करने के कारण तेन्दू पत्ते पर ₹ 46.64 करोड़ की रायल्टी कम वसूल की गई।

(प्रस्तर 7.4)

वन विभाग में वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त हो गये 39.29 लाख पौधों को उगाने एवं उनके रख–रखाव पर किया गया ₹ 97.44 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

(प्रस्तर 7.5)

वन वृत्त, आगरा में बिना आवश्यकता के 33.99 लाख नये पौधों के उगाने एवं रख–रखाव पर ₹ 1.13 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 7.6)

वर्ष 2005–06 से 2011–12 के दौरान 251 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (मु0चि0अधी0), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ₹ 28.99 करोड़ के यूजर चार्जेस का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 7.7)

अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2010 के मध्य 22 मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के कार्यालयों में रक्त एवं रक्त अवयवों के ट्रान्सफ्यूजन पर ₹ 2.65 करोड़ का सर्विस चार्ज कम आरोपित किया गया।

(प्रस्तर 7.8)

बिना पंजीकरण कराये 16 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (मु0चि0अ0), के अन्तर्गत संचालित 226 संस्थानों पर ₹ 40.95 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की गई।

(प्रस्तर 7.9.1)

अध्याय–I
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेत्तर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं सहायक अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आँकड़े नीचे दर्शाये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	24,959.32	28,658.97	33,877.60	41,355.00	52,613.43
	• करेत्तर राजस्व	5,816.01	6,766.55	13,601.09	11,176.21	10,145.30
	योग	**30,775.33**	**35,425.52**	**47,478.69**	**52,531.21**	**62,758.73**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	29,287.74	30,905.72	31,796.67	43,218.90	50,350.95[1]
	• सहायक अनुदान	8,609.40	11,499.49	17,145.59	15,433.65	17,760.02
	योग	**37,897.14**	**42,405.21**	**48,942.26**	**58,652.55**	**68,110.97**
3.	**राज्य की कुल प्राप्तियाँ (1 + 2)**	**68,672.47**	**77,830.73**	**96,420.95**	**1,11,183.76**	**1,30,869.70**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**45**	**46**	**49**	**47**	**48**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,30,869.70 करोड़) का, विगत वर्ष के 47 प्रतिशत के विरूद्ध 48 प्रतिशत था। 2011–12 की प्राप्तियों का शेष 52 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2011–12 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11, देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में वृहत लेखा शीर्षक 'अ– कर राजस्व' के अन्तर्गत–0020– निगम कर, 0021– निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028– आय और व्यय पर अन्य कर, 0032– धन पर कर, 0037–सीमाकर, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044–सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क–राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा 'विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में' शामिल किया गया है।

1.1.2 निम्नलिखित सारणी वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2010–11 के सन्दर्भ में 2011–12 में वृद्धि (+) अथवा कमी(–)	2010–11 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	वाणिज्य कर/वैट	15,023.10	17,482.05	20,825.18	24,836.52	33,107.34	(+) 8,270.82	33.30
2.	राज्य आबकारी	3,948.40	4,720.01	5,666.06	6,723.49	8,139.20	(+) 1,415.71	21.06
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	3,976.68	4,138.27	4,562.23	5,974.66	7,694.40	(+) 1,719.74	28.78
4.	वाहनों पर कर	1,145.84	1,124.66	1,403.50	1,816.89	2,375.86	(+)558.97	30.77
5	माल एवं यात्रियों पर कर	109.65	266.49	271.05	241.69	4.81	(-) 236.88	(-) 98.01
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	206.65	216.72	272.16	357.00	458.20	(+) 101.20	28.35
7.	भू–राजस्व	392.53	549.28	663.14	1,134.16	490.68	(-) 643.48	(-) 56.74
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	137.50	140.58	193.34	245.15	312.46	(+) 67.31	27.46
9.	अन्य (होटल प्राप्तियाँ, निगमित कर आदि)	18.97	20.91	20.94	25.44	30.46	(+) 5.02	19.75
योग		**24,959.32**	**28,658.97**	**33,877.60**	**41,355.00**	**52,613.43**[2]	**11,258.43**	**27.22**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्न कारणों को सूचित किया:

वाणिज्य कर/वैटः उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर का अधिक संग्रह होने के कारण वृद्धि हुई थी।

राज्य आबकारीः ''देशी मदिरा,'' ''विदेशी मदिरा तथा स्प्रिट'' में राजस्व की अधिक वसूली के कारण वृद्धि हुई थी।

स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्कः गैर–न्यायिक स्टाम्पों की अधिक बिक्री के कारण वृद्धि हुई थी।

वाहनों पर करः वाहनों की बिक्री पर करों की अधिक वसूली तथा राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत करों के संग्रह के कारण वृद्धि हुई थी।

माल एवं यात्रियों पर करः 2011–12 से इस लेखा शीर्ष के राजस्व को जमा करने हेतु लेखा शीर्ष ''वाहनों पर कर'' नियत किया गया, इसलिए बजट प्राक्कलनों में प्रावधान शून्य था तथा इस लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियाँ मात्र ₹ 4.81 करोड़ थीं।

भू–राजस्वः नियत प्रभारों के कम संग्रहण, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट गाजियाबाद एवं आवास परिषदों के बकायों की कम वसूली के कारण कमी हुई थी।

अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (फरवरी 2013)।

[2] कालम में कर राजस्व के उर्ध्व योग में ₹ 0.02 करोड़ का अन्तर वास्तविक ऑकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण है।

1.1.3 निम्नलिखित सारणी वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 की अवधि में उगाहे गये करेत्तर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 के सन्दर्भ में 2011-12 में वृद्धि (+) अथवा कमी(–)	2010-11 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	विविध सामान्य सेवायें	1,153.53	1,698.79	8,075.13	5,120.67	4,035.23	(-) 1,085.44	(-) 21.20
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	1,247.84	963.87	603.66	689.32	789.22	(+) 99.90	14.49
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	294.80	271.92	271.29	280.34	285.88	(+) 5.54	1.97
4.	मध्यम सिंचाई	319.43	260.91	240.21	148.62	145.52	(-) 3.10	(-) 2.08
5.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,217.62	1,080.61	2,339.86	2,614.11	2,008.55	(-) 605.56	(-) 23.16
6.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	146.10	145.04	147.19	374.46	542.65	(+) 168.19	44.91
7.	अलौह धातु उत्खनन एवं धातुकर्म उद्योग	395.20	427.31	604.97	653.39	593.28	(-) 60.11	(-) 9.20
8.	पुलिस	147.17	160.78	119.34	177.13	196.30	(+) 19.17	10.82
9.	क्राप हस्बेन्ड्री	51.03	49.64	37.60	42.18	58.66	(+) 16.48	39.07
10.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	19.73	34.06	39.69	49.56	154.03	(+) 104.47	210.79
11.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	72.11	618.84	94.35	101.35	107.93	(+) 6.58	6.49
12.	लघु सिंचाई	31.41	31.65	25.26	36.00	47.94	(+) 11.94	33.18
13.	सड़क एवं सेतु	74.24	60.69	87.10	98.51	152.85	(+) 54.34	55.16
14.	लोक निर्माण	34.03	57.52	72.80	69.45	69.97	(+) 0.52	0.75
15.	सहकारिता	6.33	26.46	16.39	9.38	9.78	(+) 0.40	4.29
16.	अन्य	605.44	878.46	826.25	711.74	947.51	(+) 235.77	33.13
योग		**5,816.01**	**6,766.55**	**13,601.09**	**11,176.21**	**10,145.30**	**(-) 1,030.91**	**(-) 9.22**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्न कारणों को सूचित किया:

विविध सामान्य सेवायें: अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कम संग्रह के कारण कमी हुई थी।

शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति: प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत विविध प्राप्तियों की कम वसूली के कारण कमी हुई थी।

अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (फरवरी 2013)।

1.2 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग के प्रत्युत्तर

1.2.1 राज्य सरकार के हितों के संरक्षण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जवाबदेही लागू करने में विफलता

निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संव्यवहारों की नमूना जाँच और रखे गये महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के सत्यापन हेतु महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश (ए0जी0) द्वारा सरकारी विभागों का समयावधिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए जब स्थल पर समाधान नहीं हो पाता, तो निरीक्षण कार्यालयों के अध्यक्षों सहित उनके उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आपत्तियों पर कमियाँ एवं त्रुटियों को सुधार कर कार्यालयाध्यक्षों/शासन के

प्रारम्भिक उत्तर के साथ अनुपालन आख्या महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2011 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की हमारी समीक्षा से पता चला कि जून 2012 के अन्त तक 11,538 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 5,234.12 करोड़ धनराशि के 28,455 प्रस्तर लम्बित थे साथ ही साथ विगत दो वर्षो के तदनुरूपी आँकड़े नीचे दर्शाये गये हैं:

क्र0 सं0	विवरण	2010	2011	2012
1.	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	9,287	10,349	11,538
2.	अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	22,484	25,501	28,455
3.	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड में)	3,757.81	4,445.39	5,234.12

30 जून 2012 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा आपत्तियॉ एवं सन्निहित धनराशि का विभागवार विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

क्र0 सं0	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित हैं
1.	व्यापार कर/वैट, प्रवेश कर सहित	4,138	12,856	1,951.88	1984-85 से 2011-12
2.	राज्य आबकारी	1,048	2,075	331.16	1984-85 से 2011-12
3.	भू–राजस्व	542	772	28.09	1987-88 से 2011-12
4.	वाहन, माल तथा यात्रियों पर कर	1,001	3,259	702.81	1984-85 से 2011-12
5.	लोक निमार्ण	468	921	64.48	1986-87 से 2011-12
6.	सिंचाई	350	748	108.51	1984-85 से 2011-12
7.	गन्ने के क्रय पर कर	97	112	54.29	1985-86 से 2011-12
8.	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	2,577	4,731	228.90	1984-85 से 2011-12
9.	कृषि	182	309	22.21	1985-86 से 2011-12
10.	विद्युत शुल्क	174	215	170.15	1988-89 से 2011-12
11.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	105	179	19.76	1991-92 से 2011-12
12.	सहकारिता	93	114	5.96	1985-86 से 2011-12
13.	मनोरंजन कर	134	210	10.54	1997-98 से 2011-12
14.	अलौह धातु उत्खनन एवं धातुकर्म उद्योग	15	89	97.71	2010-11 से 2011-12
15.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	116	480	10.40	2002-03 से 2011-12
16.	वानिकी एवं वन्य जीवन	495	1,382	1,427.25	2003-04 से 2011-12
17.	कारागार	3	3	0.02	2002-03 से 2011-12
योग		**11,538**	**28,455**	**5,234.12**	

निरीक्षण प्रतिवेदनों की बड़ी मात्रा में लम्बित रहना यह इंगित करता है कि महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित कमियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही करने में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष असफल रहे।

शासन को लेखापरीक्षा आपत्तियों का त्वरित तथा उपयुक्त प्रत्युत्तर हेतु एक प्रभावकारी प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए साथ ही साथ निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों का उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/लम्बित मांगों की वसूली में विफल रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने की हम अनुशंसा करते हैं।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तरों के निराकरण की प्रगति, अनुश्रवण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार ने विभिन्न अवधियों के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं निस्तारित प्रस्तरों के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

विभाग का नाम	सम्पन्न बैठकों की संख्या	विचारार्थ प्रस्तरों की संख्या	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्य कर	27	221	221	3.40
भू–राजस्व	6	45	28	0.48
लोक निर्माण	4	57	37	0.16
योग	**37**	**323**	**286**	**4.04**

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के अतिरिक्त, नीचे दर्शाये गये विवरणानुसार स्थलवार्ता तथा विभागों से प्राप्त उत्तरों के माध्यम से वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 33.67 करोड़ के 767 प्रस्तर निस्तारित किये गये:

विभाग का नाम	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्य कर	488	9.55
स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	127	4.10
राज्य आबकारी	74	17.27
परिवहन	24	0.39
भू–राजस्व	7	2.14
भू–तत्व एवं खनिकर्म	38	0.16
मनोरंजन कर	9	0.06
योग	**767**	**33.67**

अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के लिये यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समितियाँ नियमित रूप से मिलें और निस्तारण के लिये लम्बित सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.2.3 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर सभी विभागों को छः सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने के लिये वित्त विभाग ने निर्देश निर्गत किये थे। आलेख प्रस्तरों को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा परिणामों पर उनका ध्यान आकर्षित करने तथा छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिये अनुरोध करते हुए महालेखाकार द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र भेजे गये। विभाग से उत्तर न प्राप्त होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्तरों के अन्त में निश्चित रूप से दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 55 आलेख प्रस्तर तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से जून 2011 तथा मई 2012 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था। सम्बन्धित विभाग के सचिवों ने निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 15 आलेख प्रस्तरों के विरूद्ध उत्तर भेजा है, जबकि 32 आलेख प्रस्तरों के विरूद्ध विभागों से उत्तर प्राप्त किया गया। परिवहन, भू–तत्व एवं खनिकर्म तथा वन विभागों से क्रमशः एक, पाँच तथा दो आलेख प्रस्तरों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.2.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुश्रवण – सारांश

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चित प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं पर, चाहे वह लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिए गये हों या न लिये गये हों, विभाग द्वारा स्वतः कदम उठाने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 109 प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं को, जो पहले ही राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं, 75 आलेख प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कोई भी व्याख्यात्मक टिप्पणी अक्टूबर 2012 तक हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थीं। वर्ष 2006–07 से अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

प्रतिवेदन का वर्ष	विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं	प्रस्तरों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं
2006–07	15 फरवरी 2008	24	12	12
2007–08	17 फरवरी 2009	16	14	2
2008–09	28 जनवरी 2010	13	8	5
2008–09 (राज्य आबकारी पर स्टैण्ड एलोन रिपोर्ट)	05 अगस्त 2011	1	0	1
2009–10	08 अगस्त 2011	20	0	20
2010–11	30 मई 2012	35	0	35
योग		**109**	**34**	**75**

1.2.5 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक के हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 2,751.67 करोड़ के अवनिर्धारण, करों के कम आरोपण/अनारोपण, राजस्व क्षति, मांग सृजित करने में असफलता आदि के मामले प्रतिवेदित किये गये थे। सम्बन्धित विभागों द्वारा अक्टूबर 2012 तक ₹ 959.69 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की गयीं और ₹ 14.11 करोड़ की वसूली की गई। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनवार स्वीकार किये गये मामले तथा की गयी वसूली का विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
2006-07	92.18	1.74	0.37
2007-08	1,035.85	927.83	12.83
2008-09	109.07	4.26	0.03
2008–09 (राज्य आबकारी पर स्टैण्ड एलोन रिपोर्ट)	1,344.56	--	--
2009-10	69.15	8.77	0.16
2010-11	100.50	17.09	0.72
योग	**2751.67**	**959.69**	**14.11**

स्वीकार किये गये मामलों में वसूली अत्यधिक कम (1.47 प्रतिशत) है।

सन्निहित धनराशियों, विशेषतः स्वीकृत मामलों में, की त्वरित वसूली के लिये सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं के क्रम में, एक विभाग से सम्बन्धित पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा प्रस्तरों में उठाये गये मुख्य बिन्दुओं पर शासन/विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तरों 1.3.1 से 1.3.2.2 में **परिवहन विभाग** के निष्पादन पर विगत छः वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामले एवं वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा की गयी है।

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

पिछलें छः वर्षों के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों और मार्च 2012 तक की उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक रहतिया			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निस्तारण			अन्तिम रहतिया		
	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि
2006-07	904	2710	102.72	61	171	9.22	1	4	0.01	964	2877	111.93
2007-08	964	2877	111.93	67	295	11.35	6	12	0.10	1025	3160	123.18
2008-09	1025	3160	123.18	74	245	107.19	208	546	10.73	891	2859	219.65
2009-10	891	2859	219.65	78	360	25.74	39	111	11.15	930	3108	234.24
2010-11	930	3108	234.24	60	183	8.34	132	610	15.57	858	2681	227.01
2011-12	858	2681	227.01	71	510	87.47	4	24	0.39	925	3167	314.09

वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान 18 आडिट कमेटी बैठकों में ₹ 26.16 करोड़ निहत धनराशि के 920 प्रस्तर निस्तारित किये गये थे।

1.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं पर शासन/विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन

1.3.2.1 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछलें पॉच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों की स्थिति, इसमें से विभाग द्वारा स्वीकार किये गये मामले तथा वसूल की गई धनराशियों का विवरण निम्नवत दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की धनराशि	स्वीकार किये गये प्रस्तरों की संख्या	स्वीकार किये गये प्रस्तरों की धनराशि	वर्ष के दौरान वसूल की गयी धनराशि	स्वीकार किये गये मामलों की वसूली की क्यूमिलेटिव स्थिति
2006-07	2	6.11	-	-	-	-
2007-08	2	82.02	1	73.22	1	8.80
2008-09	1	5.80	-	-	-	-
2009-10	1	15.60	1	5.49	-	-
2010-11	8	2.15	3	0.57	-	-
योग	**14**	**111.68**	**5**	**79.28**	**1**	**8.80**

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण यह दर्शाता है कि स्वीकार किये गये प्रस्तरों और उनकी धनराशि की प्रतिशतता बहुत कम है। वसूली की धनराशि स्वीकार किये गये प्रस्तरों की धनराशि के सापेक्ष 11.10 प्रतिशत है।

हम अनुसंशा करते हैं कि विभाग कम से कम स्वीकृत प्रस्तरों में सन्निहित धनराशियों की वसूली सुनिश्चित करें।

1.3.2.2 शासन/विभागों द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

हमारे द्वारा सम्पादित इन आलेख निष्पादन लेखापरीक्षाओं को शासन/सम्बन्धित विभागों को सूचना के लिए एवं उनके उत्तर देने के अनुरोध के साथ उत्तर देने हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एक समापन विचार गोष्ठी में भी विचार–विमर्श किया जाता है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन का दृष्टिकोण इनमें शामिल किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009–10 एवं 2010–11 में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं क्रमशः ''परिवहन विभाग के कार्य–कलाप'' एवं ''मोटरयान विभाग में कम्प्यूटरीकरण'' में मुख्य रूप से दिखाये गये मामलों पर की गयी सिफाारिशें और विभाग द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर कृत कार्यवाही के विवरण सम्मिलित करते हुए नीचे दर्शायें गये हैः

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	संस्तुतियों की संख्या	स्वीकार संस्तुतियों की संख्या
2009-10	परिवहन विभाग के कार्य–कलाप	8	6
2010-11	मोटरयान विभाग में कम्प्यूटरीकरण	8	8

इन प्रतिवेदनों में दी गयी सिफाारिशों पर विभाग ने अभी तक की गयी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया है।

1.4 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पिछली रूझान, अन्य मापदण्डों एवं राजस्व की स्थिति के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम के विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन, शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामलें जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों में अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूपरेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव सम्मिलित रहता है।

वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 1,972 इकाइयाँ लेखापरीक्षा हेतु शामिल करने योग्य थीं जिसमें से 1,356 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया हैः

क्र0 सं0	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
1.	वाणिज्य कर	987	615
2.	राज्य आबकारी आसवनियों सहित	282	200
3.	परिवहन	97	96
4.	मनोरंजन कर	63	29
5.	स्टाम्प एवं निबंधन	404	339
6.	भू–तत्व एवं खनिकर्म	26	17
7.	वन	113	60
	योग	**1,972**	**1,356**

उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त ''स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की कार्यप्रणाली'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तैयार की गयी है।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.5.1 वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2011–12 के दौरान वाणिज्य कर, आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनन प्राप्तियाँ तथा कर एवं करेत्तर प्राप्तियों से सम्बन्धित 1,356 इकाइयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में ₹ 1,754.31 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम कर आरोपण/राजस्व हानि के 4,878 मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 637 मामलों में ₹ 33.83 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये जिनमें से ₹ 30.68 करोड़ के 78 मामले वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभागों द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान 326 मामलों में ₹ 3.79 करोड़ की वसूली की गयी, जिसमे से 25.79 लाख के 44 मामले वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में लाये गये थे।

1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में **"स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की कार्यप्रणाली"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा को मिलाकर 56 प्रस्तर हैं जो कर, शुल्क, ब्याज तथा अर्थदण्ड आदि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बन्धित हैं, जिनमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 857.95 करोड़ है। शासन/विभागों ने ₹ 438.41 करोड़ की धनराशि की आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 2.60 करोड़ की वसूली की गयी। शेष मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)। ये मामले अनुवर्ती अध्याय II से VII में वर्णित हैं।

अध्याय–II
वाणिज्य कर/मूल्य संवर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

व्यापार कर (व्या0क0) राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है (दिसम्बर 2007 के पश्चात् इसे वाणिज्य कर के रूप में जाना गया) जो कि वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व (₹ 52,613.43 करोड़) के 62.93 प्रतिशत अंश (₹ 33,107.34 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। वाणिज्य कर का आरोपण, 31 दिसम्बर 2007 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उ0प्र0व्या0क0अधि0) के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों, तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम) 1 जनवरी 2008 से प्रभावी, के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर के आरोपण का विनियमन केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के0बि0क0अधि0), के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अनुसार किया जाता है।

शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। वाणिज्य कर विभाग का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) में निहित है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। उनकी सहायता के लिए 104 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0क0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0क0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (अ0क0) एवं 1275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) हैं।

2.2 प्राप्तियों का रुझान

विगत वर्षों 2007–08 से 2011–12 की अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ ही समान अवधि में व्यापार कर/वैट की वास्तविक प्राप्तियों का विवरण निम्नलिखित तालिका और बार डाईग्राम में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता कमी (–)/ आधिक्य (+)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों में वा0क0/मू0सं0क0 प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	17,314.10	15,023.10	(-) 2,291.00	(-) 13.23	24,959.32	60.19
2008-09	19,705.00	17,482.05	(-) 2,222.95	(-) 11.28	28,658.97	61.00
2009-10	20,741.27	20,825.18	(+) 83.91	0.40	33,877.60	61.47
2010-11	26,978.34	24,836.52	(-) 2,141.82	(-) 7.94	41,355.00	60.06
2011-12	32,000.00	33,107.34	(+) 1,107.34	3.46	52,613.43	62.93

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

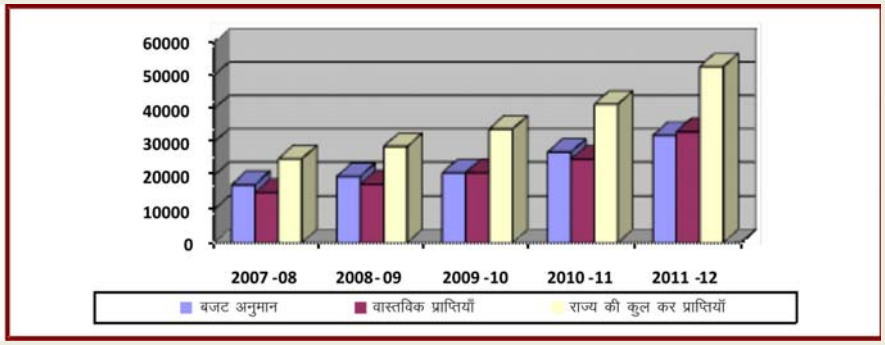

सारणी से यह स्पष्ट है कि 2007–08 एवं 2011–12 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच (–) 13.23 एवं 3.46 प्रतिशत के बीच असामान्य भिन्नता थी।

2.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को ₹ 18,960.28 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 11,803.03 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित था। वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के लम्बित राजस्व बकाये का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का आरम्भिक रहतिया	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाया का अन्तिम रहतिया
2007-08	14,569.19	3,487.63	11,081.94
2008-09	11,081.94	4,307.91	15,389.85
2009-10	15,389.85	1,063.45	16,453.30
2010-11	16,453.30	1,350.97	16,665.41
2011-12	16,665.41	1,700.51	18,960.28

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

विभाग ने बताया कि ₹ 1,576.23 करोड़ के भू–राजस्व के बकाये की वसूली के लिये प्रमाणित मांग पत्र निर्गत किये गये, ₹ 4,260.46 करोड़ न्यायालय एवं शासन द्वारा स्थगित किये गये थे, ₹ 495.62 करोड़ की बकाया की वसूली सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विभागों से थे, ₹ 913.17 करोड़ की वसूली प्रमाणपत्र दूसरे राज्यों से सम्बन्धित थे, राज्य के ट्रान्सपोर्टरों पर ₹ 69.93 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र थे, ₹ 1,498.03 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित हैं, तथा ₹ 10,146.84 करोड़ की शेष बकाया धनराशि विभागीय कार्यवाही हेतु लम्बित थे।

2.4 प्रति व्यापारी वैट लागत

प्रति व्यापारी वैट पर वर्ष 2009–10 से 2011–12 की अवधि में आयी लागत का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है:

वर्ष	व्यापारियों की संख्या	सकल संग्रह (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	प्रति व्यापारी लागत (₹ में)
2009-10	5,75,434	20,825.18	358.43	6,228.86
2010-11	5,94,695	24,836.52	391.45	6,582.37
2011-12	6,42,645	33,107.34	440.89	6,860.55

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

2.5 कर निर्धारण हेतु बकाये मामले

वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर निर्धारण के मामले, अतिरिक्त मामले जो कि वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्त हुए, वर्ष के दौरान निस्तारित मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु अवशेष मामलों का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं:

वर्ष	प्रारम्भिक रहतिया	कर निर्धारण हेतु प्राप्त मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में बकाया मामले
2007-08	5,76,968	6,19,710	11,96,678	2,58,011	9,38,667
2008-09	9,38,667	5,33,358	14,72,025	9,50,313	5,21,712
2009-10	5,21,712	1,83,378	7,05,090	6,92,704	12,386
2010-11	12,386	5,44,458	5,56,844	5,50,802	6,042
2011-12	6,042	6,54,378	6,60,420	4,76,368	1,84,052

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

विभाग को बकाया कर निर्धारण मामलों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की आवश्यकता है।

2.6 संग्रह की लागत

वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान व्या0क0/मू0सं0क0 प्राप्तियों के सम्बन्ध में सकल संग्रह, संग्रह पर हुआ व्यय एवं संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ ही पिछले वर्ष में सकल संग्रह पर हुये व्यय की प्रासंगिक अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह पर संग्रह की लागत की प्रतिशतता	पिछले वर्ष की अखिल भारतीय प्रतिशतता
2007-08	15,023.10	228.19	1.52	0.82
2008-09	17,482.05	272.54	1.56	0.83
2009-10	20,825.18	358.43	1.72	0.88
2010-11	24,836.52	406.65	1.64	0.96
2011-12	33,107.34	440.89	1.33	0.75

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

इस प्रकार, सभी पाँच वर्षों में संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से अधिक थी।

शासन को संग्रह लागत कम करने हेतु उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता है।

2.7 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कर का अनारोपण/कम आरोपण, कर की वसूली न होना/कम वसूली, कर का कम आरोपण/राजस्व हानि, अनियमित छूट, टर्नओवर का छिपाव, कर की गलत दर का लागू किया जाना, गणना की त्रुटि आदि के ₹ 1,502.44 करोड़ के 10,084 मामलों को इंगित किया। जिसमें से विभाग/शासन ने 1,359 मामलों में ₹ 15.23 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया था तथा अब तक 508 मामलों में ₹ 2.05 करोड़ वसूल कर लिया था। विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकार की गयी धनराशि		वसूल की गयी धनराशि	
		मामलों की सं0	धनराशि	मामलों की सं0	धनराशि	मामलों की सं0	धनराशि
2006-07	473	1,548	74.60	38	0.36	6	0.02
2007-08	489	1,210	1,191.14	124	0.51	114	0.46
2008-09	591	1,967	64.65	202	5.60	128	0.68
2009-10	685	2,711	77.32	559	7.13	112	0.36
2010-11	892	2,648	94.73	436	1.63	148	0.53
योग	**3,130**	**10,084**	**1,502.44**	**1,359**	**15.23**	**508**	**2.05**

2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान वाणिज्य कर कार्यालयों के कर निर्धारण एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच ने कर का अनारोपण/कम आरोपण, माल के गलत वर्गीकरण तथा कर की त्रुटिपूर्ण दर के फलस्वरूप कर का अनारोपण/कम आरोपण, अनियमित छूट आदि के ₹ 132.67 करोड़ के 2,451 मामले उद्घाटित किये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण	949	39.21
2.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	230	7.41
3.	अनियमित कर मुक्ति का दिया जाना	263	32.37
4.	माल की दर का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	256	13.26
5.	माल का गलत वर्गीकरण	38	1.68
6.	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमितताएं	31	0.86
7.	गणना की त्रुटि	06	0.06
8.	टर्नओवर पर कर लगने से छूट जाना	14	0.59
9.	अन्य अनियमिततायें	664	37.23
योग		**2,451**	**132.67**

वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग ने 522 मामलों में ₹ 3.06 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 5.42 लाख के 21 मामले वर्ष 2011–12 में इंगित किये गये तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान 230 मामलों में ₹ 44.68 लाख की वसूली की जिनमें से ₹ 2.02 लाख के 6 मामले वर्ष 2011–12 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 16.76 करोड़ का राजस्व प्रभाव निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

2.9 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

वाणिज्य कर विभाग के कर निर्धारण अभिलेखों की हमारी जाँच में अधिनियमों/नियमों को अमल में न लाये जाने, कर/अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण, अनियमित कर मुक्ति, कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने आदि एवं निष्प्रयोज्य व्यय के एक प्रकरण सहित अनेक प्रकरण प्रकाश में आये जो कि इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तरों में उल्लिखित हैं। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं। कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर ऐसी त्रुटियां प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती है परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु लेखापरीक्षा होने तक ये प्रकाश में नही आती हैं। हम अनुभव करते हैं कि शासन के लिए यह आवश्यक है कि वह आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के साथ ही आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को भी मजबूत करे।

2.10 कर की गलत दर लगाये जाने तथा वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर का अनारोपण/कम आरोपण

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ प्रकरणों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की निम्नतर दरें लागू की गयीं एवं कुछ प्रकरणों में कोई कर ही आरोपित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 5.04 करोड़ के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ जैसा कि उत्तरवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है:

2.10.1 कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का अनारोपण/कम आरोपण

उ0प्र0 व्यापार कर (उ0प्र0व्या0क0) अधिनियम, 1948 की धारा 3–क के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएँ निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची–I में शामिल वस्तुएँ करमुक्त हैं, अनुसूची–II में शामिल वस्तुएँ चार प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची–III में शामिल वस्तुएँ एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएँ जो अनुसूची–IV में शामिल हैं समय–समय पर शासन द्वारा विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। वस्तुएँ जो उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वो अनुसूची–V में शामिल हैं एवं 12.5 की दर से कर योग्य हैं।

हमने 55 वाणिज्य कर कार्यालयों [1] (वा0क0का0) में देखा कि क0नि0प्रा0 ने अवधि 2002–03 से 2009–10 के लिए अगस्त 2004 से मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण [2] करते समय ₹ 60.77 करोड़ मूल्य के माल की

[1] असि0क0 खण्ड–10 आगरा, डि0क0 खण्ड–11 आगरा, डि0क0 खण्ड–17 आगरा, डि0क0 खण्ड–19 आगरा, असि0क0 खण्ड–1 अलीगढ़, डि0क0 खण्ड–1 इलाहाबाद, असि0क0 खण्ड–7 इलाहाबाद, डि0क0 खण्ड–14 इलाहाबाद, डि0क0 खण्ड–10 बरेली, डि0क0 खण्ड–2 गौतमबुद्धनगर, डि0क0 खण्ड–3 गौतमबुद्धनगर, ज्वा0क0(कार्पो0स0)–अ गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–4 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–5 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–7 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–8 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–8 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–9 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–13 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–14 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–15 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–15 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–16 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–17 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–18 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–18 गाजियाबाद, ज्वा0क0(कार्पो0स0) गोरखपुर, असि0क0 खण्ड–1 हापुड, डि0क0 खण्ड–2 कानपुर, असि0क0 खण्ड–3 कानुपर, डि0क0 खण्ड–7 कानपुर, डि0क0 खण्ड–20 कानपुर, डि0क0 खण्ड–25 कानपुर, डि0क0 खण्ड–28 कानपुर, डि0क0 खण्ड–29 कानपुर, डि0क0 खण्ड–30 कानपुर, ज्वा0क0(कार्पो0स0)–1 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–4 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–5 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–16 लखनऊ, असि0क0 खण्ड–9 मेरठ, ज्वा0क0(कार्पो0स0)–अ नोएडा, डि0क0 खण्ड–4 नोएडा, डि0क0 खण्ड–5 नोएडा, डि0क0 खण्ड–6 नोएडा, डि0क0 खण्ड–7 नोएडा, डि0क0 खण्ड–11 नोएडा, डि0क0 खण्ड–12 नोएडा, डि0क0 खण्ड–13 नोएडा, असि0क0 खण्ड–13 नोएडा, असि0क0 खण्ड–2 रामपुर, डि0क0 खण्ड–4 सहारनपुर, डि0क0 खण्ड–12 सहारनपुर, डि0क0 खण्ड–2 वाराणसी एवं असि0क0 खण्ड–5 वाराणसी।

[2] 79 व्यापारियों के लिए।

बिक्री पर गलत दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.32 करोड़ कम व्यापार कर (व्या0क0)/मूल्य संवर्धित कर (मू0सं0क0) आरोपित हुआ। जैसा कि **परिशिष्ट– I** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को मार्च 2007 एवं मई 2012 के मध्य विभाग/शासन को इंगित किये जाने पर विभाग ने जनवरी 2011 एवं अगस्त 2012 के मध्य बताया कि 11 मामलों[3] में ₹ 33.16 लाख व्या0क0/मू0सं0क0 आरोपित कर दिया गया है एवं इसमें से ₹ 2.75 लाख की वसूली की जा चुकी है। अन्य मामलों में हमें उनके उत्तर एवं वसूली की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

2.10.2 वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण व्या0क0/मू0सं0क0 का कम आरोपण

हमने अगस्त 2009 से सितम्बर 2011 के मध्य 15 वा0क0का0[4] में देखा कि क0नि0प्रा0 ने 17 व्यापारियों के प्रकरणों में अवधि 2005–06 से 2007–08 के लिए सितम्बर 2008 से मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 12.67 करोड़ के माल की बिक्री पर त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण गलत दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 81.42 लाख कम व्या0क0/मू0सं0क0 आरोपित हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–II** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों[5] को इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि 13 प्रकरणों[6] में ₹ 52.26 लाख व्या0क0/मू0सं0क0 आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 3.35 लाख की वसूली अब तक की जा चुकी है। विभाग ने आगे बताया कि चार क0नि0प्रा0[7] के प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। हमें अन्तिम कार्यवाही की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

---

[3] डि0क0 खण्ड–2 गौतमबुद्धनगर, डि0क0 खण्ड–3 गौतमबुद्धनगर(दो मामलें), ज्वा0क0(कार्पो0स0)–अ गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–18 गाजियाबाद (एक मामला), असि0क0 खण्ड–3 कानपुर (एक मामला), डि0क0 खण्ड–4 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–5 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–5 नोएडा, डि0क0 खण्ड–7 नोएडा (एक मामला) एवं असि0क0 खण्ड–5 वाराणसी।

[4] डि0क0 खण्ड–2 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–6 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–15 कानपुर, डि0क0 खण्ड–20 कानपुर, डि0क0 खण्ड–2 लखनऊ, असि0क0 खण्ड–2 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–12 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–19 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–1 मेरठ, असि0क0 खण्ड–12 मेरठ, डि0क0 खण्ड–2 मिर्जापुर, डि0क0 मोदी नगर, डि0क0 खण्ड–2 नोएडा, डि0क0 खण्ड–5 नोएडा एवं डि0क0 खण्ड–13 नोएडा।

[5] अक्टूबर 2009 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य।

[6] डि0क0 खण्ड–2 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–15 कानपुर, डि0क0 खण्ड–20 कानपुर, डि0क0 खण्ड–2 लखनऊ, असि0क0 खण्ड–2 लखनऊ, असि0क0 खण्ड–12 मेरठ, डि0क0 खण्ड–2 मिर्जापुर, डि0क0 मोदीनगर, डि0क0 खण्ड–2 नोएडा, डि0क0 खण्ड–5 नोएडा (तीन मामलें) एवं डि0क0 खण्ड–13 नोएडा।

[7] डि0क0 खण्ड–6 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–12 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–19 लखनऊ एवं डि0क0 खण्ड–1 मेरठ।

2.10.3 कर की गलत दर लगाये जाने के कारण के0बि0क0 का अनारोपण/कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) के अन्तर्गत फार्म 'सी' से आच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोडकर) की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री पर 31 मार्च 2007 तक चार प्रतिशत एवं 1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है तथा के0बि0क0 अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत फार्म 'सी' से अनाच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोडकर) की बिक्री पर 31 मार्च 2007 तक 10 प्रतिशत अथवा सन्दर्भित राज्य में ऐसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर आरोपणीय कर की दर दोनो में जो भी अधिक हो की दर से कर आरोपणीय है, एवं 1 अप्रैल 2007 से उस दर से कर आरोपणीय है जो कि उस सन्दर्भित राज्य में ऐसी वस्तुओं की खरीद या बिक्री पर लागू है।

हमने मार्च 2007 एवं जनवरी 2012 के मध्य 13 वा0क0का0[8] में देखा कि 13 व्यापारियों ने वर्ष 2002–03 से 2007–08 के दौरान ₹ 15.23 करोड़ मूल्य के माल की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री की। क0नि0प्रा0 ने अगस्त 2004 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय बिक्री पर लागू दर के बजाय कम दर से के0बि0क0 आरोपित किया अथवा करमुक्ति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 90.65 लाख कम के0बि0क0 का आरोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–III** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों[9] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि 10 प्रकरणों[10] में ₹ 82.88 लाख के0बि0क0 आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 20.30 लाख की वसूली की जा चुकी है। अग्रेतर, विभाग ने बताया कि दो क0नि0प्रा0[11] के प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। हमें अन्तिम कार्यवाही की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

---

[8] डि0क0 खण्ड–1 इलाहाबाद, वा0क0का0 खण्ड–1 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–13 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–15 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–15 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–17 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–6 कानपुर, डि0क0 खण्ड–16 कानपुर, डि0क0 खण्ड–26 कानपुर, डि0क0 कोसीकलां, डि0क0 मोदीनगर, डि0क0 खण्ड–2 नोएडा एवं डि0क0 खण्ड–5 नोएडा।

[9] मार्च 2007 एवं अगस्त 2012 के मध्य।

[10] डि0क0 खण्ड–1 इलाहाबाद, वा0क0अधि0 खण्ड–1 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–15 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–15 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–6 कानपुर, डि0क0 खण्ड–16 कानपुर, डि0क0 खण्ड–26 कानपुर, डि0क0 कोसीकलां, डि0क0 खण्ड–2 नोएडा, एवं डि0क0 खण्ड–5 नोएडा।

[11] डि0क0 खण्ड–13 एवं 15 गाजियाबाद।

2.11 अर्थदण्ड का अनारोपण एवं ब्याज का प्रभारित न किया जाना

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसे कि अनियमित संव्यवहार, लेखाओं से बाहर संव्यवहार, अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल व्यवहार आदि। यद्यपि कि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण एवं ब्याज के प्रभारित किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं फिर भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.34 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण एवं ब्याज प्रभारित नहीं हुआ जैसा कि अग्रेतर प्रस्तरों में उल्लिखित है:

2.11.1 विलम्ब से कर जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा–15 ए(1)(ए) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(1) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है या इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर को जमा करने में असफल रहा है, तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि यदि उसके द्वारा कोई कर देय हो, तो वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में, ऐसे देय कर का न्यूनतम 10 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत यदि देय कर ₹ 10,000 तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत यदि देय कर ₹ 10,000 से अधिक हो उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत तथा देय कर का 20 प्रतिशत उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत अदा करे।

हमने सितम्बर 2009 एवं फरवरी 2012 के मध्य 13 वा0क0का0[12] में देखा कि 15 व्यापारियों ने अवधि 2005–06 से 2009–10 के लिए ₹ 4.19 करोड़ के अपने स्वीकृत कर को समय से जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि तीन से 759 दिनों तक की थी। क0नि0प्रा0 ने दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय देय कर के अतिरिक्त ₹ 59.18 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि **परिशिष्ट– IV** में वर्णित है।

हमारे द्वारा प्रकरण[13] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि ₹ 54.84 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 7.99 लाख की वसूली की जा चुकी है। असि0 कमि0 खण्ड–21 लखनऊ के सम्बन्ध में हमें अन्तिम कार्यवाही की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

---

[12] डि0क0 खण्ड–3 बरेली, डि0क0 खण्ड–2 चन्दौसी (दो मामले), डि0क0 खण्ड–4 फिरोजाबाद, डि0क0 खण्ड–2 गौतमबुद्धनगर, डि0क0 खण्ड–1 गोरखपुर, असि0क0 खण्ड–5 झाँसी, ज्वा0क0 (कार्पो0स0)–II कानपुर (दो मामले), डि0क0 खण्ड–5 कानपुर, ज्वा0क0 (कार्पो0स0)–आयल सेक्टर लखनऊ, डि0क0 खण्ड–2 लखनऊ, असि0क0 खण्ड–21 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–2 मथुरा एवं डि0क0 खण्ड–5 नोएडा।

[13] अगस्त 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य।

2.11.2 टर्न ओवर के छिपाये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा–15 ए(1)(सी) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि व्यापारी ने अपना टर्न ओवर छिपाया है अथवा जानबूझ कर अपने टर्न ओवर के सम्बन्ध में गलत विवरण प्रस्तुत किया है तो वह ऐसे व्यापारी को, कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार बचाये गये कर के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक की धनराशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

व्यापारियों के अन्तिम कर निर्धारण आदेश, वाणिज्य कर अधिकरण के निर्णय एवं अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से हमने देखा कि तीन व्यापारियों ने वर्ष 1997–98 से 2003–04 के दौरान ₹ 6.23 करोड़ के विक्रय टर्न ओवर को छिपाया था। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 1998 एवं नवम्बर 2009 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय इस छिपाये गये टर्न ओवर पर ₹ 43.18 लाख व्या0क0 आरोपित किया। यद्यपि कि अधिकरण एवं अपीलीय प्राधिकारी ने इसका अनुमोदन कर दिया था कि व्यापारियों ने अपना टर्नओवर छिपाया था, क0नि0प्रा0 ने ₹ 21.59 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	छिपाया गया टर्नओवर	वस्तु का नाम	छिपाये गये टर्नओवर पर लगाया गया कर	आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड
1.	असि0क0 खण्ड–8 आगरा	1	1997-98 (नवम्बर 1998)	25.00	डीजल इंजन स्पेयर्स	1.88	0.94
		1	1998-99 (सितम्बर 2005)	500.00	फुटवियर	38.00	19.00
2.	डि0क0 खण्ड–1 सीतापुर	1	2003-04 (नवम्बर 2009)	97.88	मेन्था आयल एवं दाल	3.30	1.65
	योग	**3**		**622.88**		**43.18**	**21.59**

हमारे द्वारा प्रकरण[14] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि सभी मामलों में ₹ 21.59 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। हमें इसकी वसूली से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं है (फरवरी 2013)।

2.11.3 मिथ्या घोषणा पत्र जारी करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 15ए(1)(एल) के अर्न्तगत कोई व्यापारी जो मिथ्या प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी करता है या प्रस्तुत करता है, जिसके कारण कर आरोपणीय नहीं रह जाता तो वह कर के अतिरिक्त ऐसे कर की धनराशि जो बचा ली गयी होती के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक की राशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करेगा।

हमने सितम्बर 2010 एवं नवम्बर 2011 के मध्य देखा कि दो व्यापारियों ने मिथ्या घोषणा पत्र जारी अथवा प्रस्तुत किया था जिसके कारण वर्ष 2002–03 तथा 2007–08 (माह दिसम्बर 2007 तक) के मध्य की गयी खरीद अथवा बिक्री पर कर आरोपणीय नहीं रहा, जो कि गणना करने पर ₹ 69.18 लाख आती है। यद्यपि कि क0नि0प्रा0 ने मार्च 2009 एवं मई 2010 के मध्य इन व्यापारियों का कर निर्धारण

[14] मार्च 2011 एवं नवम्बर 2011 के मध्य।

करते समय डि0क0 खण्ड–16 कानपुर के प्रकरण में ₹ 33.32 लाख व्या0क0 आरोपित किया परन्तु ₹ 16.66 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। दूसरे प्रकरण में कर ₹ 35.86 लाख एवं न्यूनतम अर्थदण्ड ₹ 17.92 लाख दोनों आरोपित नहीं किया गया। विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	मिथ्या घोषणा पत्र जारी करके बचाया गया कर	आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड
1.	डि0क0 खण्ड–8 वा0क0 गाजियाबाद	2006-07 (मार्च 2009)	प्लान्ट मशीनरी एवं इसके भाग	289.52	28.95	14.47
		2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	–तदैव–	76.74	6.91	3.45
2.	डि0क0 खण्ड–16 वा0क0 कानपुर	2002-03 (मई 2010)	पेट्रोलियम आधारित तेल	208.23	33.32	16.66
योग				**574.49**	**69.18**	**34.58**

हमारे द्वारा प्रकरण[15] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि डि0क0 खण्ड–8 गाजियाबाद ने ₹ 35.86 लाख व्या0क0 एवं अधिकतम अर्थदण्ड ₹ 71.72 लाख आरोपित कर दिया है परन्तु माँग पर सितम्बर 2012 में रोक लगा दी गयी है, दूसरे प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। हमें अन्तिम कार्यवाही की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

2.11.4 के0बि0क0 के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण

के0बि0क0 अधिनियम की धारा 10 एवं 10 ए के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म 'सी' की घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल के0बि0क0 अधिनियम के अर्न्तगत उसको जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो व्यापारी अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी यदि क0नि0प्रा0 उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

हमने नवम्बर 2009 एवं जनवरी 2012 के मध्य देखा कि वर्ष 2005–06 एवं 2007–08 के दौरान आठ व्यापारियों ने फार्म 'सी' की घोषणा के आधार पर ₹ 7.21 करोड़ का माल के0बि0क0 की रियायती दर पर खरीदा। ये वस्तुएं उनको के0बि0क0 अधिनियम के अर्न्तगत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं थीं। क0नि0प्रा0 ने फरवरी 2009 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय अभियोजन की अनुशंसा नहीं की और न ही सारणी में दर्शाये गये विवरण के अनुसार ₹ 1.12 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया।

[15] नवम्बर 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य।

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	खरीद मूल्य	कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	ज्वा0क0 (कार्पो0स0)–बी गौतमबुद्धनगर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2011)	आफिस बंक हाउस, स्केफोल्डिग	36.77	10	5.52
		1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (फरवरी 2010)	कोटिंग पाउडर, ई0पी0एस0, ई0पी0एस0 रेजिन आदि	493.09	10	73.96
				पेन्ट	40.34	12	7.26
2.	डि0क0 खण्ड–16 कानुपर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2009)	निर्माण सामग्री	0.27	10	0.04
				पत्थर	4.27	8	0.51
				स्टील स्ट्रक्चर	0.20	4	0.01
3.	डि0क0 खण्ड–21 लखनऊ	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	चेचिस	78.26	12	14.08
4.	डि0क0 खण्ड–2 नोएडा	1	2006-07 (जून 2010)	एलमुनियम सेक्शन	5.92	10	0.89
5.	असि0क0 खण्ड–8 नोएडा	1	2005-06 (अप्रैल 2010)	एअर कन्डीशनर, टाइल्स	10.39	16	2.49
				चैनल, फर्नीचर, आर0ओ0 सिस्टम	6.52	10	0.98
6.	डि0क0 खण्ड–9 नोएडा	1	2006-07 (फरवरी 2009)	सी0पी0आई0, बियरिंग, साल्वेन्ट सीमेन्ट	9.39	10	1.41
7.	डि0क0 खण्ड–11 नोएडा	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (फरवरी 2010)	मशीनरी, डाई, तेल, केमिकल, सी0आई0 कास्टिंग	24.64	10	3.70
				लकड़ी	1.58	16	0.38
				फर्नीचर	0.29	8	0.03
				मशीनरी, डाई (01.04.2007 से 31.12.2007 तक)	1.10	9	0.15
				केमिकल (01.04.2007 से 31.12.2007 तक)	7.65	4	0.46
योग		**8**			**720.68**		**111.87**

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर[16] विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 1.05 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है एवं इसमें से ₹ 3.47 लाख की वसूली की जा चुकी है। अन्तिम वसूली की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

[16] अप्रैल 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य।

2.11.5 सकर्म संविदा कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 8डी(6) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को सकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरूद्ध किसी दायित्व निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी सकर्म के लिए अधिनियम के अर्न्तगत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अर्न्तगत कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अर्न्तगत कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20 वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो, क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने मार्च 2011 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य 11 वा0क0का0[17] के कर निर्धारण आदेशों में देखा कि 13 व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 68.07 लाख के सकर्म संविदा कर की कटौती की परन्तु उसे निर्धारित समयावधि के अन्दर शासकीय कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिन से लेकर 311 दिनों तक की थी। क0नि0प्रा0 ने दिसम्बर 2009 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय 13 प्रकरणों में ₹ 1.36 करोड़ का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि **परिशिष्ट– V** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा प्रकरण[18] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि 12 मामलों में ₹ 1.34 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है जिसमें से ₹ 1.78 लाख की वसूली की जा चुकी है। अवशेष मामले का उत्तर हमें प्राप्त नहीं है (फरवरी 2013)।

---

[17] डि0क0 खण्ड–11 आगरा, डि0क0 खण्ड–16 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–18 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–17 कानपुर, असि0क0 खण्ड–7 मुजफ्फरनगर, डि0क0 खण्ड–2 नोएडा, डि0क0 खण्ड–9 नोएडा(तीन मामले), डि0क0 पलियांकला, असि0क0 खण्ड–12 सहारनपुर, असि0क0 खण्ड–1 शामली एवं डि0क0 खण्ड–14 वाराणसी।

[18] अप्रैल 2011 एवं जून 2012 के मध्य।

2.11.6 कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 8(1) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33(2) के अर्न्तगत व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर को निर्धारित समयावधि के अन्दर जमा करना होगा, ऐसा करने में असफल रहने पर साधारण दर से ब्याज देय होगा एवं अदेय धनराशि पर ऐसी धनराशि को जमा किये जाने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के अगले दिन से लेकर धनराशि के जमा किये जाने की तिथि तक 11 अगस्त 2004 तक दो प्रतिशत प्रति माह, 31 दिसम्बर 2007 तक 14 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं उसके पश्चात 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा।

हमने नौ वा0क0का0 [19] में फरवरी 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य देखा कि नौ व्यापारियों ने, जिनका वर्ष 1980–81 से 2007–08 के लिए कर निर्धारण अक्टूबर 2009 एवं जनवरी 2011 के मध्य किया गया था, ने अपने स्वीकृत कर ₹ 62.33 लाख को 465 से लेकर 10,987 दिनों तक के विलम्ब से जमा किया था। क0नि0प्रा0 ने किसी भी प्रकरण में विलम्ब से कर जमा करने पर ब्याज के भुगतान हेतु नोटिस जारी नहीं किया। स्वीकृत कर विलम्ब से जमा करने पर ₹ 62.52 लाख के ब्याज की देयता आकृष्ट होती थी जिसे क0नि0प्रा0 ने प्रभारित नहीं किया।

हमारे द्वारा प्रकरण[20] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि सभी मामलों में ₹ 61.55 लाख का ब्याज प्रभारित कर दिया गया है एवं इसमें से ₹ 8.69 लाख की वसूली की जा चुकी है। अवशेष मामलों में वसूली की स्थिति हमें प्राप्त नहीं है (फरवरी 2013)।

---

[19] ज्वा0क0(कार्पो0स0) आगरा, डि0क0 खण्ड–18 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–5 कानपुर, डि0क0 खण्ड–3 मथुरा, असि0क0 खण्ड–5 नोएडा, डि0क0 खण्ड–12 नोएडा, डि0क0 खण्ड–14 नोएडा, असि0क0 खण्ड–2 रामपुर एवं डि0क0 खण्ड–4 सोनभद्र।

[20] मार्च 2011 एवं मई 2012 के मध्य।

2.11.7 कर का गलत समायोजन किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 43(1) के अर्न्तगत यदि किसी व्यापारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध किसी व्यक्ति से माल के क्रय या विक्रय पर कर के रूप में तात्पर्यित कोई धनराशि वसूल की गयी हो, वहाँ ऐसा व्यापारी इस प्रकार वसूल की गयी सम्पूर्ण धनराशि को निर्धारित रीति से एवं निर्धारित समयावधि के भीतर जमा करेगा। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(16) के अर्न्तगत यदि कोई व्यापारी इस अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध कोई धनराशि कर के रूप में वसूल करता है, तो वह ऐसे वसूले गये कर की धनराशि के तीन गुने अर्थदण्ड का दायी होगा। अग्रेतर, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 25 के अर्न्तगत जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के सम्बन्ध में क0नि0प्रा0 द्वारा विवरणी के प्रारम्भिक परीक्षण से यह प्रकट होता हो कि विवरणी में प्रदर्शित संगणना दोर्षपूर्ण है या दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि या प्रदर्शित देय कर की धनराशि गलत है, वहाँ क0नि0प्रा0 ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह उचित समझे और व्यापारी को सुनवायी का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात किसी अन्य मामले में कर की देय धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि का अवधारण, ऐसी कर अवधि के लिए, कर निर्धारण का अनन्तिम आदेश पारित करके कर सकता है।

हमने नवम्बर 2011 में डिप्टी कमिश्नर खण्ड–16 कानपुर के कार्यालय में पंजीकृत व्यापारियों के कर निर्धारण आदेश एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच के दौरान देखा कि एक व्यापारी ने जनवरी 2008 में माल की बिक्री पर ₹ 2.79 लाख अधिक मू0सं0क0 वसूल किया एवं इसे देय समय के अर्न्तगत कोषागार में जमा कर दिया। अग्रेतर, व्यापारी ने इसे माह फरवरी 2008 के देय कर में गलत ढ़ंग से समायोजित कर दिया। धारा 43 की उप धारा 2, 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुसार कोई धनराशि जो कर के रूप में देय नहीं है एवं व्यापारी द्वारा जमा कर दी गयी हो, राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के वास्ते जिस पर माल के क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में ऐसी अधिक धनराशि अन्ततः प्रभारित की गयी है, को धरोहर के रूप में रखा जायेगा एवं मांगे जाने पर ऐसे व्यक्ति को निर्धारित रीति से वापस किया जायेगा जिस पर ऐसी धनराशि का दायित्व अन्ततः पारित किया गया हो।

फरवरी 2011 में कर निर्धारण करते समय क0नि0प्रा0 ने इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए व्यापारी द्वारा त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से अर्जित एवं समायोजित किये गये ₹ 2.79 लाख के कर को अस्वीकार नहीं किया एवं धारा 54(1)(16) के प्रावधानों के अनुसार ₹ 8.37 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं किया।

हमारे द्वारा प्रकरण[21] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 8.37 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है एवं ₹ 2.79 लाख की आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी गयी है। हमें वसूली के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

[21] जनवरी 2012 में।

2.12 विभिन्न घोषणा पत्रों पर अनियमित करमुक्ति/कर छूट

2.12.1 फार्म 'सी' के विरूद्ध अनियमित कर मुक्ति/कर छूट

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12(1) के अन्तर्गत एक फार्म 'सी' पर की गयी घोषणा में बिक्री सम्बन्धी वे सभी संव्यवहार आच्छादित होंगे जो वित्तीय वर्ष के एक त्रैमास के दौरान उन्हीं दो व्यापारियों के बीच होते हैं।

हमने अक्टूबर 2010 एवं मार्च 2011 के मध्य देखा कि छः व्यापारियों ने वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) के मध्य 12 फार्म 'सी' से समर्थित ₹ 4.29 करोड़ के माल की बिक्री रियायती दर पर की। इनमें एक त्रैमाास से ज्यादा के संव्यवहार आच्छादित थे एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार एक ही फार्म 'सी' से आच्छादित एक से अधिक त्रैमास के संव्यवहार पर रियायती दर का किया गया दावा रियायत के योग्य नहीं था। फरवरी 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य कर निर्धारण करते समय क0नि0प्रा0 ने नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक त्रैमाास से अधिक के संव्यवहारों पर भी रियायती दर से के0बि0क0 आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.45 लाख के कर की अनियमित छूट प्रदान की गयी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	आपत्तिगत प्रपत्र से अच्छादित माल का कुल मूल्य	व्यापारी को लाभप्रद त्रैमास के संव्यवहार को अनुमन्य करने के पश्चात अच्छादित संव्यवहार की धनराशि	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कर की दर में अन्तर	व्यापारियों को अनुमन्य की गयी अनियमित छूट
1.	डि0क0 खण्ड–8 बरेली	1	2006-07 (फरवरी 2009)	मेन्था आयल	115.73	8.91	10	4	6	0.53
2.	डि0क0 खण्ड–3 फतेहगढ़	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	तम्बाकू	47.45	7.47	32.5	3	29.5	2.20
3.	डि0क0 खण्ड–9 हरदोई	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	गेहूँ	91.39	34.42	4	0	4	1.38
4.	डि0क0 खण्ड–1 ललितपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2010)	गेहूँ, ज्वार	12.58	4.99	4	0	4	0.20
			–तदैव–	दाल	80.13	29.29	2	0	2	0.59
5.	ज्वा0क0 (कार्पो0स0) –ए नोएडा	1	2006-07 (मार्च 2009)	इलेक्ट्रानिक वस्तुए,स्क्रैप, मशीनरी	53.15	12.77	10	4	6	0.77
6.	डि0क0 खण्ड–1 सिद्धार्थनगर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	टिम्बर	28.93	13.66	16	3	13	1.78
योग		**6**			**429.36**	**111.51**				**7.45**

हमारे द्वारा प्रकरण[22] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 6.13 लाख के0बि0क0 आरोपित[23] कर दिया गया है, इसमें से ₹ 77,000 की वसूली[24] की जा चुकी है एवं अन्य मामलों में कार्यवाही जारी है। अन्तिम कार्यवाही की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

[22] नवम्बर 2010 एवं अप्रैल 2012 के मध्य।
[23] क्रम संख्या 2, 3, 5 एवं 6 के सम्बन्ध में।
[24] क्रम संख्या 5 के सम्बन्ध में।

2.12.2 फार्म 'एफ' के विरूद्ध अनियमित कर मुक्ति/कर छूट

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12(5) के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा एक कैलेण्डर मास की अवधि के दौरान, यथास्थिति, अपने कारोबार के किसी अन्य स्थान को या अपने एजेन्ट या मालिक को किया गया माल का अन्तरण एक ही फार्म 'एफ' पर की गयी घोषणा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

हमने दिसम्बर 2008 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य देखा कि पाँच व्यापारियों ने वर्ष 2005–06 एवं 2007–08 के दौरान 12 फार्म 'एफ' से समर्थित ₹ 68.22 करोड़ का माल राज्य के बाहर हस्तान्तरित किया। इनमें एक माह से ज्यादा के संव्यवहार आच्छादित थे एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार एक ही फार्म 'एफ' पर एक माह से ज्यादा के आच्छादित संव्यवहार एवं छूट के दावे, छूट के लिए अनुमन्य नहीं थे। क0नि0प्रा0 ने जुलाई 2007 एवं जनवरी 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही फार्म 'एफ' पर एक माह से अधिक के संव्यवहार को मान्यता प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.54 करोड़ के संव्यवहार पर ₹ 2.67 करोड़ के के0बि0क0 की अनियमित छूट दी गयी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	आपत्तिगत प्रपत्र से अच्छादित माल का कुल मूल्य	व्यापारी को लाभप्रद माह के संव्यवहार को अनुमन्य करने के पश्चात अच्छादित संव्यवहार की धनराशि	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	व्यापारियों को अनुमन्य की गयी अनियमित छूट
1.	असि0क0 खण्ड–2 बाराबंकी	1	2005-06 (जुलाई 2007)	मेन्था आयल	2,955.80	1,184.38	10	118.40
2.	डि0क0 खण्ड–28 कानपुर	1	2005-06 (दिसम्बर 2009)	डिटर्जेन्ट पाउडर	26.66	2.52	10	0.25
3.	डि0क0 कोसीकलाँ	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2011)	लकड़ी के अपरिष्कृत फर्नीचर	139.04	74.03	8	5.92
4.	डि0क0 खण्ड–20 लखनऊ	1	2006-07 (फरवरी 2009)	चावल	3,660.39	1,770.12	8	141.61
5.	ज्वा0क0 (कार्पो0स0) मुरादाबाद	1	2007-08 (मू0सं0क0) (दिसम्बर 2009)	पैकिंग मैटेरियल	40.24	22.75	4	0.91
	योग	**5**			**6,822.13**	**3,053.80**		**267.09**

हमारे द्वारा प्रकरण[25] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 2.66 करोड़ के0बि0क0 आरोपित[26] कर दिया गया है जिसमें से ₹ 25,000 की वसूली[27] की जा चुकी है एवं अवशेष मामले में कार्यवाही की जा रही है। अन्तिम कार्यवाही की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हैं (फरवरी 2013)।

[25] जनवरी 2009 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य।
[26] क्रम संख्या 1, 2, 3, एवं 4 के प्रकरण में ।
[27] क्रम संख्या 2 के प्रकरण में।

2.12.3 कालबाधित घोषणा पत्र पर दी गयी कर छूट

उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 25–ख(1) के अन्तर्गत यदि मान्यता प्रमाण पत्र रखने वाला कोई व्यापारी किसी विज्ञापित माल का निर्माण करने के प्रयोजन से कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए कोई माल खरीदे और छूट लेने का इच्छुक हो तो वह विक्रेता व्यापारी को प्रपत्र III–ख में एक प्रमाण पत्र देगा एवं नियम 25–ख(3) के अन्तर्गत व्यापारी को किसी वित्तीय वर्ष में जारी एक प्रपत्र III–ख की घोषणा उस वित्तीय वर्ष एवं उससे आगे एवं पीछे के दो वित्तीय वर्षों के दौरान की गयी खरीद एवं बिक्री के संव्यवहार के लिए वैध होगी।

हमने नौ वा0क0का0[28] में जनवरी 2011 एवं मई 2011 के मध्य देखा कि नौ व्यापारियों ने वर्ष 2004–05 एवं 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) के मध्य प्रपत्र III–ख'[29] के विरूद्ध ₹ 8.83 करोड़ के माल की रियायती दर पर बिक्री की। व्यापारियों द्वारा संव्यवहार के लिए प्रयोग किये गये 50 घोषणा पत्र कालबाधित थे एवं व्या0क0 की रियायती दर के लिए अनुमन्य नहीं थे। फिर भी क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय रियायती दर से व्या0क0 आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.85 लाख की अनियमित छूट प्रदान की गयी।

हमारे द्वारा प्रकरण को अप्रैल 2011 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि सभी मामलों में ₹ 40.80 लाख व्या0क0 आरोपित कर दिया गया है एवं इसमें से ₹ 83,000 की वसूली की जा चुकी है।

[28] डि0क0 खण्ड–4 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–4 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–4 हरदोई, डि0क0 खण्ड–5 कानपुर, डि0क0 खण्ड–30 कानपुर, डि0क0 खण्ड–2 खतौली, डि0क0 मोदीनगर, डि0क0 खण्ड–7 मुजफ्फरनगर एवं डि0क0 खण्ड–3 रायबरेली।

[29] कुछ निश्चित निर्माताओ को विशेष राहत उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा उन्हे प्रपत्र III–ख जारी किया जाता है। इसे दूसरे व्यापारी को जारी करके वे कर की रियायती दर अथवा पूर्ण करमुक्ति अथवा आंशिक करमुक्ति पर माल खरीद सकते हैं।

2.12. 4 घोषणा पत्र पर प्रावधानित मौद्रिक सीमा से अधिक के संव्यवहार पर अनियमित कर छूट

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3–छ (1) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग को या किसी केन्द्रीय अधिनियम या उ0प्र0 के किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित या गठित निगम या सरकारी उपक्रम को बेचे गये माल के विक्रय धन पर यदि व्यापारी ऐसे विभाग से प्राप्त प्रपत्र III घ या III घ(1) में प्रमाण पत्र कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करे तो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर या ऐसी दर पर जैसा राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा किसी बिक्री के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, कर लगाया और दिया जायेगा। उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 12–ग(3) के प्रावधानों के अनुसार प्रपत्र III घ एवं III घ(1) में की गयी कोई भी एकल घोषणा एक कर निर्धारण वर्ष एवं ₹ 5 लाख से अधिक के क्रय या विक्रय के संव्यवहार को आच्छादित नहीं करेगी।
उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 12–ग(8) के अनुसार एक घोषणा पत्र पर नियम 12–क के उप नियम(3) से (6) एवं (10) से (20) के प्रावधान लागू होंगे।

हमने मई 2011 एवं सितम्बर 2011 के मध्य देखा कि छः व्यापारियों ने वर्ष 2005–06 एवं 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) के मध्य 19 प्रपत्र III घ एवं प्रपत्र III घ(1) [30] के विरूद्ध ₹ 7.07 करोड़ का माल रियायती दर पर बेचा। चूँकि प्रत्येक प्रपत्र III घ एवं III घ(1) पर ₹ 5 लाख से ज्यादा का संव्यवहार आच्छादित था अतः वे व्या0क0 की रियायत के योग्य नहीं थे। क0नि0प्रा0 ने दिसम्बर 2009 एवं दिसम्बर 2010 के मध्य कर निर्धारण करते समय त्रुटिपूर्ण रूप से प्रत्येक प्रपत्र पर ₹ 5 लाख से अधिक के संव्यवहार पर भी रियायती दर से करारोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.38 लाख की अनियमित कर छूट प्रदान की गयी जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	प्रति प्रपत्र अनुमन्य ₹ पॉच लाख घटाने के पश्चात आच्छादित संव्यवहार	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	व्यापारियों को अनुमन्य की गयी अनियमित छूट
1.	असि0क0 खण्ड–2 बुलन्दशहर	1	2005-06 (जनवरी 2010)	रोड़ी बदरपुर	2.63	8	4	0.11
			2006-07 (जनवरी 2010)	–तदैव–	20.32	8	4	0.81
2.	डि0क0 खण्ड–1 देवरिया	1	2005-06 (नवम्बर 2010)	पत्थर एवं गिट्टी	30.51	8	4	1.22
			2006-07 (जुलाई 2010)	–तदैव–	46.56	8	4	1.86
			2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जुलाई 2010)	–तदैव–	10.90	8	4	0.43

[30] केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग को या किसी केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियाम द्वारा या अधीन स्थापित या गठित निगम या उपक्रम को या किसी सरकारी कम्पनी को कर की विशेष राहत प्रदान करने के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रपत्र III घ या III घ (1) की सुविधा प्रदान की गयी है।

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	प्रति प्रपत्र अनुमन्य ₹ पॉच लाख घटाने के पश्चात आच्छादित संव्यवहार	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	व्यापारियों को अनुमन्य की गयी अनियमित छूट
3.	डि0क0 खण्ड–6 कानपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	डीजल लोकोमोटिव मशीनरी	575.50	9	4	28.77
4.	डि0क0 कोसीकलॉ	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (अक्टूबर 2010)	बिटुमिन	16.98	20	4	2.72
5.	डि0क0 खण्ड–8 लखनऊ	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	इलेक्ट्रानिक वस्तुऍ	17.05	10	4	1.02
6.	असि0क0 खण्ड–2 रामपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2010)	इन्टरलाकिंग ब्लाक	97.96	10	4	5.87
	योग	**6**			**707.49**			**38.38**

हमारे द्वारा प्रकरण[31] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि क्र0सं0 1, 3, एवं 4 के मामले में ₹ 32.41 लाख व्या0क0 आरोपित कर दिया गया है। क्र0सं0 2, 5 एवं 6 के मामले में विभाग ने आगे बताया कि बिक्री सरकारी उपक्रम को की गयी है जिनका टर्न ओवर ₹ 5 करोड़ से अधिक है एवं उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 12–क(7)(i) के अन्तर्गत एकल घोषणा पत्र पर ₹ 5 लाख की मौद्रिक सीमा लागू नहीं होती है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 12–ग(8) के अन्तर्गत नियम 12–क के उप नियम (3) से (6) एवं (10) से (20) के प्रावधान ही एक घोषणा पत्र पर लागू होते है न कि नियम 12–क के उप नियम (7) के प्रावधान।

2.13 प्रवेश कर का अनारोपण

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2001 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित कर की दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

हमने फरवरी 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य देखा कि वर्ष 2004–05 से 2007–08 के दौरान सात व्यापारियों ने ₹ 32.70 करोड़ के मूल्य का माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदा। क0नि0प्रा0 ने अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 1.56 करोड़ का प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित नही की गयी कर की धनराशि
1.	डि0क0 खण्ड–2 चॉदपुर, बिजनौर	1	2005-06 (अक्टूबर 2008)	एल0डी0ओ0	65.01	5	3.25
		1	2007-08 (मार्च 2010)	मशीनरी	25.01	2	0.50
2.	डि0क0 खण्ड–3 इटावा,	1	2004-05 (मार्च 2009)	फर्नेश आयल, एच0एस0डी0 एवं बिटुमिन	151.95	5	7.60
			2006-07 (मार्च 2009)	–तदैव–	1,473.61	5	73.68

[31] मई 2011 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य।

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित नही की गयी कर की धनराशि
3.	असि0क0 खण्ड–17 गाजियाबाद	1	2007-08 (जनवरी 2010)	प्राकृतिक गैस	12.58	5	0.63
4.	डि0क0 खण्ड–6 कानपुर	1	2007-08 (मार्च 2011)	परिष्कृत चमड़ा	236.68	2	4.73
5.	डि0क0 खण्ड–18 कानपुर	1	2007-08 (मार्च 2010)	फर्नेश आयल	68.02	5	3.40
6.	ज्वा0क0 (कार्पो0स0) नोएडा	1	2007-08 (मार्च 2010)	फर्नेश आयल	1,237.10	5	61.86
योग		**7**			**3,269.96**		**155.65**

हमारे द्वारा प्रकरण[32] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि चार मामलों[33] में ₹ 85.66 लाख का प्रवेश कर आरोपित कर दिया गया है एवं अवशेष मामलों में कार्यवाही की जा रही है। अन्तिम कार्यवाही की स्थिति हमें अभी प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

2.14 राज्य विकास कर का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3–ज सपठित कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 3 मई 2005 प्रभावी दिनांक 1 मई 2005 के अन्तर्गत ₹ 50 लाख से अधिक समेकित वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर एक प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0क0) आरोपणीय होगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त रा0वि0क0 वसूल किया जायेगा।

हमने मार्च 2010 एवं अगस्त 2011 के मध्य देखा कि 10 व्यापारियों के मामलों में जिनका समेकित वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 लाख से अधिक था, क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2009 से जनवरी 2011 के मध्य वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) के लिए कर निर्धारण करते समय ₹ 16.72 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर रा0वि0क0 आरोपित नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 16.72 लाख रा0वि0क0 अनारोपित रहा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय राज्य विकास कर
1.	असि0क0 खण्ड–4 गाजियाबाद	1	2006-07 (जून 2010)	80.26	0.80
2.	डि0क0 खण्ड–18, गाजियाबाद	1	2006-07 (फरवरी 2010)	140.64	1.41
			2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	20.45	0.20
3.	डि0क0 खण्ड–8, कानपुर	1	2006-07 (अक्टूबर 2010)	96.47	0.97
			2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2011)	39.79	0.40
4.	डि0क0 खण्ड–30 कानपुर	1	2005-06 (जनवरी 2009)	44.28	0.44

[32] फरवरी 2010 एवं फरवरी 2012 के मध्य।
[33] क्रम संख्या 1, 2 एवं 3 ।

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय राज्य विकास कर
5.	डि0क0 मोदीनगर	1	2006-07 (मार्च 2009)	53.27	0.53
		1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	127.67	1.28
6.	असि0क0 खण्ड–3 नोएडा	1	2005-06 (जुलाई 2010)	163.83	1.64
			2006-07 (जुलाई 2010)	111.43	1.11
		1	2005-06 (अप्रैल 2010)	31.58	0.32
			2006-07 (अप्रैल 2010)	68.71	0.69
7.	डि0क0 खण्ड–3 रायबरेली	1	2005-06 (मार्च 2009)	110.33	1.10
8.	डि0क0 खण्ड–12 सहारनपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (अक्टूबर 2009)	583.13	5.83
	योग	**10**		**1,671.84**	**16.72**

हमारे द्वारा प्रकरण[34] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 15.12 लाख रा0वि0क0 आरोपित कर दिया गया है, इसमें से ₹ 12.78 लाख की वसूली की जा चुकी है एवं अवशेष प्रकरण[35] में कार्यवाही प्रक्रिया में है। अन्तिम कार्यवाही की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुयी है (फरवरी 2013)।

2.15 पंजीयन/मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति

2.15.1 केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में सीमेन्ट की खरीद के लिए अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना

के0बि0क0 अधिनियम की धारा 7(3) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य से कर की रियायति दर से माल खरीदने के लिए अभिप्रेत हो, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। पंजीयन प्राधिकारी आवेदनकर्ता का पंजीयन करेगा एवं विहित प्रारूप में उसे पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिसमें उस वर्ग या वर्गों के माल को निविर्दिष्ट करेगा जो उसके द्वारा, पुनः विक्रय के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या दूरसंचार नेटवर्क में या खनन में या बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के लिए उत्पादन या वितरण में उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है।

पुनश्चः, कमिश्नर, वाणिज्य कर (क0वा0क0) ने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को परिपत्र सं0–17 दिनांक 4 दिसम्बर 1992 द्वारा यह निर्देशित किया था कि निर्माताओं/व्यापारियों को भवन निर्माण के लिए सीमेन्ट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की फार्म 'सी' से खरीद की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

हमने ज्वाइण्ट कमिश्नर (का0स0) वाणिज्य कर लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2011) के दौरान देखा कि एक व्यापारी[36] को जुलाई 2003 में कच्चे माल की खरीद हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र (के0पं0प्र0प0) प्रदान किया गया था, जिसमें सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री भी शामिल थी। के0पं0प्र0प0 में इस गलत माल के शामिल होने के आधार पर व्यापारी ने वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के

[34] मई 2010 एवं सितम्बर 2011 के मध्य।
[35] क्रम संख्या 3।
[36] बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड।

दौरान ₹ 1.52 करोड़ के सीमेन्ट की खरीद की एवं इसे मशीन की नींव/भवन निर्माण में प्रयोग किया। उसने इस खरीद पर के0बि0क0 की रियायती दर (2006–07 में चार प्रतिशत एवं 2007–08 में तीन प्रतिशत) का दावा किया।

व्यापारी गन्ने[37] से चीनी, शीरा एवं खोई के निर्माता थे एवं सीमेन्ट उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चा माल नहीं है। निर्माताओं के लिए फार्म 'सी' की सुविधा सिर्फ उन माल को क्रय करने के लिए है जिनका उपयोग उस माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में किया जाये जो बेचने के उद्देश्य से हो। क0नि0प्रा0 द्वारा के0पं0प्र0प0 में सीमेन्ट की खरीद के लिए अधिकृत किया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध होने के साथ ही साथ क0वा0क0 के आदेशों के विरूद्ध भी था। क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2007–08 के लिए क0नि0आ0 पारित करते समय इस त्रुटि को संज्ञान में नही लिया। क0नि0प्रा0 की इस त्रुटि के फलस्वरूप व्यापारी को ₹ 12.21 लाख का अनुचित लाभ मिला।

हमारे द्वारा प्रकरण को जनवरी 2012 में प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि ₹ 28.47 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है तथा के0पं0प्र0प0 से सीमन्ट के निरसन के लिए नोटिस जारी कर दी गयी है।

2.15.2 मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 4 ख के अन्तर्गत दिनांक 21 मई 1994 को जारी शासकीय विज्ञप्ति के अनुसार निर्माता को किसी माल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोज्य भण्डार, यन्त्र, संयन्त्र, उपकरण, अतिरिक्त पुरजा, एसेसरीज, कम्पोनेन्ट, ईंधन या स्नेहक की खरीद पर कर की विशेष राहत प्राप्त है।

हमने जनवरी 2011 में दो वाणिज्य कर कार्यालयों के व्यापारियों के कर निर्धारण आदेश एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच करते हुए देखा कि दो व्यापारियों जिनके द्वारा एम0एस0 राड को एम0एस0 वायर में ड्राइंग विधि द्वारा परिवर्तित किया जाता था, को कच्चे माल की रियायती दर से खरीद करने हेतु मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। यह न्यायिक रूप से निर्णीत[38] हो चुका है कि एम0एस0 राड से एम0एस0 वायर बनाना निर्माण की श्रेणी में नहीं आता है। चूँकि व्यापारी किसी भी निर्माण प्रक्रिया में शामिल नहीं थे अतः वे वर्ष 2005–06 से 2007–08 के दौरान की गयी ₹ 8.95 करोड़ के कच्चे माल की खरीद पर व्या0क0 की रियायती दर के हकदार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति एवं ₹ 17.89 लाख की राजस्व क्षति हुयी जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	प्रपत्र से आच्छादित माल का मूल्य	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1.	असि0क0 खण्ड–4 वा0क0 इलाहाबाद	1	2005-06 (अगस्त 2008)	वायर राड	336.06	4	2	6.72
2.	डि0क0 खण्ड–14 वा0क0 इलाहाबाद	1	2006-07 (मार्च 2009)	–तदैव–	306.96	4	2	6.13
			2007-08 (जनवरी 2010)	–तदैव–	252.12	4	2	5.04
	योग	**2**			**895.14**			**17.89**

[37] दिनांक 27 मार्च 2010 के क0नि0आ0 के अनुसार।

[38] क0व्या0क0 बनाम डीसेन्ट इण्डस्ट्रीज एस0टी0आई0 2005 उच्च न्यायालय इलाहाबाद 205 : 2005 एन0टी0एन0–II (वाल्यूम–26) 202 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

हमारे द्वारा प्रकरण[39] को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि क्र0सं0–2 के प्रकरण में ₹ 11.18 लाख का व्या0क0 आरोपित कर दिया गया है एवं दूसरे प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। अन्तिम कार्यवाही की स्थिति हमें प्राप्त नहीं है (फरवरी 2013)।

2.16 इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने से सम्बन्धित अनियमितताएं

उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से वैट की शुरूआत के साथ ही विभाग में पंजीकृत व्यापारी, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का दावा करने के पात्र बन गये। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापारियों द्वारा किये गये आई0टी0सी0 के दावे सही हैं विभिन्न प्रपत्र निर्धारित किये गये है एवं विभाग ने आई0टी0सी0 का डाटाबेस बनाये रखने, आई0टी0सी0 के दावों का सत्यापन करने आदि के लिए क0नि0प्रा0 को समय–समय पर दिशानिर्देश जारी किये हैं। हमारे द्वारा विभाग के अभिलेखों की किये गये जांच ने आई0टी0सी0 के दावों से सम्बन्धित अनेक अनियमितताओं को प्रकाश में लाया है जैसे कि अनियमित/गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 का दावा, अतिरिक्त दावा, आई0टी0सी0 को उत्क्रमित न किया जाना आदि। हमने यह भी देखा कि आई0टी0सी0 के डाटाबेस का रखरखाव, आई0टी0सी0 दावों का सत्यापन, कर सम्परीक्षा आदि से सम्बन्धित विभागीय आदेशों का विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के एक बड़े प्रतिशत भाग में पालन नहीं किया गया था। कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया जा रहा हैं। ये केवल निदर्शी हैं और हमारे परीक्षण जाँच पर आधारित हैं। हमें लगता है कि सरकार और विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वे आई0टी0सी0 के दावों से सम्बन्धित अधिनियम/नियम एवं विभिन्न आदेशों का प्रभावी ढ़ंग से लागू करवाना सुनिश्चित करें।

2.16.1 अर्जित, समायोजित एवं अवशेष आई0टी0सी0 के सम्बन्ध में डाटाबेस का न होना

कमिश्नर, वाणिज्य कर ने परिपत्र सं0–414 दिनांक 23.07.2008 द्वारा प्रत्येक एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को निर्देशित किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक क0नि0प्रा0 द्वारा एक रजिस्टर इस प्रारूप में रखा जाये जिसमें माहवार आई0टी0सी0 से सम्बन्धित प्रारम्भिक, अर्जित, समायोजित एवं अन्तिम अवशेष का प्रत्येक व्यापारी से सम्बन्धित विवरण हो एवं इसकी जोनवार सूचना प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को संख्या अनुभाग को प्रस्तुत की जाये। अग्रेतर, दूसरे परिपत्र सं0–809060 दिनांक 03.09.2008 द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि सभी व्यापारियों के सम्बन्ध में तब तक आर–2 के प्रारूप में एक रजिस्टर रखा जाये जिसमें व्यापारियों के कर अवधि वार दाखिल विवरणी के आँकड़े, जमा कर, अर्जित आई0टी0सी0 एवं इसके समायोजन का विवरण हो जब तक कि विवरणियों की प्रविष्टि कम्प्यूटर में न कर ली जाये।

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए हमने 51 वाणिज्य कर कार्यालयो,[40] जिनकी लेखा परीक्षा जनवरी 2012 एवं मार्च 2012 के मध्य की गयी थीं, से सम्बन्धित सूचनाएँ संकलित कीं और पाया कि एक क0नि0प्रा0[41] को

---

[39] जनवरी 2011 एवं जुलाई 2011 के मध्य।

[40] डि0क0 खण्ड–1 एवं 2 आगरा, असि0क0 खण्ड–11 आगरा, डि0क0 खण्ड–10 अलीगढ़, असि0क0 खण्ड–10 अलीगढ़, असि0क0 खण्ड–2 आजमगढ़, डि0क0 खण्ड–2 बाराबंकी, असि0क0 खण्ड–2 बाराबंकी, असि0क0 खण्ड–6, 7 एवं 10 बरेली, असि0क0 खण्ड–14 एवं 17 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड–1 एवं 2 कन्नौज, डि0क0 खण्ड–6 कानपुर, असि0क0 खण्ड–9, 16, 17, 18, 23 एवं 29 कानपुर, डि0क0 खण्ड–3, 6, 9 एवं 10 लखनऊ, असि0क0 खण्ड–1, 6, 14, 15, 16, 18 एवं 19 लखनऊ, वा0क0अधि0 खण्ड–6 लखनऊ, असि0क0 खण्ड–10 एवं 13 मेरठ, डि0क0 खण्ड–4 एवं 10 मुरादाबाद, असि0क0 खण्ड–3, 4 एवं 5 मुरादाबाद, डि0क0 खण्ड–1 एवं 3 पीलीभीत, असि0क0 खण्ड–1 पीलीभीत, डि0क0 खण्ड–2 प्रतापगढ़, असि0क0 खण्ड–1 रायबरेली, असि0क0 खण्ड–3 रामपुर, असि0क0 खण्ड–2 सीतापुर, डि0क0 खण्ड–1 उन्नाव, डि0क0 खण्ड–1 वाराणसी एवं असि0क0 खण्ड–15 वाराणसी।

[41] असि0क0 खण्ड–11 आगरा।

छोड़कर अवशेष 50 क0नि0प्रा0 ने अर्जित, समायोजित एवं अवशेष आई0टी0सी0 का डाटाबेस तैयार करने तथा इसे संख्या अनुभाग को प्रस्तुत करने सम्बन्धी आदेश का पालन नहीं किया था। इसलिए विभाग आसानी से व्यापारियों द्वारा अर्जित की गयी आई0टी0सी0 की राशि एवं इसके समायोजन का पता लगाने में सक्षम नहीं है। विशिष्ट आदेश के बावजूद इन सभी 50 क0नि0प्रा0 ने कहा कि उपरोक्त डाटाबेस को तैयार करने के सम्बन्ध में कोई आदेश या निर्धारित प्रारूप नहीं है।

हमारे द्वारा प्रकरण को जून 2012 में प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया कि निर्देश को दोहराया गया है।

2.16.2 आदेश के बावजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन न किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 13 व्यापारियों द्वारा इनुपट टैक्स क्रेडिट का दावा करने एवं देय कर के विरूद्ध इसका समायोजन करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करती है। कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 ने भी राजस्व के व्यापक हित में वर्ष 2008–09 में वैट इनुपट टैक्स क्रेडिट/2008–09/755/080974/सी0टी0 दिनांक 22 अक्टूबर 2008, वैट परिपत्र भाग–2 (08–09)–774/080977/सी0टी0 दिनांक 31 अक्टूबर 2008 एवं पत्र सं0–जे0सी0 (एस0आइ0बी0)/मू0/स0प0/2009–10/1593/ वाणिज्य कर दिनांक 18 सितम्बर 2009 द्वारा आई0टी0सी0 के सत्यापन तथा इसका डाटाबेस रखने के सम्बन्ध में क0नि0प्रा0 को निर्देश जारी किये थे।

वाणिज्य कर विभाग ने विभाग की दक्षता में वृद्धि करने के लिए वेब आधारित सिटिजन सेन्ट्रिक सर्विसेज की उपलब्धता कराने हेतु कम्प्यूटरीकृत परियोजना पर ₹ 45 करोड़ व्यय किया। विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं वेबसाइट (कामटैक्स यू0पी0एन0आई0सी0) पर जनसाधारण के लिए एवं व्यास (वाणिज्य कर आटोमेसन सिस्टम) पर विभागीय उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

उपरोक्त उध्दृत क0वा0क0 के आदेशों के द्वारा प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि सर्वाधिक आई0टी0सी0 का दावा करने वाले 20 व्यापारियों के अनुलग्नक–क (खरीद सूची) का अनुलग्नक–ख (विक्रय सूची) से शत प्रतिशत सत्यापन कर लिया गया है एवं उपरोक्त विवरणों की बाह्य एजेन्सी अथवा विभागीय कर्मचारियों द्वारा प्रविष्टि कराकर एक डाटाबेस तैयार[42] कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त यादृच्छिक सांख्यिकीय विधि से आच्छादित मामलों का शत प्रतिशत जाँच एवं सत्यापन भी किया जाना था।

अवधि 2007–08[43] से 2009–10 के लिए नमूना जाँच (2011–12) के दौरान हमने देखा कि:

- राज्य के भीतर व्यापारियों द्वारा किये गये संव्यवहारों के आनलाइन जाँच के लिए कोई तंत्र नहीं है इसके परिणामस्वरूप 78 वाणिज्य कर कार्यालयों[44] के 137

---

[42] पत्र संख्या बैंक एण्ड यू0पी0टी0टी0 इन्ट्रीग्रेशन–वाल्यूम– II (2008–09)/1330/सी0टी0 दिनांक 2 मार्च 2009 द्वारा।

[43] 01.01.2008 से 31.03.2008 तक।

[44] डि0क0: खण्ड–13 आगरा, खण्ड–5 इलाहाबाद, खण्ड–2 बाराबंकी, खण्ड–1 बुलन्दशहर, खण्ड–1 गोण्डा, खण्ड–5 एवं 6 गोरखपुर, खण्ड–5, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 30 कानपुर खण्ड–3, 6, 10, 12, 13, 16 एवं 21 लखनऊ, खण्ड–2 महराजगंज, खण्ड–3 एवं 6 मथुरा, खण्ड–4, 5, 6, 7 एवं 8 मुरादाबाद, खण्ड–2 रामपुर, खण्ड–9, 10, 11, एवं 12 सहारनपुर तथा खण्ड–1 सिद्धार्थनगर।
असि0क0: खण्ड–15, 17, 18 एवं 19 आगरा, खण्ड–6 अलीगढ़, खण्ड–5 एवं 17 इलाहाबाद, खण्ड–2 बाराबंकी, खण्ड–6 गोरखपुर, खण्ड–1 गोण्डा, खण्ड–1 हापुड़, खण्ड–5 एवं 26 कानपुर, खण्ड–1, 6, 12, 13, 14 16, 18 एवं 19 लखनऊ, खण्ड–2 महराजगंज, खण्ड–3 मथुरा, खण्ड–7 एवं 8 मेरठ, खण्ड–5 मुरादाबाद, खण्ड–6 मुजफ्फरनगर, खण्ड–10, 12 एवं 14 नोएडा, खण्ड–2 रामपुर तथा खण्ड–4 शाहजहॉपुर।
ज्वा0क0 (कार्पो0स0): बरेली, इटावा, लखनऊ, मेरठ एवं मुजफ्फरनगर।

व्यापरियों के प्रकरणों में क0नि0प्रा0 ने बिना आनलाइन सत्यापन किये ही ₹ 14.06 करोड़ के आई0टी0सी0 का समायोजन देय मू0सं0क0 के विरूद्ध करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया।

सर्वोच्च 20 व्यापारियों का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस नहीं बनाया गया था और यादृच्छिक सांख्यिकीय विधि द्वारा किये गये सत्यापन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।
परिणाम के रूप में 279 व्यापारियों[45] के मामलों में हमने यह पायाः

- क0नि0प्रा0 ने बिना आई0टी0सी0 के दावों के सत्यापन का प्रयास किये ही 45 वा0क0का0[46] के 86 व्यापारियों के लिए ₹ 13.70 करोड़ के आई0टी0सी0 का समायोजन उनके देयकर के विरूद्ध करते हुए क0नि0आ0 पारित कर दिया।
- क0नि0प्रा0 ने 64 वा0क0का0[47] से सम्बन्धित 193 व्यापारियों के लिए ₹ 24.06 करोड़ के आई0टी0सी0 का समायोजन उनके देयकर के विरूद्ध करते हुए क0नि0आ0 पारित कर दिया परन्तु सत्यापन के लिए दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

क0नि0प्रा0 ने ₹ 51.02 करोड़ के आई0टी0सी0 के समायोजन सम्बन्धी आदेश बिना इसके सत्यापन किये ही पारित कर दिये।

हमारे द्वारा प्रकरण को जुलाई 2012 में इंगित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2012) एवं बताया कि इन आदेशों के कार्यान्वयन में कठिनाइयां थीं, इन आदेशों को अनुपालन के लिए दोहराया जा रहा है।

---

[45] 100 वाणिज्य कर कार्यालयों में ।

[46] डि0क0: खण्ड–4 बरेली, खण्ड–1 एवं 2 गौतमबुद्धनगर, खण्ड–1, 2, 6, 7 एवं 9 गाजियाबाद, खण्ड–2 हरदोई, खण्ड–2, 3, 4 एवं 29 कानपुर, खण्ड–3, 4, 5, एवं 17 लखनऊ, खण्ड–2 एवं 3 मथुरा, खण्ड–1 एवं 5 मेरठ, खण्ड–3 मुरादाबाद, खण्ड–4 मुजफ्फरनगर, खण्ड–4, 5, 7 एवं 11 नोएडा तथा खण्ड–7 एवं 8 वाराणसी।
असि0क0: खण्ड–6 आगरा, खण्ड–1 अलीगढ़, खण्ड–7 गाजियाबाद, खण्ड–1 हापुड़, खण्ड–2 कानपुर, खण्ड–1 ललितपुर, खण्ड–8 मुजफ्फरनगर, खण्ड–7 नोएडा, खण्ड–2 शाहजहॉपुर, खण्ड–2 रामपुर, तथा खण्ड–6 एवं 8 वाराणसी।
ज्वा0क0(कार्पो0स0): गौतमबुद्धनगर, आगरा (प्रथम), गाजियाबाद एवं कानपुर (द्वितीय) ।

[47] डि0क0: खण्ड–2, 5 एवं 10 अलीगढ़, खण्ड–1 अमरोहा, खण्ड–3 पीलीभीत, खण्ड–2 एवं 3 सीतापुर, खण्ड–1 गौतमबुद्धनगर, खण्ड–1 हाथरस, खण्ड–2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 एवं 25 कानपुर, कोशीकलां मथुरा, खण्ड–2, 3, 4, 16 एवं 22 लखनऊ, खण्ड–4 मेरठ, खण्ड–4 मुरादाबाद, खण्ड–4 एवं 8 मुजफ्फरनगर, खण्ड–1 नोएडा, सरधना मेरठ, खण्ड–2, 4 एवं 10 सहारनपुर तथा खण्ड–2, 3 एवं 4 शाहजहॉपुर।
असि0क0: खण्ड–6, 11 एवं 17 आगरा, खण्ड–2, 3, 5, एवं 10 अलीगढ़, खण्ड–4 फिरोजाबाद, खण्ड–2 एवं 14 गाजियाबाद, खण्ड–2 हापुड़, खण्ड–3 हरदोई, खण्ड–3, 6, 16, 21 एवं 27 कानपुर, खण्ड–8 लखनऊ, खण्ड–5 मथुरा, खण्ड–6 एवं 8 मेरठ, खण्ड–3 मुरादाबाद, खण्ड–3 पीलीभीत, खण्ड–3 रामपुर, खण्ड–2 शाहजहॉपुर तथा खण्ड–2 सीतापुर।
ज्वा0क0(कार्पो0स0): आगरा, बरेली, एवं कानपुर (द्वितीय)।

2.16.3. गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित न किया जाना तथा गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 का दावा किये जाने पर अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(19) के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण प्राधिकारी संतुष्ट है कि जहाँ, यथास्थिति, कोई व्यापारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति आई0टी0सी0 के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, अर्थदण्ड के रूप में आई0टी0सी0 की धनराशि के पाँच गुने के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया है, आई0टी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ उत्क्रमित किया जायेगा।

हमने जुलाई 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य देखा कि छः व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान उन वस्तुओं पर भुगतान किये गये कर, जो कि आई0टी0सी0 के लिए अनुमन्य नहीं थे, के आधार पर ₹ 27.78 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया। क0नि0प्रा0 द्वारा जुलाई 2008 एवं अगस्त 2011 के बीच कर निर्धारण करते समय यह अपेक्षित था कि इस गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करते एवं व्यापारियों को अर्थदण्ड एवं ब्याज अदा करने के लिए निदेर्शित करते। हमने देखा कि चार मामलों में क0नि0प्रा0 ने सिर्फ आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया परन्तु ब्याज (₹ 14.41 लाख) एवं अर्थदण्ड (₹ 1.32 करोड़) आरोपित नहीं किया। अवशेष दो मामलों में क0नि0प्रा0 ने आई0टी0सी0 (₹ 1.43 लाख) उत्क्रमित नहीं किया, ब्याज (₹ 73,000) प्रभारित नही किया तथा अर्थदण्ड (₹ 7.15 लाख) आरोपित नहीं किया। विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क0नि0आ0 का माह एवं वर्ष)	मिथ्या या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गयी आई0टी0सी0 की धनराशि	क0नि0प्र0 द्वारा उत्क्रमित की गयी आई0टी0 सी0	क0नि0प्र0 द्वारा उत्क्रमित नही की गयी आई0टी0 सी0	आरोपणीय ब्याज[48]	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	असि0क0 खण्ड–16 आगरा	1	2008-09 (फरवरी 2011)	0.41	0.41	-	0.20	2.05
2.	डि0क0 खण्ड–1 गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2011)	15.46	15.46	-	7.53	77.30
3.	असि0क0 खण्ड–2 गाजियाबाद	1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	0.16	0.16	-	0.10	0.80
4.	असि0क0 खण्ड–5 गाजियाबाद	1	2007-08 (मू0सं0क0) (जुलाई 2008)	10.32	10.32	-	6.58	51.60
5.	डि0क0 खण्ड–4 नोएडा	1	2008-09 (अगस्त 2011)	1.23	-	1.23	0.60	6.15
6.	असि0क0 खण्ड–8 नोएडा	1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	0.20	-	0.20	0.13	1.00
	योग	**6**		**27.78**	**26.35**	**1.43**	**15.14**	**138.90**

[48] कर निर्धारण वर्ष के अगले वर्ष के 1 अप्रैल से 30 जून 2012 तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से गणना करने पर।

हमारे द्वारा प्रकरण को प्रतिवेदित[49] किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि सभी मामलों में ₹ 1.36 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है, ₹ 1.23 लाख की आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी गयी है एवं इसमें से ₹ 58,000 की वसूली की जा चुकी है।

2.17 व्यापारियों को पंजीकृत न किये जाने के कारण कर का अनारोपण/कम आरोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3क के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

यह जांच करने के दृष्टिकोण से कि व्यापारी, जो कि भवन निर्माण एवं विकास के कार्य में लगे हुए हैं और आयकर विभाग (आ0क0वि0) में पंजीकृत हैं, क्या वे वाणिज्य कर विभाग (वा0क0वि0) में भी पंजीकृत हैं और आ0क0वि0 में दाखिले किये गये टर्नओवर के अनुसार ही वा0क0वि0 में भी अपनी विवरणियाँ दाखिल कर रहे हैं, हमने आ0क0वि0 से पाँच व्यापारियों की वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 की बैलेन्स शीट की प्रति संकलित की एवं उसका मिलान पाँच वा0क0का0[50] के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों से किया और पाया कि दो क0नि0प्रा0[51] ने सभी पहलुओं का आकलन करते हुए सही ढंग से क0नि0आ0 पारित किया था। अवशेष तीन मामलों[52] में से दो व्यापारी अपंजीकृत थे एवं एक मामले में कर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण था। इसके फलस्वरूप ₹ 26.13 लाख के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ जैसा कि नीचे वर्णित है:

- दो व्यापारियों द्वारा वर्ष 2005–06 के लिए आ0क0वि0 में दाखिल बैलेन्स शीट के अनुसार उन्होंने ₹ 2.03 करोड़ का माल क्रय किया एवं उसका उपयोग फ्लैट्स/भवनों के निर्माण में किया। चूँकि ये व्यापारी वा0क0वि0 में बिना पंजीकरण कराये ही अपनी व्यापारिक गतिविधियां चला रहे थे, वा0क0प्रा0 द्वारा इनके व्या0क0 का निर्धारण नहीं किया गया, जबकि वे ₹ 22.16 लाख व्या0क0 अदा करने के दायी थे।
- एक व्यापारी, जो कि फ्लैट्स/भवनों के निर्माण की गतिविधियां वा0क0वि0 में बिना पंजीकरण कराये ही कर रहा था, ने वर्ष 2005–06 के दौरान ₹ 38.18 लाख की लकड़ी की खरीद की एवं इससे दरवाजे एवं खिडकियाँ बनवा कर उनका प्रयोग फ्लैट्स के निर्माण में किया। वा0क0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय दरवाजे एवं खिडकियों के विक्रय मूल्य ₹ 49.63 लाख पर देय कर ₹ 3.97 लाख को आरोपित नहीं किया।

हमारे द्वारा प्रकरण को (जून 2012) प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने हमारे बिन्दु को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रथम दो मामलों में ₹ 48.61 लाख व्या0कर आरोपित कर दिया गया है (अक्टूबर 2012)। तीसरे मामले में विभाग ने कहा कि सही कर आरोपित किया गया है। यद्यपि कि विभाग ने इस तथ्य का परीक्षण नहीं किया कि प्रान्त अन्दर

---

49 अगस्त 2010 एवं अप्रैल 2012 के मध्य।

50 डि0क0 खण्ड–13, 14 एवं 20 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–16 कानपुर एवं डि0क0 खण्ड–11 वाराणसी।

51 डि0क0 खण्ड–13 लखनऊ एवं डि0क0 खण्ड–11 वाराणसी।

52 सर्वश्री जुगल किशोर इण्डस्ट्रीज, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ (डि0क0 खण्ड–14 लखनऊ), सर्वश्री राजगंगा डेवलपर्स, गोमती नगर, लखनऊ (डि0क0 खण्ड–20 लखनऊ) एवं डालफिन डेवलपर्स लि0 कानपुर (डि0क0 खण्ड–16 कानपुर)।

से खरीदे गये लकड़ी से बनवाये गये ₹ 49.63[53] लाख मूल्य के दरवाजे एवं खिडकियाँ जिनका प्रयोग फ्लैट्स के निर्माण में किया गया था पर देय व्या0कर ₹ 3.97 लाख को आरोपित नहीं किया गया था।

2.18 कर जमा की पुष्टि से सम्बन्धित प्रावधान का न होना

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3(1) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी अपने कर योग्य माल के विक्रय या क्रय अथवा दोनों जैसा भी प्रकरण हो के कर योग्य टर्नओवर पर प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए, इस अधिनियम के अधीन निर्धारित दर से कर के भुगतान करने का दायी होगा। परन्तु दोनों अधिनियमों में, किसी योजना के अन्तर्गत बिना मूल्य दिये प्राप्त माल, जिस पर अधिकतम खुदरा मूल्य दर्ज हो, के विक्रय पर वसूले गये कर को सरकारी कोष में जमा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

हमने सितम्बर 2011 में लेखापरीक्षा के दौरान दो वा0क0का0[54] में देखा कि दो व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 के दौरान ₹ 47.71 करोड़ मूल्य के दवाइयों की बिक्री की एवं उसके साथ ₹ 4 करोड़ मूल्य की दवाइयों को फ्री बोनस योजना के अन्तर्गत बिना किसी मूल्य के खरीददार व्यापारियों को वितरित किया। परन्तु इसे सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्तकर्ता व्यापारियों द्वारा इसकी बिक्री किये जाने की दशा में वसूले गये कर को जमा कर दिया गया है, कोई तंत्र नहीं था।

ऐसी दवाइओं के निपटान, जो कि बिना मूल्य के दी गयी थी, को सुनिश्चित करने हेतु हमने इलाहाबाद के आठ व्यापारियों एवं मेरठ के दो व्यापारियों जिन्होंने नोएडा एवं मेरठ के दो व्यापारियों से दवाइयाँ खरीदी थीं के वर्ष 2007–08 की कर निर्धारण पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि उन्होंने अपने विवरणी में बिना मूल्य की प्राप्त दवाइयों के प्राप्ति एवं निपटान को नहीं दर्शाया था। इस प्रकार के संव्यवहार को न दर्शाये जाने से इसकी बिक्री, यदि कोई हो, पर वसूले गये कर को जमा न किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

चूँकि अधिनियम में इसकी बिक्री, यदि कोई हो, पर कर की वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है, व्यापारी इस तथ्य को अपने विवरणियों में नहीं दर्शाते हैं और न ही विवरणी में इस प्रकार की सूचना को उपलब्ध कराने हेतु कोई स्तंभ ही है।

हमारे विचार में इस प्रकार के संव्यवहार पर कर की वसूली एवं सम्प्रेषण को सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई तंत्र होना चाहिये।

हमारे द्वारा दिसम्बर 2011 में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने इस प्रकार के प्रकरणों में वसूले गये कर की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 25 सितम्बर 2012 को आदेश निर्गत कर दिया।

---

[53] लकड़ी की कीमत + क0वा0क0 के पत्र संख्या 1340 दिनांक 24 सितम्बर 1992 के अनुसार 30 प्रतिशत मजदूरी व्यय।
[54] ज्वा0कमि0 (कार्पो0स0) मेरठ एवं डि0क0 खण्ड–5 नोएडा।

2.19 कर सम्परीक्षा न किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 44(1) प्रावधानित करती है कि व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग द्वारा दाखिल किये गये विवरणियों की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित विभिन्न दावों की स्वीकृति की सत्यता प्रमाणित करने हेतु उतनी संख्या के व्यापारियों, जितना विहित की जाये, की कर सम्परीक्षा की जायेगी। उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली, 2008 का नियम 43 कर सम्परीक्षा किये जाने वाले विभागीय अधिकारी की श्रेणी एवं व्यापारी का चयन किये जाने की विधि का निर्धारण करता है। अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व एवं व्यापारियों का चयन किये जाने की विधि वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय 4 एवं 5 में वर्णित है।

कर सम्परीक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों एवं आदेशों के अनुपालन की जाँच करने के लिए हमने जनवरी 2012 एवं मार्च 2012 के बीच 148 वाणिज्य कर कार्यालयों से सूचनाएँ संकलित कीं और पाया कि कर सम्परीक्षा शाखा द्वारा मात्र नौ कार्यालयों[55] से ही कर सम्परीक्षा हेतु पत्रावलियां चयनित की गयी थीं एवं 139 कार्यालयों[56] से कोई भी पत्रावली कर सम्परीक्षा हेतु नहीं माँगी गयी थी। इस प्रकार कर सम्परीक्षा का मुख्य उद्देश्य कि व्यापारियों के क्रय, विक्रय एवं स्वीकृत कर की उनके बही खातों एवं सम्बन्धित दस्तावेजों से जाँच कर करापवंचन को रोका जाये, को पूरा नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा हमें दिसम्बर 2010 में दिये गये इस आश्वासन के बावजूद कि इसे कार्यात्मक बनाया गया है अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

हमारे द्वारा प्रकरण को (जून 2012 में) प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2012 में बताया कि मार्च 2012 तक 1,790 व्यापारियों की कर सम्परीक्षा पूर्ण कर ली गयी थी एवं 1,082 व्यापारियों के मामलों में ₹ 874.15 करोड़ की अनियमितता पायी गयी थी। उत्तर सामान्य है एवं विभाग इस तथ्य पर मौन है कि कार्यालयों, जहां हमने नमूना परीक्षण किया के 94 प्रतिशत कार्यालयों में कर सम्परीक्षा नहीं की गयी थी। इसके अलावा राज्य के 6.43 लाख पंजीकृत व्यापारियों में से 1,790 व्यापारियों की कर सम्परीक्षा नगण्य है एवं यह तथ्य दर्शाता है कि विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर सम्परीक्षा का उद्देश्य पूर्ण किया जाये, कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

---

[55] असि0क0 खण्ड–15 आगरा, डि0क0 खण्ड–4 गोरखपुर, डि0क0 खण्ड–3 एवं 4 हरदोई, असि0क0 खण्ड–9 मेरठ, डि0क0 खण्ड–4 मुजफ्फरनगर, डि0क0 खण्ड–1 पड़रौना, तथा असि0क0 खण्ड–1 एवं 2 पड़रौना।

[56] असि0क0 खण्ड–6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19 एवं 20 आगरा, डि0क0 खण्ड–5 एवं 10 अलीगढ़, असि0क0 खण्ड–5, 6 एवं 10 अलीगढ़, असि0क0 खण्ड–11 इलाहाबाद, डि0क0 खण्ड–2 आजमगढ़, असि0क0 खण्ड–2 आजमगढ़, डि0क0 खण्ड–2 बाराबंकी, असि0क0 खण्ड–2 बाराबंकी, असि0क0 खण्ड–5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 बरेली, डि0क0 खण्ड–2 चन्दौली, असि0क0 खण्ड–2 चन्दौली, डि0क0 खण्ड–2 फिरोजाबाद, असि0क0 खण्ड–2 फिरोजाबाद, असि0क0 खण्ड–8, 15, 17, 18 एवं 19 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड–1 गोण्डा, असि0क0 खण्ड–1 गोण्डा, डि0क0 खण्ड–5 एवं 6 गोरखपुर, असि0क0 खण्ड–4, 6, 7, 8 एवं 9 गोरखपुर, डि0क0 खण्ड–4 हापुड़, असि0क0 खण्ड–4 हापुड़, असि0क0 खण्ड–3 एवं 4 हरदोई, असि0क0 खण्ड–4 झांसी, डि0क0 खण्ड–1 कन्नौज, असि0क0 खण्ड–1 एवं 2 कन्नौज, डि0क0 खण्ड–23 कानपुर, असि0क0 खण्ड–9, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29 एवं 30 कानपुर, असि0क0 खण्ड–1 ललितपुर, डि0क0 खण्ड–3, 9 एवं 10 लखनऊ, असि0क0 खण्ड–1, 12, 13, 14, 16, 18 एवं 19 लखनऊ, डि0क0 खण्ड–2 महराजगंज, असि0क0 खण्ड–2 महराजगंज, डि0क0 खण्ड–3 मैनपुरी, डि0क0 खण्ड–3 एवं 6 मथुरा, असि0क0 खण्ड–3, 4 एवं 6 मथुरा, असि0क0 खण्ड–7, 8, 10, 12 एवं 13 मेरठ, डि0क0 खण्ड–2 मिर्जापुर, डि0क0 खण्ड–3, 4, 5, 9 एवं 10 मुरादाबाद, असि0क0 खण्ड–3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9 एवं 10 मुरादाबाद, असि0क0 खण्ड–4, 5, 6, 7 एवं 8 मुजफ्फरनगर, असि0क0 खण्ड–10, 12 एवं 14 नोएडा, डि0क0 खण्ड–1 एवं 3 पीलीभीत, असि0क0 खण्ड–1 एवं 3 पीलीभीत, डि0क0 खण्ड–2 प्रतापगढ़, असि0क0 खण्ड–3 रामपुर, असि0क0 खण्ड–8, 9, 10, 11 एवं 12 सहारनपुर, डि0क0 खण्ड–3 संतरविदास नगर, असि0क0 खण्ड–2, 3 एवं 4 शाहजहॉपुर, डि0क0 खण्ड–1 सिद्धार्थनगर, डि0क0 खण्ड–1 शिकोहाबाद, डि0क0 खण्ड–3 सोनभद्र, असि0क0 खण्ड–3 सोनभद्र, डि0क0 खण्ड–3 सुल्तानपुर तथा असि0क0 खण्ड–11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 एवं 21 वाराणसी।

कर सम्परीक्षा का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए नमूना आकार में वृद्धि किया जाना चाहिए ताकि विभाग स्वयं ही यह सुनिश्चित कर सके कि राजस्व क्षति के और अधिक मामले खोजे जायें एवं उसमें सुधार किया जाये।

2.20 निष्प्रयोज्य व्यय

विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेस यूनिट–26, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को वाणिज्य कर अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान के पुरान छात्रावास के अनुरक्षण कार्य हेतु ₹ 80.09 लाख के व्यय की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की, जिसके विरूद्ध नवम्बर 2009 में ₹ 35 लाख तथा शेष ₹ 45.09 लाख फरवरी 2011 में अवमुक्त किया गया।

हमने अगस्त 2011 में संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), वाणिज्य कर लखनऊ के अभिलेखों की जाँच में देखा कि कार्यदायी संस्था ने प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त ₹ 35 लाख का व्यय करके पुराने छात्रावास के 24 कमरों, रसोईघर तथा भोजनकक्ष का अनुरक्षण कार्य मई 2010 में पूर्ण किया तथा जून 2010 में विभाग को इसे हस्तगत करने हेतु अनुरोध किया। विभाग ने लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2011) तक 14 माह समाप्त होने के उपरान्त भी पुराने छात्रावास के 24 कमरों, रसोईघर तथा भोजनकक्ष को यह तथ्य बताते हुए हस्तान्तरण नहीं लिया था कि कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए कोई तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं है।

विभाग को इन 24 कमरों की अति आवश्यकता थी क्योंकि प्रशिक्षुओं की संख्या उपलब्ध कमरों की तुलना में अधिक थी, इसके बावजूद विभाग ने इन कमरों के पूर्ण होने के 14 माह पश्चात भी इनको अपने नियन्त्रण में लेने हेतु कोई कदम नहीं उठाया था, जिसके फलस्वरूप ₹ 35 लाख का व्यय निष्प्रयोज्य रहा।

हमारे द्वारा इसे शासन/विभाग को सितम्बर 2011 में प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि इनको सितम्बर 2012 में हस्तगत किया जा चुका है। उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनुरक्षण कार्य पर किया गया व्यय जीर्णोद्धार पूर्ण होने के 26 माह बाद तक निष्प्रयोज्य रहा।

अध्याय-III
राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर, अन्य मादक द्रव्यों जैसे चरस, भाँग एवं गांजा इत्यादि पर फीस आरोपित या आदेशित समपहरण उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0आ0अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत की जाती है। ये नियम मदिरा तथा अन्य मादक द्रव्यों की अवैध खरीद–बिक्री, अल्कोहल के आयात–निर्यात तथा उसके विधिविरूद्ध उत्पादन पर नियंत्रण करते हुए विभाग में राजस्व के रिसाव पर प्रबल नियंत्रण रखने हेतु बनाये गये हैं।

आसवनियों में अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः चीनी निर्माण के दौरान सहउत्पाद के रूप में प्राप्त शीरे से होता है। अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा (दे0म0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) जैसे व्हिस्की, ब्राण्डी, रम एवं जिन निर्मित की जाती है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का प्रमुख भाग होता है। आसवनी से मानव उपभोग हेतु मदिरा का निर्गम या तो बन्ध–पत्र के अधीन बिना आबकारी अभिकर के या निर्धारित दर पर उसके अग्रिम भुगतान पर होता है। आबकारी अभिकर के अलावा लाइसेन्स फीस भी आबकारी राजस्व का भाग होती है। जिला अधिकारी (जि0अ0), जिला आबकारी अधिकारी (जि0आ0अ0) की सहायता से, जिले में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, आबकारी प्रशासनिक प्रमुख हैं। अभिकर, फीस एवं अन्य करों के संग्रहण का संचालन एवं अनुश्रवण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है जिनका सहयोग मुख्यालय स्तर पर दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, तीन संयुक्त आबकारी आयुक्त (सं0आ0आ0), 10 उप आबकारी आयुक्त (उ0आ0आ0) एवं छः सहायक आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) करते हैं। प्रभावी प्रशासन के उद्देश्य से प्रदेश को चार जोन एवं 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। राजस्व के निर्धारण, आरोपण एवं उद्ग्रहण हेतु जनपद स्तर पर जि0आ0अ0/स0आ0आ0 तैनात हैं। आबकारी अभिकर के आरोपण एवं उद्ग्रहण हेतु आसवनी स्तर पर स0आ0आ0/प्रभारी अधिकारी (निरीक्षक) तैनात किए गए हैं।

3.2 प्राप्तियों का रुझान

राज्य आबकारी से वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका एवं रेखाचित्र में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों से प्रतिशत
2007-08	4,192.00	3,948.40	(–) 243.60	(–) 5.81	24,959.32	15.82
2008-09	5,040.00	4,720.01	(–) 319.99	(–) 6.35	22,658.97	16.47
2009-10	5,176.45	5,666.06	(+) 489.61	(+) 9.46	33,877.60	16.73
2010-11	6,763.23	6,723.49	(–) 39.74	(–) 0.59	41,355.00	16.26
2011-12	8,124.08	8,139.20	(+) 15.12	(+) 0.19	52,013.43	15.47

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

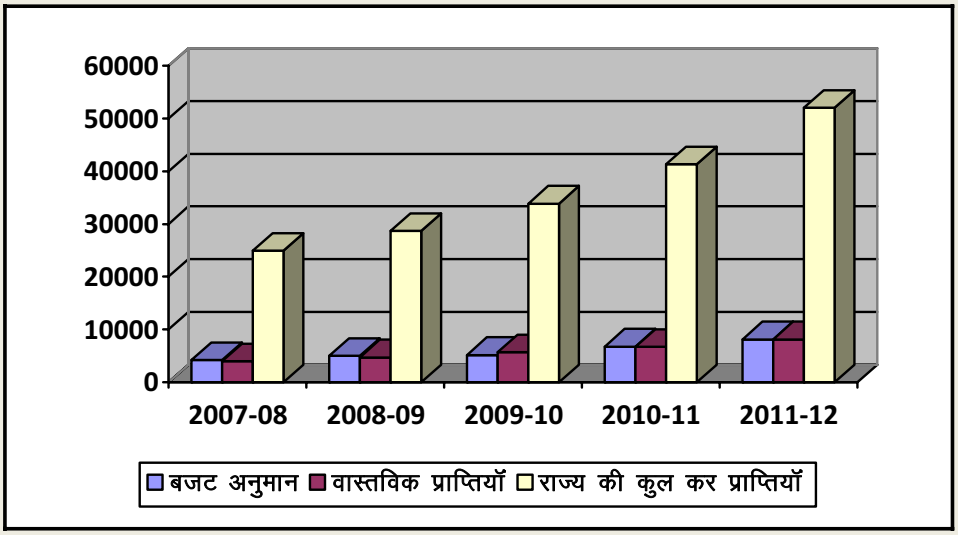

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में जहाँ वास्तविक प्राप्तियाँ वृद्धि का रूझान प्रदर्शित करती हैं, वहीं विभाग की वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत राज्य के कुल कर प्राप्तियों के सापेक्ष कमी का रूझान दिखाती हैं। तथापि, विगत दो वर्षों में बजट अनुमान सामान्यतः सही हैं।

3.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व बकाया ₹ 54.82 करोड़ था जिसमें से ₹ 51.87 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक पुराने थे। वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में राजस्व बकाये की स्थिति निम्नलिखित तालिका में वर्णित है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2007-08	60.89	0.56	0.06	61.39
2008-09	61.39	0.59	0.03	61.95
2009-10	61.95	1.35	0.07	63.23
2010-11	63.23	0.45	6.96	56.72
2011-12	56.72	0.03	1.93	54.82

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हम संस्तुति करते हैं कि बकाये की शीघ्र वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाने के लिए विचार करे।

3.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के लिये सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष की संग्रह लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2009-10	5,666.06	70.86	1.25	3.66
2010-11	6,723.49	95.72	1.42	3.64
2011-12	8,139.10	101.26	1.24	3.05

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

हमने पाया कि राज्य आबकारी विभाग की संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी कम है।

3.5 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

2006–07 से 2010–11 के दौरान हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिर्धारण/राजस्व हानि, अनियमित छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 979 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 1,749.80 करोड़ का राजस्व निहित था। विभाग/शासन ने इनमें से 87 मामलों में शामिल ₹ 2.54 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की एवं इसकी वसूल की गई। विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयो की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकार की गई धनराशि		वसूल की गयी धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2006-07	80	122	60.68	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	82	93	18.80	12	0.06	12	0.06
2008-09	118	189	1,372.36	09	0.20	09	0.20
2009-10	119	140	66.93	20	0.95	20	0.95
2010-11	190	435	231.03	46	1.33	46	1.33
योग	**589**	**979**	**1,749.80**	**87**	**2.54**	**87**	**2.54**

3.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य आबकारी प्राप्तियों के 200 इकाईयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 97.34 करोड़ के 383 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	33	27.75
2.	शास्ति का अनारोपण	16	0.54
3.	विदेशी मदिरा की दुकानों पर अनुज्ञापन शुल्क आरोपित न किया जाना	88	14.35
4.	ब्याज का अनारोपण	16	0.73
5.	अन्य अनियमितताएं	230	53.97
योग		**383**	**97.34**

वर्ष 2011–12 के दौरान, विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 21 मामलों में ₹ 11.18 लाख स्वीकार एवं वसूल किये, जिसमें से ₹ 35,045 के तीन मामले वर्ष 2011–12 के दौरान तथा शेष विगत वर्षों में इंगित किये गये थे।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 12.08 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

3.7 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

राज्य आबकारी विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में अल्कोहल का कम उत्पादन, टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) के मार्गस्थ/भण्डारण छीजन के कारण राजस्व क्षति, अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण आदि के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती है परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

3.8 माडल दुकानों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण

26 फरवरी 2010 एवं 12 मार्च 2011 को अधिसूचित क्रमशः आबकारी नीति 2010 एवं 2011 के अनुसार वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 या वर्ष के भाग के लिये माडल शाप (दुकान) के व्यवस्थापन के लिये लाइसेंस फीस क्रमशः ₹ 8 लाख एवं ₹ 9 लाख निर्धारित की गयी या उसी वर्ष में नगर/कस्बे में व्यवस्थित विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सम्मिलित सर्वोच्च लाइसेंस फीस की धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो भी अधिक हो, परन्तु यह इन वर्षों में क्रमशः ₹ 22 लाख एवं ₹ 25 लाख से अधिक नहीं हो सकती थी, निर्धारित की गई।

हमने अप्रैल 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य 10 जिला आबकारी कार्यालयों[1] (जि0आ0का0) के अभिलेखों[2] की जॉच में देखा कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिये विदेशी मदिरा एवं बीयर की 27 माडल दुकानों[3] की लाइसेंस फीस ₹ 2.96 करोड़ निर्धारित की गयी थी जबकि आबकारी नीति के अनुसार यह ₹ 4.50 करोड़ आती है। जि0आ0का0 ने नगर/कस्बे में सर्वोच्च विक्रय वाली व्यवस्थापित फुटकर दुकानों की गणना में इन माडल दुकानों द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में की गई वास्तविक बिक्री की अनदेखी किया। उन्होनें लाइसेंस फीस निर्धारित करने के लिये नगर/कस्बे की दूसरी दुकानों की बिक्री को संज्ञान में लिया, जबकि ये माडल दुकाने भी व्यवस्थित फुटकर दुकाने हैं, अधिकतम सीमा निर्धारण से पूर्व लाइसेंस फीस नियत किये जाने में माडल दुकानों की बिक्री को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ का कम राजस्व आरोपित/वसूल हुआ। विवरण **परिशिष्ट–VI** में दिया गया है।

हमारे द्वारा इसे (जून 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य) इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने जुलाई 2012 में बताया कि व्यवस्थित माडल दुकानों की लाइसेंस फीस का आरोपण एवं संग्रहण शासन द्वारा निर्गत आबकारी नीति के अनुसार किया गया। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि माडल दुकानों की पिछली 12 माह की वास्तविक बिक्री, जो कि व्यवस्थित फुटकर दुकाने भी हैं, को लाइसेंस फीस की गणना करते समय संज्ञान में नहीं लिया गया।

[1] जि0आ0का0 मथुरा, फैजाबाद, एटा, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, झॉसी, लखनऊ, गाजीपुर, रामपुर, एवं कांशीराम नगर।

[2] माडल शाप व्यवस्थापन पत्रावलियॉ, आबकारी नीतियॉ एवं बिक्री रिपोर्ट्स/विवरणियॉ।

[3] माडल दुकान, न्यूनतम् 600 वर्ग फुट कार्पेट एरिया एवं उपभोग की भी सुविधा के साथ निगम, शहर या नगर पालिका के व्यावसायिक रूप से स्वीकृत क्षेत्र में स्थित शहर एक अनुज्ञापित दुकान है।

3.9 विदेशी मदिरा की दुकानों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का वार्षिक लाइसेंस फीस वर्तमान वर्ष में बिक्रीत बोतलों की संख्या के आधार पर आरोपणीय है। नयी आबकारी नीति 2009–10 एवं 2010–11 के अनुसार बिक्रीत बोतलों की संख्या का आगणन 10 माह की वास्तविक बिक्री के आधार पर किया जाना था (यथा अप्रैल से जनवरी की वास्तविक बिक्री तथा फरवरी एवं मार्च के लिए अप्रैल से जनवरी की बिक्री का 1/5)। इसी प्रकार दिनांक 12 मार्च 2011 को वर्ष 2011–12 के लिये अधिसूचित आबकारी नीति के अनुसार बिक्रीत बोतलों की संख्या का आगणन 11 माह की वास्तविक बिक्री के आधार पर किया जाना था (यथा अप्रैल से फरवरी की वास्तविक बिक्री तथा मार्च के लिए अप्रैल से फरवरी की बिक्री का 1/11)।

हमने छः जि0आ0का0[4] के अभिलेखों[5] एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय से सूचना संकलन से देखा कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिये राज्य की विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस 10 माह की वास्तविक बिक्री यथा पिछले वर्ष की अप्रैल से जनवरी तक की बिक्री तथा उसी वर्ष के फरवरी एवं मार्च की आगणित[6] बिक्री के योग के आधार पर निर्धारित की गयी थी। उसी प्रकार 2011–12 हेतु लाइसेंस फीस, अप्रैल 2010 से फरवरी 2011 की वास्तविक बिक्री तथा मार्च 2011 की आगणित बिक्री के योग पर आधारित थी। वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस क्रमशः ₹ 170.83 करोड़, ₹ 229.04 करोड़ एवं ₹ 317.66 करोड़ के विरूद्ध गत 12 कैलेण्डर माहों के दौरान बिक्रीत वास्तविक बोतलों की संख्या के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस सम्बन्धित वर्षों हेतु क्रमशः ₹ 175 करोड़, ₹ 233.78 करोड़ एवं ₹ 321.87 करोड़ थी। गणना का आधार निर्धारित करते समय विभाग के पास गत 12 माह के दौरान बिक्रीत वास्तविक बोतलों की संख्या से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध थी, जिसकी अनदेखी की गई तथा 2009–10 से 2010–11 एवं 2011–12 हेतु लाइसेंस फीस की गणना के लिए क्रमशः दो एवं एक माह की आगणित बिक्री आधार के रूप में ली गई। इसके कारण 2009–10 से 2011–12 के दौरान लाइसेंस फीस के रूप में शासन ₹ 13.12 करोड़ (₹ 4.17 करोड़ + ₹ 4.74 करोड़ + ₹ 4.21 करोड़) के राजस्व से वंचित रहा।

हमारे द्वारा इसे (अगस्त 2011 एवं मई 2012 के मध्य) इंगित किये जाने पर शासन ने जुलाई 2012 में बताया कि शासन द्वारा निर्गत आबकारी नीतियों के अनुसार व्यवस्थापन किया गया। यह उत्तर विभाग द्वारा गत वर्ष दिये गये उत्तर, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांख्यिकीय आँकडों के अध्ययन के पश्चात् सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, के विपरीत है एवं हमारा प्रेक्षण सांख्यिकीय विश्लेषण से समर्थित है।

हम संस्तुति करते हैं कि शासन को राजस्व हित में वार्षिक लाइसेंस फीस का निर्धारण गत 12 माहों के वास्तविक बिक्री के आधार पर करना चाहिए।

---

[4] जि0आ0का0 लखनऊ, कौशाम्बी, इटावा, जालौन, गोण्डा एवं ललितपुर।

[5] विदेशी मदिरा व्यवस्थापन पत्रावलियॉ, आबकारी नीतियॉ एवं विक्रय रिपोर्ट्स।

[6] 2009–10 एवं 2010–11 की आगणित बिक्री– 10 माह की वास्तविक बिक्री (अप्रैल से जनवरी) + 2 ग 10 माह की वास्तविक बिकी का औसत।
2011–12 की आगणित बिकी– 11 माह की वास्तविक बिकी (अप्रैल से फरवरी) + 11 माह की वास्तविक बिक्री का औसत।

3.10 आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38(अ) के अन्तर्गत जहाँ कोई भी आबकारी राजस्व देय होने की तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, उक्त आबकारी राजस्व पर देय तिथि से भुगतान तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है।

हमने चार जि0आ0का0 के अभिलेखों[7] से देखा (जनवरी 2012 से अप्रैल 2012) कि अगस्त 2004 से फरवरी 2012 की अवधि में 91 अनुज्ञापियों द्वारा 1987–88 से 2010–11 की अवधि से सम्बन्धित ₹ 25.20 लाख तीन माह एवं 273 माह के मध्य विलम्ब से जमा किया गया। तथापि, विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर ₹ 27.04 लाख ब्याज का आरोपण एवं संग्रहण, जैसा कि नीचे विवरणित है, नहीं किया गया:

क्र0 सं0	इकाई का नाम	दुकानों/ अनुज्ञापियों की संख्या	अवधि जिसके दौरान आबकारी राजस्व देय हुआ	बकाया धनराशि (₹ में)	विलम्बित अवधि माह में जिसके पश्चात धनराशि प्राप्त हुई	प्रभारित/ वसूल न की गई ब्याज की धनराशि (₹ में)
1	जि0आ0का0 रायबरेली	8	2002-03 से 2003-04	11,09,433	79 – 100	15,81,876
2	जि0आ0का0 फतेहपुर	55	1987-88 से 2008-09	4,03,783	03 – 273	2,43,396
3	जि0आ0का0 गोण्डा	25	2002–03 से 2010-11	6,18,965	04 – 107	5,26,259
4	जि0आ0का0 बलिया	3	2001-02 से 2004-05	3,87,731	29 – 71	3,52,917
योग		**91**		**25,19,912**	**03 - 273**	**27,04,448**

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (फरवरी 2012 से मई 2012) के पश्चात् शासन ने जुलाई 2012 में हमारी आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि बलिया एवं रायबरेली में ब्याज की वसूली प्रारम्भ की जा चुकी है तथा शेष दो जिलों में ब्याज की वसूली हेतु नोटिस निर्गत कर दिये गये हैं।

3.11 कुल अपचायक शर्करा (टी.आर.एस.) का मार्गस्थ एवं भण्डारण छीजन

3.11.1 शीरे का मार्गस्थ छीजन

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियमावली, 1974 के नियम 8, 20 एवं 25 के अन्तर्गत शीरे में उपस्थित कुल अपचायक शर्करा (टी0आर0एस0) पर कोई मार्गस्थ छीजन (ट्रांजिट लास) तथा भण्डारण छीजन (स्टोरेज लास) अनुमन्य नहीं है। उ0प्र0 आबकारी आसवनियों के कार्य कलाप (संशोधन) नियमावली, 1978 के नियम 15–ख (तीन) के अन्तर्गत शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से न्यूनतम 52.5 अल्कोहलिक लीटर (ए0एल0) अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए। अग्रेतर, आबकारी आयुक्त के मई 1995 के परिपत्र के अनुसार टी0आर0एस0 में अधिकतम 12 प्रतिशत अकिण्वीय शर्करा विद्यमान होती है।

हमने अप्रैल 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य तीन आसवनियों[8] के अभिलेखों[9] की लेखापरीक्षा के दौरान देखा कि अगस्त 2010 से मार्च 2011 के मध्य शीरे के परिवहन करते समय चीनी मिलों द्वारा निर्गत की गई परिवहन पास में दर्शायी गयी मात्रा में 0.11 से 5.90 प्रतिशत के मध्य टी0आर0एस0 की हानि हुई थी। जिन्हें आसवनियों

[7] जी–6, बकाया रजिस्टर, रसीद बुक, रोकड़ बही एवं कोषागार विवरण।

[8] लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, गाजीपुर, वेब आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़ तथा मोहन मीकिन आसवनी, मोहन नगर, गाजियाबाद।

[9] प्रयोगशाला की रिपोर्ट्स एवं एम0एफ0–4 पासेस।

के निरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया था। आसवनियों द्वारा 1,835.72 कुन्तल टी0आर0एस0 कम प्राप्त किया गया, जिससे 84,810.26 ए0एल0[10] अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता था जो कि आबकारी आयुक्त के आदेश के अनुरूप संगणित[11] किया गया है। इसे इन आसवनियों में उत्पादित कुल पेय एवं औद्योगिक अल्कोहल के समानुपात[12] में बाँटने के उपरान्त हमने पाया कि इससे ₹ 3.56 करोड़ आबकारी राजस्व सन्निहित 84,749 ए0एल0 मदिरा का उत्पादन किया जा सकता था, जैसा कि **परिशिष्ट– VII (अ)** में दर्शाया गया है।

3.11.2 शीरे का भण्डारण छीजन

हमने अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2011 के मध्य चार आसवनियों[13] के अभिलेखों[14] की लेखा परीक्षा में देखा कि इन आसवनियों में मार्च 2010 तथा अक्टूबर 2011 की अवधि के दौरान 3,58,030 कुन्तल शीरे का भण्डारण किया गया। भण्डारण के दौरान किण्वीय शर्करा में 0.08 तथा 0.98 प्रतिशत के मध्य छीजन हुआ। इस छीजन चले गये किण्वीय शर्करा की संगणना 3,197.882 कुन्तल की गई जिससे 1,67,888.829 ए0एल0 अल्कोहल उत्पादित किया जा सकता था। इन आसवनियों में उत्पादित कुल पेय तथा औद्योगिक अल्कोहल के समानुपात[15] में इसे विभाजित करने पर हमने पाया कि इससे 1,53,988.341 ए0एल0 पेय अल्कोहल, जिसमें ₹ 6.47 करोड़ आबकारी राजस्व निहित था, का उत्पादन किया जा सकता था, जैसा कि **परिशिष्ट– VII (ब)** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इसे अगस्त 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2012) कि अल्कोहल का उत्पादन किण्वीय शर्करा पर आधारित होता है न कि चीनी मिलों से प्रेषित या आसवनियों में प्राप्त/भण्डारित टी0आर0एस0 की मात्रा पर। शासन का उत्तर आबकारी आयुक्त द्वारा 1995 में निर्गत परिपत्र पर आधारित नहीं है, जिसके अनुसार टी0आर0एस0 में न्यूनतम 88 प्रतिशत किण्वीय शर्करा की मात्रा का मानक निर्धारित किया गया था। परिपत्र वर्तमान में भी प्रभावी है लेकिन शासन को राजस्व क्षति उठानी पड़ी क्योंकि आसवनियों में उन शर्तों को सुनिश्चित नहीं किया गया जो कि परिपत्र के अनुरूप अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक थी।

---

[10] 1,835.72 x 46.2 = 84,810.26 ए0एल0

[11] शीरे में अधिकतम 12 प्रतिशत अकिण्वीय शर्करा उपस्थित होती है। इस प्रकार एक कुन्तल टी0आर0एस0 में 88 किग्रा0 किण्वीय शर्करा होती है, जिससे 46.2 ए0एल0 अल्कोहल उत्पादित हो सकता है क्योंकि उ0प्र0 आबकारी वर्किंग डिस्टीलरी (संशोधन) नियमावली, 1978 के नियम 15 (ब) (3) के अनुसार प्रति कुन्तल किण्वीय शर्करा से 52.5 ए0एल0 अल्कोहल उत्पादित होती है।

[12] पेय मदिरा का प्रतिशतः लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, गाजीपुर – 99.9, वेव आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़– 100, मोहन मीकिन आसवनी, मोहन नगर, गाजियाबाद– 100

[13] लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, गाजीपुर, वेब आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़, उन्नाव आसवनी एवं यवासनी लि0 उन्नाव एव केशर इण्टरप्राइजेज लि0, बहेड़ी, बरेली।

[14] सी0ओ0टी0 रजिस्टर।

[15] पेय मदिरा का प्रतिशतः लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, गाजीपुर– 99.9, वेव आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़– 100, उन्नाव आसवनी एवं यवासनी लि0 उन्नाव– 100 एव केसर इण्टरप्राइजेज लि0, बहेड़ी, बरेली– 62.26

3.12 शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन

उ0प्र0 आबकारी आसवनियों के कार्य कलाप संशोधन) नियमावली, 1978 के नियम 15–ख (तीन) के अन्तर्गत शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से न्यूनतम 52.5 अल्कोहलिक लीटर (ए0एल0) अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए। इस उद्देश्य से आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे से मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट को जाँच के लिए भेजा जाना अपेक्षित है। शीरे से अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन में असफल रहने पर अन्य शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किया जा सकता है तथा जमानत के रूप में जमा प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।

हमने अप्रैल 2011 और फरवरी 2012 के मध्य चार आसवनियों[16] के अभिलेखों[17] की जाँच में देखा कि अप्रैल 2010 से फरवरी 2012 के दौरान 5.13 लाख कुन्तल शीरे के 24 मिश्रित नमूने शर्करा की मात्रा के निर्धारण हेतु अल्कोहल टेक्नोजालाजिस्ट को भेजे गये थे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर शीरे में उपस्थित 1.90 लाख कुन्तल किण्वीय शर्करा से 99.60 लाख ए0एल0 अल्कोहल उत्पादित होना चाहिए था। इसके विरूद्ध अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 96.32 लाख ए0एल0 हुआ था, जिससे कुल 3.27 लाख ए0एल0 का कम उत्पादन हुआ। इसे इन आसवनियों में उत्पादित कुल पेय एवं औद्योगिक अल्कोहल के समानुपात[18] में बांटने के उपरान्त, हमने पाया कि इससे 3.24 लाख ए0एल0 पेय अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ था, जिसमें ₹ 13.60 करोड़ का राजस्व निहित था। ग्यारह प्रकरणों को आबकारी आयुक्त द्वारा प्रशमित किया गया था और ₹ 47,000[19] की शास्ति आरोपित की गई थी तथा प्रतिभूति जमा में से आंशिक रूप से ₹ 1.85 लाख[20] जब्त करने का आदेश दिया गया था जो कि सम्पूर्ण राजस्व क्षति की तुलना में बहुत कम था। विभाग ने अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार इन आसवनियों के लाइसेंसो को रद्द नहीं किया।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (अगस्त 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) के पश्चात शासन ने जुलाई 2012 में उत्तर दिया कि अल्कोहल के कम उत्पादन पर हम करारोपण नहीं कर सकते क्योंकि अल्कोहल का निर्माण वास्तविक रूप से नहीं हुआ होता है अपितु सैद्धान्तिक होता है। उन्होने यह भी बताया कि इसका कारण प्लान्ट/मशीनरी में आई आकस्मिक खराबियों एवं प्लान्ट के चलते समय प्रक्रियाओं के संचालन में आया गतिरोध है। विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि सम्बन्धित चार आसवनियों में से तीन आसवनियों में उक्त तथ्य को विगत वर्ष हम संज्ञान में लाये थे लेकिन उन त्रुटियों का सुधार नहीं किया गया।

---

[16] लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, उन्नाव आसवनी एवं यवासनी लि0 उन्नाव, मोदी आसवनी, गाजियाबाद, एवं वेब आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़।

[17] सी0ओ0टी0 रजिस्टर एवं ए0टी0 लैब रजिस्टर।

[18] पेय मदिरा का प्रतिशतः लार्ड्स आसवनी, नन्दगंज, गाजीपुर – 99.9, उन्नाव आसवनी एवं यवासनी लि0 उन्नाव – 100, मोदी आसवनी, गाजियाबाद– 61.37 एवं वेव आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़– 100

[19] प्रशमनः लार्ड्स आसवनी, गाजीपुर (दोनो प्रकरणों में– ₹ 3000), उन्नाव आसवनी एवं यवावनी लि0, उन्नाव (दोनो प्रकरणों में– ₹ 10000), वेव आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ (14 प्रकरणों में से सात प्रकरणों में– ₹ 34000)

[20] प्रतिभूति जमा का समपहरणः उन्नाव आसवनी एवं यवावनी लि0, उन्नाव (दोनो प्रकरणों में– ₹ 45000), वेव आसवनी एवं यवासनी लि0 अहमदपुरा, अलीगढ (14 प्रकरणों में से सात प्रकरणों में– ₹ 1.40 लाख)

3.13 परीक्षण शुल्क का कम वसूल किया जाना

आसवनियों, यवासवनियों, चीनी मिलों, मदिरा की दुकानों और अल्कोहल आधारित उद्योगों से प्राप्त शीरा, अल्कोहल, बीयर तथा अन्य रसायनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं समुचित नियन्त्रण बनाये रखने हेतु राज्य में तीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाए, गोरखपुर, लखनऊ तथा मेरठ में स्थापित की गई हैं। इलाहाबाद में स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला इन क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का समन्वय एवं नियन्त्रण करती है।

6 अक्टूबर 2006 के शासकीय विज्ञप्ति के अनुसार नमूना परीक्षण शुल्क की दर को 80 रूपये से पुनरीक्षित कर 160 रूपये प्रति नमूना किया गया। पुनरीक्षित दर 6 अक्टूबर 2006 से प्रभावी थी।

हमने अप्रैल 2011 में आबकारी आयुक्त कार्यालय में रखे अल्कोहल तकनीकी प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट्स तथा अभिलेखों की लेखापरीक्षा और नवम्बर 2012 में वहाँ से एकत्रित सूचना से देखा कि वर्ष 2008–09 से 2011–12 के मध्य अल्कोहल तकनीशियनों द्वारा 36,635 नमूनों का परीक्षण किया गया। इन परीक्षणों से देय परीक्षण शुल्क ₹ 58.62 लाख के विरूद्ध मात्र ₹ 36.55 लाख ही वसूल किया गया। इस प्रकार परीक्षण शुल्क के ₹ 22.06 लाख कम वसूल किये गये।

हमारे द्वारा इसे नवम्बर 2011 में इंगित किये जाने के पश्चात शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2012) और बताया कि वर्ष 2009–10 से 2010–11 के मध्य फार्मेसियों से प्राप्त नमूनों के परीक्षण शुल्क के रूप में ₹ 12.03 लाख वसूल हो चुके हैं। वर्ष 2008–09 तथा 2011–12 से सम्बन्धित वसूली के विषय में हमें कोई सूचना प्राप्त नही हुई (फरवरी 2013)।

3.14 विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण/वसूली किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के नियम 4(ग) के अन्तर्गत विदेशी मदिरा, बीयर तथा वाइन की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0–2 में लाइसेंस दिया जायेगा। पुनश्च, नियमावली के नियम–6 (लाइसेंस की स्वीकृति) के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0–2 के लाइसेंस जनपदवार होंगे।

वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 की आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन वि0म0–2 की लाइसेंस फीस जनपद में पूर्व वर्ष में फुटकर अनुज्ञापनों से बिक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:–

क्र0 सं0	जनपद में पूर्व वर्ष में फुटकर अनुज्ञापियों से बिक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या	लाइसेंस फीस (₹ लाख में)
1	7 लाख बोतल तक	5.00
2	7 लाख से 15 लाख बोतल तक	10.00
3	15 लाख से 25 लाख बोतल तक	20.00
4	25 लाख से 30 लाख बोतल तक	30.00
5	30 लाख बोतल से अधिक	40.00

हमने अप्रैल 2011 में आबकारी आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों[21] की जॉच एवं वहॉ से एकत्रित सूचना से देखा कि प्रदेश में वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में क्रमशः 20 तथा 21 जनपदों में वि0म0–2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नहीं हुआ था।

अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010–11 और 2011–12 में क्रमशः सात और

[21] अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन की पत्रावलियॉ, बिक्री/उपभोग विवरण, रसीद बुकें एवं रोकड़ बही।

आठ जनपदों[22] में लाइसेंस फीस सही नहीं वसूली गई जिसके कारण राजस्व क्षति हुई।

जिन जनपदों में वि0म0–2 के अनुज्ञापियों का व्यवस्थापन नहीं हुआ था वहाँ पर विदेशी मदिरा की आपूर्ति के लिए आबकारी आयुक्त ने निकटवर्ती जनपदों के वि0म0–2 के अनुज्ञापनों को अधिकृत किया था किन्तु इन अनुज्ञापियों से लाइसेंस फीस सही तरीके से आरोपित एवं वसूल नहीं किये गये। लाइसेंस फीस की गणना का आधार केवल आपूर्तिकर्ता के मूल जनपद में बिक्रीत बोतलों की संख्या थी जबकि इन अनुज्ञापनों के द्वारा अन्य जनपदों में विदेशी मदिरा की आपूर्ति के कारण बिक्रीत बोतलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अतः लाइसेंस फीस का निर्धारण करते समय अपने जनपद में बिक्रीत बोतलों की संख्या के साथ–साथ जहाँ आपूर्ति की गई उन जनपदों में बिक्रीत बोतलों की संख्या आगणित करके तद्नुसार लाइसेंस फीस पुनरीक्षित करनी चाहिए थी। इसको संज्ञान में न लेने के कारण ₹ 80 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–VIII** में वर्णित है।

हमारे द्वारा इसे जुलाई 2011 में इंगित किये जाने के पश्चात शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2012) कि वि0म0–2 का व्यवस्थापन प्रत्येक जनपद के लिए आवश्यक नहीं है और वि0म0–2 लाइसेंस की शर्त संख्या–11 के अनुसार आबकारी आयुक्त की अनुमति पर वह अपने क्षेत्राधिकार के बाहर अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों को भी विदेशी मदिरा की बिक्री कर सकता है। शासन का उत्तर हमारे आपत्ति बिन्दु के सापेक्ष नहीं है जिसमें लाइसेंस फीस के आरोपण हेतु गणना में आपूर्तिकर्ता के अपने जनपद के साथ–साथ अतिरिक्त अनुमन्य जनपद में बिक्रीत बोतलों की संख्या संकलित नहीं की गई।

3.15 बीयर की थोक आपूर्ति पर लाइसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के नियम–4(ग) के अन्तर्गत विदेशी मदिरा, बीयर तथा वाइन की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0–2 में लाइसेंस दिया जायेगा।
वर्ष 2009–10 तथा वर्ष 2010–11 की आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन एफ0एल0–2 की फीस जनपद में पूर्व वर्ष में फुटकर अनुज्ञापनों से बिक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

क्र0 सं0	जनपद में पूर्व वर्ष में फुटकर अनुज्ञापियों से बिक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या	लाइसेंस फीस (₹ लाख में)
1	7 लाख बोतल तक	5.00
2	7 लाख से 15 लाख बोतल तक	10.00
3	15 लाख से 25 लाख बोतल तक	20.00
4	25 लाख से 30 लाख बोतल तक	30.00
5	30 लाख बोतल से अधिक	40.00

पुनश्च, उपरोक्त नियमावली के नियम–4(च) के अनुसार केवल बीयर की थोक बिक्री के लिए संलग्न प्रपत्र वि0म0–2ख में (पाँच लाख रूपया लाइसेंस फीस जमा करवाकर) लाइसेंस दिया जायेगा।

हमने सितम्बर 2011 एवं नवम्बर 2011 के मध्य पाँच जिला आबकारी अधिकारियों के कार्यालयों के अभिलेखों[23] की नमूना जाँच तथा आबकारी आयुक्त कार्यालय से एकत्रित सूचना में देखा कि वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में क्रमशः 52 तथा 54 जनपदों में वि0म0–2 के अनुज्ञापियों को

[22] 2010–11 एवं 2011–12 – लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़ एवं सिद्धार्थनगर।
2010–11 – हरदोई, चन्दौली, कांशीराम नगर एवं अम्बेडकर नगर।
2011–12 – पीलीभीत, सन्त कबीर नगर, चित्रकूट, हमीरपुर एवं महोबा।

[23] अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन की पत्रावलियाँ, बिक्री/उपभोग विवरण, रसीद बुकें एवं रोकड़ बही।

विदेशी मदिरा के साथ–साथ फुटकर दुकानों को बीयर की आपूर्ति हेतु भी अधिकृत किया गया था। वि0म0–2 के अनुज्ञापियों से लाइसेंस फीस की वसूली हेतु पिछले वर्ष की विदेशी मदिरा की अनुमानित बिक्रीत बोतलों की संख्या ही संगणना हेतु ली गई जबकि अनुज्ञापियों द्वारा बेची गई बीयर की बोतलों की संख्या सम्मिलित नहीं की गई। इन जनपदों में अलग से कोई वि0म0–2ख के अनुज्ञापन भी निर्गत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप ₹ 9.25 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट– IX** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इसे अक्टूबर 2011 एवं नवम्बर 2011 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने बताया (अगस्त 2012) कि अनुज्ञापन वि0म0–2 के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण पूर्व वर्ष में केवल विदेशी मदिरा की बोतलों की अनुमानित बिक्री के आधार पर की जाती है। हम शासन के इस उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि संगत वर्षों की आबकारी नीति में उल्लेख नहीं है कि मात्र बिक्रीत विदेशी मदिरा के आधार पर ही वि0म0–2 के अनुज्ञापियों की लाइसेंस फीस की गणना की जायेगी। क्योंकि इन जनपदों में वि0म0–2ख के अनुज्ञापन व्यवस्थित नहीं किये गये इस कारण बीयर की बोतलों की बिक्री पर लाइसेंस फीस का आरोपण नहीं हुआ, फलस्वरूप राजस्व की क्षति हुई।

अध्याय-IV
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 कर प्रशासन

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0 मो0 या0क0 अधिनियम), उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998, मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा मोटरयान नियमावली, 1989 में विभिन्न प्रकार के करों जैसे माल कर, अतिरिक्त कर (यात्रीकर) एवं फीस आदि के आरोपण का प्रावधान है।

शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प्र0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0अ0) तथा 72 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0अ0) (प्रशासन) द्वारा की जाती है।

4.2 प्राप्तियों का रुझान

माल एवं यात्री वाहनों पर कर की वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ उक्त अवधि के दौरान कुल कर प्राप्ति को निम्नलिखित तालिका एवं रेखा चित्र में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों के सापेक्ष प्रतिशत
2007-08	1,533.31	1,255.49	(-) 277.82	(-)18.12	24,959.32	5.03
2008-09	1,600.00	1,391.15	(-) 208.85	(-)13.05	28,658.97	4.85
2009-10	1,574.89	1,674.55	(+) 99.66	6.33	33,877.60	4.94
2010-11	2,089.90	2,058.58	(-) 31.32	(-)1.50	41,355.00	4.98
2011-12	2,329.95	2,380.67	(+) 50.72	2.18	52,613.43	4.52

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

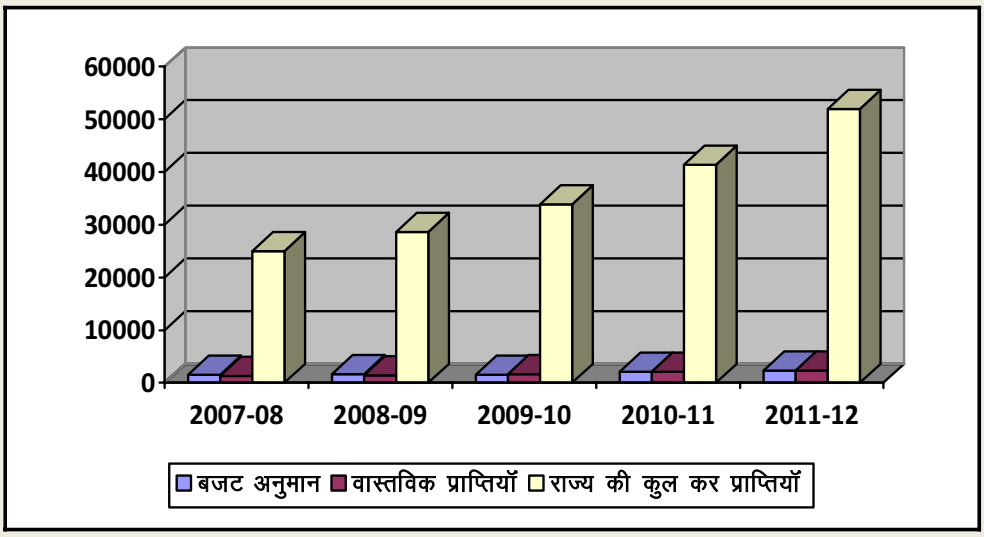

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011–12 में जहाँ वास्तविक प्राप्तियाँ वृद्धि का रूझान प्रदर्शित करती हैं, वहीं विभाग की वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत राज्य के कुल कर

प्राप्तियों के सापेक्ष कमी का रूझान दिखाती हैं। तथापि, विगत दो वर्षों में बजट अनुमान सामान्यतः सही हैं।

4.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को ₹ 29.69 करोड़ का राजस्व बकाया था। वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के राजस्व बकाये की स्थिति निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2007-08	23.00	1,304.23	1,255.49	71.74
2008-09	71.74	1,380.02	1,391.15	60.61
2009-10	60.61	1,661.41	1,674.55	47.47
2010-11	47.47	2,040.78	2,058.58	29.67
2011-12	29.67	2,380.69	2,380.67	29.69

स्रोतः वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हम संस्तुति करते हैं कि बकाये की शीघ्र वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाने के लिए विचार करे।

4.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान माल एवं यात्री वाहनों पर कर का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे अंकित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह के लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए संग्रह लागत की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007-08	1,255.49	36.15	2.87	2.47
2008-09	1,391.15	50.43	3.62	2.58
2009-10	1,674.55	69.16	4.13	2.93
2010-11	2,058.58	78.13	3.80	3.07
2011-12	2,380.67	79.86	3.35	3.71

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त से परिलक्षित है कि वर्ष 2011–12 में संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से कम है।

4.5 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कर के कम आरोपण, कर की वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण/राजस्व क्षति, गलत छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 1,414 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 282.80 करोड़ का राजस्व निहित था। इनमें से विभाग/शासन ने 458 मामलों में निहित ₹ 10.24 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की तथा ₹ 10.21 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत धनराशि		वसूल की गई धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2006-07	48	243	14.01	3	0.21	3	0.18
2007-08	62	213	94.45	4	0.25	4	0.25
2008-09	71	344	118.34	148	2.49	148	2.49
2009-10	71	245	26.46	40	0.85	40	0.85
2010-11	71	369	29.54	263	6.44	263	6.44
योग	**323**	**1414**	**282.80**	**458**	**10.24**	**458**	**10.21**

अधिक संख्या में लेखापरीक्षा निरीक्षण लम्बित रहने की दृष्टि में, शासन नियमित अन्तराल में प्रस्तरों के त्वरित निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन करना सुनिश्चित करे।

4.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान परिवहन विभाग से सम्बन्धित 96 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के ₹ 130.66 करोड़ के 648 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	यात्री कर/अतिरिक्त कर का अनारोपण/कम आरोपण	187	37.68
2.	मार्ग कर का अवनिर्धारण	63	2.22
3.	माल कर का कम आरोपण	49	4.15
4.	अन्य अनियमितातायें	349	86.61
	योग	**648**	**130.66**

वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों का कोई मामला स्वीकार नहीं किया।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 15.43 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

4.7 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

हमारे द्वारा की गयी परिवहन विभाग कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में वाहनों पर कर/अतिरिक्त कर के कम आरोपण/अनारोपण/वसूली न किया जाना, बिना स्वस्थता प्रमाण–पत्र के वाहनों का संचालन आदि और अनुत्पादक व्यय का एक प्रकरण, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में इंगित किया गया है, प्रकाश में आये। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच पर आधारित हैं। हम प्रत्येक वर्ष इस तरह की अनियमितताओं को इंगित करते हैं, किन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती हैं बल्कि हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृत्ति से भविष्य में बचा जा सके।

4.8 टाटा मैजिक वाहन की सीटिंग क्षमता कम ग्रहण किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवहन यान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्धारित कर का भुगतान न कर दिया गया हो। मोटर कैब और मैक्सी कैब पर (तीन पहिया मोटर कैब को छोड़कर) लागू कर की दर 7 नवम्बर 2010 तक ₹ 550 प्रति सीट/प्रति तिमाही तथा 8 नवम्बर 2010 से ₹ 660 प्रति सीट/प्रति तिमाही थी। परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जुलाई 2007 और 24 मई 2010 के द्वारा 1000 कि0ग्रा0 कर्ब भार के टाटा मैजिक वाहन (बेसिक मॉडल) के लिए कुल आठ सीट अनुमन्य की गयी थी।

हमने अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के मध्य पाँच[1] सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (स0प0का0) और 22 सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (स0स0प0का0)[2] के अभिलेखों[3] का परीक्षण किया और देखा कि अक्टूबर 2009 से फरवरी 2012 तक की अवधि के दौरान 1000 कि0ग्रा0 कर्ब भार वाले 3,467 टाटा मैजिक वाहनों (बेसिक मॉडल) के सम्बन्ध में कर, परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जुलाई 2007 एवं 24 मई 2010 का उल्लंघन करते हुए कुल आठ सीटों के बजाय सात सीटों पर निर्धारित करके कर वसूला गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 99.71 लाख का कर कम वसूला गया, जैसा कि **परिशिष्ट–X** में दिया गया है।

हमारे द्वारा इसे इंगित (अप्रैल 2011 और मई 2012 के मध्य) किये जाने के पश्चात विभाग ने नवम्बर 2012 में उत्तर दिया कि 11 स0प0का0[4]/स0स0प0का0[5] में ऐसी 571 टाटा मैजिक वाहनों के विरूद्ध ₹ 23.86 लाख आरोपित एवं वसूल किया जा चुका है और 10 स0स0प0का0[6] तथा एक स0प0का0[7] में वसूली की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। शेष स0प0का0[8]/स0स0प0का0[9] में कार्यवाही प्रतीक्षित (फरवरी 2013) है।

---

1 स0प0का0: मेरठ, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर और इलाहाबाद।

2 स0स0प0का0: इटावा, सन्त कबीर नगर, महराजगंज, हमीरपुर, अम्बेदकर नगर, सिद्धार्थनगर, मैनपुरी, रामपुर, कुशीनगर, बागपत, बुलन्दशहर, जालौन (उरई), औरैया, गाजीपुर, बलिया, रायबरेली, देवरिया, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, कौशाम्बी, कांशीराम नगर एवं ललितपुर।

3 यात्री कर रजिस्टर, वाहनों की पत्रावलियां और वाहनों का डाटाबेस।

4 स0प0का0: इलाहाबाद और मेरठ।

5 स0स0प0का0: औरैया, बागपत, बुलन्दशहर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और रायबरेली।

6 स0स0प0का0: औरैया, बागपत, बुलन्दशहर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और रायबरेली।

7 स0प0का0: इलाहाबाद।

8 स0प0का0: आजमगढ़, गोरखपुर और मिर्जापुर

4.9 तीन माह से अधिक समर्पित वाहनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम–22, संशोधित 2009, में व्यवस्था है कि जब परिवहन वाहन स्वामी अपने मोटर वाहन को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग नहीं करना हो, तो कराधान अधिकारी को मोटर वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र, कर प्रमाण–पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण–पत्र, स्वस्थता प्रमाण–पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करेगा। कराधान अधिकारी एक कैलेण्डर वर्ष में, तीन कैलेण्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा। तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा।
यदि फिर भी ऐसी किसी गाड़ी को स0प0अ0 द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेण्डर माह से अधिक अवधि के लिए अम्यर्पित बनी रहती है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहनस्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का दायी होगा। आगे, उपनियम (4) में प्रावधानों के प्रतिबन्धाधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन का समर्पण पूर्व में स्वीकार किया गया है, किसी भी कैलेण्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, चाहे कराधान अधिकारी से समर्पित प्रमाण–पत्र वापस लिए गये हों अथवा नहीं।

हमने नवम्बर 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य 10 स0प0का0[10] एवं 23 स0स0प0का0[11] के अभिलेखों[12] की जाँच की और देखा कि 753 वाहन अप्रैल 2010 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान तीन कैलेण्डर माह से अधिक अवधि से समर्पित थे तथा इस तथ्य के बावजूद भी कि तीन माह से अधिक समर्पण के विषय में सम्बन्धित स0प0का0 द्वारा विस्तार स्वीकार नहीं किया गया था, कराधान अधिकारियों[13] ने देय कर/अतिरिक्त कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके फलस्वरूप ₹ 2.29 करोड़[14] के राजस्व की वसूली नहीं की गई जैसा कि **परिशिष्ट–XI** में दिया गया है।

हमारे द्वारा इसे इंगित (मई 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य) करने के पश्चात् विभाग ने नवम्बर 2012 में उत्तर दिया कि 19 स0प0का0/स0स0प0का0 के 265 वाहन ₹ 20.62 लाख वसूल करने के पश्चात अवमुक्त कर दिये गये हैं और 223 वाहनों से देय कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। इन वाहनों से कर की वसूली की अन्तिम स्थिति हमको ज्ञात नहीं करायी गयी है (फरवरी 2013)।

---

[9] स0स0प0का0: अम्बेडकर नगर, बलिया, चन्दौली, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, ललितपुर, महराजगंज, उरई और सन्त कबीर नगर।

[10] स0प0का0: गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, बरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद और बॉदा।

[11] स0स0प0का0: हमीरपुर, उन्नाव, देवरिया, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, बागपत, मथुरा, रामपुर, बलरामपुर, औरैया, कुशीनगर, बिजनौर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, सीतापुर, इटावा, बुलन्दशहर, शाहजहाँपुर, बहराइच, रायबरेली और जौनपुर।

[12] समर्पण रजिस्टर वाहनों की पत्रावलियां, यात्रीकर रजिस्टर और माल कर रजिस्टर।

[13] कराधान अधिकारी: उ0प्र0मो0वा0कराधान नियमावली,1998 के अन्तर्गत अपने क्षेत्र या उपक्षेत्र की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत, स0प0अ0 या स0स0प0अ0 को कराधान अधिकारी पारिभाषित किया गया है।

[14] कर आरोपण की गणना के लिए अवधि अप्रैल 2010 से ली गई क्योंकि नियम अक्टूबर 2009 से प्रभावी हुए थे, इसमें कैलेण्डर वर्ष में समर्पण की तिथि के बाद प्रथम तीन महीने की अवधि छोड़ दी गई हैं।

4.10 वाहनों द्वारा अधिक भार का परिवहन

4.10.1 अधिक भार का परिवहन करने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण

मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अधिनियम) की धारा 113, भार की सीमा और प्रयोग की, जो कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये हैं जो राज्य में संचालित वाहनों के परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में संचालन हेतु शर्तें निर्धारित करता है। धारा 113(3)(ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंजीयन प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट सकल यान से अधिक लदान वाली मोटर यान या ट्रेलर को न चलवायेगा या चलने देगा।

मो0या0अधिनियम की धारा 194(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जो कोई अनुमन्य भार से अधिक के किसी मोटर यान को चलायेगा या मोटरयान का उपयोग करायेगा या किये जाने देगा, वह दो हजार रूपये के लिए प्रभारों का संदाय करने का दायित्व ऐसे अधिक भार के लिए एक हजार रूपये प्रति टन की दर से, अतिरिक्त धनराशि से दण्डनीय होगा। विभिन्न प्रकार के वाहनों द्वारा परिवहन किये जाने वाले उपखनिजों को भार की अधिकतम सीमा का निर्धारण, परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत पंजीयन पत्र से वाहनों का लदान भार निम्न रूप से निर्धारित किया गया है:

(भार टन में)

क्र0 सं0	उपखनिज	दो पहिया ट्रैक्टर (भार टन में)	चार पहिया ट्रैक्टर	छः पहिया ट्रैक्टर	10 पहिया ट्रक
1.	साधारण बालू	3.00	5.25	13	19
2.	मोरम	3.00	5.25	13	19
3.	साधारण मिट्टी	3.00	5.25	13	19

हमने जुलाई 2011 और मार्च 2012 के दौरान एक स0प0का0[15] और 10 स0स0प0का0[16] के अभिलेखों[17] और सम्बन्धित जिला खान कार्यालयों द्वारा उपखनिजों[18] को परिवहन करने हेतु निर्गत एम0एम–11 की जाँच की और देखा कि अप्रैल 2008 से जनवरी 2012 के मध्य विभिन्न श्रेणी के वाहनों द्वारा 2,113 मामलों में उपखनिज बालू और साधारण मिट्टी का परिवहन किया गया था।

इन सभी मामलों में वाहनों के पंजीयन प्रमाण–पत्र में दी गयी अनुमन्य भार से अधिक भार[19] का परिवहन किया गया जैसा कि निर्गत एम0एम0–11[20] फार्म में उल्लिखित था। अतः ये सभी वाहन मो0या0अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के अन्तर्गत कार्यवाही के योग्य थे।

हमने सम्बन्धित स0प0का0/स0स0प0का0 की प्रशमन पुस्तिका, अपराध या जब्ती रजिस्टर की जाँच के बाद पाया कि ये वाहन ओवरलोडेड पाये जाने तथा अधिक भार को उतरवाने के प्रभार देय होने के रूप में अंकित नहीं थे। स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने इन वाहनों को रोकने और अनुमन्य भार से अधिक ढोने के कारण दण्डित करने की कोई कार्यवाही नहीं की।

---

15 स0प0का0: लखनऊ।

16 स0स0प0का0: रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, बलरामपुर, औरैया, हरदोई, ललितपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और सन्त कबीर नगर।

17 प्रशमन पुस्तिका, अपराध और जब्ती रजिस्टर।

18 बालू और साधारण मिट्टी।

19 आयतन को भार में परिवर्तनः बालू/मोरमः 1 घनमीटर = 2 टन। साधारण मिट्टीः 1 घनमीटर =1 घनमीटर = 1.70 टन।

20 खनन पट्टा या परमिट या सम्भावित लाइसेंन्स, जैसा भी हो, उसके धारक द्वारा निर्गत परिवहन पास।

अधिक भार लदे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता है। इन वाहनों पर ₹ 2.04 करोड़ की शास्ति आरोपणीय थी जैसा कि परिशिष्ट– **XII** में वर्णित है।

हमारे द्वारा इसे विभाग/शासन को इंगित (अक्टूबर 2011 और अप्रैल 2012 के मध्य) किये जाने के पश्चात विभाग ने नवम्बर 2012 में सम्बन्धित स0प0का0/स0स0प0का0 के उत्तरों को अग्रसारित किया कि प्रवर्तन दलों द्वारा ये वाहन सड़क पर संचालित नहीं पाये गये, अतः कोई हानि नहीं है। उत्तर स्वयं दर्शाता है कि विभाग द्वारा इन अधिक भार ढोने वाले वाहनों को पकड़ने और मो0या0 अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने में कमी रही। सम्बन्धित जिला खान कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वाहन में सीमा से अधिक भार लदा था।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग इसे जिला खान कार्यालयों से सत्यापन करने का तन्त्र विकसित करे और मो0या0 अधिनियम के उल्लंघन के कारण इन अधिक भार ढोने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करे।

4.10.2 अधिक भार की गलत गणना के कारण शास्ति का कम आरोपण

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 1844/एम–5 दिनांक 16 फरवरी 2004 के अनुसार उपखनिज मोरम तथा गिट्टी का एक घन मीटर आयतंन क्रमशः दो टन तथा 1.70 टन भार के समतुल्य होगा। पुनश्च, मो0या0 अधिनियम की धारा 194(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जो कोई भी अनुमन्य भार से अधिक भार के किसी मोटर यान को चलायेगा, चलवायेगा या चलने देगा, वह दो हजार रूपये के न्यूनतम जुर्माने और लदान सीमा से अधिक लदे भार को उतरवाने के लिए देय प्रभारों का संदाय करने के दायित्व के साथ ऐसे अधिक भार के लिए एक हजार रूपये प्रति टन की दर से अतिरिक्त धनराशि से दण्डनीय होगा।

हमने जनवरी 2012 में स0स0प0का0 फतेहपुर के अभिलेखों[21] की जाँच की और देखा कि जनवरी 2011 से जून 2011 की अवधि के दौरान 135 वाहन जो उपखनिज मोरम तथा गिट्टी का परिवहन कर रहे थे, अधिक भार ढोने के कारण प्रशमित किये गये थे। हमने देखा कि मोरम और गिट्टी के भार की गणना गलत[22] हुई थी क्योंकि सही कनवर्जन फेक्टर जो मोरम और गिट्टी के लिए क्रमशः 2 टन और 1.70 टन प्रति घनमीटर था, का प्रयोग नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 10.16 लाख की शास्ति का कम आरोपण/वसूल हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित (फरवरी 2012) किये जाने के पश्चात विभाग ने हमारे बिन्दु को स्वीकार किया और अगस्त 2012 में बताया कि प्रशमन शुल्क के अन्तर की धनराशि की वसूली के लिए नोटिसें निर्गत की जा चुकी हैं। वसूली प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

---

[21] प्रशमन पुस्तिका, अपराध और जब्ती रजिस्टर, प्रशमन की पत्रावलियां, रसीदबुक और कैश बुक।

[22] स0स0प0अ0 ने 2 और 1.70 टन प्रति घन मीटर के स्थान पर 1.5 टन प्रति घन मीटर का प्रयोग गणना में किया।

4.11 बकाये की वसूली हेतु नियन्त्रण एवं क्रियाविधि का अभाव

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा। पुनश्च, कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के बकाये के लिए जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति भी निहित रहेगें, वाहन स्वामियों या संचालकों को निर्धारित प्रारूप में मांगपत्र जारी करेगा।

यदि देयको का भुगतान वाहन के जब्त या रोके जाने की तिथि से 45 दिन के अन्दर नहीं होता, तो धारा 22 कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह इन वाहनों को जब्त एवं रोक कर, इनसे देयको की वसूली नीलामी द्वारा करे।

हमने फरवरी 2011 और दिसम्बर 2011 के मध्य दो स0प0का0[23] और पाँच स0स0प0का0[24] के अभिलेखों[25] की जाँच की और पाया कि 2,220 मामलों में जिनके लिए वर्ष 2002 से 2011 की अवधि के दौरान वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे, ₹ 8.32 करोड़ का कर/अतिरिक्त कर बकाया था। अवशेष देयकों की वसूली नहीं हो सकी थी। पत्रावलियों में राजस्व अधिकारियों द्वारा इन बकाये वसूली प्रमाण–पत्रों के विरूद्ध वसूली हेतु नियमित अनुश्रवण का कोई प्रमाण दिखाई नहीं पड़ा। जिले के कराधान अधिकारी ने उन वाहन स्वामियों के विरूद्ध जो अपने देयकों के प्रति दोषी थे, धारा–22 के अन्तर्गत वाहनों की जब्ती आदि की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। नियमों में वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु कोई समयबद्ध व्यवस्था नहीं थी और विभाग के पास भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे प्रमाण–पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्गत करने हेतु निगरानी किया जा सके। राजस्व के देय होने के तीन माह से 17 वर्ष की अवधि के पश्चात वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे। नियन्त्रण क्रियाविधि के अभाव के फलस्वरूप ₹ 8.32 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हो पाई जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	निर्गत प्रमाण पत्रों की संख्या	प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि (₹ लाख में)	प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में लगा समय
1.	स0प0का0, फैजाबाद	914	189.04	10 माह से 17 वर्ष
2.	स0प0का0, गोरखपुर	490	205.63	7 माह से 12 वर्ष
3.	स0स0प0का0, कुशीनगर	293	313.94	5 माह से 10 वर्ष
4.	स0स0प0का0, महाराजगंज	48	23.23	3 माह से 8 वर्ष
5.	स0स0प0का0, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	200	17.73	अंकित नहीं
6.	स0स0प0का0, शाहजहॉपुर	33	10.57	1 वर्ष से 8 वर्ष
7.	स0स0प0का0, सिद्धार्थनगर	242	71.76	अंकित नहीं
योग		**2,220**	**831.90**	

हमारे द्वारा इसे इंगित (जुलाई 2011 और जनवरी 2012 के मध्य) किये जाने के पश्चात विभाग ने नवम्बर 2012 में उत्तर दिया कि तीन स0स0प0का0[26] में कुल 568 माामलों में से 36 मामलों में ₹ 8.76 लाख की वसूली हो गई और आगे की कार्यवाही के प्रति सहमति दी। अन्य जिलों से सम्बन्धित उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2013)।

---

[23] कर रजिस्टर, बकाया रजिस्टर, वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत रजिस्टर और वाहनों की पत्रावलियां।

[24] स0प0अ0: गोरखपुर और फैजाबाद।

[25] स0स0प0का0: कुशीनगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, रमाबाई नगर (कानपुर देहात) और महराजगंज।

[26] स0स0प0का0: कुशीनगर, शाहजहाँपुर और सिद्धार्थनगर।

4.12 कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर जो वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे, पर कर तथा अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) के अन्तर्गत कोई भी वाहन उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जिसने अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर का भुगतान न कर दिया हो। वाणिज्यिक उद्देश्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर पर प्रत्येक मीट्रिक टन लदान रहित भार या उसके भाग पर ₹ 500 प्रति त्रैमास या ₹ 1800 वार्षिक की दर से कर देय है। अग्रेतर, मोटरयान अधिनियम, 1998 की धारा 192–अ के अनुसार जो कोई धारा–66 की उपधारा (1) के प्रावधानों के विपरीत अथवा उस उद्देश्य जिसके लिए वाहन का प्रयोग किया जा सकता है, से सम्बन्धित परमिट की किसी शर्त के विपरीत किसी मोटरयान को चलाता है, चलवाता है अथवा चलाने देता है, उस पर प्रथम अभियोग के लिए ₹ 2500 जिसे बढ़ाकर दिनांक 25 अगस्त 2010 से ₹ 4000 कर दिया गया है (उत्तर प्रदेश शासन की दिनांक 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना संख्या 1452/30–4–10–172/89) का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

हमने जुलाई 2011 से मार्च 2012 के मध्य एक स0प0का0[27] तथा 11 स0स0प0का0[28] के अभिलेखों[29] की जाँच की और पाया कि अप्रैल 2008 से जनवरी 2012 की अवधि के दौरान 533 मामलों में कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर उप खनिजों (बालू और मिट्टी) को परिवहन करके वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे। इस तथ्य की पुष्टि सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों द्वारा निर्गत एम0एम0 11 से हुई थी। विभाग ने वाणिज्यिक रूप में प्रयुक्त इन वाहनों से कर के आरोपण एवं वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की और न ही इन पर नियम के उल्लंघन के लिए कोई आवश्यक अर्थदण्ड लगाया। इस कारण ₹ 29.05 लाख[30] की राजस्व क्षति हुई जैसा कि **परिशिष्ट–XIII** में दिया गया है।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2012 के मध्य) के पश्चात विभाग ने स0प0का0/स0स0प0का0 के उत्तरों को प्रेषित किया ((नवम्बर 2012) जिसमें बताया गया कि दो स0प0का0/स0स0प0का0 द्वारा निर्गत की गई नोटिस के विरूद्ध 25 वाहनों के मामले में ₹ 1 लाख की वसूली की जा चुकी है। अन्य इकाइयों ने बताया कि इन वाहनों का चालान न होने के कारण अर्थदण्ड का आरोपण/वसूली नहीं हो पाई।

इकाइयों का उत्तर कि इन वाहनों के चालान न होने के कारण प्रशमन शुल्क की वसूली नहीं हो सकती, प्रदर्शित करता है विभाग ने इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया कि ये वाहन स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक गतिविधियों[31] में संलिप्त थे और इसलिए तद्नुसार उनका पंजीकरण होना चाहिए था।

---

[27] स0प0का0: इलाहाबाद।

[28] स0स0प0का0: मथुरा,उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, लखनऊ, औरैया, रामपुर, मैनुपरी, सिद्धार्थनगर,सन्त कबीर नगर और श्रावस्ती।

[29] पंजीयन रजिस्टर, कर रजिस्टर और प्रशमन पुस्तिका एवं अपराध और जब्ती रजिस्टर।

[30] कर ₹ 5.33 लाख और अर्थदण्ड ₹ 23.72 लाख ।

[31] जिला खान अधिकारियों के कार्यालय से उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार।

4.13 स्कूल वाहनों पर परमिट शुल्क का वसूल न किया जाना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 27/2000 के सन्दर्भ में वर्ष 2000 में यथासंशोधित उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी शिक्षण संस्था अपने छात्रों के परिवहन हेतु बिना समुचित परमिट के वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली (31 दिसम्बर 2010 को यथासंशोधित) का नियम 125 नये परमिट के निर्गमन, उसके नवीनीकरण तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु ₹ 3,750 प्रावधानित करता है।

हमने अगस्त 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य चार स0प0का0[32] तथा आठ स0स0प0का0[33] के अभिलेखों[34] की जाँच की और पाया कि जनवरी 2010 से फरवरी 2012 की अवधि में 421 स्कूल वाहन क्षेत्रों में बिना परमिट के संचालित हो रहे थे। फलस्वरूप ₹ 15.79 लाख की परमिट फीस की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित करने (नवम्बर 2011 और अप्रैल 2012) के पश्चात विभाग ने नवम्बर 2012 में बताया कि 108 वाहनों से परमिट फीस के ₹ 4.38 लाख वसूल किये जा चुके है और दूसरे प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। वसूली की आगे की स्थिति प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

4.14 विलम्ब से पंजीकृत होने वाले वाहनों से शास्ति की न/कम वसूली होना

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 9(एल)(1) के अनुसार, निजी वाहनों के पंजीकरण के लिये कर का भुगतान वाहनों के पंजीकरण के समय मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत किया जायेगा।
धारा 9(3) के अनुसार जहाँ किसी मोटरयान से सम्बन्धित कर या अतिरिक्त कर का उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया गया है, कर या अतिरिक्त कर के अलावा शास्ति, ऐसे दर से जो देय धनराशि से अधिक न हो, जैसा निर्धारित हो, देय होगी।
पुनश्च, उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 24 के अनुसार जहाँ किसी मोटरयान का कर या अतिरिक्त कर धारा (9) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया गया है, देय कर या अतिरिक्त कर के 5 प्रतिशत की दर से प्रति माह या उसके भाग के लिए शास्ति देय होगी।
धारा 43 के अनुसार वाहन का अस्थाई पंजीकरण एक माह से अधिक के लिए वैध नहीं होगा और उसका नवीनीकरण नहीं होगा सिवाय मोटरयान जो पंजीकृत है, एक चेसिस है जिसकी बाडी जुड़ी नहीं है और जो किसी वर्कशाप में एक माह की अवधि से अधिक रूकी पड़ी है।

हमने नवम्बर 2011 तथा अप्रैल 2012 के मध्य दो स0स0प0का0[35] के अभिलेखों[36] की जाँच की और पाया कि नवम्बर 2010 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान सम्बन्धित स0स0प0का0 में 173 निजी वाहन पंजीकरण हेतु लाये गये थे। इनका पंजीकरण उनके क्रय के दिनांक से एक से 98 महीने के पश्चात हुआ। परिवहन अधिकारी इसे पकड़ने तथा विलम्बित एक मुश्त कर के भुगतान पर देय ₹ 7.99 लाख की शास्ति आरोपित/वसूल करने में असफल रहे। इसके फलस्वरूप ₹ 7.99 लाख[37] का राजस्व कम/न वसूल हो पाया।

---

[32] स0प0का0: सहारनपुर, इलाहाबाद, आगरा और बॉदा।
[33] स0स0प0का0:रायबरेली, एटा, औरैया, उन्नाव, बागपत, फतेहपुर, शाहजहाँपुर और प्रतापगढ़।
[34] वाहनों की पत्रावलियां, परमिट रजिस्टर और वाहनों के डाटाबेस।
[35] स0स0प0का0: चन्दौली और बहराइच।
[36] कर रजिस्टर, वाहनों की पत्रावलियां और वाहनों का डाटाबेस, रसीद बुक और कैश बुक।
[37] अस्थाई पंजीयन की वैधता अवधि (क्रय की दिनांक से एक माह) का लाभ देते हुए संगणित।

हमारे द्वारा इसे इंगित (दिसम्बर 2011 से मई 2012) करने के पश्चात विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक 09 जून 2011 को जारी अनुदेश के अनुसार अस्थाई पंजीयन में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड की वसूली स्थाई पंजीयन के समय कर लेनी चाहिए।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम–24 के अनुसार विलम्ब से पंजीकरण के लिए अर्थदण्ड का आरोपण/वसूली वाहन के स्थाई पंजीयन के समय करना था और परिवहन आयुक्त का दिनांक 09 जून 2011 का आदेश इसे स्पष्ट करता है।

4.15 राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र का नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण राजस्व क्षति

भारत सरकार की अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 386–ई0 दिनांक 7 मई 2010 द्वारा नये राष्ट्रीय परमिट प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में संशोधन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र प्राप्त हेतु ₹ 15,000 वार्षिक एक समेकित फीस तथा अधिकार पत्र के नवीनीकरण के हेतु ₹ 1,000 को शासन के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।
परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2000 को निर्गत किये गये आदेश के अनुसार यदि राष्ट्रीय परमिट का नवीनीकरण उसकी वैधता अवधि की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर नहीं किया जाता तो मो0या0अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत परमिट निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

हमने जुलाई 2011 और मार्च 2012 के मध्य तीन स0प0अ0[38] के कार्यालयों के अभिलेखों[39] की लेखापरीक्षा की और पाया कि नवम्बर 2010 से फरवरी 2012 की अवधि में 73 माल वाहन परमिट की वैधता अवधि पूर्ण होने के बाद भी बिना राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र का नवीनीकरण कराये संचालित हो रहे थे। फलस्वरूप नवीनीकरण तथा समेकित फीस के ₹ 11.68 लाख की वसूली नहीं हुई और इन वाहनों का अनाधिकृत संचालन भी होता रहा। विभाग ने भी परिवहन आयुक्त द्वारा फरवरी 2000 में निर्गत आदेश के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात (अक्टूबर 2011 और अप्रैल 2012) विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि 15 वाहनों के परमिट निरस्त कर दिये गये हैं, 10 परमिटों का नवीनीकरण फीस लेकर किया जा चुका है और 30 अन्य प्रकरणों में नोटिस निर्गत कर दिये गये हैं। अन्य प्रकरणों में कार्यवाही[40] प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

---

[38] स0प0का0: इलाहाबाद, लखनऊ और बांदा।
[39] वाहनों की पत्रावलियां, परमिट रजिस्टर, रसीद बुक और कैश बुक।
[40] मो0वा0 अधिनियम,1988 की धारा–86 के अन्तर्गत प्रावधानित।

4.16 वाहनों के बिना स्वस्थता प्रमाण–पत्र के संचालन के कारण हानि

मो0या0 अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये के0मो0या0 नियमावली के अन्तर्गत कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसे स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी न कर दिया जाय। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है। इसके पश्चात हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों का स्वस्थता प्रमाण–पत्र क्रमशः ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 तथा ₹ 100 स्वस्थता जॉच की फीस का भुगतान करने पर जारी किया जाता है। विलम्ब की स्थिति में निर्धारित फीस के समतुल्य अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। बिना स्वस्थता प्रमाण–पत्र के संचालित वाहन मो0या0 अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 2,500 प्रति अपराध की दर से शमनीय है।

हमने पाँच स0प0का0[41] एवं 24 स0स0प0का0[42] के अभिलेखों[43] का परीक्षण किया और देखा कि फरवरी 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य 16,285 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण–पत्र के संचालित थे और केवल देय कर का भुगतान किया गया था। विभाग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि देय कर स्वीकार करने के समय वैध स्वस्थता प्रमाण–पत्र है। ऐसे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता है। ऐसे वाहनों पर ₹ 1.03 करोड़ का स्वस्थता शुल्क तथा ₹ 4.07 करोड़ शास्ति के रूप में आरोपणीय था।

हमारे द्वारा इसे इंगित करने के पश्चात विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2012) कि 21 स0प0का0/स0स0प0का0 के 2,735 प्रकरणों में ₹ 13.97 लाख की वसूली की जा चुकी है और शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है (फरवरी 2013)।

4.17 वेतन एवं भत्तों पर अनुत्पादक व्यय

हमने अप्रैल 2011 में कार्यालय सहायक सम्भागीय अधिकारी महराजगंज के अभिलेखों[44] की जॉच में देखा और पाया कि कार्यालय में कोई भी वाहन जनपद में कार्यालय की स्थापना के समय से ही उपलब्ध नहीं था। विभाग ने सितम्बर 2007 में एक ड्राइवर की तैनाती अन्य कार्यालय से स्थानान्तरित करके कार्यालय स0स0प0का0 महराजगंज में कर दिया। सितम्बर 2007 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान बिना कोई काम किये उसके वेतन एवं भत्तों पर ₹ 6.29 लाख का व्यय किया गया।

इस प्रकार, कार्यालय में किसी वाहन के न होने के बावजूद ड्राइवर के वेतन एवं भत्तों पर किया गया व्यय अनुत्पादक रहा।

हमने अगस्त 2011 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया। अभी तक हमको कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2013)।

---

[41] स0प0का0: कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, झाँसी और लखनऊ।

[42] स0स0प0का0: अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, महोबा, हरदोई, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मथुरा, बागपत, बिजनौर, कुशीनगर, मैनपुरी, ललितपुर, कन्नौज, फतेहपुर, महराजगंज, चित्रकूट, शाहजहापुर, इटावा, देवरिया, रायबरेली और बहराइच।

[43] कर रजिस्टर, वाहनों की पत्रावलियां, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बुक और कैश बुक।

[44] परिसम्पत्तियां एवं डेड स्टाफ रजिस्टर, स्थानान्तरण तथा नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावलियां, वेतन बिल रजिस्टर और कोषागार विवरण।

अध्याय-V
स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

5.1 कर प्रशासन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा0स्टा0 अधिनियम) 1899, भारतीय निबन्धन अधिनियम (भा0नि0 अधिनियम) 1908, उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (स्टा0स0मू0) नियमावली, 1997 तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं परिपत्रों के अन्तर्गत राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस से प्राप्तियाँ विनियमित की जाती हैं। विलेखों के निष्पादन पर निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। स्टाम्प शुल्क का अपवंचन, सामान्यतः सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन, विलेखों को निबन्धन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत न किए जाने तथा निष्पादनकर्ताओं द्वारा निबन्धन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के कम/न भुगतान किए जाने के कारण होता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण और अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0) विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं तथा विभाग के कार्यान्वयन पर समग्र पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण का संचालन करते हैं। उनकी सहायता एक अपर महानिरीक्षक (अ0म0नि0), मण्डल स्तर पर 24 उप महानिरीक्षक (उ0म0नि0), जिला स्तर पर 96 सहायक महानिरीक्षक (स0म0नि0) तथा जिला एवं तहसील स्तर पर 354 उप निबन्धक (उ0नि0) करते हैं।

5.2 संग्रह की लागत

वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन फीस से प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ ही साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	कुल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष की संग्रह लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	2009–10	4,562.23	120.73	2.65	2.77
	2010–11	5,974.66	145.46	2.43	2.47
	2011–12	7,694.40	149.10	1.94	1.60

स्रोत: विभिन्न वर्षों के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त तालिका से देख सकते हैं कि स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस की संग्रह की लागत वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में अखिल भारतीय औसत से कम है जबकि वर्ष 2011–12 में यह अधिक था।

5.3 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

5.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस लेखपत्रो के गलत वर्गीकरण, सम्पत्तियों के अवमूल्यन एवं अन्य अनियमितता के जिसमें ₹ 37.43 करोड़ का राजस्व निहित था, को बताया। विभाग/शासन ने दिसम्बर 2011 तक इनमें से ₹ 49.08 लाख की लेखापरीक्षा

आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें से ₹ 41.48 लाख की वसूली की जा चुकी है। निरीक्षण प्रतिवेदन वार स्वीकृत एवं वसूल की गयी धनराशि का विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	आपत्तिगत धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
2008–09	1074.00	7.73	0.13
2009–10	1496.00	3.56	3.56
2010–11	1173.00	37.79	37.79
योग	**3743.00**	**49.08**	**41.48**

विभाग को स्वीकृत प्रकरणों में सन्निहित धनराशि की वसूली का बिना किसी विलम्ब के प्रयास करना चाहियें।

5.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का अनारोपण/कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं के जिसमें ₹ 15.09 करोड़. का राजस्व निहित था को प्रतिवेदित किया। विभाग ने इनमें से ₹ 6.67 करोड़. की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें से ₹ 10.13 लाख की वसूली की जा चुकी है जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
2008–09	404.68	0.00	0.00
2009–10	68.61	0.00	0.00
2010–11	1036.00	666.91	10.13
योग	**1509.29**	**666.91**	**10.13**

विभाग को स्वीकृत प्रकरणों में सन्निहित धनराशि की वसूली का बिना किसी विलम्ब के प्रयास करना चाहियें।

5.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण/अवनिर्धारण से स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं में निहित ₹ 460.01 करोड़ के 881 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	**स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की कार्यप्रणाली (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)**	1	415.42
2.	विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण	156	5.01
3.	सम्पत्तियों के अवमूल्याकंन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	213	14.59
4.	अन्य अनियमितताएं	511	24.99
योग		**881**	**460.01**

वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 34 मामलों में ₹ 4.64 लाख वसूल किये, जो विगत वर्षों में लेखा परीक्षा द्वारा लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण/अवनिर्धारण से स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं से संबधित थे।

"**स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की कार्यप्रणाली**" विषयक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 415.42 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है।

5.5 "स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की कार्यप्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य अंश

- विक्रय विलेखों पर ₹ 23.13 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस के अनारोपण के फलस्वरुप राजस्व की वसूली न होना।

(प्रस्तर 5.5.12)

- विभिन्न प्रकार के पट्टों पर ₹ 12.48 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस के अनारोपण से हानि।

(प्रस्तर 5.5.16)

- सम्पत्ति के अवमूल्यन से ₹ 19.69 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण।

(प्रस्तर 5.5.19)

- दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण से ₹ 44.79 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण।

(प्रस्तर 5.5.20)

- जिलाधिकारी द्वारा शक्तियों के अनियमित प्रयोग से ₹ 2.81 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की हानि।

(प्रस्तर 5.5.22)

5.5.1 प्रस्तावना

गैर न्यायिक स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति का विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। विभिन्न दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क का आरोपण भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा0स्टा0अधिनियम), 1899 एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम के अनुसार होता है। ऐसे शुल्क का भुगतान दस्तावेजों के निष्पादनकर्ता द्वारा उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर का उपयोग करके या उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर को चिपका करके किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शक्तियों के अधीन अधिनियम के लिए नियम बनाया गया है। इन नियमों को स्टाम्प शुल्क के निर्धारण और सग्रंह के लिए बनाया गया है। भारतीय निबन्धन अधिनियम (भा0नि0अधिनियम), 1908 तथा उसके अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये नियम मोटे तौर पर निबंधन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण की रुप रेखा तैयार करतें है। उपनिबंधक अथवा पंजीयन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है तथा यह देखा जाता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज निर्धारित समय सीमा के अन्दर तथा पर्याप्त रुप से स्टाम्पित हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की प्राप्तियॉ वैट एवं राज्य आबकारी के बाद तीसरा सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है। विभाग का राजस्व वर्ष 1997–98 के ₹ 972.70 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 5974.66 करोड़ हो गया था। यह राजस्व की बढ़ोत्तरी ही इस निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्पन्न करने का मुख्य कारण है।

5.5.2 संगठनात्मक ढॉचा

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक निबन्धन/संयुक्त सचिव, राजस्व परिषद विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं (म0नि0नि0) तथा विभाग के कार्यान्वयन पर समग्र पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण का संचालन करते हैं। उनकी सहायता हेतु चार अपर

महानिरीक्षक (अ0म0नि0), मण्डल स्तर पर 24 उप महानिरीक्षक (उ0म0नि0), जिला स्तर पर 96 सहायक महानिरीक्षक (स0म0नि0), 72 जिला स्टाम्प अधिकारी/जिला निबंधक तथा तहसील स्तरों पर 354 उप निबन्धक (उ0नि0) कार्यरत हैं। उपनिबंधक कार्यालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी प्रकार के निबंधन के कार्य होते हैं एवं जहाँ पर आम जनता से अधिकतम अन्तराफलक होता है।

5.5.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पन्न की गई कि :

- क्या निर्धारित अधिनियमों, नियमों, परिपत्रों एवं शासन तथा विभाग द्वारा जारी आदेशों तथा प्रक्रिया के अनुसार निबन्धन प्राधिकारियों द्वारा स्टाम्प शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण सम्बन्धी अपने कर्तव्यों का निर्वहन, किया जा रहा है;
- स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस के आरोपण एवं उद्ग्रहण हेतु समुचित आंतरिक नियंत्रण तंत्र अस्तित्व में है; और
- विभाग में ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा निबंधन कार्यालय में अप्रस्तुत अभिलेखों की जाँच हो सके।

5.5.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निम्नलिखित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी:

- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899;
- भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908;
- उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997;
- उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973;
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976;
- उत्तर प्रदेश जंमीदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950;
- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र एवं आदेश।

अधिनियमों, नियमों एवं आदेशों के प्रावधानों का उल्लेख सम्बन्धित प्रस्तरों में किया गया है।

5.5.5 नमूना चयन एवं लेखापरीक्षा पद्धति

प्रदेश के 72 जनपदों में से 24 जिलो[1] के 58 उपनिबंधक कार्यालयों[2] का चयन जनपद के प्राप्त राजस्व के स्तरीकृत सांख्यिकीय नमूना[3] के आधार पर किया गया। इसके अतिरिक्त महानिरीक्षक (निबंधन), सहायक महानिरीक्षक निबंधन, जिला निबंधक, जिला

---

[1] आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, बस्ती. बुलन्दशहर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्व नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झॉसी, जे पी नगर, कन्नौज, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर, सहारनपुर एवं वाराणसी।

[2] आगरा (5), अलीगढ (3), इलाहाबाद (2), बाराबंकी (1), बस्ती (1). बुलन्दशहर (2), चित्रकूट (1), एटा (1), इटावा (1), फिरोजाबाद (2), गौतम बुद्व नगर (4), गाजियाबाद (5), गोरखपुर (2), झॉसी (2), जे पी नगर (1), कन्नौज (1), कानपुर नगर (3), लखनऊ (5), मथुरा (2), मेरठ (4), मुरादाबाद (2), मुज्जफरनगर (2), सहारनपुर (3) एवं वाराणसी (3)।

[3] **अत्याधिक जोखिम** : (100 प्रतिशत चयन): ऐसे जिले जहॉ के वार्षिक राजस्व प्राप्ति ₹ 125 करोड़ से अधिक है।

मध्यम जोखिम : (30 प्रतिशत चयन): ऐसे जिले जहॉ के वार्षिक राजस्व प्राप्ति ₹ 25 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 125 करोड से कम है।

लघु जोखिम : (10 प्रतिशत चयन): ऐसे जिले जहॉ के वार्षिक राजस्व प्राप्ति ₹ 25 करोड़ से कम है।

स्टाम्प अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अड्डों, रेलवे स्टेशन, सिंचाई विभाग, अप्रत्यक्ष कर का लेखा परीक्षा समन्वय, बैंक, ए टी एम इत्यादि से भी सूचना का संग्रहण किया गया। जुलाई 2011 से अप्रैल 2012 की अवधि में 2008–09 से 2011–12 के अभिलेखों के निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्य किया गया। स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान पाये गयें प्रकरणों जो कि विगत वर्षो के प्रतिवेदन में सम्मिलित नही हैं को भी सम्मिलित किया गया।

"स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की कार्यप्रणाली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई जिसमें कई प्रक्रियात्मक तथा अनुपालन सम्बन्धी कमियाँ पाई गईं जो आगे के प्रस्तरों में वर्णित हैं।

5.5.6 प्राप्तियों का रुझान

5.5.6.1 राजस्व की स्थिति

वर्ष 2008–09 से 2011–12 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उदग्रहित कर राजस्व एवं स्टाम्प तथा निबंधन विभाग द्वारा उदग्रहित हिस्से का विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	कर राजस्व	28,658.97	33,877.60	41,355.00	52,613.43
2	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	4,138.27	4,562.23	5,974.66	7,694.40
3	विगत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत में वृद्वि	4.06	10.24	30.96	28.78
4	1 के सापेक्ष 2 का प्रतिशत	14.44	13.47	14.45	14.62

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह देखा गया यद्यपि कि स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस में विगत वर्षो से क्रमिक वृद्वि हुयी थी परन्तु वर्ष 2008–09 की 4.06 प्रतिशत की गति के विरुद्व वर्ष 2011–12 में गति 28.78 प्रतिशत रही। कुल कर राजस्व के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस में सीमान्त उतार चढ़ाव पाया गया।

5.5.6.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के प्रावधान के अनुसार बजट बनाने में बजट का उद्देश्य वास्तविक प्राप्तियों एवं अनुमानित प्राप्तियों में यथासम्भव निकटता होनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि बजट अनुमान में न केवल राजस्व एवं प्राप्तियों की सभी मदें होनी चाहिए बल्कि पिछले वर्षों के संग्रह हेतु यदि कोई बकाया हो तो उसको भी सम्मिलित करना चाहिए।

मुख्य लेखा शीर्ष 0030–स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस–गैर न्यायिक स्टाम्प से प्राप्ति के अन्तर्गत निर्धारित राजस्व संग्रह का लक्ष्य एवं वास्तविक प्राप्ति का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर कम (-)/ अधिक (+)	अन्तर का प्रतिशत (कालम 2 से 3)
2008–09	4600	4,138.27	(–) 461.73	(–) 10.04
2009–10	4800	4,562.23	(–) 237.77	(–) 4.95
2010–11	5000	5,974.66	(+) 974.66	(+) 19.49
2011–12	6612	7,694.40	(+) 1082.40	(+) 16.37

स्रोत: विभिन्न वर्षों के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

यह देखा गया कि बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य का अन्तर क्रमशः (–) 10.04 और 19.49 प्रतिशत रहा।

विभाग ने बताया कि ऐसी गिरावट एवं वृद्वि की निगरानी के लिए कोई प्रणाली अस्तित्व में नही है।

हम अनुशंसा करते है कि विभाग बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार बजट अनुमान तैयार करे एवं अन्तर के कारणों की जॉच करे।

5.5.6.3 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को ₹ 331.44 करोड़ राजस्व का बकाया था। पाँच वर्ष से अधिक पुराने बकाये का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नही था। वर्ष 2008–09 से 2011–12 की अवधि के राजस्व बकाया की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया राशि का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान बकाये की अभिवृद्वि	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाया राशि का अन्तिम अवशेष
2008–09	213.24	448.88	109.07	553.05
2009–10	553.05	171.65	129.87	594.83
2010–11	594.83	(–) 3.03	132.16	459.64
2011–12	459.64	(–) 2.33	125.87	331.44

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

हमने पाया कि 31 मार्च 2012 को स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस के मद में ₹ 331.44 करोड़ राजस्व का बकाया था। इसमें से ₹ 262.46 करोड़ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित है एवं शेष ₹ 68.98 करोड़ की राशि वसूली जानी शेष थी। हालांकि इन बकायों के प्रकरणों की कुल संख्या का विवरण विभाग उपलब्ध करानें में विफल रहा।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए उचित कदम उठाने पर विचार करे।

5.5.7 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाओं तथा अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग निबन्धन विभाग के सहयोग के लिये आभार प्रकट करता है। विभाग के साथ एक प्रारम्भिक वैचारिक बैठक 04 अगस्त 2011 को आयोजित की गयी जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्पन्न किए जाने हेतु कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श किया गया। विभाग की तरफ से महानिरीक्षक निबंधन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। निष्पादन लेखापरीक्षा का आलेख प्रतिवेदन, विभाग एवं शासन को (जून 2012) प्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा उपलब्धियों पर समापन विचार गोष्ठी शासन तथा विभाग से दो चरणों में क्रमशः 19 जुलाई 2012 एवं 27 जुलाई 2012 को आयोजित की गयी जिसमें शासन की तरफ से सचिव कर एवं निबंधन तथा विभाग की तरफ से महानिरीक्षक निबंधन एवं अन्य अधिकारीगण शामिल थे।

समापन विचार गोष्ठी एवं अन्य समय पर विभाग से प्राप्त उत्तरों को सम्बन्धित प्रस्तरों में समुचित ढगं से शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

प्रक्रियात्मक अनियमिततायें

5.5.8 आन्तरिक निरीक्षण

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 20 अगस्त 2008 के अनुसार सहायक महानिरीक्षक निबंधन एवं उप महानिरीक्षक निबंधन द्वारा उपनिबंधक कार्यालयों के निरीक्षण के नियतकाल को निर्धारित किया गया था। जिसकी अवधि चार महीने से छः महीने के बीच थी।

विभाग के उपयुक्त एवं प्रभावी परिचालन तथा त्रुटियों के यथासमय पता लगाने एवं उनकी निरन्तरता रोकने के लिए निरीक्षण, आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है।

हमने 58 उपनिबंधकों[4] के अभिलेखों[5] की 2008–09 (सितम्बर 2008) से 2011–12 की अवधि की जाँच की तथा 47 उपनिबंधक कार्यालयों में पाया कि सहायक महानिरीक्षक(निबंधन) के स्तर पर 62 प्रतिशत एवं 46 उपनिबंधक कार्यालयों में पाया कि उप महानिरीक्षक(निबंधन) के स्तर पर 69 प्रतिशत की कमी निर्धारित लक्ष्य के विपरीत पायी गयी। जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	अधिकारी की श्रेणी	निरीक्षणों की संख्या			
		लक्ष्य	किया गया	कमी	कमी का प्रतिशत
1.	उप महानिरीक्षक (निबंधन)	318	97	221	69.49
2.	सहायक महानिरीक्षक (निबंधन)	482	184	298	61.83
	योग	**800**	**281**	**519**	**64.88**

इन वर्षों में विभिन्न स्तरों पर निरीक्षणों में कमी 62 प्रतिशत से 69 प्रतिशत के मध्य रही। अधिकतम कमी उप महानिरीक्षक (निबंधन) के स्तर पर रही। इसके विपरीत 11 सहायक महानिरीक्षक (निबंधन)[6] एवं 10 उप महानिरीक्षक (निबंधन)[7] द्वारा अपने लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक निरीक्षण किया गया तथा दो उप महानिरीक्षक (निबंधन)[8] द्वारा अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा किया गया। निर्धारित मानकों और निरीक्षण की प्रगति के अनुश्रवण के पालन हेतु विवरण के रूप में कोई प्रणाली न तो शासन स्तर पर और न ही विभागीय स्तर पर विकसित की गयी है। हमनें पाया कि महानिरीक्षक (निबंधन) के स्तर पर निरीक्षण हेतु किसी भी प्रकार के किसी भी मानक का निर्धारण नही हुआ है। हमनें आगे पाया कि स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के किसी अधिकारी के द्वारा जिला स्टाम्प अधिकारी के कार्यालय[9] के निरीक्षण का कोई मानक निर्धारित नही है। इसके

---

[4] आगरा (उनि 1, 2, 3, 4, 5), अलीगढ (उनि 1, 2, 3), इलाहाबाद (उनि 1, 2), बाराबंकी (उनि सदर), बस्ती (उनि सदर). बुलन्दशहर (उनि 1, 2), चित्रकूट (उनि सदर), एटा (उनि सदर), इटावा (उनि सदर), फिरोजाबाद (उनि 1, 2), गौतम बुद्व नगर (उनि सदर, नोएडा 1, 2, 3), गाजियाबाद (उनि 1, 2, 3, 4, 5), गोरखपुर (उनि 1, 2), झॉसी (उनि 1, 2), जे पी नगर (उनि सदर), कन्नौज (उनि सदर), कानपुर नगर (उनि 1, 2, 3), लखनऊ (उनि 1, 2, 3, 4, 5), मथुरा (उनि 1, 2), मेरठ (उनि 1, 2, 3, 4), मुरादाबाद (उनि 1, 2), मुज्जफरनगर (उनि 1, 2), सहारनपुर (उनि 1,2,3) एवं वाराणसी (उनि 1, 2, 4)।

[5] निरीक्षण अभिलेख।

[6] अलीगढ (उनि 1,2,3), इलाहाबाद (उनि 1), एटा (उनि सदर), फिरोजाबाद (उनि 1), गौतम बुद्व नगर (उनि 3), झॉसी (उनि 1,2), मेरठ (उनि 3),एवं वाराणसी (उनि 2)।

[7] अलीगढ (उनि 1,3),एटा (उनि सदर), इटावा (उनि सदर) गौतम बुद्व नगर (उनि 3),झॉसी (उनि 1) कानपुर (उनि 1,2) मथुरा (उनि ,2) मेरठ (उनि 4)।

[8] मेरठ (उनि 2) एवं सहारनपुर (उ नि 1)।

[9] जिला स्टाम्प अधिकारीः अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जो कि स्टाम्प वादों एवं स्टाम्पों के विक्रय एवं वापसी का नोडल अधिकारी होता है।

कारण स्टाम्प शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का कम आरोपण एवं स्टाम्प शुल्क के कम भुगतान पर कम अर्थदण्ड का आरोपण जैसे प्रकरणों का पता नही चल पाया। ऐसे प्रकरण जो हमारे द्वारा पाये गये है, को इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.5.26.1 एवं 5.5.26.2 में चर्चा की गयी है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि प्रशासन द्वारा लगाए गये अन्य दायित्यों यथा मध्यान्ह् भोजन के पर्यवेक्षण, अम्बेडकर ग्राम योजना के निर्माण की गुणवत्ता की जाँच इत्यादि के कारण मानक के अनुसार निरीक्षण का कार्य नही किया जा सका। जवाब से हम सहमत नही हैं क्योंकि निरीक्षण का कार्य आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एवं सहायक महानिरीक्षक (निबंधन) एवं उप महानिरीक्षक (निबंधन) की अतिरिक्त जिम्मेदारी के कारण बुनियादी विभागीय कर्तव्य प्रभावित नही होने चाहिये।

5.5.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण तन्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है एवं सामान्य रुप से सभी नियंत्रण पर निगरानी रखनें के रुप में परिभाषित किया जाता है जिससें कि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित प्रणाली अच्छी तरह से कार्य कर रही है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समन्वय का गठन इस विभाग में 26 अप्रैल 1991 को हुआ था। राजस्व परिषद को आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य आंवटित किया गया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य दिनांक 02 मार्च 2009 से समाप्त कर दिया गया था एवं जुलाई 2008 की सरकारी अधिसूचना[10] द्वारा एक नयी संरचना तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ (टी ए सी) स्थापित की गयी।

हमनें देखा कि राजस्व परिषद द्वारा निष्पादित किये जाने वाले आन्तरिक लेखापरीक्षा के मानक एवं टी ए सी को आंवटित कार्य मुख्य रुप से दो बिन्दुओं पर अलग–अलग है। विभाग में निबंधित लेखपत्रों के पाँच प्रतिशत एवं बड़े लेखपत्रों की नमूना जाँच टी ए सी को निर्धारित है। परन्तु बड़े लेखपत्रों की संख्या निर्धारित नही है। राजस्व परिषद के आन्तरिक लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार विभाग में निबंधित लेखपत्रों के 25 प्रतिशत की जाँच निर्धारित थी।

टी. ए. सी. के समग्र प्रदर्शन का विवरण नीचे दिये गये सारणी में दर्शाया गया है:–

अवधि	तकनीकी लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित इकाइयों की संख्या[11]	तकनीकी लेखा परीक्षा हेतु नियोजित इकाइयों की संख्या[12]	लेखा परीक्षित इकाइयों की वास्तविक संख्या	निर्धारित इकाइयों के सापेक्ष कमी		नियोजित इकाइयों के सापेक्ष कमी	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2008–09	498	281	267	231	46.39	14	4.98
2009–10	498	331	299	199	39.96	32	9.67
2010–11	498	237	228	270	54.22	9	3.80
2011–12	498	250	243	255	51.20	7	2.80
योग	**1992**	**1099**	**1037**	955	39.96 से 54.22	**62**	**2.80 से 9.67**

स्रोत **कालम 2** **शासकीय आदेश के अनुसार निर्धारित मानक**
कालम 3 एवं 4 **विभाग द्वारा नियोजित एवं निष्पादित प्लान के अनुसार**

[10] संख्या 3124/ग्यारह–5–2008–312(27)–2008 दिनांक 11 जुलाई 2008।
[11] 28 अगस्त 2008 को जारी शासनादेश के मानक के अनुसार {संख्या का नि 5–3271/11–2008–312 (127)/2008}
[12] विभाग द्वारा बनाये गये आडिट प्लान के अनुसार।

हमारे द्वारा इस गिरावट को इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना अगस्त 2008 में की गयी है जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी उपनिबंधक कार्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाता है। विभागीय उत्तर तथ्यात्मक रुप से सही नही है। विगत चार वर्षो में 1,992 उपनिबंधक कार्यालयों की लेखापरीक्षा होनी थी परन्तु उसके विरुद्ध मात्र 1,037 उपनिबंधक कार्यालयों की लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी जिसमें 40 से 54 प्रतिशत की गिरावट हुई। आन्तरिक नियंत्रण से समझौता किया गया जो कि हमारे नमूना जाँच में इंगित राजस्व क्षति की कमियों, जिसका उल्लेख अग्रेतर प्रस्तरों में किया गया है, से स्पष्ट होता है।

5.5.10 स्थल निरीक्षण में गिरावट

अगस्त 2008 में सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक माह उपनिबंधक कार्यालय में निष्पादित होने वाले लेखपत्रों के स्थल निरीक्षण हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये हैं:–

क्र0 सं0	पदनाम	दस्तावेज का प्रकार	स्थल निरीक्षणों की संख्या जो होनी थी
1	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)	तद्नुसार महत्वपूर्ण एवं बड़े लेखपत्र	25
2	सहायक महानिरीक्षक (निबंधन)	तद्नुसार महत्वपूर्ण एवं बड़े लेखपत्र	50

हमने 58 उपनिबंधक कार्यालयों[13], 13 सहायक महानिरीक्षक (निबंधन)[14] एवं 10 जिला स्टाम्प अधिकारी के कार्यालयों[15] के स्थल निरीक्षण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया कि निर्धारित 35,075 स्थल निरीक्षण के विरुद्ध मात्र 16,314 स्थल निरीक्षण का कार्य जिला स्टाम्प अधिकारी/सहायक महानिरीक्षक (निबंधन) द्वारा सम्पादित किया गया तथा 18,761 प्रकरण का स्थल निरीक्षण नही हो सका। विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र0 सं0	पदनाम	स्थल निरीक्षणों की संख्या जो निर्धारित थी	आपत्तिगत माहों की संख्या	2008–09 से 2011–12 की अवधि में स्थल निरीक्षणों की कुल संख्या जो होनी थी	निष्पादित स्थल निरीक्षणों की संख्या	स्थल निरीक्षणों की कमी	स्थल निरीक्षणों की कमी का प्रतिशत
1.	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)	25	36 से 42	9875	3131	6744	68.29
2.	सहायक महानिरीक्षक (निबंधन)	50	36 से 43	25200	13183	12017	47.69
	योग	**25–50**	**36 से 43**	**35075**	**16314**	**18761**	**53.49**

[13] आगरा (उ नि 1, 2, 3, 4, 5), अलीगढ (उ नि 1, 2, 3), इलाहाबाद (उ नि 1, 2), बाराबंकी (उ नि सदर), बस्ती (उ नि सदर) बुलन्दशहर (उ नि 1, 2), चित्रकूट (उ नि सदर), एटा (उ नि सदर), इटावा (उ नि सदर), फिरोजाबाद (उ नि 1, 2), गौतम बुद्व नगर (उ नि नोएडा 1, 2, 3 एवं सदर), गाजियाबाद (उ नि 1, 2, 3, 4, 5), गोरखपुर (उ नि 1, 2), झॉसी (उ नि 1, 2), जे पी नगर (उ नि सदर), कन्नौज (उ नि सदर), कानपुर (उ नि 1, 2, 3), लखनऊ (उ नि 1, 2, 3, 4, 5), मथुरा (उ नि 1, 2), मेरठ (उ नि 1, 2, 3, 4), मुरादाबाद (उ नि 1, 2), मुज्जफरनगर (उ नि 1, 2), सहारनपुर (उ नि 1, 2, 3) एवं वाराणसी (उ नि 1, 2, 4)।

[14] आगरा, बस्ती, चित्रकूट, एटा, इटावा, गौतमबुद्ध नगर,, गोरखपुर, झॉसी, जे पी नगर, कानपुर, मथुरा, मेरठ एवं वाराणसी।

[15] आगरा, इलाहाबाद, बाराबंकी, बस्ती, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी।

इसके विपरीत 11 सहायक महानिरीक्षक (निबंधन)[16] एवं तीन जिला स्टाम्प अधिकारियों[17] द्वारा अपने निर्धारित मानक से क्रमशः 28.53 प्रतिशत एवं 35.90 प्रतिशत अधिक स्थल निरीक्षण किया गया।

इस प्रकार स्थल निरीक्षण में 53.49 प्रतिशत कमी से विभागीय राजस्व से समाधान हुआ। ऐसे कुछ प्रकरणों की चर्चा हम इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.5.19 में कर रहे हैं।

5.5.11 तीन माह की निर्धारित अवधि में स्टाम्प वादों का निस्तारण न किया जाना

प्रमुख सचिव के पत्र संख्या 1943/11–5–2010–500(13) /2010 दिनांक 13 मई 2010 जो कि सभी जिलाधिकारियों को संबोधित था तथा स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण से संबधित था, में इस बात पर विशेष रुप से बल दिया गया था कि सभी स्टाम्प वादों का निस्तारण वाद दायर होने की तिथि से तीन माह के अन्दर कर दिया जाना चाहिये। निर्धारित समय के भीतर स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिए एक कार्य योजना बनाया जाना था।

हमने 10 जिला स्टाम्प अधिकारियों[18] के अभिलेखों[19] की जाँच में पाया कि शासन के आदेश के बावजूद तीन माह की अवधि से अधिक पुराने 105 स्टाम्प वाद अनिस्तारित पाये गये। इन वादों में चार से 94 माह का विलम्ब था।

विभाग के स्तर पर वादों के निस्तारण में विलम्ब के कारण काफी ब्याज की देयता पक्षकारों पर आ गयी। कुछ खास प्रकरणों की चर्चा इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.5.26.1 में की गयी है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि स्टाम्प वादों के निस्तारण में विलम्ब का मुख्य कारण प्रकरण का अर्द्धन्यायिक प्रकृति का होना है, जिसमें अधिवक्ता शामिल होते हैं तथा पक्षकारों द्वारा साक्ष्यों को प्रस्तुत करनें के लिए दिन एवं समय मॉगा जाता है, जिससे कि बचा नही जा सकता है। हालाँकि सहायक महानिरीक्षक (निबंधन) द्वारा भविष्य में स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण का वादा किया गया है।

5.5.12 सम्पत्तियों का पंजीयन न होने से स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण न होना

रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी प्रतिफल या बिना प्रतिफल के हस्तान्तरण होने वाली स्थायी सम्पत्ति का पंजीयन अनिवार्य है।

भा0 स्टा0 अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य या उसमें प्रदर्शित प्रतिफल मूल्य, जो भी अधिक हो, स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। स्टा0 स0 का मू0 नियमावली के अनुसार प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी द्वारा इसके अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात किसी सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किये जाने के उद्देश्य से

---

[16] अलीगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कन्नौज, लखनऊ, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर एवं सहारनपुर।

[17] चित्रकूट, जे पी नगर एवं मेरठ।

[18] आगरा, अलीगढ, बस्ती, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा एवं मुरादाबाद।

[19] मीसिल बन्द रजिस्टर।

जिले में स्थित भूमि/सम्पत्ति के न्यूनतम बाजार मूल्य का निर्धारण क्षेत्रवार तथा श्रेणीवार किया जाता है।

सिंचाई विभाग[20] के अभिलेखों[21] की जाँच में हमने देखा कि 18 मामलों में 8.87 लाख वर्ग मीटर भूमि, जिसका प्रतिफल ₹ 462.33 करोड़ था, को न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) गौतम बुद्ध नगर को क्रमशः दिनांक 19 जनवरी 2009, 29 मई 2009 एवं 17 जून 2010 को हस्तान्तरित कर दिया गया। जिनके विरूद्ध अब तक नोएडा प्राधिकरण द्वारा ₹ 74.76 करोड़ का भुगतान सिंचाई विभाग को किया गया। यद्यपि रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार ऐसे विलेखों का पंजीयन आवश्यक था। न तो सिंचाई विभाग द्वारा, न ही पंजीयन अधिकारी द्वारा इन विलेखों के पंजीयन के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.12 करोड़ स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 90,000 निबन्धन फीस का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय पत्र मिलने पर अतिरिक्त कार्यवाही की जायेगी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि नोएडा प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि एवं कब्जा पहले ही प्राप्त किया जा चुका है और भा0 रजि0 अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पंजीयन अनिवार्य है। दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी विभाग ने ऐसे पंजीयन के लिये कोई कदम नहीं उठाया।

5.5.13 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु प्रावधान का अस्तित्व में न होना

छावनी क्षेत्रों तथा रक्षा विभाग के प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली अधिगृहीत या पट्टे पर ली गयी भूमि को छोड़कर समस्त उत्तर प्रदेश में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (उ0प्र0न0नि0वि0अधिनियम) की व्यवस्था प्रभावी है। उ0प्र0न0नि0वि0अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि अन्तरित सम्पत्ति किसी विकासशील क्षेत्र में स्थित है तो भा0स्टा0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त सम्पत्ति के मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि राज्य सरकार राज्य के अन्दर योजना के अनुसार किसी क्षेत्र को विकसित करना अपेक्षित समझती है तो राजाज्ञा में विज्ञप्ति के द्वारा घोषित कर सकती है।

सरकार ने उ0प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 (उ0प्र0औ0वि0 अधिनियम) के अन्तर्गत नोएडा जैसे कुछ क्षेत्रों का विकास किया है। ड्रीम हाउसिंग परियोजना के अनुसार नोएडा के 35.66 प्रतिशत क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार ने इन क्षेत्रों को उ0 प्र0 न0 नि0 वि0 अधिनियम के अन्तर्गत विकासशील क्षेत्रों के रूप में घोषित/विज्ञप्ति नहीं किया। जबकि उसी भौगोलिक क्षेत्र में उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम के तहत आवासीय कालोनियों का विकास गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (गा0वि0प्रा0), उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (उ0प्र0आ0वि0प0) एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (उ0प्र0रा0औ0वि0नि0) द्वारा किया गया है। प्रभावी विज्ञप्ति के अभाव में निबन्धन अधिकारी इन क्षेत्रों के निबन्धित विलेखों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं कर सके।

---

[20] आगरा कैनाल डिवीजन हेडवर्क, ओखला नई दिल्ली और सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद।
[21] सिंचाई विभाग की भूमि से संबंधित अभिलेख।

नोएडा के तीन उ0नि0 कार्यालयों के बुक I से संबंधित अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि नोएडा के विकासशील क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर जिनका निष्पादन अप्रैल 2008 और मार्च 2012 के मध्य किया गया था, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण नहीं किया गया, जबकि नोएडा के प्रशासकीय भूमि क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित दो राजस्व ग्रामो[22] में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था। फलस्वरूप नीचें दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 1,106.53 करोड़ अतिक्ति स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया गया।

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	वर्ष/अनारोपित धनराशि				योग
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	
1	उप निबन्धक प्रथम नोएडा	53.84	83.21	112.94	185.34	435.33
2	उप निबन्धक द्वितीय नोएडा	61.39	57.75	121.53	104.10	344.77
3	उप निबन्धक तृतीय नोएडा	55.49	35.50	76.82	158.62	326.43
		170.72	**176.46**	**311.29**	**448.06**	**1106.53**

इस कमी के कारण नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों के क्रय/ लीज पर अदा स्टाम्प शुल्क एवं राज्य के ऐसे जिला/निकटवर्ती जिलों में जो कि विकास प्राधिकरणों/व्यक्तियों द्वारा विकसित की गयी और संलग्न जिलों में क्रय/लीज पर ली गयी सम्पत्तियों पर अदा स्टाम्प शुल्क में असमानता पैदा करती है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने आश्वासन दिया कि इसके लिये औद्योगिक विकास विभाग से अनुरोध किया जायेगा।

शासन को अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य के लिये एवं असमानता को समाप्त करने हेतु उ0प्र0औ0वि0अधिनियम के अन्तर्गत विकसित किये गये क्षेत्रों को विकासशील क्षेत्र घोषित करने के लिए विज्ञप्ति जारी किये जाने पर विचार करना चाहिये।

5.5.14 वसूली में अनियमितताएँ

5.5.14.1 वसूली प्रमाण–पत्रों के रख–रखाव में अनियमितताएँ

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के धारा 33, 35, 40 और 47(अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत, जिलाधिकारी यह भी अपेक्षा करेगा कि स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक निष्पादन के तिथि तक आगणित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाये। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 48 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि माह के अन्दर अपेक्षित धनराशि का भुगतान नहीं हुआ तो उसे राजस्व बकायें की भाँति वसूली की जानी चाहिये।

- उ0नि0के 58 कार्यालयों[23] के अभिलेखों[24] की जाँच में हमने पाया कि चार कार्यालयों[25] को छोड़कर सभी कार्यालय लम्बित प्रकरणों एवं वसूली प्रमाण–पत्रों में सन्निहित धनराशि के प्रति सतर्क नहीं थे।

[22] छजारसी और मोइउद्दीनपुर–कनवासी

[23] आगरा (उ0नि01,2,3,4,5), अलीगढ़ (उ0नि01,2,3), इलाहाबाद (उ0नि01,2), बाराबंकी (उ0नि0सदर), बस्ती (उ0नि0सदर), बुलन्दशहर (उ0नि01,2), चित्रकूट (उ0नि0सदर), एटा (उ0नि0सदर), इटावा (उ0नि0सदर), फिरोजाबाद (उ0नि01,2), गौ0बु0नगर(उ0नि0सदर,नोएडा1,2,3), गाजियाबाद (उ0नि01,2,3,4,5), गोरखपुर (उ0नि01,2), झांसी (उ0नि01,2), जे0पी0 नगर (उ0नि0सदर), कन्नौज (उ0नि0सदर), कानपुर (उ0नि01,2,3), लखनऊ (उ0नि01,2,3,4,5), मथुरा (उ0नि01,2), मेरठ (उ0नि01,2,3,4,), मुरादाबाद (उ0नि01,2), मुजफ्फरनगर (उ0नि01,2), सहारनपुर (उ0नि01,2,3) और वाराणसी (उ0नि01,2,4)।

[24] लम्बित वादों का रजिस्टर।

[25] आगरा (उ0नि03), गाजियाबाद (उ0नि01,2), मेरठ (उ0नि01)।

यद्यपि इन कार्यालयों में प्रस्तुत एवं निबंधित प्रलेखों के विरूद्ध देय बकाया थे। परन्तु विभाग द्वारा बकाया की वसूली से सम्बन्धित समुचित अभिलेखो के बनाये जाने के लिए कोई पद्वति विकसित नही की गयी थी।

इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया कि इन अभिलेखों का रख–रखाव उ0नि0 के यहाँ नहीं होता और जिला स्टाम्प अधिकारी कार्यालयों में बनाया जाता है। हम उत्तर से सहमत नहीं थे, जैसे कि जि0स्टा0अधि0 स्टाम्प एवं निबन्धन की संरचना का एक भाग है और जिनके कर्तव्यों एवं दायित्वों को परिभाषित किया गया है इसलिये जि0स्टा0अ0 स्तर पर विभाग अभिलेखों की जानकारी अथवा निबंधन की कमी के सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता।

- हमने 20 जि0स्टा0अ0[26] के कार्यालयों के अभिलेखों[27] की जाँच में पाया कि सात जि0स्टा0अ0[28] के कार्यालयों में 31 मार्च 2012 तक कुल कितने प्रकरण व उनकी धनराशि वसूली हेतु लम्बित थे की जानकारी नहीं थी। जि0स्टा0अ0 लखनऊ और मथुरा के संज्ञान में यह नहीं था कि लम्बित प्रकरणों में कितने पाँच वर्ष से कम, पाँच वर्ष से 10 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं। गौ0बु0नगर में विभाग वसूली हेतु लम्बित प्रकरणों के संख्या के प्रति जागरूक नहीं था।

  यह स्पष्टतः इंगित करता है कि विभाग के पास वसूली प्रमाण पत्रों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क, निबन्धन फीस, शास्ति एवं ब्याज के प्रति देयों की वसूली के अनुश्रवण हेतु समुचित मशीनरी नहीं है। जबकि सभी वसूली पत्रों में जो पता अंकित किया गया है और जो स्टाम्प प्रकरणों से सम्बंधित है इसके विरूद्ध पूर्व में उसी पते पर सम्पत्तियॉ क्रय की गयी है, परन्तु विभाग देयों की वसूली के लिये समुचित अभिलेख बनाने हेतु मशीनरी विकसित करने में असफल रहा। जि0स्टा0अ0 के यहाँ बिना वसूल वसूली प्रमाण पत्रों का विस्तृत विवरण उपलब्ध था तब भी विभाग के पास जि0स्टा0अ0 के पास उपलब्ध विस्तृत वसूलियों की प्रगति एवं देख–रेख का कोई प्रणाली नहीं थी। हमने पाँच बड़े जिलों जिनकी बकाया वसूली की धनराशि सबसे अधिक थी, के शीर्ष तीन प्रकरणों का विस्तृत विवरण प्राप्त किया। ये विवरण निम्न प्रकार हैः

(₹ लाख में)

क्र0सं0	जिले का नाम	बकायेदार का नाम	वसूली प्रमाणपत्रों की निर्गत तिथि	वसूली प्रमाणपत्रों में सन्निहित धनराशि
1	**मथुरा**	**विजेन्द्र सिह**	**02/09/2002**	**120.22**
		राजेन्द्र कुमार वर्मा	12/02/2010	10.60
		बंशी लाल रियलटर्स प्रा0 लि0	19/10/2010	5.56
2	**मेरठ**	**लोम एण्ड टेक्निकल डेवलपर्स प्रा0 लि0**	**16/04/2010**	**93.49**
		मानव चौधरी	01/02/2011	27.40
		श्याम सुन्दर	17/02/2011	13.78
3	**झांसी**	**श्रीमती हेमा उर्फ हेमलता**	**15/07/2011**	**64.23**
		असफान खान	04/07/2006	26.75
		श्रीमती राज कुमारी	11/12/2008	23.87
4	**गौतम बुद्ध नगर**	**मे0 मैफेसिस लि0**	**08/04/2011**	**27.00**
		जसपाल सिंह	19/11/2010	25.53
		अशोक कुमार वर्मा	25/02/2008	1.56
5	**मुजफ्फर नगर**	**जाकिर राना**	**20/08/2011**	**21.28**
		टी0सी0एम0सी0 डेवलपर्स लि0	30/07/2011	14.46
		रविन्द्र सिंह	13/09/2011	8.69
		योग		**484.42**

[26] आगरा, इलाहाबाद, बुलन्दशहर, बाराबंकी, बस्ती, चित्रकूट, एटा, इटावा, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, झांसी, जे0पी0 नगर, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फर नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी।

[27] वसूली पत्र रजिस्टर।

[28] आगरा, इलाहाबाद, चित्रकूट, इटावा, गोरखपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर।

इसके अतिरिक्त पाँच जिलों के तीन सबसे अधिक पुराने अवधि वाले प्रकरण से संबंधित, वसूली हेतु लम्बित प्रकरणों का विस्तृत विवरण भी निम्न प्रकार दिखाया गया है।

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	बकायेदार का नाम	वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	वसूली प्रमाण पत्र की धनराशि
1	**मथुरा**	**वीरेन्द्र यादव**	**06/01/1960**	**4.98**
		विजेन्द्र सिंह	02/09/2002	120.22
		राजेन्द्र कुमार वर्मा	12/02/2010	10.60
2	**बाराबंकी**	**मुन्ना राम**	**25/04/1997**	**0.07**
		मो0 शारिक	21/05/1997	0.19
		बदलू राम	28/05/1997	0.09
3	**झांसी**	**ज्ञान सिंह**	**20/07/1997**	**0.18**
		अनिल कुमार	27/07/1998	0.17
		सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	22/08/1998	0.18
4	**ज्योतिबा फूले नगर**	**आशुतोष रस्तोगी**	**08/03/1999**	**0.44**
		रोशन लाल	15/11/1999	0.76
		अमर सिंह	11/12/1999	0.79
5	**मेरठ**	**अनीता रस्तोगी**	**12/07/1999**	**0.60**
		अशोक वीरमानी	30/11/1999	0.54
		सदानन्द	03/12/1999	0.58

ये दृष्टांत इंगित करते हैं कि स्टाम्प मामले वर्ष 1960 से लम्बित हैं। उसी प्रकार से एक करोड़/50 लाख से अधिक की धनराशि के मामले भी वसूली हेतु 2002 से, उस पर ब्याज के साथ लम्बित हैं।

हमारे द्वारा लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी कर दिया गया है।

5.5.14.2 वसूली प्रमाण पत्रों के वापस होने से स्टाम्प शुल्क की हानि

जि0स्टा0अ0[29] के तीन कार्यालयों के अभिलेखों[30] की जाँच में हमने पाया कि जनवरी 2009 से जुलाई 2011 की अवधि के दौरान विभाग ने जिलाधिकारी के माध्यम से स्टाम्प शुल्क, निबंधन फीस, शास्ति तथा उस पर भुगतान योग्य ब्याज की वसूली हेतु ₹ 89.44 लाख के वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे। परन्तु सभी उसी प्रकार बिना वसूल इस टिप्पणी के साथ वापस हो गये थे कि बकायेदार दिये गये पते पर नहीं रहते/बकायेदार का घर नहीं मिला/मौजा उस तहसील में नहीं है/बकायेदार का घर बिक गया। यह सकेत करता है कि विभाग उस बकायेदार का पता लगाने में असफल रहा जिस पते पर पूर्व में ही सम्पत्ति का क्रय किया गया था। उससे पता चलता है कि विलेखों में जो पते दिये गये थे वे सही नहीं थे और विभाग के पास निष्पादित दस्तावेजों के पक्षकारो एवं गवाहों का सही पता लगाने के लिये कोई कियाविधि नही थी। हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया :

- कि भविष्य में उस सम्पत्ति का पता डाला जायेगा; अथवा
- कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी; अथवा
- शीघ्र ही संशोधित वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा आदि।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार को एक प्रकिया विकसित करनी चाहिये जिससे निश्चित हो कि स्टाम्प देयों की वसूली समय से हो और जिन सम्पत्ति पर स्टाम्प वाद लम्बित है, उसे लम्बित देयों की वसूली के बिना निस्तारण न किया जाये।

---

[29] एटा, झांसी और लखनऊ

[30] वसूली प्रमाण पत्र रजिस्टर

अनुपालन की कमियाँ

5.5.15 प्राधिकरणों द्वारा अन्तरित सम्पत्तियों के पंजीयन न कराये जाने से स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

5.5.15.1 प्राधिकरणों द्वारा भूमि अन्तरण

भा0स्टा0अधिनियम की धारा 73(अ)(1)के अन्तर्गत जहाँ कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि शुल्क से प्रभार्य कोई विलेख बिल्कुल प्रभारित न हो या इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय शुल्क से गलत रूप में प्रभारित हो, वहाँ वह या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी परिसर में, जहाँ कलेक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे लिखत से सम्बन्धित या उसके सम्बन्ध में कोई रजिस्टर, पुस्तके, अभिलेख, कागजात, मानचित्र, दस्तावेज या कार्यवृत्त रखे गये हों, प्रवेश कर सकता है उनका निरीक्षण कर सकता है, और ऐसी टिप्पणी, प्रतियां और उद्धरण, जिसे ऐसा अधिकारी आवश्यक समझे ले सकता है।
रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी प्रतिफल या बिना प्रतिफल के अन्तरण होने वाली स्थायी सम्पत्ति का पंजीयन अनिवार्य है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम में दस्तावेज के विलम्बित पंजीयन पर किसी प्रकार के ब्याज का प्रावधान नही है। स0म0नि0(नि0) गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय के मासिक विवरण की जाँच में हमने पाया कि प्राधिकरणों[31] द्वारा 37,564 सम्पत्तियों का कब्जा आवंटियों को दे दिया गया था। यद्यपि रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार उक्त दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य था, तथापि न तो प्राधिकरण ने और न ही विभाग ने ऐसे दस्तावेजों के पंजीयन के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ की। फलस्वरूप ₹ 312.71 करोड़ स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का अनारोपण हुआ।

5.5.15.2 आवास विकास परिषद द्वारा भूमि अन्तरण

आवास विकास परिषद[32] के 11 कार्यालयों के अभिलेखों[33] की जाँच में 844 मामलों में हमने देखा कि मार्च 1976 एवं दिसम्बर 2010 के मध्य ₹ 9.41 करोड़ प्रतिफल वाली सम्पत्तियों का कब्जा आवंटियों को दे दिया गया था। यद्यपि रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार उक्त दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य था परन्तु न आवास विकास परिषद न ही पंजीयन अधिकारी ने इन दस्तावेजों के पंजीयन के लिये कार्यवाही आरम्भ की। फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क ₹ 63.46 लाख एवं निबन्धन फीस ₹ 10.80 लाख का अनारोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट XIV** में दिखाया गया है।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि भा0 स्टा0 अधिनियम की धारा 17 का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के लिये शास्ति का प्रावधान न होने के कारण उक्त दस्तावेजों के पंजीयन का निष्पादन नहीं हो सका। यद्यपि कि विभाग इसके निष्पादन के लिये कारगर प्रयास कर रहा था। ब्याज के अनारोपण के सम्बन्ध में विभाग ने बताया कि दस्तावेज के विलम्ब से पंजीयन पर ब्याज प्रभार्य नहीं है।

---

[31] न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (नोएडा), ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस–वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी(यीडा) और उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (यू0पी0एस0आई0डी0सी0)

[32] आगरा, बलिया, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर एवं वाराणसी

[33] सम्पत्ति अन्तरण रजिस्टर

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार कोडल प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करे एवं विलम्ब से निबन्धन के मामलों में ब्याज के आरोपण का प्रावधान समाहित करने पर विचार करे जिससे विलम्ब से बचने और शासन को स्टाम्प शुल्क समय से प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके।

5.5.16 विभिन्न प्रकार के पट्टों पर स्टाम्प शुल्क की हानि

रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17 की प्रावधानों के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के पट्टों का पंजियन वह वर्षानुवर्ष हो अथवा एक वर्ष से अधिक अभिप्रेत जैसे एक वर्ष से अधिक का हो अनिवार्य है। उक्त अधिनियम की धारा 18 में प्रावधानित है कि अचल सम्पत्ति के पट्टे जो एक वर्ष से अधिक का न हो, का पंजियन वैकल्पिक है। भा0 स्टा0 अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 में भिन्न प्रकार के अवधि के लिये विभिन्न प्रकार के पट्टो पर स्टाम्प शुल्क की दर पारिभाषित है।

भा0 स्टा0 अधिनियम की धारा 2(16) विभिन्न प्रकार के पट्टों को पारिभाषित करता है। पट्टा से तात्पर्य किसी अचल सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, किसी निश्चित अथवा अनिश्चित अवधि के लिये किसी प्रतिफल के भुगतान अथवा भुगतान की प्रतिज्ञा पर अन्तरण से है। स्पष्टीकरण 6(स)(i) पारिभाषित करता है कि कोई विलेख जिसमें किसी प्रकार की चुंगी पट्टे पर दी जाये, पट्टें के अधीन आता है। परन्तु भा0 स्टा0 अधिनियम में जहाँ पंजीयन वैकल्पिक है, में स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान नहीं करता है।

5.5.16.1 पट्टों का निष्पादन एक वर्ष तक

भा0 स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत एक वर्ष से अनधिक अवधि के पट्टे पर अदा की जाने वाली सम्पूर्ण राशि पर हस्तान्तरण की भाँति स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

एक वर्ष तक की अवधि के पट्टे इकरारनामें के 531 मामलों में हमने पाया कि अप्रैल 2008 से मार्च 2012 की अवधि में विभिन्न संगठनों[34] द्वारा विभिन्न प्रकार के पट्टों का निष्पादन टोकन धनराशि पर किया गया और वे उप निबन्धकों के कार्यालय में न तो प्रस्तुत किये गये और न ही निबन्धित किये गये। जबकि भा0 स्टा0 अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इन विलेखों का निबन्धन आवश्यक नहीं था, भा0 स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 में परिभाषित स्टाम्प शुल्क का भुगतान जैसे आवश्यक धनराशि का स्टाम्प पेपर विलेख के साथ संलग्न होने थे। परिभाषित स्टाम्प शुल्क की देय राशि ₹ 2.33 करोड़ भुगतान होना था परन्तु केवल ₹ 2.10 लाख का भुगतान पट्टाग्रहीता द्वारा किया गया। इसलिये शासन ₹ 2.31 करोड़ के स्टाम्प शुल्क से वंचित रहा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

[34] एअरपोर्ट, रेलवे, यू0पी0एस0आर0टी0सी0, नगर निगम, वाराणसी विकास प्राधिकरण, कम्पनी, बंधित गोदाम और माडल शॉप

(₹ लाख में)

क्र0 सं0.	संख्या/सम्मिलित संगठनों का नाम	प्रकरणों की संख्या [35]	निष्पादन अवधि	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क
1.	दो एअरपोर्ट[36]	6	03/2010 से 12/2011	0.01	1.19	1.18
2.	छः रेलवे स्टेशन[37]	8	05/2008 से 06/2011	0.01	12.68	12.67
3.	10 बस स्टेशन[38]	32	12/ 2008 से 08/2011	0.03	4.12	4.09
4.	नौ नगर निगम/नगर पालिका[39]	421	08/2008 से 03/2012	2.02	198.47	196.45
5.	वाराणसी विकास प्राधिकरण	9	04/2008 से 02/2011	0.01	0.98	0.97
6	पॉच जिलो की कम्पनियॉ[40]	22	04/2008 से 05/2011	0.02	15.39	15.37
7	दो बंधित गोदाम[41]	10	04/2008 से 04/2011	0.00	0.56	0.56
8	दो जिलों के माडल शॉप[42]	23	04/ 2008 से 04/2011	0.00	0.09	0.09
	योग	**531**	04/2008 से 03/2012	**2.10**	**233.48**	**231.38**

5.5.16.2 एक वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्षो से अनधिक निष्पादित पट्टे

भा0 स्टा0 अनिधनियम के अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अन्तर्गत, एक वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्षो से अनधिक अवधि के पट्टों पर स्टाम्प शुल्क प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण की भाँति कुल अदा औसत वार्षिक आरक्षित किराये की राशि के तीन गुने से छः गुने पर पर, जैसा प्रकरण हो, प्रभार्य है।

हमने 964 मामलों में पाया कि सभी लीज विलेख के रूप में एक वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्षो से अनधिक अवधि के लिये विभिन्न संगठनों[43] के मध्य निष्पादित[44] थे और लीज में आवश्यक मूल्यवर्ग के स्टाम्प पेपर कम थे, न तो उपनिबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत किये गये और न ही निबन्धित किये गये। रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार उक्त दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य था, परन्तु विभाग ऐसे पट्टा विलेखों में सतर्क नही था जिसमें देय ₹ 9.85 करोड़ स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 24.33 लाख निबन्धन फीस का भुगतान होना था। इन प्रकरणों में लीज ग्रहीता ने केवल ₹ 1.25 लाख का भुगतान स्टाम्प शुल्क के रूप में किया, निबन्धन फीस का नहीं। इसलिये शासन स्टाम्प शुल्क ₹ 9.84 करोड़ एवं निबन्धन फीस ₹ 24.33 लाख से वंचित रहा। विवरण निम्न प्रकार है:

---

[35] पट्टा अनुबन्ध से संबंधित अभिलेख

[36] लखनऊ और वाराणसी

[37] हरदोई, झांसी, कानपुर ब्रिज, लखनऊ, शाहजहापुर और वरिष्ठ खण्डीय वाणिज्यिक प्रबन्धक, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे विथ इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (केवल तीन वर्ष की गणना की गयी जबकि पट्टा 1983 से प्रारम्भ था)

[38] बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फतेहपुर (बिन्दकी), गोरखपुर (गोरखपुर और राप्तीनगर), कानपुर (चुन्नीगंज और घाटमपुर) और लखनऊ (आलमबाग और कैसरबाग)

[39] आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी

[40] आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ

[41] इलाहाबाद और चित्रकूट

[42] इलाहाबाद और बाराबंकी

[43] एअरपोर्ट, रेलवे, यू0पी0एस0आर0टी0सी0, नगर निगम, वाराणसी विकास प्राधिकरण, कम्पनी, बंधित गोदाम, ए0टी0एम0 और बैंक

[44] अक्टूबर 2002 और मार्च 2012 की अवधि के दौरान

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	संख्या/सम्मिलित संगठनों का नाम	प्रकरणों की संख्या[45]	निष्पादन अवधि	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय पंजीयन शुल्क	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क	कम आरोपित पंजीयन शुल्क
1.	तीन एअरपोट[46]	58	01/2006 से 11/ 2011	0.05	119.34	3.74	119.29	3.74
2.	57 रेलवे स्टेशन[47]	259	06/2006 सें 11/2011	0.36	96.68	4.61	96.32	4.61
3.	24 बस स्टेशन [48]	145	03/ 2006 और 06/2011	0.15	16.48	1.06	16.33	1.06
4.	तीन नगर निगम/नगर पालिका[49]	19	03/ 2007 से 05/ 2011	0.63	74.30	1.14	73.67	1.14
5.	पाच जिलो की कम्पनी[50]	39	10/ 2002 से 07/ 2011	0.06	570.36	2.36	570.30	2.36
6.	आबकारी विभाग बस्ती का बंधित गोदाम	2	04/ 2006 से 03/ 2012	0.00	0.11	0.01	0.11	0.01
7.	13जिलों के ए0टी0एम0 और बैंक शाखा[51]	442[52]	पॉच वर्ष[53]	0.00	108.00	11.41	108.00	11.41
	योग	**964**	**10/2002 से 03/2012**	**1.25**	**985.27**	**24.33**	**984.02**	**24.33**

5.5.16.3 तीस वर्षों से अधिक अवधि के निष्पादित पट्टे

भा0 स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अन्तर्गत जहाँ लीज 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वत के लिये तात्पर्य हो या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो, स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र की भाँति देय है।

नगर निगम वाराणसी के अभिलेखों[54] की जाँच में हमने पाया कि नवम्बर 2009 और अप्रैल 2011 के अवधि के दौरान तीन पट्टों का अन्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बिना किसी निश्चित अवधि के लिये किया गया परन्तु पट्टादाता एवं पट्टाग्रहीता द्वारा न तो पट्टे का निष्पादन किया गया और न ही उ0नि0 कार्यालयों में निबंधित कराया गया। यद्यपि रजिस्ट्रेशन अधिनियम के

---

[45] पट्टा अनुबंध से संबंधित अभिलेख

[46] आगरा, लखनऊ और वाराणसी

[47] अच्छनेरा, आगरा कैण्ट, आगरा फोर्ट, राजा की मण्डी, अजगैन, आलम नगर, इलाहाबाद जंक्शन, अमेठी, आजमगढ़, बछरांवा, बांदा, बाराबंकी, बरेली, भटनी जं0, भीगापुर, बुलन्द शहर, चौरी चौरा, फैजाबाद, गौरीगंज, गोंडा, गोरखपुर, गोसाईगंज, हरदोई, जैस, जौनपुर, झांसी, कानपुर सेन्ट्रल, कप्तानगंज, खजुराहट, कूरेभार, लालगंज, लार रोड़, लखनऊ, मथुरा, कोसी कला, मउ जं0, मुरादाबाद, मुसाफिरखाना, फाफामउ, प्रतापगढ़, प्रयाग, रघुराज सिंह, रायबरेली, रामपुर, रूदौली, सहारनपुर, सलेमपुर, सारनाथ, शाहगंज, शाहजहॉपुर, एस.एल.एन., सुरेमन, सुरियावन, तकिया, उग्रसेनपुर, उचॉहार और वाराणसी शहर।

[48] बांदा, बस्ती, देवरिया, फतेहपुर(फतेहपुर और फतेहपुर खान), गोरखपुर(गोरखपुर और राप्तीनगर), हमीरपुर, कानपुर(चुन्नीगंज, रावतपुर,सेन्ट्रल, झकरकट्टी और पुखरॉया), कुशीनगर (कंसया और पडरौना), एल.एम.पी.एस. लखनऊ(आलमबाग और कैसरबाग), महराजगंज (महराजगंज और निचलौल), महोबा(महोबा और राठ), रमाबाई नगर, सन्त कबीर नगर और सिद्धार्थनगर

[49] आगरा, अलीगढ़ और सहारनपुर

[50] गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, लखनऊ और वाराणसी

[51] आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, जे.पी. नगर, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर

[52] उप–निबन्धक कार्यालय की बही I

[53] ए.टी.एम. और शाखाओ तथा पी.एस.यू. बैंक के पंजीकृत पट्टे जिनकी न्यूनतम अवधि पॉच वर्ष की है के स्टाम्प ड्यूटी की गणना का आधार ए.टी.एम के लिये न्यूनतम 9 वर्ग मीटर और बैक की शाखाओं के लिये औसत 200 वर्ग मीटर का आच्छादित क्षेत्र

[54] पट्टा अनुबन्ध से संबंधित अभिलेख

अनुसार उक्त दस्तावेजों का बाजार दर से मूल्यांकन करके पंजियन अनिवार्य था। इन प्रकरणों में स्टाम्प शुल्क ₹ 8.64 लाख एवं निबन्धन फीस ₹ 20,000 अदा करने योग्य था परन्तु विभाग ऐसे पट्टों के प्रति गम्भीर नहीं था। इसलिये शासन स्टाम्प शुल्क ₹ 8.64 लाख एवं निबन्धन फीस ₹ 20,000 से वंचित रहा।

हमारे इंगित किये जाने पर विभाग सहमत हुआ कि असावधानी के कारण इस प्रकार के प्रकरण छूट गये और कहा कि सम्बन्धित संगठनों से सूचना संग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नही हुआ (फरवरी 2013)।

5.5.17 पट्टों के अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण (समनुदेशन[55] सह अन्तरण विलेख)

भा0 स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विलेख पर जहाँ पट्टा की अवधि 30 वर्षो से अधिक अवधि के लिये निर्धारित हो या निरन्तर हो अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये निर्धारित न हो तो उस पर हस्तान्तरण विलेख की भाँति सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है।

हमने तीन उपनिबन्धक कार्यालयों[56] के अभिलेखों[57] की नमूना जाँच में पाया कि दिसम्बर 2009 और जुलाई 2010 के मध्य चार लीज विलेख बिना किसी निश्चित अवधि के अभ्यर्पण कम अन्तरण विलेख के रूप में पंजीकृत थे जिन पर ₹ 6.26 लाख स्टाम्प शुल्क का आरोपण किया गया था। विलेखों के लिखत से निश्चित था कि यद्यपि इन दस्तावेजों के द्वारा अचल सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार बिना किसी निश्चित अवधि के लिये दूसरे पक्षकार को अन्तरित कर दिया गया था। जैसा कि वास्तव में यह अभ्यर्पण सह अन्तरण (असाइनमेन्ट कम ट्रान्सफर) विलेख बिना किसी निश्चित अवधि के विलेख से सम्बन्धित नहीं था। इसका मूल्यांकन भा0 स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 के तहत बाजार दर पर किया जाना था। इस प्रकार सम्पत्ति के बाजारू दर पर आधारित ₹ 5.26 करोड़ के मूल्यांकन पर ₹ 37.79 लाख स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। परिणामस्वरूप ₹ 31.53 लाख स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 63 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभ्यर्पण विलेख पर आरोपणीय स्टाम्प आरोपित किया गया। हम सहमत नहीं हुए क्योंकि इन दस्तावेजों के लिखत में अवधि को परिभाषित नहीं किया गया। विलेख के लिखत के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि ये सभी लीज विलेख स्पष्टतः बिना निश्चित अवधि के थे, और अभ्यर्पण विलेख नहीं थे तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 35 के तहत स्टाम्प शुल्क प्रतिफल के समान बाजार मूल्य पर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि प्रकरणों को शासन को संदर्भित किया गया है। आगे कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ (फरवरी 2013)।

---

[55] किसी सम्पत्ति में कोई हित अथवा अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति में अन्तरण का कार्य।

[56] कानपुर नगर (उप–निबन्धक प्रथम), लखनऊ (उप–निबन्धक प्रथम), मुरादाबाद (उप–निबन्धक द्वितीय)

[57] अभ्यर्पण सह अन्तरण विलेख

5.5.18 विभिन्न प्रकार के पट्टों पर स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

भा0 स्टा0 अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अन्तर्गत 30 वर्ष तक के लीज विलेखों पर स्टाम्प शुल्क औसत आरक्षित किराये की राशि के तीन गुने से छः गुने के बराबर प्रतिफल पर हस्तान्तरण की भाँति, जैसा प्रकरण हो, प्रभार्य है। भा0 स्टा0 अधिनियम के अन्तर्गत किसी विलेख पर जहाँ कि लीज 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वत अवधि के लिये तात्पर्यित न हो, स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल पर हस्तान्तरण की भाँति प्रभार्य है। यदि विलेख के लिखत से यह प्रभाव पड़ता है कि सेवा कर की देयता या अन्य कोई देयता पट्टाग्रहीता पर है तब सेवा कर या अन्य देयता को पट्टे के किराये का भाग माना जायेगा।

हमनें आठ उ0 नि0 कार्यालयों में पट्टा विलेखों के पंजिका की जाँच में पाया कि अगस्त 2008 और जनवरी 2012 की अवधि में 11 लीज विलेखों का तीन से 20 वर्ष एक माह की अवधि के लिये सम्पत्ति का अन्तरण लीज विलेख के माध्यम से ₹ 11.32 करोड़ प्रतिफल पर ₹ 30.06 लाख स्टाम्प शुल्क आरोपित करके पंजीकृत किया गया था। स्टाम्प शुल्क की संगणना के लिये सम्बन्धित कई बिन्दुओं को छोड़ देने से स्टाम्प शुल्क कम आरोपित था। विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	विस्तृत विवरण जिस पर विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क आरोपित था	विस्तृत विवरण जिस पर विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जाना आवश्यक था
1.	उप निबन्धक सदर गौतम बुद्ध नगर	1	20 वर्ष की लीज	20 वर्ष 1 माह की लीज
2.	उप–निबन्धक प्रथम लखनऊ	1	पट्टे का किराया, प्रतिभूति और प्रीमियम मूल्यांकन के लिय ली गयी धनराशि	पट्टे का किराया, प्रतिभूति, प्रीमियम की धनराशि वार्षिक अनुरक्षण प्रभार, डिश एन्टीना के लिए किराया औरा सेवा कर मूल्यांकन के लिए लिया जाना चाहिये था।
3.	उप–निबन्धक चतुर्थ लखनऊ	2	स्टाम्प शुल्क के आरोपण के लिए केवल पट्टा किराया प्रतिफल पर लिया गया	25 प्रतिशत वृद्धि के साथ दो वर्ष का विस्तारित अवधि है तथा पट्टाग्रहीता पर सेवा कर देय है जिसको मूल्यांकन में लिया जाना था।
4.	उप–निबन्धक प्रथम नोएडा	1	स्टाम्प शुल्क के आरोपण में सेवा कर को प्रतिफल में नहीं लिया गया	सेवा कर की देयता पट्टा ग्रहीता पर था जिसको मूल्यांकन में लिया जाना चाहिये था
5.	उप–निबन्धक द्वितीय नोएडा	1		
6.	उप–निबन्धक तृतीय नोएडा	2		
7.	उप–निबन्धक तृतीय गाजियाबाद	2		
8.	उप–निबन्धक चतुर्थ गाजियाबाद	1		

इसलिये, ये विलेख ₹ 12.55 करोड़ के प्रतिफल के साथ पंजीकृत होने थे जिस पर आरोपित स्टाम्प शुल्क ₹ 30.06 लाख के विरूद्ध ₹ 36.44 लाख आरोपणीय था। इसके फलस्वरूप ₹ 6.38 लाख स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ था। हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि लीज विलेख में लिखे गये लीज किराये के अनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था। हम सहमत नहीं हुये क्योंकि लीज विलेख के अन्य उपबन्धों जैसे लीज के किराये में वृद्धि, प्रतिभूति, प्रीमियम की धनराशि, वार्षिक रख–रखाव खर्च, डिश एन्टीना का किराया और सेवा कर को भी मूल्यांकन में लेने की आवश्यकता थी।

5.5.19 सम्पत्ति का अवमूल्यन

5.5.19.1 विक्रय विलेख के निष्पादन में स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

भा0 स्टा0 अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य अथवा उसमें प्रदर्शित मूल्य, जो भी अधिक है आरोपणीय है। स्टा0 स0 का मू0 नियमावली के अनुसार प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी द्वारा इसके अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात किसी सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किये जाने के उद्देश्य से जिले में स्थित भूमि/सम्पत्ति के न्यूनतम बाजार मूल्य का निर्धारण क्षेत्रवार तथा श्रेणीवार किया जाता है।

- हमने सात उप–निबन्धक[58] कार्यालयों के जाँच में पाया कि जुलाई 2009 और नवम्बर 2011 के मध्य आठ अन्तरण विलेखों का पंजीयन आवासीय दर पर मूल्यांकन ₹ 5.19 करोड़ पर किया गया था, जिस पर स्टाम्प शुल्क ₹ 34.34 लाख एवं निबंधन फीस ₹ 67,000 आरोपित था। विलेखों में दिखायी गयी चौहद्दी, क्षेत्रफल, फोटो एवं सम्पत्ति के उद्देश्य से पता चला कि सम्पत्ति वाणिज्यिक प्रकृति की है और इन सम्पत्तियों के लिये निर्धारित दर को अपनाना चाहिये था। आरोपणीय वाणिज्यिक दरों के बाजारी दर ₹ 12.14 करोड़ पर स्टाम्प शुल्क ₹ 78.98 लाख और निबन्धन फीस ₹ 70,000 आरोपणीय था। वाणिज्यिक सम्पत्तियों का आवासीय सम्पत्तियों की भॉति मूल्यांकन करने के परिणामस्वरूप ₹ 44.63 लाख एवं निबन्धन फीस ₹ 2,880 का कम आरोपण हुआ ।

बुलन्दशहर और मथुरा के दोनों मामलों में विभाग ने बताया कि सम्पत्ति सही वर्गीकृत है। विभाग के उत्तर से हम सहमत नहीं थे, उ0नि0 II बुलन्द शहर के प्रकरण में वास्तविकता यह थी कि सम्पत्ति के दो तरफ गोदाम था और विभाग के अपने स्वयं के वक्तव्य में था कि यदि सम्पत्ति के दो तरफ गोदाम है तो वह वाणिज्यिक समझा जायेगा, जिसका मूल्यांकन कम दर पर किया गया था। उ0नि0 I मथुरा के प्रकरण में विभाग सहमत हुआ कि यह एक गोदाम था इस लिए इसको वाणिज्यिक माना जाना चाहिये। उनके अग्रेतर उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (फरवरी 2013)।

- हमने 30 उ0नि0[59] कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में देखा कि अप्रैल 2008 और फरवरी 2012 के मध्य 74 अन्तरण विलेखों के मामले पंजीकृत किये गये थे, सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित भूमि एवं भवन पर लगाये जाने योग्य वास्तविक मूल्य ₹ 64.04 करोड़ पर स्टाम्प शुल्क ₹ 4.30 करोड़ एवं निबन्धन फीस ₹ 6.30 लाख के बजाय भूमि एवं भवन के विक्रय पर ₹ 27.05 करोड़ प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क ₹ 1.81 करोड़ एवं निबन्धन फीस ₹ 5.77 लाख का आरोपण हुआ। जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क ₹ 2.49 करोड़ एवं निबन्धन फीस ₹ 52,840 का कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–XV** में दिखाया गया है।

  विभाग ने उत्तर में बताया कि जब तक उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0 व्य0 अधिनियिम की धारा 143 के अन्तर्गत भूमि को अकृषि घोषित नहीं किया गया हो, कृषि दरों पर ही

---

[58] बुलन्दशहर (उ0नि0 द्वितीय), गौ0बु0 नगर (उ0नि0 नोएडा प्रथम, द्वितीय), गाजियाबाद (उ0नि0 तृतीय), कानपुर नगर (उ0नि0 प्रथम), मथुरा (उ0नि0 प्रथम) और मेरठ (उ0नि0 तृतीय),

[59] आगरा (उ0नि0 2,5), अलीगढ (उ0नि0 1,), इलाहाबाद (उ0नि0 2), बाराबंकी (उ0नि0 सदर), बस्ती (उ0नि0 सदर), बुलन्दशहर (उ0नि0 2), चित्रकूट (उ0नि0 सदर), एटा (सदर), इटावा (उ0नि0 सदर), फिरोजाबाद (उ0नि0 1,2), जी0बी0 नगर (नोएडा 1,3), गाजियाबाद (उ0नि0 1,3,4), गोरखपुर (उ0नि0 2), कन्नौज (उ0नि0 सदर), कानपुर (उ0नि0 1), लखनऊ (उ0नि0 1,3,4), मेरठ (उ0नि0 1,3,4), मुरादाबाद (उ0नि0 1,), मुजफ्फर नगर (उ0नि0 2) और सहारनपुर (उ0नि0 2,3)

प्रभार्य किया जाएगा। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उ0नि0 सदर इटावा में आराजी नम्बर आबादी में घोषित था इस लिये आवासीय दर प्रभार्य था और अन्य मामलों में जैसे उ0नि0 I कानपुर में भूमि की चौहद्दी में मकान थे।

- हमने चार उ0नि0[60] के कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में देखा कि अगस्त 2008 और अप्रैल 2011 के मध्य पंजीकृत 13 अन्तरण विलेखों के मामलों में भूमि की बिक्री पर एक से अधिक क्रेता के द्वारा क्रय करने पर दस्तावेज में निहित ₹ 87.61 लाख प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क ₹ 5.67 लाख एवं निबन्धन फीस ₹ 89,000 आरोपित था। जिलाधिकारी के दर सूची के अनुसार, यदि बिक्रीत भूमि एक निश्चित सीमा से कम है, तो मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिये। इन मामलों में दो से पॉच क्रेता, जो विभिन्न परिवारों[61] के थे, ने जिलाधिकारी द्वारा परिभाषित निश्चित सीमा से बचने के लिये सयुंक्त रूप से इस क्षेत्र में भूमि क्रय की इसलिए भूमि का कृषि दर पर मूल्यांकन किया गया। अतः इन भूमियों का मूल्यांकन आवासीय दर से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर के आधार पर ₹ 2.18 करोड़ मूल्यांकित करके स्टाम्प शुल्क ₹ 14.09 लाख एवं निबन्धन फीस ₹ 1.33 लाख आरोपणीय था। जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क ₹ 8.42 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 44,200 का कम आरोपण हुआ।

  विभाग ने उत्तर में कहा कि दस्तावेज में जब तक क्रेता के बीच विभाजन नहीं होगा, विक्रीत सम्पत्तियों का मूल्यांकन विभाजन के अनुसार नहीं किया जा सकता। हम विभागीय उत्तर से सहमत नहीं हुए क्योंकि जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा निर्गत दर सूची के अनुसार यदि क्रेता/क्रेतागण विभिन्न संयुक्त परिवार के थे तो सम्पत्तियों का मूल्यांकन उनके निहित भाग के अनुसार किये जाने की जरूरत थी।

- सिंचाई विभाग खुर्जा बुलन्दशहर के अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि 3,30,338 वर्ग मीटर भूमि जिसका प्रतिफल ₹ 850 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹ 28.08 करोड़ था, 7 जुलाई 2011 को एन0टी0पी0सी को पंजीकृत विलेख द्वारा हस्तान्तरित किया गया और स्टाम्प शुल्क ₹ 1.40 करोड़ का भुगतान किया गया था। जिलाधिकारी के दर सूची के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य ₹ 2,000 प्रति वर्ग मीटर था। भा0 स्टा0 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उसमें उल्लिखित मूल्य जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। इसलिए जिलाधिकारी के दर सूची के अनुसार भूमि का बाजार दर ₹ 2000 प्रति वर्ग मीटर था, स्टाम्प शुल्क ₹ 3.30 करोड़ आरोपणीय था। प्रतिफल की धनराशि पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण के कारण ₹ 1.90 करोड़ स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

  विभाग ने बताया कि उ0प्र0ज0उ0 एवं भू0 व्य0 अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत भूमि आबादी में घोषित नहीं थी। हम विभागीय उत्तर से सहमत नहीं हुए क्योंकि दर सूची में उपबन्धित दर ₹ 2,000 प्रति वर्ग मीटर के विरूद्ध दस्तावेज के अनुसार भूमि का मूल्यांकन ₹ 850 प्रति वर्ग मीटर से किया गया।

- हमनें 37 उ0 नि0[62] कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2011 और मार्च 2012 के मध्य) की, और पाया कि अप्रैल 2008 और फरवरी 2012 के मध्य गैर कृषि भूमि/सम्पत्ति से सम्बन्धित 103 अन्तरण विलेख कृषि दरों पर प्रतिफल

---

[60] फिरोजाबाद (उ0नि0 2), गोरखपुर (उ0नि0 2), मथुरा (उ0नि0 1,2)

[61] संयुक्त परिवार में पति–पत्नी, बच्चे एवं माता पिता

[62] आगरा (उ0नि0 1,2,4,5), अलीगढ (उ0नि0 1,2,3), इलाहाबाद (उ0नि0 2), बस्ती (उ0नि0 सदर), बुलन्दशहर (उ0नि0 1,2), एटा (उ0नि0 सदर), इटावा (उ0नि0 सदर), फिरोजाबाद (उ0नि0 1,2), जी0बी0 नगर (उ0नि0 सदर, नोएडा 1,3), गाजियाबाद (उ0नि0 4), गोरखपुर (उ0नि0 1,2), जे0पी0 नगर (उ0नि0 सदर), झांसी (उ0नि0 1,2), कानपुर (उ0नि0 2), लखनऊ (उ0नि0 1,2,4), मथुरा (उ0नि0 1,2), मेरठ (उ0नि0 2,3), मुजफ्फर नगर (उ0नि0 1,2), एवं वाराणसी (उ0नि0 1,2,4)

₹ 14.53 करोड़ और स्टाम्प शुल्क ₹ 98.24 लाख तथा निबन्धन फीस ₹ 7.61 लाख जैसा कि दस्तावेजों में दिखाया गया था, पंजीकृत थे, यद्यपि कि उसी आराजी संख्या के भूमि का भाग पूर्व में विक्रीत था और आवासीय दर पर मूल्यांकित था। इसलिए ₹ 62.96 करोड़ प्रतिफल के लिए सम्पत्ति के मूल्यांकन, और ₹ 4.09 करोड़ स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 8.86 लाख निबन्धन फीस के लिए आवासीय दर का आरोपण आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क ₹ 3.11 करोड़ तथा निबन्धन फीस ₹ 1.25 लाख का कम आरोपण हुआ। जैसा कि **परिशिष्ट–XVI** में दिखाया गया है।

विभाग ने बताया कि मेरठ जनपद के दों मामलें मूल्यांकन हेतु कलेक्टर स्टाम्प को संदर्भित है।

5.5.19.2 धारा 143 के अन्तर्गत भूमि का आवासीय प्रकृति में घोषणा न किये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में प्रावधान है कि जहाँ हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ एक भूमिधर अपने खाते या उसके भाग का असम्बद्ध प्रयोजन कृषि, बागवानी या पशुपालन के अलावा करता है तो परगने का प्रभारी स्वयं या प्रार्थना पत्र पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो नियत की जाय, उस आशय की घोषणा कर सकता है । इसके अलावा मुख्य सचिव ने अपने पत्र सं0 क0नि0 –5 –2208 / 11–05–2010–500(18) / 2010 दिनांक 11 जून 2010 को जो सभी आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित था, में इस बात पर जोर दिया कि अगर भूमि पूरी तरह या आंशिक रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सम्बन्धित एस0डी0एम0 द्वारा स्वतः प्रेरणा से अधिनियम के अधीन सम्पर्ण भूमि को आबादी के रूप में घोषणा की जानी चाहिए ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, जो भी अधिक हो, स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली के अनुसार प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी द्वारा निबन्धन प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु जिले में स्थित विभिन्न प्रकार के भूमि का बाजार मूल्य द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है ।

- मई 2008 से फरवरी 2012 की अवधि के दौरान 44 उप निबन्धक[63] कार्यालयों के अभिलेखों[64] की जाँच में हमने देखा कि 7.06 लाख वर्गमीटर से संबंधित 160 अन्तरण विलेख कृषि दर पर प्रतिफल ₹ 37.75 करोड़ पर पंजीकृत थे और स्टाम्प शुल्क ₹ 2.55 करोड़ एवं निबन्धन फीस ₹ 13.53 लाख आरोपित था। सभी सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति से घिरी थी जो पूर्व में ही आवासीय पंजीकृत थी। इस तथ्य को उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्य0 अधिनियम के अन्तर्गत धारा 143 के तहत कार्यवाही के लिए संबंधित एस0डी0एम0 के संज्ञान में नहीं लाया गया था जिससे आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 159.28 करोड़ होता। जिस पर स्टाम्प शुल्क ₹ 10.54 करोड़ एवं निबन्धन फीस ₹ 14.63 लाख आरोपणीय था। सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन किये

[63] आगरा (उ0नि0 2,3,4,5), अलीगढ (उ0नि0 1,2), इलाहाबाद (उ0नि0 2), बाराबंकी (उ0नि0 सदर), बस्ती (उ0नि0 सदर), बुलन्दशहर (उ0नि0 1,2), चित्रकूट (उ0नि0 सदर), इटावा (उ0नि0 सदर), फिरोजाबाद (उ0नि0 1,2), जी0बी0 नगर (उ0नि0 सदर, नोएडा 1,2), गाजियाबाद (उ0नि0 1,3), गोरखपुर (उ0नि0 1,2), झांसी (उ0नि0 1,2), जे0पी0नगर (उ0नि0 सदर), कानपुर (उ0नि0 2,3), लखनऊ (उ0नि0 1,2,3,4,5), मथुरा (उ0नि0 2), मेरठ (उ0नि0 1,3,4), मुरादाबाद (उ0नि0 1,2), मुजफ्फर नगर (उ0नि0 1,), सहारनपुर (उ0नि0 2,3) एवं वाराणसी (उ0नि0 1,2,4)

[64] विक्रय विलेख

जाने के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क ₹ 7.99 करोड़ तथा निबन्धन फीस ₹ 1.10 लाख का कम आरोपण हुआ।

- सितम्बर 2008 और अप्रैल 2011 की अवधि के दौरान गौतम बुद्धनगर के तीन उप निबन्धक[65] कार्यालयों के अभिलेखों[66] की जाँच में हमने देखा कि 10 अन्तरण विलेख का कृषि दर पर ₹ 3.22 करोड़ पर पंजीकृत किया गया और स्टाम्प शुल्क ₹ 15.83 लाख का आरोपण हुआ था। भूमि जिस क्षेत्र में स्थित थी वहाँ आवासीय विकास बहुत तेजी से हो रहा था और आराजी आवासीय सम्पत्तियों के रूप में परिवर्तित थी जो पूर्व में ही आवासीय पंजीकृत थी। उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्य0 अधिनियम के धारा 143 के तहत तथ्य को सम्बन्धित एस0डी0एम0 के संज्ञान में नहीं लाया गया जिससे सही मूल्यांकन होता। इसलिए सम्पत्ति का सही मूल्यांकन आवासीय दर से होना था, जो ₹ 18.48 करोड़ है। जिस पर स्टाम्प शुल्क ₹ 92.12 लाख आरोपणीय था। भूमि की प्रकृति कृषि से आवासीय में परिवर्तित न करने के कारण सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 76.29 लाख का कम आरोपण हुआ ।

  हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, गाजियाबाद जिले के लिए, विभाग द्वारा बताया गया कि उप निबन्धक से संबंधित उप जिलाधिकारी को मामलों के संदर्भण के लिए रिपोर्ट मांगी गयी है। अलीगढ़ जिले के लिए विभाग ने बताया कि यह शक्ति कलेक्टर में निहित है। हम उप निबंधक अलीगढ़ के उत्तर से सहमत नहीं है और दोहराते हैं कि क्षेत्र का आवासीय विकास का पूर्व ज्ञान के बावजूद विभाग संबंधित एस0डी0एम0 के साथ मामले के अनुशरण की कमी के कारण स्टाम्प एवं निबन्धन फीस के कमी हुई। अन्य जिलों के लिए कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किये गये।

5.5.19.3 भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 के तहत आवश्यक तथ्यों को छिपाने जाने से अवमूल्यन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार सभी तथ्य एवं परिस्थितियाँ, जो विलेख में शुल्क की प्रभार्यता या उस प्रभार्य शुल्क की राशि को प्रभावित करते हों, को पूर्णतया एवं सत्यता पूर्वक व्यक्त किये जाये। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो सरकार को गलत आशय के साथ :

- किसी ऐसे विलेख का निष्पादन करें जिसमें वे सब तथ्य एवं परिस्थितियां जिनका भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 द्वारा उस विलेख में व्यक्त किया जाना अपेक्षित है, पूर्णतया एवं सत्यतापूर्वक व्यक्त न किया गया हो या
- किसी विलेख में जिसकी तैयारी के लिए वह नियुक्त किया गया हो, या उससे सम्बद्ध हो, उन तथ्यों एवं परिस्थितियों को पूर्णतया और सत्यता पूर्वक उसमें व्यक्त करने में उपेक्षा करे या व्यक्त न करे, या
- इस अधिनियम के अधीन शुल्क या दण्ड से सरकार को वंचित करनें के प्रयत्न में कोई और कार्य करे,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा, या दोनो से दण्डनीय होगा।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 64–ब के अन्तर्गत जहाँ कोई व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम के अधीन शुल्क अदा करने का दायित्व हो, किसी विलेख के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 64 के अधीन किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया हो तो मजिस्ट्रेट उस दण्ड के अतिरिक्त जो उस अपराध के लिए आरोपित किया जाये उस व्यक्ति से शुल्क एवं दण्ड यदि कोई

[65] जी0बी0 नगर (उ0नि0 सदर, उ0नि0 नोएडा 1,3)
[66] विक्रय विलेख

हो, की राशि जो इस अधिनियम के अधीन उस विलेख के लिए देय है, को वसूली का निर्देश भी देगा और वह उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी जैसे कि वह मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित जुर्माना हो।

जून 2008 और जनवरी 2012 के मध्य 23 उप निबन्धक[67] कार्यालयों के अभिलेखों[68] की जाँच में हमने देखा कि व्यक्तियों/आवास समिति/डेवलपर्स/बिल्डर्स द्वारा क्रय/विक्रय से संबन्धित 51 अन्तरण विलेख पंजीकृत किये गये थे परन्तु चौहद्दी[69] में तथ्यों[70] को छिपाकर भूमि की प्रकृति अस्पष्ट की गयी थी। यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। दस्तावेजों में वर्णित कृषि दरों से मूल्यांकन का प्रतिफल ₹ 14.52 करोड़ के बजाय गैर कृषि दर ₹ 56.38 करोड़ होता जिसके अनुसार स्टाम्प शुल्क ₹ 3.81 करोड़ एवं निबन्धन फीस ₹ 4.40 लाख आरोपणीय था जबकि स्टाम्प शुल्क ₹ 94.11 लाख एवं निबन्धन फीस ₹ 3.97 लाख का भुगतान किया गया था। इस प्रकार भूमि के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप स्टाम्प शुल्क ₹ 2.87 करोड़ तथा निबन्धन फीस ₹ 43,000 का कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–XVII** में दिखाया गया है ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने कोई विशेष उत्तर नही दिया।

5.5.20 दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद 34अ में शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत में, जिसमें उचित शुल्क दिया गया हो, केवल लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए प्रावधान है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत सभी दस्तावेज जो अनुसूची में उल्लिखित निर्धारित दरों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किया जायेगा। एक दस्तावेज लिखतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है न कि शीर्षक के आधार पर।

ऐसे कोई दस्तावेज जिसमें आराजी संख्या/प्लाट संख्या/विक्रेता या क्रेता का नाम/भूमि का क्षेत्रफल/भूमि की प्रकृति /दस्तावेज जो पूर्व में अन्य आराजी संख्या से पंजीकृत हो/प्लाट संख्या/भूमि का क्षेत्रफल/भूमि की प्रकृति विलेख सुधार पत्र नहीं माना जा सकता और इन दस्तावेजों को विक्रय विलेख की भांति मूल्यांकन आवश्यक है।

अप्रैल 2008 और मार्च 2012 के मध्य उप निबन्धक कार्यालयों के अभिलेखों[71] की जाँच में हमने देखा कि मार्च 2008 और अगस्त 2011 के मध्य पंजीकृत 60 विलेख उनके शीर्षकों के आधार पर सुधार पत्रों के रूप में वर्गीकृत थे और उसी अनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपित था। इन दस्तावेजों के लिखतों की जांच में यद्यपि प्रकाश में आया कि ये दस्तावेज गलत वर्गीकृत थे। इन दस्तावेजों के सुधार आराजी/प्लाट संख्या/विक्रेता/क्रेता का नाम, भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की प्रकृति विलेख में परिवर्तन हुआ था और इसलिए इन दस्तावेजों को विक्रय विलेख मानने की आवश्यकता थी और सम्पत्तियों के मूल्यांकन ₹ 6.26 करोड़ पर किया जाना था जिस पर स्टाम्प शुल्क के रूप में ₹ 39.94 लाख और निबन्धन फीस ₹ 4.91 लाख आरोपणीय था। जिसके विरूद्ध स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस दोनो ही ₹ 6,300 आरोपित किया गया। इस प्रकार

---

[67] आगरा (उ0नि0 1,3,), अलीगढ (उ0नि0 1,2), इलाहाबाद (उ0नि0 1,2), एटा (उ0नि0 सदर), इटावा (उ0नि0 सदर), फिरोजाबाद (उ0नि0 1), जी0बी0 नगर (उ0नि0 सदर, नोयडा 1,,3), गाजियाबाद (उ0नि0 ,5), झांसी (उ0नि0 2), कानपुर (उ0नि0 1,2,3), लखनऊ (उ0नि0 1,4), मथुरा (उ0नि0 2), मेरठ (उ0नि0 3), मुजफ्फरनगर (उ0नि0 1,) एवं वाराणसी (उ0नि0 2)

[68] विक्रय विलेख

[69] चौहद्दीः प्रश्नगत भूमि के सीमा में स्थित सम्पत्ति

[70] आराजी सं0, भूमि का स्वामी, भूमि की प्रकृति, विक्रय विलेख की चौहद्दी, 200 मी0 की त्रिज्या का नजरी नक्शा (प्रश्नगत सम्पत्ति के आसपास की सम्पत्ति का विवरण), का पूर्ण सूचना विलेख में अंकित नहीं है ।

[71] तितिम्मा विलेख

स्टाम्प शुल्क ₹ 39.88 लाख एवं निबन्धन फीस ₹ 4.91 लाख का कम आरोपण हुआ। विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

क0 सं0	सुधार की प्रकृति	कार्यालयों की संख्या	दस्तावेजों की संख्या	संपत्ति का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	सुधार पत्रों की निष्पादन अवधि	सम्पत्ति का कुल मूल्य	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	निबन्धन फीस का कम आरोपण
1	आराजी एवं प्लाट सं0 में परिवर्तन	27[72]	50	23429.80	05/2008 से 08/2011	352.75	22.10	4.10	0.05	0.05	22.05	4.05
2	विक्रेता के नाम में परिवर्तन	4[73]	7	5970.20	07/2009 से 04/2011	102.66	6.74	0.57	0.01	0.01	6.73	0.56
3.	क्षेत्रफल में परिवर्तन	1[74]	1	130.12	07/2011	6.90	0.41	0.10	0.001	0.001	0.41	0.10
4.	भूमि की प्रकृति में परिवर्तन	1[75]	1	4046.00	10/2010	89.02	6.23	0.10	0.001	0.001	6.23	0.10
5.	विलेख की प्रकृति में परिवर्तन	1[76]	1	297.29	02/2010	74.33	4.46	0.10	0.001	0.001	4.46	0.10
	योग	**31[77]**	**60**	**33873.41**	**05/2008 से 08/2011**	**625.66**	**39.94**	**4.97**	**0.063**	**0.063**	**39.88**	**4.91**

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर एक जिला (बस्ती) में विभाग ने उत्तर में बताया कि इन मामलों में विस्तृत विधिक जाँच की जरूरतें हैं और शेष प्रकरणों में विभाग ने उत्तर दिया कि ये केवल लिपिकीय त्रुटियों के सुधार थे। हम विभागीय उत्तर से सहमत नहीं थे क्योंकि आराजी/प्लाट संख्या, विक्रेता/क्रेता के नाम, भूमि का क्षेत्रफल, भूमि/विलेख की प्रकृति ये सब बुनियादी विवरण हैं और ये बुनियादी सुधार लिपिकीय सुधारों के दायरे में नहीं आते।

5.5.21 दर सूची में संशोधन

5.5.21.1 विलम्ब से पुनरीक्षण

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (स्टा0 स0 का मू0) के नियम 4 में प्रावधानित है कि एक जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि/सम्पत्ति की बाजार दरें पंजीकरण अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है । वह मूल्य या किराये के निर्धारण के तिथि से दो वर्षों के अन्दर संशोधित करेगा । विभाग के पास जिलाधिकारी को समेकित सूचना प्रदान करने की कोई प्रणाली नहीं है। शासनादेश सं0 नि0–5–2208/ 11–5–2010–500 (18)2010 दिनांक 11 जून 2010 के प्रस्तर–8 जो मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्गत था, में निर्देश था कि जिलों के जिलाधिकारी 30 जून 2010 तक दर सूची का संशोधन करके 10 जुलाई 2010 तक स्टाम्प आयुक्त को उसकी सूचना दें।

अगस्त 2010 से मार्च 2012 की अवधि में 58 उप निबन्धक कार्यालयों के दर सूची की जाँच के दौरान हमने पाया कि नौ उप निबन्धक[78] कार्यालयों में दर सूची का पुनरीक्षण समय के अन्दर किया गया था।

---

[72] आगरा (उ0नि0 1,3,5), अलीगढ (उ0नि0 1,), इलाहाबाद (उ0नि0 1), बस्ती (उ0नि0 सदर), चित्रकूट (उ0नि0 सदर), एटा (उ0नि0 सदर), जी0बी0 नगर (उ0नि0 नोयडा 1,3), गोरखपुर (उ0नि0 1,2), झांसी (उ0नि0 1,2), कन्नौज (उ0नि0 सदर), कानपुर (उ0नि0 2,), लखनऊ (उ0नि0 1,2,4,5), मथुरा (उ0नि0 1,2), मेरठ (उ0नि0 2,3,), मुजफ्फर नगर (उ0नि0 2), एवं वाराणसी (उ0नि0 4)।

[73] जी0वी0 नगर (उ0नि0 1), गाजियाबाद (उ0नि0 2), कानपुर (उ0नि0 1), लखनऊ (उ0नि0 4)।

[74] वाराणसी (उ0नि0 1)।

[75] बुलन्दशहर (उ0नि0 1)।

[76] गाजियाबाद (उ0नि0 3)।

[77] आगरा (उ0नि0 1,3,5), अलीगढ (उ0नि0 1,), इलाहाबाद (उ0नि0 1,), बस्ती (उ0नि0 सदर), बुलन्दशहर (उ0नि0 1,), चित्रकूट (उ0नि0 सदर), एटा (उ0नि0 सदर), जी0बी0 नगर (नोयडा 1,3), गाजियाबाद (उ0नि0 2,3,), गोरखपुर (उ0नि0 1,2), झांसी (उ0नि0 1,2), कन्नौज (उ0नि0 सदर), कानपुर (उ0नि0 1,2), लखनऊ (उ0नि0 1,2,,4,5), मथुरा (उ0नि0 1,2), मेरठ (उ0नि0 2,3), मुजफ्फरनगर (उ0नि0 ,2) एवं वाराणसी (उ0नि0 1,4)।

[78] इलाहाबाद(उ0नि0 1,2), बस्ती (उ0नि0 सदर), बुलन्दशहर (उ0नि0 1,2), एटा (उ0नि0सदर), झांसी (उ0नि0 1,2), जे0पी0 नगर (उ0नि0 सदर)।

शेष 49 उप निबन्धक कार्यालयों[79] में सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा सम्पत्तियों के दरों में पुनरीक्षण अगस्त 2010 में किया गया । यद्यपि दर सूची के एक महीने विलम्ब से पुनरीक्षण किये जाने पर विभाग ने जुलाई 2010 तक सम्पत्ति का मूल्यांकन पूर्व पुनरीक्षित दर से किया। जुलाई 2010 में 44,546 दस्तावेजों का पंजीयन पूर्व में पुनरीक्षित दरों पर किया गया। हमने 405 दस्तावेजों की जाँच किया वे सभी पुनरीक्षण में विलम्ब के कारण स्टाम्प शुल्क ₹ 1.83 करोड़[80] एवं निबन्धन फीस ₹ 53,000 की हानि इन अकेले नमूना जाँच प्रकरणों में हुई। चूँकि हमने इन निबन्धित प्रकरणों में केवल एक प्रतिशत नमूने के रूप में जाँच की और यहाँ राज्य में 354 उप निबन्धक हैं यदि शेष उप निबन्धक में भी संगणना की जाय तो यह हानि बहुत अधिक हो जायेगी। यद्यपि दर सूची के पुनरीक्षण की जिम्मेदारी जिलाधिकारी में निहित है, परन्तु सहायक महानिरीक्षक (नि0) की तैनाती जिले तथा मण्डलायुक्त कार्यालय स्तर पर क्रमशः विभागीय गतिविधियों की उचित निगरानी एवं विभागीय राजस्व के सुरक्षा के लिए नियुक्त की गयी है। हमने देखा कि जिला/मण्डलायुक्त स्तर पर और विभागाध्यक्ष /शासन स्तर पर, 30 जून 2010 के दर सूची के पुनरीक्षण से संबंधित शासकीय आदेश लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास नहीं किये गये थे। दर सूची के पुनरीक्षण हेतु सूचनाओं के संग्रहण के लिए विभाग में प्रणाली अस्तित्व में नहीं है।

5.5.21.2 प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर दर सूची का पुनरीक्षण न होना

शासनादेश सं0 कर नि0–5–2208/11–5–2010–500(18)/2010 दिनांक 11 जून 2010 मुख्य सचिव उ0 प्र0 द्वारा जारी, के प्रस्तर–6 में प्रावधानित है कि जिले के जिलाधिकारी द्वारा दर सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर करना चाहिये और जिसकी सूचना स्टाम्प आयुक्त उत्तर प्रदेश को दी जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय (हरिद्वार विकास प्राधिकरण बनाम रघुवीर के उच्चतम न्यायालय 1754 ए0 आई0 आर0 2010 के प्रस्तर सं0 11) निर्देशित करता है कि यह अच्छी तरह से तय है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 10 से 12 प्रतिशत वृद्धि, ऐसी भूमि जो शहरी क्षेत्र के नजदीक है और जो गैर–कृषि, विकास के महत्व की है, होती है। इस लिए दर सूची में प्रत्येक तीन माह के बाद कम से कम 2.5 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है।

नवम्बर 2010 और फरवरी 2012 के अवधि की 72 में से 24 जिलों के 58 उ0नि0 कार्यालयों[81] के दर सूची की जाँच में हमने देखा कि जून और अगस्त 2010 के मध्य जिलाधिकारी (जो स्टाम्प कलेक्टर भी है) द्वारा सम्पत्तियों की दर सूची निर्धारित की गयी थी। आदेशों के अनुसार ये दरें तीन माह में पुनरीक्षित होने थे, परन्तु 22 जिलों में

[79] आगरा (उ0नि0 1,2,3,4,5), अलीगढ (उ0नि0 1,2,3), बाराबंकी (उ0नि0 सदर), चित्रकूट (उ0नि0 सदर), इटावा (उ0नि0 सदर), फिरोजाबाद (उ0नि0 1,2), जी0बी0 नगर (उ0नि0 सदर, नोयडा 1,2,3), गाजियाबाद (उ0नि0 1,2,3,4,5), गोरखपुर (उ0नि0 1,2), झांसी (उ0नि0 1,2), जे0पी0नगर (उ0नि0 सदर), कन्नौज (उ0नि0 सदर), कानपुर (उ0नि0 1,2,3), लखनऊ (उ0नि0 1,2,3,4,5), मथुरा (उ0नि0 1,2), मेरठ (उ0नि0 1,2,3,4), मुरादाबाद (उ0नि0 1,2), मुजफ्फर नगर (उ0नि0 1,2), सहारनपुर (उ0नि0 1,2,3) एवं वाराणसी (उ0नि0 1,2,4)।

[80] पुनरीक्षित दर सूची के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य ₹ 127.32 करोड़।
दर सूची के पुनरीक्षण के पूर्व की दर के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य ₹ 101.07 करोड़।
पुनरीक्षित दर पर आरोपणीय स्टाम्प ₹ 8.31 करोड़।
आरोपित स्टाम्प शुल्क ₹ 6.48 करोड़।

[81] आगरा (उ0नि0 1,2,3,4,5), अलीगढ (उ0नि0 1,2,3) इलाहाबाद (उ0नि0 1,2), बाराबंकी (उ0नि0 सदर), बस्ती (उ0नि0 सदर), बुलन्दशहर(उ0नि0 1,2,) चित्रकूट (उ0नि0 सदर),एटा (उ0नि0 सदर) इटावा (उ0नि0 सदर), फिरोजाबाद (उ0नि0 1,2), जी0बी0 नगर (उ0नि0 सदर, नोयडा 1,2,3), गाजियाबाद (उ0नि0 1,2,3,4,5), गोरखपुर (उ0नि0 1,2), झांसी (उ0नि0 1,2), जे0पी0नगर (उ0नि0 सदर), कन्नौज (उ0नि0 सदर), कानपुर (उ0नि0 1,2,3), लखनऊ (उ0नि0 1,2,3,4,5), मथुरा (उ0नि0 1,2), मेरठ (उ0नि0 1,2,3,4), मुरादाबाद (उ0नि0 1,2), मुजफ्फर नगर (उ0नि0 1,2), सहारनपुर (उ0नि0 1,2,3) एवं वाराणसी (उ0नि0 1,2,4)

अगस्त 2011 एवं सितम्बर 2011 में पुनरीक्षित किये गये थे, ऐसे में 10 से 13 माह का अन्तराल हुआ। इलाहाबाद एवं गौतमबुद्धनगर के प्रकरण में सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक दर सूची का पुनरीक्षण नहीं किया गया था। यह सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा दर सूची के त्रैमासिक पुनरीक्षण के लिए दिनांक 10.06.2010 के शासनादेश का उल्लघंन है। उक्त अवधि में हमारे नमूने में पंजीकृत 4.53 लाख दस्तावेजों में ₹ 4,002.37 करोड़ स्टाम्प शुल्क जमा था।

हमने देखा कि जिला/मण्डलायुक्त स्तर पर और विभागाध्यक्ष/शासन स्तर पर 11 जून 2010 और इसके बाद के आदेशों, जो दर सूची के 30 जून 2010 तक पुनरीक्षण से सम्बन्धित था, को लागू करने हेतु सुनिश्चित प्रयास नहीं किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप विभाग को ₹ 289.85 करोड़ स्टाम्प शुल्क की हानि 58 उ0 नि0 में हुई थी। हानि की धनराशि और अधिक होगी, चूँकि हमने राज्य के 354 उ0 नि0 में से केवल 58 की नमूना जाँच किया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने इकाईवार उत्तरों को प्रस्तुत किया जो कहते है कि यह जिलाधिकारी की शक्ति एवं जिम्मेदारी है। हमारा विचार है कि शासकीय आदेश जून 2010 में वर्णित के अनुसार पुनरीक्षणों को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर विभाग की समग्र विफलता परिलक्षित होती है। हमने पाया कि राजस्व हित में स0म0नि0नि0, उ0म0नि0, म0नि0नि0 तथा शासन में इस तथ्य के बावजूद शासकीय आदेश को लागू करने में स्वयं पहल करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

हम संस्तुति करते है कि सरकार को ऐसी हानियों के लिए बेहतर जिम्मेदारी और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विचार करना चाहिए।

5.5.22 जिलाधिकारी द्वारा शक्ति के अनियमित प्रयोग से स्टाम्प शुल्क की हानि

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत, केवल सरकार गजट में प्रकाशित नियम या आदेश, जहाँ पूर्वगामी या अनुगामी, इसके प्रशासनाधीन सम्पूर्ण अथवा किसी भाग में, किन्ही विलेखों पर प्रभार्य, से कम या माफ कर सकती है ।

स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली के अन्तर्गत, किसी जिले के जिलाधिकारी द्वारा इसके अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात किसी सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किये जाने के उद्देश्य से जिले में स्थित भूमि/सम्पत्ति के न्यूनतम बाजार मूल्य का निर्धारण क्षेत्रवार तथा श्रेणीवार किया जाता है । परन्तु उक्त प्रावधान जिलाधिकारी को स्टाम्प शुल्क माफ करने अथवा कम करने की अनुमति नहीं देता ।

गौतम बुद्ध नगर के तीन उप निबन्धक कार्यालयों[82] के अभिलेखों[83] की जाँच के दौरान हमने पाया कि नवम्बर 2008 और अगस्त 2011 के मध्य 21 हस्तांतरण विलेख पंजीकृत थे, जिन पर नोएडा के दर के अनुसार ₹ 9.57 करोड़ पर ₹ 47.83 लाख स्टाम्प शुल्क आरोपित था। हमने देखा कि ये सभी भूमि नोएडा (एक प्राधिकरण जो उ0प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है) द्वारा क्रय किये गये थे, कम दर पर स्टाम्प आरोपित थे। इसके विरूद्ध वे भूमि जो सभी व्यक्तिगत/समितियों/कोलोनाइजर्स द्वारा क्रय किये गये थे, सभी उच्च दरों पर पंजीकृत थे। जिलाधिकारी की दर सूची के प्रावधान के अनुसार यदि भूमि नोएडा द्वारा क्रय की गयी है तो स्टाम्प शुल्क नोएडा के दर के अनुसार लगेगी न कि जिलाधिकारी के दर सूची के अनुसार। इस प्रावधान द्वारा

[82] जी0बी नगर (उ0नि0 नोएडा 1,2,3)
[83] दर सूची एवं बही I

जिलाधिकारी ने नोएडा द्वारा अदा स्टाम्प शुल्क को माफ कर दिया। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के धारा 9 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में माफी/कमी का अधिकार सरकार में निहित है। जिलाधिकारी द्वारा नोएडा प्राधिकरण के क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में कमी के शक्ति का प्रयोग शासन से अनुमति लिए बिना किया गया। जिसके कारण ₹ 2.81 करोड़[84] स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग हमारी आपत्ति से सहमत हुआ और जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को दर सूची से इस उपबन्ध को समाप्त करने हेतु निर्देश के लिए सहमत हुआ।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करे कि स्टाम्प शुल्क में ऐसी कमी का प्रावधान दर सूची में न करें ।

5.5.23 उप निबन्धकों द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी (सी0सी0आर0ए0) को मामलों का संदर्भण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथासंशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तांतरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार किसी जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की/भूमि/सम्पत्ति की बाजार दरें पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है । भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 56 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति (सरकार सहित) कलेक्टर के ऐसे आदेश जो धारा 26 के प्रथम परन्तुक के शर्त (क) एवं धारा 4 एवं 5 के अधीन किसी निर्णय से असन्तुष्ट हो, तो ऐसे निर्णय के विरूद्ध ऐसे आदेश प्राप्त के 60 दिन के अन्दर अपील सी0 सी0 आर0 ए0 में कर सकता है । जो पक्षकारों को उचित अवसर देकर मामले को सुनेगा और जैसा उचित समझे अन्तिम आदेश पारित कर देगा ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (छियालिसवां संशोधन) नियमावली 2002 के नियम 332 ए (2) के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर द्वारा ऐसे विलेख जिस पर कम स्टाम्प अदा किया गया हो, पर शुल्क एवं दण्ड आरोपित करेगा। कलेक्टर (स्टाम्प) जिसके द्वारा प्रकरणों में निर्णय दिया गया हो, की सूचना ऐसे उप निबन्धक के कार्यालय को देगा जहाँ ऐसे दस्तावेजों को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो। ऐसे आदेश की प्राप्ति के बाद पंजीयन अधिकारी निर्णय को अपनी रिपोर्ट से मिलायेगा, यदि असमानता पाता है कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है तो वह भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 के अधीन शासकीय अधिवक्ता को दर सूची एवं कलेक्टर के निर्णय की प्रति के साथ, यह राय लेने के लिए कि कलेक्टर के निर्णय के विरूद्ध अपील की जानी आवश्यक है अथवा नहीं प्रेषित करेगा। शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होने के पश्चात स्टाम्प आयुक्त के माध्यम से सी0सी0आर0ए0 को भेजने के लिए सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/उप महानिरीक्षक निबन्धन को भेजेगा।

---

[84] जिलाधिकारी की दर सूची के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य ₹ 65.76 करोड़ आता है।
सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित था ₹ 9.57 करोड़।
आरोपणीय स्टाम्प शुल्क ₹ 3.29 करोड़।
आरोपित स्टाम्प शुल्क ₹ 0.48 करोड़।

उप निबन्धकों के 50 कार्यालयों[85] के अभिलेखों[86] की जाँच के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2008–09 से 2011–12 की अवधि में 508 मामले कार्यालय में प्राप्त हुए जो कि धारा 47 (ए) (1) के अधीन कलेक्टर स्टाम्प को निर्देश एवं निर्णय के लिए उसी तरह भेजा गया था। उक्त में से 269 मामलों में स्टाम्प शुल्क की कमी पाई गई, 80 मामले यथाविधि स्टाम्पित पाये गये एवं अन्य मामलों में विभाग को कोई जानकारी नहीं थी। केवल 18 प्रकरणों में उप निबन्धकों द्वारा शासकीय अधिवक्ता की राय ली गई।

अग्रेतर हमने पाया कि 80 मामले जो यथाविधि स्टाम्पित घोषित किये गये थे, मात्र 8 प्रकरण ही सी0सी0आर0ए0 को भेजे गये थे ।

इस प्रकार मामलों को संदर्भित न करने से विभाग राजस्व से वंचित रहा । इस तरह के राजस्व क्षति के कुछ प्रकरणों की चर्चा नीचे की जा रही है :

5.5.23.1 उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव के दिनांक 31 दिसम्बर 1999 को जारी पत्र[87] जो कि सभी आयुक्तों, अपर सचिव राजस्व परिषद, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) और उप निबन्धकों को संबोधित था, इस बात पर जोर दिया गया था कि भा0 स्टा0 अधिनियम की धारा 31 के अधीन कलेक्टर द्वारा न्याय निर्णयन करते समय संबंधित उप निबन्धक की आख्या निश्चित रूप से ली जाय एवं देखा जाये तथा ऐसी आख्या के परिप्रेक्ष्य में ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथासंशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तांतरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है।

उप निबन्धक द्वितीय कानपुर कार्यालय के अभिलेखों[88] की मार्च 2012 में जाँच के दौरान हमने पाया कि 271 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल के साथ 1.01 लाख वर्गमीटर भूमि जिसमें चहार दीवारी, स्टील गेट और पेड़ शामिल थे, विठूर कानपुर रोड (60 फिट चौडी) मोहल्ला स्वरूप नगर में स्थित थी, का निबंधन[89] दिनांक 13.12.2010 को हुआ था। सम्पत्ति ₹ 182 करोड़ रूपये की प्रतिफल पर बेचा गया था। पंजीयन के पूर्व दस्तावेज को न्याय निर्णयन के लिए धारा 31 के अधीन लाया गया था तथा कलेक्टर द्वारा दो सदस्यों के साथ गठित समिति की सिफारिश के आधार पर ₹ 182.51 करोड़ मालियत आंकलित (सम्पत्ति की बिक्री मूल्य जो विक्रेता द्वारा अदा की गई, निर्माण का ह्रास मूल्य, चहार दीवारी, स्टील गेट एवं पेड़ों का मूल्य) की गई थी ।

समिति की संरचना एवं उसकी रिपोर्ट में हमने निम्नवत् कमियां पाई :

- उप निबन्धक द्वितीय के क्षेत्र में संपत्ति के आने के बावजूद उप निबन्धक द्वितीय को समिति का सदस्य नहीं बनाया गया था ।

---

[85] आगरा (उ0नि0 1,2,3,4,5), अलीगढ (उ0नि0 1,2), इलाहाबाद (उ0नि0 1,2), बाराबंकी (उ0नि0 सदर), बस्ती (उ0नि0 सदर), बुलन्दशहर (उ0नि0 1,2), चित्रकूट (उ0नि0 सदर), इटावा (उ0नि0 सदर), फिरोजाबाद (उ0नि0 1,2), जी0बी0 नगर (उ0नि0 सदर, नोयडा 1,2,3), गाजियाबाद (उ0नि0 3,4,5), गोरखपुर (उ0नि0 1,2), झांसी (उ0नि0 1,2), जे0पी0नगर (उ0नि0 सदर), कन्नौज (उ0नि0 सदर), कानपुर (उ0नि0 1,2,3), लखनऊ (उ0नि0 1,2,3,4,5), मथुरा (उ0नि0 1,2), मेरठ (उ0नि0 2,4), मुरादाबाद (उ0नि0 1,2), मुजफ्फर नगर (उ0नि0 1,2), सहारनपुर (उ0नि0 2) एवं वाराणसी (उ0नि0 1,2,4)।

[86] संदर्भित प्रकरणों से संबंधित रजिस्टर।

[87] सं0 क0नि0–5–335/11–99–500(98)/99

[88] विक्रय विलेख।

[89] उ0नि0 द्वितीय कानपुर (खण्ड सं04691, विलेख सं0 5078, पेज सं0 153 से 206)।

- भूमि[90] का वास्तविक मूल्य ₹ 342.88 करोड़ था, को ₹ 182 करोड़ लिया गया था।
- निर्माण के ह्रास मूल्य की गणना में त्रुटियां होने के कारण ₹ 4.87 लाख रूपये का अवमूल्यन हुआ ।
- न्याय निर्णयन के समय भूमि के बाजारू मूल्य आँकलित करने के लिए निर्धारित दर सूची के स्थान पर बोलीदाता के मूल्य को आधार बनाया गया ।

इस प्रकार मूल्यांकन की कमियों के कारण सम्पत्ति की मालियत ₹ 343.44 करोड़ आंकलित होती है। ₹ 24.04 करोड़ आरोपणीय स्टाम्प शुल्क के स्थान पर मात्र ₹ 12.78 करोड़ आरोपित था। परिणाम स्वरूप ₹ 11.26 करोड़ का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

5.5.23.2 अक्टूबर 2011 में सम्पन्न उप निबन्धक, द्वितीय आगरा के कार्यालय के अभिलेखों[91] की जाँच के दौरान हमने पाया कि गैर कृषि भूमि से संबन्धित अन्तरण विलेख जिसकी आराजी संख्या 370 माह अक्टूबर 2007 में अकृषि घोषित किया गया था, का निबन्धन 25 मई 2011[92] को कृषि दर से प्रतिफल ₹ 54. 06 लाख, जैसा कि विलेख में दिया गया है, पर किया गया तथा ₹ 4.33 लाख स्टाम्प शुल्क अदा किया गया व उसे भा0 स्टा0 अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत यथाविधि स्टाम्पित घोषित किया गया। यद्यपि आराजी संख्या 370 माह अक्टूबर 2007 में अकृषि घोषित किया गया था, संपत्ति का प्रतिफल मूल्य ₹ 1.24 करोड़ होना चाहिए था आवासीय दर से ₹ 8.65 लाख स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जाना चाहिए था। फिर भी उप निबन्धक ने विलेख के निबन्धन के समय इन पहलुओं पर विचार नहीं किया। परिणाम स्वरूप ₹ 4.32 लाख का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया ।

उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 में प्रावधान है कि जहॉ हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ एक भूमिधर अपने खाते या उसके भाग का असम्बद्ध प्रयोजन कृषि, बागवानी या पशुपालन के अलावा करता है तो परगने का प्रभारी स्वयं या प्रार्थना पत्र पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो नियत की जाय, उस आशय की घोषणा कर सकता है । इसके अलावा मुख्य सचिव ने अपने पत्र दिनांक 11 जून 2010, जो सभी आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित था, में इस बात पर जोर दिया कि यदि भूमि का पूरी तरह या आंशिक रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सम्बन्धित एस0डी0एम0 को स्वतः प्रेरणा से उ0प्र0ज0उ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के धारा 143 के अधीन सम्पूर्ण भूमि को आबादी के रूप में घोषणा की जानी चाहिए । यदि धारा 143 के अन्तर्गत भूमि को अकृषि घोषित किया गया था तो ऐसी भूमि का मूल्यांकन स्टाम्प शुल्क के उद्देश्य से आवासीय दर से किया जाना चाहिये।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत लेखपत्र यथाविधि स्टाम्पित घोषित किया गया। हम सहमत नहीं हुए क्योंकि इस मामले को विभाग द्वारा अगले उच्च प्राधिकारी (सी0सी0आर0ए0) को अग्रसारित किये जाने पर विचार नही किया गया जबकि इस पंजीकरण के चार वर्ष पूर्व भूमि का प्रयोग बदल गया था।

---

[90] कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.03.2010 को भूप्रयोग परिवर्तन के पश्चात संशोधित दर ₹ 34000प्रति वर्गमीटर।

[91] विक्रय विलेख ।

[92] उ0नि0 द्वितीय आगरा (खण्ड सं07782, विलेख सं0 5657, पेज सं0 265 से 310)।

5.5.24 शासकीय आदेशों के विलम्ब से लागू किये जाने के कारण अति0 स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

उ0प्र0 श0वि0यो0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, यदि राज्य सरकार की राय में, राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र के लिए योजना के अनुसार विकास करने की आवश्यकता है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है।

हमने तीन उ0 नि0[93] के कार्यालयों के अभिलेखों[94] की जाँच के दौरान देखा कि 78 प्रकरणों में क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तांरण में विलेखों में अति0 स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया गया जबकि सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विकसित क्षेत्र घोषित किया गया था । इन क्षेत्रों के बारे में अधिसूचना[95] जारी होने के पश्चात अगस्त 2008 और नवम्बर 2011 के मध्य ₹ 5.69 करोड़ मूल्य के लेखपत्र पंजीकृत किये गये, किन्तु विभाग लेखपत्र के मूल्य पर अति0 स्टाम्प शुल्क आरोपित करने में विफल रहा । इसके परिणाम स्वरूप ₹ 11.38 लाख अति0 स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया गया ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से ऐसी मांग के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण इलाहाबाद और जौनपुर में अति0 स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया जा सका तथा अलीगढ़ में अति0 स्टाम्प शुल्क आरोपित करने हेतु नोटिस जारी किया जायेगा। हम इलाहाबाद और जौनपुर के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अति0 स्टाम्प शुल्क अधिसूचना जारी होने की तिथि से आरोपणीय है।

5.5.25 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से अनियमित छूट

उ0प्र0श0वि0यो0 अधिनियम की धारा 53 में प्रावधान है कि किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में निहित राज्य सरकार को छूट दी गई है, शर्तों और इस तरह के प्रतिबंध के अधीन यदि कोई हो, इस अधिनियम के प्रावधान या नियमों से स्टाम्प से किसी भूमि या भवन या भूमि के वर्ग या सभी में छूट दे सकता है । भा0 स्टा0 अधिनियम की धारा–9 के प्रावधानों के अनुसार सरकार अपने प्रशासनाधीन सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग में किन्हीं विलेखों या ऐसे विलेखों को जो किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा, या उनके पक्ष में या ऐसे वर्ग के किन्हीं सदस्यों द्वारा, या उनके पक्ष में निष्पादित किये गये हों, पर प्रभार्य शुल्क को पूर्वगामी या अनुगामी प्रभाव से घटा या माफ कर सकती है।

हमने तीन कार्यालयों एवं महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय के अभिलेखों[96] की जाँच के दौरान पाया कि उपरोक्त उप निबन्धक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विकसित क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति का दो क्रेताओं के पक्ष में हस्तांतरित 185 विलेखों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क ₹ 6.70 करोड़ आरोपित नहीं किया गया था यद्यपि वे केवल स्टाम्प शुल्क की छूट के हकदार थे। आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का विवरण निम्नवत है:–

[93] अलीगढ (उ0नि0 3), इलाहाबाद (उ0नि0 बारा) और जौनपुर (उ0नि0 मडियाहू)।
[94] विक्रय विलेख।
[95] अलीगढ (कोल–दिनांक 08.02.2008), इलाहाबाद (बारा –दिनांक 16.08.2008) और जौनपुर (उ0नि0 मडियाहूं दिनांक 09.01.2010)।
[96] उ0नि0 कार्यालयों में विक्रय विलेख एवं उ0नि0 कार्यालयों में शासकीय आदेश एवं म0नि0नि0।

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	राजपत्र अधिसूचना संख्या जिसके द्वारा स्टाम्प शुल्क में छूट दिया गया	उप निबन्धकों की संख्या	विलेखों की संख्या	केताओं के नाम जिनको छूट प्रदान की गई थी	प्रतिफल की धनराशि	स्टाम्प छूट की धनराशि	आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क
1	क0नि05–305 / 11 – 2005–500(136)–2003 लखनऊ दिनांक 19.01.2005	दो[97]	9	तीर्थंकर महावीर इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट एवं तकनीकी दिल्ली रोड, मुरादाबाद	3,704.60	185.23	74.09
2	क0नि05–893 / 11 – 2010–500(83)–2005 लखनऊ दिनांक 06.05.2010	एक[98]	176	मे0 उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवलपर्स	29,813.60	1,490.68	596.27
	योग	**3**	**185**		**33,518.20**	**1,675.91**	**670.36**

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि उ0 प्र0 श0 वि0 यो0 अधिनियम की धारा 39 के अनुसार शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार आरोपित किया गया है। विकसित क्षेत्र के अन्दर स्थित किसी अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण होने पर भी इस अधिनियम के अन्तर्गत संगणित मूल्य पर 2 प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा इसलिए यदि स्टाम्प शुल्क शून्य होता है तो 2 प्रतिशत वृद्धि भी शून्य होगी।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 9 के अर्न्तगत बने स्टाम्प शुल्क के छूट की अधिसूचना से हम सहमत नहीं हैं, तथा उ0 प्र0 श0 वि0 यो0 अधिनियम[99] के अन्तर्गत आरोपित अति0 स्टाम्प शुल्क के छूट का उल्लेख अधिसूचना में नहीं किया गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय 616 के ए0आई0आर0 1996 की भा0स्टा0 अधिनियम की धारा 9 के एनोटेशन 5 (iii) के अनुसार अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क माफ नहीं किया जा सकता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को विभाग द्वारा दिये गये पक्षकारों के दावे के लिए छूट एवं माफी की सत्यता जॉच करने हेतु एक निगरानी प्रणाली विकसित करना चाहिए।

5.5.26 स्टाम्प वादों में अनियमितताएं

5.5.26.1 स्टाम्प शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की धारा 33, 35, 40 एवं 47(अ) के प्रावधानों के अर्न्तगत कमी स्टाम्प शुल्क की धनराशि पर स्टाम्प शुल्क के विलेखों के निष्पादन की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक आगणित धनराशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज आरोपणीय है ।

हमने 18 जिला स्टाम्प अधिकारियों (जि0स्टा0अ0)[100] के कार्यालयों के अभिलेखों[101] की जाँच के दौरान पाया कि संबन्धित वसूली प्रमाण पत्र (व0प्र0) पंजिकाओं में पंजीकृत विलेख पत्रों के निष्पादन की तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया। जिससे कम स्टाम्प शुल्क के प्रकरणों में विलेखों के निष्पादन की तिथि से ब्याज प्रभार्य होता है अतः उक्त कमी के कारण प्रभार्य ब्याज की गणना नहीं की जा सकी।

---

[97] मुरादाबाद (उ0नि0 1 एवं 2)।
[98] उ0नि0–5 गाजियाबाद।
[99] अति0स्टा0शुल्क के लिए उ0 प्र0 श0 वि0 यो0अ0 के धारा 39 एवं प्रेषण के लिए उ0 प्र0 श0 वि0 यो0अ0 की धारा 53
[100] आगरा, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, चित्रकूट, एटा, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, झांसी, जे0पी0नगर, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी।
[101] वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0) रजिस्टर।

जब हमने ऐसे 66 मामलों[102] में विस्तृत पारस्परिक जांच किया तो हमने पाया कि स्टाम्प शुल्क के विलम्बित भुगतान पर देय ब्याज की धनराशि ₹ 5.70 लाख कम आंगणित की गई। जिसमें मात्र ₹ 53,205 की धनराशि वस्तुतः वसूली गई। इस प्रकार हमारे द्वारा जिन वादों की नमूना जाँच की गई उनमें शासन ब्याज के रूप में ₹ 5.17 लाख की धनराशि से वंचित रहा ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने आश्वासन दिया कि नये वसूली प्रमाण पत्र जारी करके वसूली की जायेगी ।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार वसूली प्रमाण पत्रों में पंजीकृत विलेखों के निष्पादन की तिथियों का उल्लेख अवश्य करें ताकि देय ब्याज की वसूली हो सके।

5.5.26.2 स्टाम्प शुल्क के कम भुगतान पर शास्ति का कम आरोपण

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा उत्तर प्रदेश स्टाम्प आयुक्त के जून 2002 को यथानिर्देशित, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के अन्तर्गत तथ्यों को छिपाने के कारण स्टाम्प शुल्क में कमी पायी जाती है तो ब्याज के अतिरिक्त कम पायी गई स्टाम्प शुल्क की धनराशि से कम शास्ति की धनराशि नहीं होनी चाहिए।
भा0 स्टा0 अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कलेक्टर स्टाम्प के विचार में यह आता है कि ऐसा विलेख जिस पर शुल्क प्रभार्य है किन्तु समुचित रूप से स्टाम्पित नहीं किया गया है तो वह उचित शुल्क की धनराशि अथवा कम शुल्क की धनराशि के 10 गुने से अनधिक शास्ति के सहित उचित शुल्क की मांग करेगा अथवा कमी को पूरा करने के अनुरूप धनराशि की मांग करेगा। धारा 47 (4)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि विलेख समुचित रूप से स्टाम्पित न पाया जाय तो वह समुचित शुल्क की धनराशि अथवा शुल्क की धनराशि में कमी के चार गुने से अनधिक शास्ति सहित समुचित शुल्क अथवा कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि की मांग करेगा।

जि0 स्टा0 अधि0[103] के 24 कार्यालयों के अभिलेखों[104] की जाँच में हमने पाया कि मई 2008 एवं मार्च 2012 के मध्य 294 वादों में ₹ 26.75 करोड़ की स्टाम्प शुल्क कम थी और ₹ 2.80 करोड़ की शास्ति आरोपित की गयी थी। इन मामलों में कम पाये गये शुल्क की धनराशि के बराबर न्यूनतम एवं चार से 10 गुने तक अधिकतम शास्ति आरोपणीय था । इस प्रकार ₹ 26.75 करोड़ शास्ति आरोपणीय थी जिसके सापेक्ष मात्र ₹ 2.80 करोड़ की शास्ति आरोपित की गयी थी। इस प्रकार ₹ 23.95 करोड़ कम शास्ति आरोपित की गयी, जैसा कि **परिशिष्ट–XVIII** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि मामलों का पुनरीक्षण किया जा रहा है और तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

---

[102] आगरा, एटा, इटावा, झांसी, कानपुर एवं लखनऊ।

[103] आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, जे0पी0नगर,, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं वाराणसी।

[104] मिसिल बन्द रजिस्टर।

5.5.27 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से आनुषंगिक एवं संग्रह प्रभार की कटौती एवं प्रेषण

5.5.27.1 आनुषंगिक एवं संग्रह प्रभार के अनियमित हस्तांतरण के कारण राजस्व की हानि

अधिसूचना सितम्बर 1993 के अन्तर्गत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि से चार प्रतिशत आनुषांगिक प्रभार एवं चार प्रतिशत संग्रह प्रभार की कटौती के पश्चात नगर महापालिका/नगर पालिका /आवास विकास परिषद या प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जायेगा। जहां आवास विकास परिषद या प्राधिकरण कार्यरत नहीं है वहां आनुषंगिक व संग्रह प्रभार की कटौती के पश्चात अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का हस्तांतरण नगर महापालिका/नगर पालिका को किया जायेगा । गैर न्यायिक स्टाम्प से प्राप्त राशि को लेखाशीर्ष 0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क–02– गैर न्यायिक स्टाम्प–102 स्टाम्प की बिक्री में जमा किया जाना चाहिए। निबन्धन शुल्क के अलावा निबंधित विलेखों के लिए प्राप्त शुल्क लेखाशीर्ष 0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क–03– निबन्धन फीस–800– अन्य प्राप्तियों में जमा किया जाना चाहिए ।

हमने तीन स0 म0 नि0 निबन्धन[105] के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया कि वर्ष 2008–09 और 2011–12 की अवधि में विभाग द्वारा ₹ 449.76 करोड़ का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क संग्रहीत किया गया और सम्पूर्ण धनराशि वर्ष 2008–09 और 2011–12 की अवधि में ₹ 35.98 करोड़ की आनुषांगिक एवं संग्रह प्रभार की कटौती किये बिना स्थानीय निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार स्थानीय निकाय को अति0 स्टाम्प शुल्क में संग्रह एवं आनुषंगिक प्रभार के अनियमित हस्तांतरण से विभाग को ₹ 35.98 करोड़ की हानि सहनी पड़ा।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि आठ प्रतिशत कटौती के पश्चात शेष धनराशि स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किया गया। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सम्बंधित इकाई द्वारा दी गई विस्तृत सूचना में स्पष्ट संकेत है कि संग्रह प्रभार की कटौती नहीं की गई थी ।

5.5.27.2 आनुषंगिक और संग्रह प्रभार का गलत वर्गीकरण

हमने 22 स0 म0 नि0 निबन्धन[106] कार्यालयों के अति0 स्टाम्प शुल्क के अभिलेखों की जाँच में पाया कि विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 और 2011–12 की अवधि के लिए ₹ 1,744.36 करोड़ रूपये का अति0 स्टाम्प शुल्क एकत्र किया गया तथा उसे लेखाशीर्ष 0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क–02– स्टाम्प–गैर न्यायिक–102–स्टाम्पों की बिक्री में जमा किया गया जिसके विरूद्ध आनुषंगिक व संग्रह प्रभार ₹ 118.20 करोड़, जो ₹ 1,477.53 करोड़ का आठ प्रतिशत है, की कटौती के पश्चात स्थानीय निकायों को ₹ 1,359.33 करोड़ हस्तांतरित किया गया। संग्रह एवं आनुषंगिक प्रभार अति0 स्टाम्प शुल्क के भाग थे और यह निबन्धन विभाग की प्राप्ति होना चाहिए तथा लेखाशीर्ष 0030

---

[105] इलाहाबाद, लखनऊ एवं मेरठ।

[106] आगरा, अलीगढ, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, जे0पी0नगर,, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं वाराणसी।

स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क–03–निबन्धन शुल्क–800– अन्य प्राप्तियों में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।

इस प्रकार आनुषांगिक प्रभार के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 118.20 करोड़ लेखाशीर्ष 0030–स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क–02 स्टाम्प–गैर न्यायिक–102– स्टाम्पों की बिक्री में ही पडा रहा और वह लेखाशीर्ष 0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क –03–निबन्धन शुल्क–800–अन्य प्राप्तियों में न्यून पड़ा रहा ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि शासन के वित्त विभाग को मामले की जांच के लिए भेजा जायेगा ।

5.5.27.3 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनियमित हस्तांतरण

स0 म0 नि0 निबन्धन इटावा के कार्यालय के अति0 स्टाम्प शुल्क से संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने पाया कि अप्रैल 2009 और मार्च 2011 के अवधि के लिए आनुषंगिक एवं संग्रह प्रभार की कटौती के पश्चात उ0 प्र0 आवास विकास परिषद लखनऊ को ₹ 2.90 करोड़ का भुगतान किया गया। यद्यपि इटावा में इस दौरान उ0 प्र0 आवास विकास परिषद या प्राधिकरण नहीं थे।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि जब तक अधिसूचना द्वारा आवास विकास परिषद को पुनः घोषित नहीं कर दिया जाता है, यह अस्तित्व में रहता है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि आदेश में कार्यरत शब्द प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ संचालित है न कि अधिसूचित। इसलिए आवास विकास परिषद को हस्तांतरित धनराशि अनियमित है और उसे आनुषंगिक व संग्रह प्रभार की कटौती के पश्चात नगर पालिका को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।

5.5.27.4 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का हस्तांतरण न किया जाना

स0 म0 नि0 निबन्धन एटा के अभिलेखों[107] की जाँच में हमने पाया कि अप्रैल 2008 और अगस्त 2011 के अवधि के लिए ₹ 7.52 करोड़ अति0 स्टाम्प शुल्क विभाग द्वारा एकत्र किया गया। उस अवधि में जनपद में उ0 प्र0 आवास विकास परिषद या प्राधिकरण कार्यरत नहीं थे। इसलिए अति0 स्टाम्प शुल्क से आनुषांगिक एव संग्रह प्रभार की कटौती के पश्चात सम्पूर्ण एकत्र धनराशि नगर पालिका को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था। मात्र ₹ 3.78 करोड़ नगर पालिका को हस्तांतरित किए गये तथा आनुषांगिक एवं संग्रह प्रभार ₹ 55.70 लाख की कटौती के पश्चात शेष ₹ 3.19 करोड़ स्टाम्प शुल्क के लेखाशीर्ष में पाये गये।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि मुख्यालय से निर्देश मांगे गये, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि 1993 की अधिसूचना में पहले से ही ऐसे प्रकरणों में नगर पालिका को ही प्रेषण का प्रावधान है और यदि जनपद में आवास विकास परिषद कार्यरत नहीं हैं तो 1993 की अधिसूचना के अनुसार एकत्र किए गये अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से आनुषांगिक एवं संग्रह प्रभार को घटाकर नगर पालिका को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

---

[107] आरोपित अति0 स्टाम्प शुल्क का आरोपण एवं स्थानीय प्राधिकरण को हस्तांतरण।

5.5.28 निष्कर्ष

स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस राज्य का महत्वपूर्ण राजस्व कर है। कुछ प्रकरणों में उनका निबन्धन अनिवार्य एवं कुछ प्रकरणों में वैकल्पिक होने पर उनका उप निबन्धक कार्यालय में निबन्धन न कराये जाने के कारण विभाग को नुकसान उठाना पडा। प्रबन्ध तंत्र में नियंत्रण की कमी अथवा खसरा जैसे अभिलेखों को भूमि/संपत्ति के नक्शे के साथ जमा न करना तथा निष्पादकों द्वारा प्रपत्र VI में घोषणा न करना, जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई दर सूची में कृषि, आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट न किये जाने से सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के मामले में, जो कि उप निबन्धक स्तर पर अनुमन्य किये गये थे, स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ। किन्तु विभाग द्वारा अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया जिससे स्टाम्प शुल्क के अपवंचन का पता नहीं चल सका। शासन और विभाग के आदेश के बावजूद कई मामलों में जिलाधिकारियों द्वारा राजस्व के नुकसान से बचने हेतु दर सूची का समय से संशोधन नहीं किया गया।

5.5.29 संस्तुतियों का सारांश

शासन विचार कर सकता है कि :

- कोडल प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करनें एवं विलम्ब से पंजीयन के मामलों पर ब्याज के आरोपण के लिए एक प्रावधान को शामिल करने पर विचार करना चाहिये जिससे विलम्ब से बचा जा सके एवं शासन को स्टाम्प शुल्क समय से प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके।
- असमानता को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत विकसित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाये जाने हेतु घोषणा अधिसूचना द्वारा लाये।
- एक ऐसी विधि स्थापित की जाये जिससे स्टाम्प देयों की वसूली समय से सुनिश्चित की जा सके। ऐसी सम्पत्ति जिसपर स्टाम्प वाद रक्षित, बिना देय के बकाये के भुगतान के पूर्व विक्रीत न किया जा सके।

अध्याय-VI
खनन प्राप्तियाँ

6.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 द्वारा अधिनियमित होती है। शासन स्तर पर सचिव, भू–तत्व एवं खनिकर्म प्रशासकीय प्रमुख हैं। भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण एवं निर्देशन निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है।

6.2 राजस्व का रुझान

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के प्रावधानों के अनुसार बजट तैयार करने में यथासम्भव आकलनों का वास्तविक प्राप्तियों के सर्वाधिक सन्निकट होना मुख्य लक्ष्य है। इसलिए यह आवश्यक है कि न केवल राजस्व और प्राप्तियों की सभी मदें जिनका पूर्वानुमान किया जा सके, उपलब्ध हों, अपितु बजट वर्ष में विगत बकाये सहित उस सीमा तक एवं अधिक नहीं, जितना वसूल होने की सम्भावना हो उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

लेखा शीर्ष "0853 अलौह खनन और धातुकर्मीय उद्योगों से प्राप्तियों" का बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियाँ नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ			भिन्नता (+/-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य का कुल करेत्तर राजस्व	कुल करेत्तर प्राप्तियों से खनिज प्राप्तियों की प्रतिशतता
		मुख्य खनिज	उपखनिज	योग				
2007-08	448.96	115.17	280.03	395.20	(-) 53.76	(-) 11.97	5,816.01	6.80
2008-09	524.00	97.39	329.92	427.31	(-) 96.69	(-) 18.45	6,766.55	6.32
2009-10	667.75	149.09	455.88	604.97	(-) 62.78	(-) 09.40	13,601.09	4.45
2010-11	838.97	167.72	485.67	653.39	(-) 185.58	(-) 22.12	11,176.21	5.85
2011-12	900.00	181.94	411.34	593.28	(-)306.72	(-)34.08	10145.30	5.85

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता (कमी) 9.40 से 34.08 प्रतिशत के मध्य थी। अवधि 2007–08 से 2011–12 के मध्य खनन उद्योग से प्राप्तियों का प्रतिशत राज्य के करेत्तर राजस्व का 4.45 प्रतिशत से 6.80 प्रतिशत था।

बजट अनुमानों को बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये जाने की हम संस्तुति करते हैं।

6.3 राजस्व का प्रभाव

अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा हमने रायल्टी, डेडरेण्ट आदि के दो प्रकरणों में ₹ 1.50 करोड़ के अवमूल्यांकन को इंगित किया। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा परीक्षित इकाइयों की सं0	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत आपत्तियों की धनराशि		वसूल की गयी धनराशि
		प्रकरण की सं0	धनराशि	प्रकरण की सं0	धनराशि	
2006–07	..	..	..	..	..	..
2007–08	1	1	1.40	..	..	..
2008–09	..	..	..	..	..	..
2009–10	1	1	0.10	..	..	..
2010–11	..	..	..	..	..	..
योग	**2**	**2**	**1.50**	**0**	**0.00**	**0.00**

6.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग के अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच में वर्ष 2011–12 के दौरान रायल्टी के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित 110 प्रकरण जिनमें ₹ 393.68 करोड की धनराशि सन्निहित है, प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणी	प्रकरणों / प्रस्तरों की संख्या	धनराशि
1.	रायल्टी और ब्याज की वसूली न किया जाना	27	32.02
2.	रायल्टी / ब्याज / स्टाम्प शुल्क का अनारोपण	2	0.71
3.	पट्टों का अनवीनीकरण / विलम्ब / अनिष्पादन	5	51.60
4.	अवैध खनन	2	80.78
5.	शास्ति का अनारोपण	1	159.79
6.	प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण	1	0.41
7	अन्य अनियमितताएँ	72	68.37
	योग	**110**	**393.68**

वर्ष 2011–12 में विभाग ने हमारे द्वारा इंगित किये गये ₹ 26.25 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 9 मामले स्वीकार किये तथा एक मामले में ₹ 18.78 लाख वसूल किया।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 315.38 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

6.5 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में रायल्टी की वसूली नहीं/कम किये जाने, शास्तियों और ब्याज के अनारोपण, राजस्व हानि आदि के मामले प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर अधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है; जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.6 रायल्टी का वसूल न किया जाना

दिसम्बर 2004 में जारी की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0एस0) में ईंट–भट्ठा स्वामियों द्वारा ₹ 400 प्रति ईंट–भट्ठा प्रार्थना–पत्र शुल्क अदा कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद ईंट–भट्ठा क्षेत्रों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दरों पर रायल्टी की धनराशि एकमुश्त अदा करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त ओ0टी0एस0एस0 में प्रावधान है कि यदि ईंट–भट्ठा स्वामी रायल्टी की एकीकृत धनराशि अदा करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी ऐसे व्यवसाय को बन्द करा देगा और बकाया रायल्टी/अर्थदण्ड की वसूली के लिए ओ0टी0एस0एस0 के पैरा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करेगा। इसके अतिरिक्त किराया, रायल्टी फीस या अन्य देय रकम पर ओ0टी0एस0एस0 के पैराग्राफ 1(5) के अनुसार निर्धारित दर से ब्याज भी आरोपित किया जा सकता है।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य 15 जिला खान कार्यालयों[1] में हमने ईंट–भट्ठा पंजिका और ईंट–भट्ठा स्वामियों की पृथक पत्रावलियों के अन्य संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि अवधि 2005–06 से 2010–11 के दौरान 3684 ईंट–भट्ठे (कोटि[2]–अ : 582, कोटि[3]–बः 1208, कोटि[4]–सः 1894) ईंट–भट्ठाकाल[5] में संचालित थे। इन ईंट–भट्ठा स्वामियों ने ₹ 9.86 करोड़ की रायल्टी भी अदा नहीं की थी। अग्रेतर, पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि यद्यपि ईंट–भट्ठा स्वामियों जिन्होंने अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु अपेक्षित प्रार्थनापत्र शुल्क अदा किया था लेकिन उन्होंने समर्थित प्रपत्र जैसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र, भूमि स्वामी की सहमति के साथ भूमि की खतौनी या इसके लिए हलफनामा आदि प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार किसी एक भी प्रकरण में अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उनके व्यवसाय को रोकने के लिए जिला खान अधिकारियों (जि0खा0अ0) द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी थी। इस प्रकार ईंट–भट्ठों के अवैध संचालन को रोकने के लिए जि0खा0अ0 द्वारा कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 9.86 करोड के अतिरिक्त ब्याज ₹ 5.29 करोड़ की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त जि0खा0अ0 राज्य

---

1 इलाहाबाद, बलिया, बस्ती, बाराबंकी, चन्दौली, गोरखपुर, हमीरपुर, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

2 कोटि–अः कानपुर नगर, मथुरा, मुजफ्फर नगर एवं सहारनपुर।

3 कोटि–बः इलाहाबाद, बाराबंकी, बस्ती, चन्दौली, कौशाम्बी एवं लखीमपुर खीरी।

4 कोटि–सः बलिया, गोरखपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

5 भट्टा वर्ष किसी वर्ष के अक्टूबर माह से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष के सितम्बर माह तक रहता है।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना उनके अधिकार क्षेत्र में की गयी खनन संक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति भी अनभिज्ञ थे।

प्रकरणों को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया (फरवरी 2012 और अगस्त 2012) कि 71 ईंट–भट्टा मालिकों से ₹ 18.78 लाख वसूल कर लिया गया है और दोषी ईंट–भट्ठा स्वामियों के विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। देयों की वसूली और अवैध खनन रोकने के लिए कृत कार्यवाही हमें सूचित नहीं किया गया (फरवरी 2013)

मामला शासन को फरवरी 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.7 ईंट बनाने की मिट्टी के अवैध हटान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 व 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे में किये गये निर्बन्धनों और शर्तो के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया संचालित नहीं करेगा।
खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (खान अधिनियम) की धारा 21(1) और (5) प्रावधानित करता है कि किसी अवैध खनन के लिए उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधिसम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य के साथ किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी देय होगा। आगे उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57 आपराधिक कार्यवाही जिसमें छः माह तक बढ़ायी जा सकने वाली साधारण सजा या अधिकतम एक हजार रूपये तक के दण्ड या दोनों सजायें आकृष्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रावधान करता है।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य 13 जिला खान अधिकारी कार्यालयों[6] में हमने ईंट–भट्ठा स्वामियों की माँग, संग्रहण और अनुज्ञापत्र पंजिका की नमूना जाँच में पाया कि 2005–06 से 2010–11 की अवधि के दौरान 10277 ईट–भट्ठे (कोटि[7]–अः 3252, कोटि[8]–बः 3699, कोटि[9]–सः 3326) अनुज्ञापत्र स्वीकृत हेतु अपेक्षित शुल्क के साथ प्रार्थनापत्र और मिट्टी खनन हेतु खनन अनुज्ञापत्र और रायल्टी की एकमुश्त धनराशि दिये बिना संचालित थे । इस प्रकार, बिना खनन अनुज्ञापत्र के मिट्टी का किया गया खनन न सिर्फ अवैध था बल्कि पारिस्थितिकीय (इकोलाजिकल) संतुलन को भी प्रभावित कर रहा था। इस तथ्य के बावजूद कि खनन संक्रियाएँ की जा रही थीं, विभाग ने उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुसार व्यवसाय को रोकने या अर्थदण्ड आरोपित करने की कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, जैसा कि **परिशिष्ट–XIX** में दिया हुआ है, के अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव के अतिरिक्त रायल्टी का पाँच गुना खनिज मूल्य मानकर ₹ 159.79 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

प्रकरणों को लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि नियमानुसार खनन अनुज्ञापत्र केवल छः माह के लिए ही जारी किया जा सकता है, जबकि ओ0टी0एस0एस0 एक वर्ष के लिए होती है और इसलिए खनन अनुज्ञापत्र

---

6 इलाहाबाद, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, कौशाम्बी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर और सहारनपुर।

7 कानपुर नगर, मथुरा, मेरठ, एवं सहारनपुर।

8 इलाहाबाद, बाराबंकी, चन्दौली, जालौन एवं कौशाम्बी।

9 फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर एवं मिर्जापुर।

ईंट–भट्ठा स्वामियों को जारी नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा व्यवसाय को रोकने, रायल्टी/खनिज मूल्य के आरोपण और वसूली और अप्राधिकृत पर्यावरणीय प्रभाव पर कोई कार्यवाही न किये जाने के बारे में उत्तर नहीं दिया गया था।

मामला शासन को फरवरी 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.8 स्टाम्प शुल्क और पंजीयन फीस के भुगतान के लिए प्रावधानों का न होना

6.8.1 उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली में डेडरेण्ट से अधिक रायल्टी के भुगतान के मामले में स्टाम्प शुल्क और निबंधन फीस आरोपण के लिए प्रावधान नहीं है।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 22 के अन्तर्गत खनन पट्टाधारक, पट्टे की अवधि के दौरान, पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिए अग्रिम में उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के द्वितीय अनुसूची में दी गयी दरों पर डेडरेन्ट के रूप में ऐसी धनराशि का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा पट्टाविलेख में निर्दिष्ट किया गया हो, भुगतान करेगा। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 35 (सी) की अनुसूची 1(बी) सपठित उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 22 के अर्न्तगत डेडरेण्ट या रायल्टी दोनों में से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क देय है। स्टाम्प आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अगस्त 2003 के आदेश द्वारा सभी जिलाधिकारियों को बालू के खनन पट्टे हेतु जमा प्रतिभूति धनराशि पर निर्धारित दर से स्टाम्प शुल्क आरोपित करने हेतु निर्देशित किया।

अक्टूबर 2010 और जनवरी 2012 के मध्य 11 जिला खान कार्यालयों[10] में हमने पट्टाविलेखों की पत्रावलियों की नमूना जाँच में पाया कि 2005–06 एवं 2009–10 के मध्य उपखनिजों के खनन हेतु बालू और बालू पत्थर आदि के 122 पट्टे निष्पादित किये गये, इन पर ₹ 15.89 करोड़ स्टाम्प शुल्क और निबंधन फीस का भुगतान पट्टाविलेखों में उल्लिखित डेडरेण्ट पर किया गया। पट्टाधारकों द्वारा उक्त अवधि में उपखनिजों के खनन पर कुल रायल्टी ₹ 58.72 करोड़[11] का भुगतान किया गया। यद्यपि भुगतान की गयी रायल्टी पट्टाविलेख में उल्लिखित डेडरेण्ट से अधिक थी, स्टाम्प शुल्क और निबंधन फीस की अन्तर धनराशि पर उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली में अपेक्षित प्रावधानों के अभाव में आरोपित नहीं किया जा सका। इस प्रकार शासन ₹ 2.48 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 35 की अनुसूची 1(बी) में पारिभाषित डेडरेण्ट पर आरोपणीय है।

हम शासन से संस्तुति करते हैं कि जिन प्रकरणों में रायल्टी का भुगतान डेडरेण्ट से अधिक किया गया हो, पट्टाविलेखों में संशोधित पट्टाविलेखों के आवधिक निष्पादन की शर्त समाविष्ट की जानी चाहिए।

6.2.8.2 अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने दो जि0खा0अ0[12] के 189 पट्टाधारकों की पत्रावलियों में पाया कि अवधि 2005–06 से 2009–10 के दौरान विभाग ने स्टाम्प शुल्क और निबंधन फीस पट्टा विलेख के समय अग्रिम में जमा प्रतिभूति जमा

[10] इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, हमीरपुर, जालौन, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महोबा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर एवं सोनभद्र।

[11] डेडरेन्ट भुगतान में सम्मिलित।

[12] बाँदा और हमीरपुर।

₹ 3.79 करोड़ पर विचार किये बिना केवल आरक्षित किराये पर आरोपित किया। परिणामस्वरूप ₹ 24.50 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इस इंगित किये जाने के पश्चात्, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2012) और बताया कि स्टाम्प शुल्क का आरोपण स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा। अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

मामला शासन को फरवरी 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.9 विलम्ब से भुगतान की गयी रायल्टी पर ब्याज का अनारोपण

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 58(2) के अनुसार 30 दिवसों की नोटिस अवधि के बीत जाने पर किसी किराया, रायल्टी, सीमांकन शुल्क और राज्य सरकार के अन्य देयों के भुगतान में हुये विलम्ब के लिये 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज आरोपित की जायेगी। केवल ईट भट्टों से रायल्टी वसूली के प्रकरण में 18 मई 2009 के शासनादेश के तहत ब्याज की दर 24 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने 14 जि0खा0अ0[13] की पट्टा पत्रावलियों से पाया कि 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान 1133 प्रकरणों में ₹ 5.10 करोड़ की देय रायल्टी फरवरी 2007 और मार्च 2011 के मध्य एक से 70 माहों के विलम्ब से जमा की गयी। यद्यपि विलम्ब से भुगतान का अपेक्षित विवरण अभिलेखों में उपलब्ध था, विभाग ने विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज के आरोपण और वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–XX** में दिये गये विवरण के अनुसार ब्याज के ₹ 46.24 लाख की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि ब्याज की वसूली के लिए परीक्षण के बाद ईंट–भट्ठा स्वामियों को नोटिसें जारी की जायेंगी। पट्टाधारकों पर ब्याज के आरोपण के सम्बन्ध में विभाग ने विशिष्ट उत्तर नहीं दिया। अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

[13] इलाहाबाद, बाराबंकी, गोरखपुर, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर एवं सोनभद्र।

6.10 नये पट्टे स्वीकृत न किये जाने/पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने से राजस्व क्षति

यदि कोई क्षेत्र जो खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए उपलब्ध है जिलाधिकारी नोटिस द्वारा क्षेत्र की उपलब्धता के लिए ऐसे क्षेत्रों की तारीख और विवरण का उल्लेख करते हुए आवेदकों से खनन पट्टों की स्वीकृति के लिए प्रार्थनापत्र आमंत्रित करेगा। आवेदक निर्धारित प्रपत्र एम0म0–1/एम0एम0–1ए में खनन पट्टे के नवीनीकरण/स्वीकृति हेतु आवेदन करेगा। खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु प्रत्येक प्रार्थनापत्र के साथ अपेक्षित शुल्क, भूमि सर्वेक्षण मानचित्र के साथ भू–कर पंजी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदक को जारी किया गया अदेयता प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाणपत्र और जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद जैसा वह आवश्यक समझे, आवेदित सम्पूर्ण क्षेत्रफल या अंश भाग के लिए और ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, खनन पट्टा स्वीकृत या नवीनीकृत करेगा।

खनन पट्टे की स्वीकृति/नवीनीकरण के प्रार्थनापत्र नोटिस में निर्दिष्ट तिथि के सात कार्यदिवसों में प्राप्त किये जायेंगे। यदि फिर भी किसी क्षेत्र के लिए प्रार्थनापत्रों की संख्या तीन से कम है, तो जिलाधिकारी कार्यदिवसों को बढ़ा सकता है, इसके बाद भी यदि प्रार्थनापत्र तीन से कम रहते हैं तो जिलाधिकारी प्रार्थना पत्रों पर विचार करेगा और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधानों के अनुसार पट्टा स्वीकृत करेगा।

खान अधिनियम, की धारा 9–ए–1 के अनुसार पट्टे का प्रत्येक पट्टाधारक प्रत्येक वर्ष द्वितीय अनुसूची में सभी क्षेत्र के लिए निर्धारित दर से सम्पूर्ण वर्ष का अग्रिम में डेडरेण्ट निर्धारित तिथि को जमा करेगा।

लेखा परीक्षा द्वारा अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012 के मध्य सात जि0खा0अ0[14] कार्यालयों से संकलित सूचनाओं से हमने पाया कि अप्रैल 2005 से जनवरी 2012 के मध्य 629 नदी बालू और बालू पत्थर की खदानें स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए विज्ञापित की गयी थीं जिनमें से 100 खदानों को जिलाधिकारियों द्वारा अंतिम रूप दिया गया। शेष 529 खदानों के पट्टे जि0खा0अ0 कार्यालयों में निम्न विवरण के अनुसार अवशेष थीं:

कोटि	जिले का नाम	खदानों की संख्या	पट्टा रहित बालू का क्षेत्रफल (एकड़ में)	पट्टा रहित बालू /बालू पत्थर का क्षेत्रफल (एकड़ मे)	पट्टा रहित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	अवधि	03/2011 तक शामिल भाटक[15] (करोड में)
तीन से कम प्रार्थनापत्र	इलाहाबाद	407	12808.92	0	12808.92	08/07 से 03/11	42.27
	चन्दौली	52	1479.87	0	1479.87	04/09 से 03/11	3.40
प्रार्थना पत्र प्रक्रिया में हैं	बाराबंकी	5	79.40	0	79.40	2005-06 से 2009-11	0.37
	फैजाबाद	24	262.45	0	262.45	2009-11	0.60
	गोरखपुर	12	90.00	0	90.00	11/06 से 03/11	0.34
	लखननऊ	1	43.00	0	43.00	11/08 से 03/11	0.07
	ललितपुर	28	0	123.14	123.14	04/05 से 03/11	0.71
	योग	**529**	**14763.64**	**123.14**	**14886.78**		**47.76**

[14] इलाहाबाद, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ एवं ललितपुर।

[15] गणना का आधारः क्षेत्रफल X सरकार द्वारा निर्धारित डेडरेन्ट की दर (मई 2009 तक– बालू ₹ 6000 प्रति एकड़, बालू पत्थर ₹ 8000 प्रति एकड़ तथा जून 2009 से बालू ₹ 12000 प्रति एकड़, बालू पत्थर ₹ 16000 प्रति एकड़)

हमने फिर पाया कि 529 में से 459 खनन पट्टे तीन से कम प्रार्थनापत्र प्राप्त होने के कारण अनिस्तारित थे जबकि 70 प्रकरणों में प्रार्थनापत्र प्रक्रिया में थे। यद्यपि एक से पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी खनन पट्टे निर्दिष्ट अवधि में तय नहीं किये जा सके और शासन डेडरेण्ट के राजस्व की प्राप्ति से वंचित रहा क्योंकि खनिज विकास में गतिरोध के अतिरिक्त बरसात के कारण बालू बह गयी।

6.10.2 पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने के कारण राजस्व क्षति

हमने जि0खा0अ0, ललितपुर में पाया कि गिट्टी/बोल्डर के 2004 एवं 2008 के मध्य 39 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए, इनमें से एक प्रार्थनापत्र पर विचार करते हुए पट्टा नवीनीकृत किया गया। शेष नवीनीकरण के 38 प्रार्थनापत्र जिनमें 165 एकड़ क्षेत्रफल आच्छादित था, शासन स्तर पर तीन से सात वर्षों से अनिस्तारित थे। इसके परिणामस्वरूप डेडरेण्ट ₹ 98.37 लाख की क्षति हुई।

6.10.3 पट्टों का नवीनीकरण/नये पट्टे स्वीकृत न किये जाने के कारण राजस्व क्षति

जि0खा0अ0, बाराबंकी, चन्दौली और मथुरा में बालू के 17 और बालू पत्थर के 4 पट्टों, जिनमें 389.61 एकड़ क्षेत्रफल आच्छादित था, की अवधि जनवरी 2004 और मई 2010 के मध्य समाप्त हो गयी थी। हमने पाया कि दिसम्बर 2000 और 16 अक्टूबर 2004 के शासनादेशों के बावजूद नये क्षेत्रों के पट्टे के लिए विभाग द्वारा सर्वेक्षण, क्षेत्रों की पहचान के लिए मानचित्र आदि नहीं बनाये गये । इसके परिणामस्वरूप 2003–04 एवं 2010–11 के मध्य डेडरेण्ट के रूप में ₹ 1.43 करोड़ की राजस्व क्षति हुई।

6.10.4 पट्टा नवीनीकरण में विलम्ब

गोरखपुर में बालू खनन के पाँच और ललितपुर में गिट्टी/बोल्डर के एक पट्टे के नवीनीकरण हेतु समय से प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए लेकिन वे आठ माह से सात वर्ष तक के विलम्ब से नवीनीकृत हुए। विभाग के स्तर पर पट्टों के नवीनीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 5.70 लाख डेडरेण्ट की राजस्व क्षति हुई।

6.10.5 पट्टा स्वीकृति में विलम्ब

हमने पाया कि ललितपुर जनपद में ग्रेनाइट के तीन, बालू पत्थर के चार तथा बालू के एक पट्टे के लिए प्रार्थनापत्र अप्रैल 1996 एवं नवम्बर 2006 के मध्य प्राप्त हुए तथा जनपद चन्दौली में बालू खनन के पाँच पट्टों के लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए। एक वर्ष सात माह से 15 वर्ष तक के विलम्ब से पट्टों का निष्पादन किया गया। इस प्रकार डेडरेण्ट ₹ 70.02 लाख की राजस्व क्षति हुई।

मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2012)। विभाग ने विशिष्ट उत्तर नहीं दिया। शासन का उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

सरकार राजस्व हित में जिला कार्यालयों में लम्बित खनन पट्टों की स्वीकृति/नवीनीकरण के आवेदन पत्रों के प्रकरणों पर नजर रखने के लिए आवधिक विवरणी निर्धारित करने पर विचार कर सकती है।

6.11 रायल्टी की वसूली न/कम किया जाना

6.11.1 अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012 के मध्य हमने पाँच जि0खा0अ0[16] के 12 पट्टाधारकों की प्रस्तुत विवरणियों की संवीक्षा के दौरान पाया कि ₹ 2.31 करोड़ की रायल्टी अक्टूबर 2000 से मार्च 2011 के मध्य पट्टाक्षेत्र से हटाये गये उपखनिजों पर देय थी। हमने पाया कि पट्टाधारकों ने केवल ₹ 70 लाख की रायल्टी का भुगतान किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने कम/गलत दर से भुगतान पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–XXI** में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 1.31 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 1.60 करोड़ रायल्टी की कम वसूली हुई।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 58 (1) और (2) प्रावधानित करता है कि पट्टाधारक से किसी धनराशि की वसूली हेतु नोटिस दी जायेगी, और यदि नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर, पट्टाधारक ऐसी धनराशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसे भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा । इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियमावली का उपनियम (2) प्रावधानित करता है कि नोटिस की अवधि की समाप्ति के बाद 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी वसूल किया जा सकता है। पट्टा विलेख प्रपत्र (एम0एम0–6) की सामान्य शर्तो के अनुसार, पट्टाविलेख की किसी शर्त के उल्लंघन के प्रकरण में पटटा निरस्त और जमा प्रतिभूति राजसात की जा

6.11.2 दरों में पुनरीक्षण के कारण रायल्टी का कम आरोपण

अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012 के मध्य हमने तीन जि0खा0अ0 कार्यालयों[17] में खनन पट्टों की पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया कि पट्टा अनुबंध की शर्तों के विपरीत विभाग ने 42 खनन पट्टों में रायल्टी और डेडरेण्ट की दरें चार से 44 महीनों की अवधि तक पुनरीक्षित नही किया। इसके परिणामस्परूप निम्न विवरण के अनुसार ₹ 65.70 लाख रायल्टी की कम वसूली हुई।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 14 के साथ पठित अक्टूबर 2004 का शासनादेश प्रावधानित करता है कि रायल्टी का भुगतान समय समय पर पुनरीक्षित दरों के आधार पर किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा रायल्टी की दरों को 2 जून 2009 के शासनादेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया।

(₹ लाख में)

क्रमांक	जनपद	प्रकरणों की सं0	क्षेत्रफल एकड़ में	पुनरीक्षण से पूर्व की देय दर [18]	पुनरीक्षित दर से देय दर [19]	जमा किया गया वास्तविक पट्टा किराया	अन्तर
1	इलाहाबाद	7	106.76	16.20	32.40	26.71	5.70
2	गोरखपुर	17	234.50	25.19	50.39	25.19	25.20
3	कौशाम्बी	18	620.00	34.80	69.60	34.80	34.80
	योग	**42**	**961.26**	**76.19**	**152.39**	**86.70**	**65.70**

[16] गोरखपुर, जालौन, ललितपुर, मिर्जापुर एवं मुजफ्फरनगर।

[17] इलाहाबाद, गोरखपुर एवं कौशाम्बी।

[18] शासकीय आदेश सं0 6714/77-5-2004-200-77 दिनांक 15 दिसम्बर 2004 द्वारा लागू दरें 16 दिसम्बर 2004 से 01 जून 2009 तक– बालू ₹ 6000 प्रति एकड़, बालू पत्थर ₹ 8000 प्रति एकड़।

[19] शासकीय आदेश सं0 530/86-77-2009-200/77-टी.सी.-II लखनऊ, दिनांक 02 जून 2009 से रायल्टी की दरों में संशोधन के पश्चात लागू दरें– बालू ₹ 12000 प्रति एकड़, बालू पत्थर ₹ 16000 प्रति एकड।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार की (फरवरी 2012) और बताया कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी। अंतिम उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.12 अनधिकृत उत्खनन

6.12.1 अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012 के मध्य हमने पाँच जि0खा0अ0[20], के पट्टाधारकों के खनन पट्टों की पत्रावलियों की नमूना जाँच में पाया कि पट्टाधारकों ने अवधि 2005–06 से 2010–11 के दौरान 28,33,850 घनमी0 स्टोन बैलास्ट का उत्खनन अनुमोदित खनन योजनाओं में उल्लिखित मात्रा से अधिक का किया। इस प्रकार पट्टाधारकों द्वारा उपखनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और पट्टाधारकों से खनिज मूल्य ₹ 77.87 करोड़ वसूलनीय था। जि0खा0अ0 ने न तो खनन योजना से अधिक उत्खनन के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ की और न ही ₹ 77.87 करोड़ के खनिज मूल्य की वसूली के लिए कोई कार्यवाही की जैसा कि तालिका में वर्णित है:

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 22 ए में प्रावधान है कि खनन संक्रियाएँ विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए और खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना में संशोधन हेतु पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित है। खान अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब कभीं कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से हटायेगा, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे उठाये गये खनिज या जहाँ ऐसा खनिज पूर्व में हीं हटाया गया है, रायल्टी के साथ खनिज मूल्य वसूल कर सकती है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) के अन्तर्गत रायल्टी खनिमुख मूल्य का अधिकतम 5 प्रतिशत की दर से निर्धारित है।
उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) के अन्तर्गत संगमरमर, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर जैसे बालू पत्थर और ग्रेनाइट, स्टोन बैलास्ट (गिट्टी), बजरी आदि, के प्रकरणों में पट्टाधारक द्वारा प्रपत्र एम0एम0–1(ए) में प्रार्थना पत्र के साथ खनन योजना संलग्न करना अपेक्षित है । नदी तल में पाये जाने वाले बालू और मौरम के लिए खनन योजना की आवश्यकता नहीं है।

(₹करोड में)

क्रमांक	जनपद	प्रकरणों की संख्या	कुल आरक्षित घनमी. में	खनन योजना के अनुसार स्वीकृत मात्रा घन मी. में	खनन की गयी कुल मात्रा घनमी. में	अधिक किया गया खनन घनमी. में	वसूलनीय खनिज मूल्य
1	झाँसी	5	290865	45000	140750	95750	2.96
			59840	12000	147520*	135520	3.77
			50374	15000	55000*	40000	1.23
			100000	24000	238200*	214200	5.96
			52129	12000	125800*	113800	2.56
2	ललितपुर	2	245486	36000	267663*	231663	4.33
			120428	15000	45582	30582	0.56
3	महोबा	5	116761	30000	180950*	150950	3.86
			113751	16000	156600*	140600	3.61
			131182	20000	155400*	135400	3.34
			157795	30000	219150*	185150	4.96
			खनन योजना नवीनीकृत नहीं	---	428950*	428950	13.19
4	सोनभद्र	5	68330	18000	106200*	88200	2.34
			93912	24000	328000*	304000	8.76
			19583	6000	310500*	304500	9.03
			10415	3000	133900*	130900	4.16
			117433	21000	74400	53400	1.44

[20] झाँसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

5	मिर्जापुर	5	लागू नहीं	5600	19759	14159	0.48
			लागू नहीं	7000	21440	21440	0.73
			लागू नहीं	10500	13960	3460	0.12
			लागू नहीं	7000	15228	8228	0.28
			लागू नहीं	8000	13998	5998	0.20
योग		**22**	**1748284**	**365100**	**3198950**	**2833850**	**77.87**

स्रोत : पट्टाधारकों की पत्रावलियाँ

* अनुमोदित खनन योजना से अधिक मात्रा का उत्खनन

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये (फरवरी 2012) जाने पर, विभाग ने बताया कि यदि खनन योजना में दी गयी मात्रा से अधिक उपखनिज का उत्खनन किया जाता है, तब उत्खनन अवैध नहीं कहा जाता है क्योंकि पट्टाधारक पट्टाक्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज की किसी भी मात्रा का उत्खनन करने के लिए प्राधिकृत है।

हम विभागीय उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34 (2) के अनुसार स्वस्थाने किस्म की चट्टानों के सम्बन्ध में खनन संक्रियाएँ निदेशक द्वारा अनुमोदित खनन योजना जिसमें वार्षिक विकास की योजना का ब्यौरा होगा, के अनुसार की जायेंगी। खनिज परिहार नियमावली के नियम 22 ए में प्रावधान है कि खनन संक्रियाएँ विधिवत् अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रारम्भ की जायेंगी। खनन योजना में संशोधन भी पूर्व अनुमति के साथ अपेक्षित है। इस प्रकार खनन योजना में अनुमोदित मात्रा से अधिक उपखनिज का उत्खनन अनधिकृत था। अंतिम उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.12.2 खनन योजना के नवीनीकरण के बिना उपखनिज का उत्खनन

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने जि0खा0अ0, बाँदा के पट्टाधारकों की पत्रावलियों से पाया कि दो पट्टाधारकों ने उपखनिजों का उत्खनन और परिवहन अपनी खनन योजनाओं के नवीनीकरण/अनुमोदन के बिना किया। एक पट्टाधारक की खनन योजना केवल तीन वर्ष के लिए अनुमोदित की गयी थी। फिर भी, विभाग ने पट्टाधारक को खनन योजनाओं की अवधि समाप्ति के बाद 18 माह के लिए नियमित एम0एम0–11 प्रपत्र जारी किये। दूसरे प्रकरण में उपखनिज का उत्खनन खनन योजना के अनुमोदन से पूर्व प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार उपरोक्त उल्लिखित अवधि के दौरान पट्टाधारकों द्वारा 4800 घनमी0 उपखनिजों का अवैध खनन किया गया। यद्यपि खनिज मूल्य ₹ 12.87 लाख पट्टाधारकों से वसूलनीय था, जि0खा0अ0, बाँदा ने न तो अनधिकृत खनन को रोकने और न ही उत्खनित उपखनिज के मूल्य को वसूलने के लिए कोई कार्यवाही की।

इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2011) जि0खा0अ0, ने बताया कि पट्टाधारकों द्वारा खनन संक्रियाएँ माँग के अनुसार और निर्धारित दर से डेडरेण्ट/रायल्टी का भुगतान कर संचालित की गयी थीं।

हम विभागीय उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि खनन संक्रियाएँ अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अपेक्षित थीं जिसका अनुसरण नहीं किया गया। अंतिम उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.13 खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के बीच असमानता

हमने पाया कि खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के बीच अवैध खनन के प्रकरणों के सम्बन्ध में दण्ड प्रावधानों और खनिज मूल्य की वसूली जैसे दो मुद्दों के मध्य समानता नहीं है।

खान अधिनियम की धारा 21 में कारावास की अवधि जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या अर्थदण्ड जिसे ₹ 25000 तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं या जब कोई व्यक्ति वैध पट्टा/अनुज्ञापत्र के बिना किसी खनिज को अवैध रूप से हटायेगा वह रायल्टी के साथ खनिज मूल्य का दायी होगा, जबकि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली में कारावास जिसे छः माह तक बढ़ाया जा सकता है या शास्ति जिसे एक हजार तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों, सजा का प्रावधान है । उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली में उपखनिजों के अवैध खनन पर खनिज मूल्य की वसूली के लिए कोई सुसंगत प्रावधान नहीं है।

हमने 14 जि0खा0का0[21] में देखा कि जि0खा0अ0 द्वारा वैध एम0एम0–11 प्रपत्रों के बिना उपखनिजों के अवैध परिवहन के 1,555 प्रकरणों को जि0खा0अ0 द्वारा प्रशमित (2005–06 से 2010–11 के मध्य) एवं दण्ड आरोपित किया गया। 78 प्रकरणों में अधिकतम दण्ड ₹ 25000 और 10 प्रकरणों में न्यूनतम दण्ड शून्य आरोपित किया गया। 1,467 वाहनों को अत्यल्प धनराशि आरोपित कर अवमुक्त किया गया। इस प्रकार विभाग द्वारा आरोपित की गयी शास्ति में समानता नहीं थी।

इस प्रकार दण्ड आरोपण में अस्पष्टता थी, खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली दोनों के प्रावधानों का प्रयोग समान ढंग से नही किया जा रहा था।

इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि अवैध परिवहन के प्रकरणों में शासन के दिसम्बर 2011 की अधिसूचना के अनुसार नियमावली में संशोधन कर अधिकतम दण्ड ₹ 25000 कर दिया गया है । फिर भी अधिकतम कारावास की अवधि केवल छः माह तक है।

हमारा विचार है कि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली की खान अधिनियम के साथ समानता और उपखनिजों के अवैध परिवहन को रोकने में एकरूपता होनी चाहिए।

6.14 अवैध खनन पर खनिज मूल्य और रायल्टी की वसूली न किया जाना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 के अन्तर्गत उपखनिजों हेतु लागू नियमों के अतिरिक्त राज्य के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में पट्टा विलेख या खनन अनुज्ञा पत्र में दी गयी अवधि और शर्तो के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अतिरिक्त खनन संक्रियाएँ नहीं करेगा।

इसके अतिरिक्त खान अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी उपखनिज को किसी भूमि से हटाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे हटाये गये उपखनिज या जहाँ ऐसे उपखनिज का परिवहन कर लिया गया है, रायल्टी के साथ खनिज मूल्य और उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना विधिक प्राधिकार के भूमि कब्जे में रखी गयी, किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, वसूल कर सकती है ।

6.14.1 अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने तीन जिला खान अधिकारी कार्यालयों[22] में पट्टाधारकों की पत्रावलियों में पाया कि अवधि 2005–06 से 2010–11 के दौरान पट्टाधारकों ने उपखनिज (बालू) का उत्खनन अनुमोदित पट्टे के अतिरिक्त क्षेत्रों से किया। ऐसे

---

[21] इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

[22] लखनऊ, मथुरा एवं सोनभद्र।

बालू के 2,09,972.05 घनमी0 अवैध उत्खनन के प्रकरणों का विभाग द्वारा पता लगाया गया और पट्टाधारकों को नोटिस जारी की गयी। फिर भी विभाग ने ऐसे उठाये गये उपखनिजों का खनिज मूल्य नहीं निकाला और न ही इन पट्टाधारकों से ₹ 2.35 करोड़ की रायल्टी तथा खनिज मूल्य की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष मामला दर्ज किया। परिणामस्वरूप खनिज मूल्य ₹ 1.96 करोड़ तथा रायल्टी ₹ 39.11 लाख की वसूली नहीं हुई।

6.14.2 हमने जि0खा0अ0, जालौन में पाया कि 16,990 घनमी0 अनधिकृत रूप से उत्खनित बालू का विभाग द्वारा पता लगाया गया (26 फरवरी 2009) और विभाग ने ₹ 4.16 लाख[23] की माँग बिना खनिज मूल्य ₹ 42.56 लाख सम्मिलित किये की (मार्च 2009)।

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि खनिज मूल्य और रायल्टी की वसूली खान अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 1 के तहत अपराध के संज्ञान लेने के लिए सक्षम अदालत के आदेश द्वारा की जा सकती है। तथ्य यह है विभाग ने खनिज मूल्य की वसूली के लिए सक्षम अदालत के समक्ष वाद दर्ज नहीं किया था। अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं है (फरवरी 2013)।

6.15 कोयला पट्टा

कोयला खान अधिनियम में मुख्य खनिज पारिभाषित किया गया है।

खान अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत पट्टे में दिये गये निबन्धनों और शर्तो के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार खनन पट्टे की अवधि 30 वर्ष से अधिक स्वीकृत नहीं की जा सकती। निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार अचल सम्पत्ति के पट्टे के निबंधन के लिए वर्ष दर वर्ष या बढ़ी हुई कोई एक वर्ष की अवधि या वार्षिक आरक्षित किराया आवश्यक है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 26 प्रावधानित करती है कि स्टाम्प शुल्क डेडरेण्ट या रायल्टी दोनों में से जो भी अधिक हो पर ₹ 20 प्रति हजार की दर से देय है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश दि0 27 जुलाई 2007 के अनुसार कृष्णशिला परियोजना को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा स्वीकृत किया गया।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने जि0खा0अ0 सोनभद्र के अभिलेखों एवं हमारे सह कार्यालय[24] द्वारा उपलब्ध कराये गये नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0 (एन0सी0एल0) के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि एन0सी0एल0 की कृष्णशिला कोयला खनन परियोजना ने 859.95 हेक्टेयर भूमि में खनन कार्य जनवरी 2008 में प्रारम्भ किया और एन0सी0एल0 ने जनवरी 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य रायल्टी के रूप में ₹ 96.20 करोड़ का भुगतान किया।

अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ किये जाने से पूर्व एन0सी0एल0 ने खनन पट्टा निष्पादित किया था।

हमने एन0सी0एल0 की चार अन्य कोयला परियोजनाओं बीना, काकरी, दुद्धीचूआ और खड़िया जो राज्य में क्रमशः 1974, 1980, 1991 और 1992 से संचालित थीं के सम्बन्ध में समान स्थितियाँ पायीं। अभिलेखों में खनन पट्टे निष्पादित किये जाने का कोई संकेत

[23] रायल्टी – ₹ 3,90,770 और शास्ति – ₹ 25,000

[24] कार्यालय प्रधान निदेशक एम0ए0बी0–।।, कोलकाता।

नहीं मिलता। यद्यपि एन0सी0एल0 ने पुष्टि की है कि पट्टे निष्पादित नहीं किये गये थे। इस प्रकार, विभाग किसी भी शर्त, जिनके अन्तर्गत पट्टे स्वीकृत किये गये थे, के प्रवर्तन अथवा निगरानी की स्थिति में नहीं था। इसके अतिरिक्त शासन इन समस्त प्रकरणों में स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस की प्राप्ति से वंचित रहा।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि उनके पास कोयले के खनन पट्टों के निष्पादन की सूचना उपलब्ध नहीं है और कोयले के खनन पट्टे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये थे।

चूँकि सोनभद्र में कोयला खनन विभाग के राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है, हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निबन्धनों और शर्तों के अनुसार पट्टा अनुबंध को निष्पादित किये जाने और कोयला क्षेत्र में खनन संक्रियाओं का एक निगरानी तन्त्र विकसित किए जाने को सुनिश्चित करना चाहिए ।

6.16 पारगमन पासों की पंजिका का रख–रखाव

शासन ने सितम्बर 2003 के निर्देश द्वारा सभीं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपदीय कार्यालयों में एम0एम0–11 प्रपत्रों हेतु एक स्टाक रजिस्टर¥ एवं निर्गमन पंजिका£ बनाई जायेगी तथा क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी सम्बन्धित जिलों के रजिस्टर की जॉच एवं सत्यापन करेगा। आगे, सरकार ने अपने फरवरी 2001 के आदेश को अगस्त 2002 व अक्टूबर 2006 में दोहराया और सभीं जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोक निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त उपखनिज को रायल्टी का भुगतान करने के पश्चात् वैध एम0एम0–11 प्रपत्रों द्वारा लाया गया, निर्देशित किया।

फरवरी 2001, अगस्त 2002 तथा अक्टूबर 2006 के शासनादेशों के अनुसार सरकारी कार्यदायी संस्थाओं को उनके ठेकेदारों द्वारा जमा किये गये एम0एम0–11 प्रपत्रों का सत्यापन सम्बन्धित जिला खान कार्यालयों से करना आवश्यक था।

¥ स्टाक रजिस्टर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से प्राप्त सभीं एम0एम0–11 प्रपत्रों को जिला खान कार्यालय में अभिलिखित किया जाने वाला एक रजिस्टर।

£ निर्गमन रजिस्टर पट्टा धारकों को निर्गत एम0एम0–11 प्रपत्रों का विवरण अंकित किये जाने हेतु जिला खान कार्यालय में रखा जाने वाला एक रजिस्टर।

सत्रह जनपदों[25] में एम0एम0–11 प्रपत्रों की स्टाक पंजिकाओं की नमूना जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं :

- चार जनपदों[26] ने स्टाक रजिस्टर के रख–रखाव की सूचना उपलब्ध नहीं कराया।
- दो जनपदों[27] में स्टाक पंजिका का रख–रखाव नहीं किया गया था।
- 15 जनपदों[28] में से मात्र तीन जनपदों[29] में प्रभारी अधिकारी द्वारा स्टाक पंजिका का सत्यापन किया गया था।

[25] इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, झाँसी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर एवं सोनभद्र।

[26] जालौन, लखीमपुर खीरी, मथुरा एवं सहारनपुर।

[27] बाराबंकी एवं लखनऊ।

[28] इलाहाबाद, बाँदा, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, झाँसी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, ललितपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर एवं सोनभद्र।

[29] इलाहाबाद, कौशाम्बी एवं मुजफ्फरनगर।

- 11 जनपदों[30] में कार्यदायी संस्थाओं ने एम0एम0–11 प्रपत्रों को सत्यापन हेतु सम्बन्धित जि0खा0अ0 को अग्रसारित किया और छः जनपदों[31] में एम0एम0–11 प्रपत्रों को सत्यापन हेतु सम्बन्धित जि0खा0अ0 को नहीं भेजा गया।

हमारी लेखापरीक्षा में 3381 एम0एम0–11 प्रपत्रों में यहाँ तक कि उन 11 जनपदों में जहाँ प्रपत्रों को जि0खा0अ0 को सत्यापन हेतु भेजा गया था, अनियमिततायें प्रकाश में आईं।

6.17 अवैध रूप से उत्खनित उपखनिजों के परिवहन को रोकने के लिए तन्त्र

खान अधिनियम, के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार अवैध खनन, परिवहन, उपखनिजों के संग्रहण को रोकने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। उत्तर प्रदेश (अवैध खनन, परिवहन और संग्रहण की रोकथाम) नियमावली, 2002 प्रावधानित करता है कि बिना वैध परिवहन पास (एम0एम0–11) के उपखनिजों का परिवहन अनियमित है। खान कार्यालय में जारी और प्रयुक्त परिवहन पासों (टी0पी0) की देखभाल के लिए नियंत्रण पंजिका का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त फरवरी 2001, अगस्त 2002 एवं अक्टूबर 2006 में जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा केवल सम्बन्धित जि0खा0अ0 से एम0एम0–11 प्रपत्रों की वैधता सत्यापन के बाद ही उन्हें स्वीकार किया जाना अपेक्षित था।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य 21 जनपदों[32] की लेखा परीक्षा के दौरान हमने उन प्रकरणों को, जहाँ अधिनियम/नियमावली में दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, आगामी अनुच्छेदों में वर्णित किया है। अक्टूबर 2010 और जनवरी 2012 के मध्य हमने लोकनिर्माण विभाग[33] (37), और ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा[34] (20) के 13830 एम0एम0–11 प्रपत्रों को यादृच्छिक रूप से चुना और उनकी पारस्परिक जाँच सम्बन्धित जिला खान कार्यालयों से की। संवीक्षा किये गये 13830 एम0एम0–11 प्रपत्रों में से 4943 प्रकरणों में हमने अनियमितताएँ पायीं, जो कि कुल जाँच किये गये प्रपत्रों के 36 प्रतिशत थे। एम0एम0–11 प्रपत्रों के दुरूपयोग, अवैध खनन और राजस्व क्षति पर हमारा निष्कर्ष, 21 जनपदों के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये गये कार्यों तक ही सीमित है।

6.17.1 एम0एम0–11 प्रपत्र जो विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये

निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों (बालू, पत्थर और स्टोन बेलास्ट) के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा अपने देयकों में प्रयोग किये गये उपखनिजों के परिवहन और उपयोगिता

---

30 बाँदा, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, ललितपुर, लखनऊ, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

31 इलाहाबाद, हमीरपुर, कौशाम्बी, महोबा, मेरठ एवं मुजफ्फरनगर।

32 इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

33 इलाहाबाद (2) , बाँदा (3), बाराबंकी (2), चन्दौली (2), फैजाबाद (2), गोरखपुर (3), हमीरपुर (3), जालौन (2), झाँसी (3), कानपुर नगर (1), कौशाम्बी (1), लखीमपुर खीरी (2), ललितपुर (1), लखनऊ (2), महोबा (2), मथुरा , मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

34 इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मेरठ, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

के समर्थन में एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत किये गये थे। ठेकेदारों द्वारा ऐसे प्रस्तुत किये गये एम0एम0–11 प्रपत्रों पर उनको पूर्ण भुगतान अवमुक्त कर दिया गया था।

अक्टूबर 2010 और जनवरी 2012 के मध्य हमने पाया कि 359 एम0एम0–11 प्रपत्र जो जि0खा0अ0 इलाहाबाद, झाँसी और सोनभद्र द्वारा जारी किये गये माने गये थे, जाली थे, क्योंकि जि0खा0 अधिकारियों ने ऐसे एम0एम0–11 प्रपत्रों के जारी किये जाने का खण्डन किया। जाली एम0एम0–11 प्रपत्र लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद और ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाएँ इलाहाबाद और झाँसी संभागों में प्रयोग किये गये पाये गये थे। चूँकि एम0एम0–11 प्रपत्र प्रामाणिक नहीं थे, अतः यह स्पष्ट है कि उपखनिजों पर रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन 359 जारी एम0एम0–11 प्रपत्रों में समान क्रमांक के छः क्रमिक अंक 12 प्रपत्रों पर दोहरे प्रदर्शित थे जो जि0खा0अ0 सोनभद्र द्वारा जारी किये गये प्रदर्शित थे।

6.17.2 होलोग्राम के बिना एम0एम0–11 प्रपत्रों का उपयोग

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली सपठित शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर 2003 तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पत्र दिनांक 4 जुलाई 2006 के अनुसार 15 जुलाई 2006 से बिना होलोग्राम लगे एम0एम0–11 प्रपत्र स्वीकार नही किये जाने थे और इन्हें अवैध माना जाना था। होलोग्राम के स्टिकर्स उपलब्ध न होने के कारण, 7 जनवरी 2008 से 31 मई 2008 के दौरान निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के आदेश से बिना होलोग्राम लगे ट्रांजिट पास छापे गये।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने पाया कि 31 मई 2008 के बाद अप्रयुक्त एम0एम0–11 प्रपत्र वापस लेने और नष्ट करने के बजाय विभाग ने मार्च 2010 तक लगातार बिना होलोग्रामयुक्त एम0एम0–11 प्रपत्रों को जिला इकाइयों को जारी किया। इस प्रकार विभागाध्यक्ष और शासन के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के कारण होलोग्रामयुक्त और बिना होलोग्राम के एम0एम0–11 प्रपत्रों का अन्तर्मिश्रण हो गया और सही तथा जाली प्रपत्रों की पहचान किया जाना सम्भव नहीं था। इस प्रकार हम एम0एम0–11 प्रपत्र जो बिना होलोग्राम के जारी किये गये थे, की सत्यता पर टिप्पणी नहीं कर सके।

हम अनुशंसा करते हैं कि बिना होलोग्रामयुक्त एम0एम0–11 प्रपत्रों को शीघ्र वापस लेने और नष्ट किये जाने के लिए विभाग को कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

6.17.3 अवैध एम0एम0–11 प्रपत्रों का उपयोग

उ0प्र0उ0ख0प0नियमावली के नियमों के अनुसार एम0एम0–11 फार्म को तीन प्रतियों में मुद्रित किया जाना आवश्यक है। (1) कार्यालय प्रतिपर्ण (पट्टाधारक का), (2) प्रथम प्रति (चेक पोस्ट/जाँचकर्ता के लिये) और (3) द्वितीय प्रति (परिवहन/उपभोक्ता के लिये)। एम0एम0–11 प्रपत्र की केवल उपभोक्ता प्रति (द्वितीय प्रति) ही परिवहन के लिये वैध है और रायल्टी भुगतान के प्रमाण स्वरूप स्वीकार की जा सकती है।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने लोक निर्माण विभाग[35] और ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाएँ[36] सम्भागों के 2005–06 से 2010–11 की अवधि के अन्तिम भुगतान के देयकों में पाया कि 35,260.38 घनमी0 उपखनिज का उठान और

[35] बाँदा, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, झाँसी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

[36] बाँदा, बाराबंकी, गोरखपुर, हमीरपुर, झाँसी, कानपुर नगर, ललितपुर, लखनऊ, मेरठ, एवं मिर्जापुर।

परिवहन 2,401 अवैध एम0एम0–11 प्रपत्रों[37] (कार्यालय प्रति और प्रथम प्रति) द्वारा किया गया।

कार्यदायी संस्थाओं के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने कार्यालय प्रतियों और चेकपोस्ट प्रतियों के दुरूपयोग का पता नहीं लगाया और रायल्टी और खनिज मूल्य की वसूली में असफल रहे।

परिवहन पासों की अवैध प्रतियाँ इलाहाबाद, औरैया, बाँदा, बाराबंकी, चित्रकूट, हमीरपुर, झाँसी, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मिर्जापुर, सहारनपुर और सोनभद्र से सम्बन्धित थीं। जि0खा0अ0 ने पट्टाधारकों के अभिलेखों का मानकों के अनुसार आवधिक निरीक्षण नहीं किया। इस प्रकार परिवहन पासों की कार्यालय प्रति और प्रथम प्रति के दुरूपयोग का पता लगाने में असफल रहे।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन/विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2012) और बताया कि सम्बन्धित पट्टाधारकों से रायल्टी की वसूली की जायेगी। फिर भी यह तथ्य रह जाता है कि विभाग/शासन ने खनिज स्रोतों के अनधिकृत और अवैज्ञानिक उपभोग से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव के साथ समझौता किया।

6.17.4 एम0एम0–11 प्रपत्रों के क्रमिक अंकों में अनियमितताएँ

दो एम0एम0–11 प्रपत्रों पर समान क्रमिक अंक नहीं हो सकते। यदि एक से अधिक एम0एम0–11 प्रपत्र समान क्रमांक के प्रयुक्त किये गये हैं, तो यह स्पष्ट है कि अभिलेख जाली/नकली हैं।

अक्टूबर 2010 और जनवरी 2012 के मध्य लो0नि0वि0[38]/ग्रा0अ0से0[39] संभागों में 20 प्रकरणों में हमने पाया कि 255 घनमी0 उपखनिजों का उठान और परिवहन समान क्रमिक अंकों वाले एम0एम0–11 प्रपत्रों द्वारा किया गया। हमने यह भी पाया कि 27 प्रकरणों में 334 घनमी0 उपखनिज का उठान और परिवहन एम0एम0–11 प्रपत्रों द्वारा किया गया, जिन पर कोई क्रमिक अंक नहीं थे।

ये एम0एम0–11 प्रपत्र जि0खा0अ0 बाँदा, मिर्जापुर और सोनभद्र से जारी किये गये थे।

स्पष्टतया, इनमें से उपरोक्त वर्णित 47 एम0एम0–11 प्रपत्र जाली थे। इस प्रकार खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अन्तर्गत रायल्टी और खनिज मूल्य के अतिरिक्त अर्थदण्ड वसूलनीय था।

6.17.5 एम0एम0–11 प्रपत्रों पर अयोग्य दिनांक

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली सपठित शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर 2003 के अन्तर्गत, उपखनिजों का परिवहन बिना वैध एम0एम0–11 प्रपत्रों के नहीं किया जायेगा । जुलाई 2008 से पूर्व परिवहन पास, प्रपत्र एम0एम0–11 की जाँच और सत्यापन इस उद्देश्य से स्थापित चेक पोस्ट पर किया जाता था। खदान से एम0एम0–11 प्रपत्र जारी किये जाने के समय से 48 घंटे तक वैध है। इसके अतिरिक्त फरवरी 2001, अगस्त 2006 और अक्टूबर 2006 में जारी शासनादेशों के अनुसार केवल सम्बन्धित जि0खा0अ0 से वैधता सत्यापन के उपरान्त ही एम0एम0–11 प्रपत्रों को कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वीकार किया जाना अपेक्षित था ।

लोकनिर्माण विभाग संभाग बाँदा, चन्दौली, गोरखपुर, लखनऊ, महोबा, मिर्जापुर और ग्रामीण अभियन्त्रण संभाग मिर्जापुर और लखनऊ के वाउचरों की संवीक्षा (अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012) में हमने 293 प्रकरणों में पाया कि:

- ठेकेदारों ने अपने बिलों के समर्थन में

[37] कार्यालय प्रतियाँ (1165) एवं प्रथम प्रतियाँ (1236)।
[38] बाँदा, चन्दौली एवं मिर्जापुर।
[39] मिर्जापुर।

एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत किये, यद्यपि बिलों को प्रस्तुत करने की तिथि खदान से खनिजों के निर्गत होने की तिथि से पूर्व की थी।

- चेक पोस्ट पर प्रेषण के सत्यापित किये जाने की तिथियाँ, एम0एम0–11 प्रपत्रों, जिस पर उपखनिजों का खदानों से परिवहन किया गया माना गया था, पर उल्लिखित तिथि से पूर्व की थीं।

सम्बन्धित आ0 एवं सं0 अ0 इन अनियमितताओं का पता नहीं लगा सके और बिलों से रायल्टी और खनिज मूल्य की कटौती किये बिना भुगतान अवमुक्त किया। अयोग्य तिथि वाले एम0एम0–11 प्रपत्र जि0खा0अ0 बाँदा, मिर्जापुर और सोनभद्र से सम्बन्धित थे।

जब हमने इसे फरवरी 2012 में इंगित किया विभाग ने सहमति जतायी कि सभी एम0एम0–11 प्रपत्रों की तीनों प्रतियों को विभिन्न रंगों में मुद्रित कराना चाहिए और सूचित किया कि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 70 में तदनुसार संशोधन किया जायेगा। अंतिम उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.17.6 अपूर्ण एम0एम0–11 प्रपत्रों का प्रयोग

अक्टूबर 2010 और जनवरी 2012 के मध्य हमने लो0नि0वि0[40] / ग्रा0अ0से0[41] संभागों में बिलों/वाउचरों में पाया कि 2005–06 से 2010–11 की अवधि में ठेकेदारों को भुगतान अपूर्ण एम0एम0–11 प्रपत्रों पर किया गया जहाँ (1) वाहन पंजीकरण संख्या उल्लिखित नहीं थी (17 प्रकरण), (2) उपखनिज की मात्रा उल्लिखित नहीं थी (19 प्रकरण) (3) परिवहित किया जा रहा उपखनिज उल्लिखित नहीं था (110 प्रकरण) और (4) जनपद जहाँ उपखनिज का प्रेषण किया जाना था वह जनपद नहीं था, जहाँ उपखनिज का उपभोग किया गया था (312 प्रकरण)। आ0सं0अ0[42] ने इन अनियमितताओं पर ध्यान नहीं दिया और ठेकेदारों को भुगतान किया।

> परिवहन पास पट्टाधारक द्वारा जारी करते समय यह आवश्यक है कि सभी आवश्यक सूचनाएँ जैसे पट्टाधारक का नाम, खदान का नाम, परिवहित उपखनिज का नाम, परिवहित उपखनिज की मात्रा और गन्तव्य स्थल, प्रेषण के प्रभारी का नाम और पता, प्रेषण के प्रभारी का पूर्ण हस्ताक्षर, पट्टाधारक/परिवहन पास जारी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का पूर्ण हस्ताक्षर आदि एम0एम0–11 प्रपत्र की सभी तीन प्रतियों में भरी जायेंगी। परिवहन पास में जिस वाहन से उपखनिज का परिवहन किया जायेगा उस वाहन की श्रेणी छिद्रित करना आवश्यक है। एम0एम0–11 प्रपत्र में जनपद का कोड निर्धारित स्थान पर छिद्रित करना आवश्यक है। दिनांक और जारी किये जाने का समय भरना आवश्यक है क्योंकि परिवहन पास जारी किये जाने के 48 घंटे बाद तक ही वैध है।

ये एम0एम0–11 प्रपत्र जि0खा0अ0 इलाहाबाद, बाँदा, झाँसी, महोबा, मिर्जापुर, सहारनपुर और सोनभद्र द्वारा जारी किये गये माने गए थे। इस प्रकार अपेक्षित सूचना/विवरण की अनुपस्थिति में एम0एम0–11 प्रपत्रों के उपयोग की सत्यता और उपखनिजों का परिवहन लेखापरीक्षा में सही–सलामत प्रमाणिक नहीं किया जा सका।

विभाग सहमत था (फरवरी 2012) कि ये उदाहरण गम्भीर समस्या का सूचक हैं और लो0नि0वि0/ग्रा0अ0से0 संभागों के स्तर पर जाँचोपरान्त सम्बन्धित जि0खा0अ0 और

---

40 इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, महोबा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

41 इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, मेरठ, मिर्जापुर, एवं सहारनपुर।

42 शा0सं0–594/77–5–52001/200/77 टी0सी0–1 दिनांक 2 फरवरी 2001, शा0सं0–389/77–5–2002–1(216)93 दिनांक 5 अगस्त 2002 एवं शा0सं0–495(1)/77–5–2006–506/05 दिनांक 5 अक्टूबर 2006

पट्टाधारकों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी । जहाँ आवश्यक होगा, उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किये जायेंगे।

एम0एम0–11 प्रपत्रों के विस्तृत दुरूपयोग और शासन की दूरगामी राजस्व क्षति पर विचार करते हुए, सरकार द्वारा वैध परिवहन पासों पर उपखनिजों का परिवहन सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी तन्त्र स्थापित किये जाने की हम अनुशंसा करते हैं।

6.18 पत्थर गिट्टी/मिट्टी के संग्रहण पर रायल्टी का अनारोपण/कम आरोपण

6.18.1 अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012 के दौरान हमने लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा[43] के 24 प्रखण्डों तथा दो विकास प्राधिकरणों[44] के ठेकेदारो के वाउचरों जो पत्थर/पत्थर गिट्टी की खरीद से संबन्धित थे, में देखा कि लो0नि0वि0/ग्रा0अ0से0 के इन प्रखण्डों ने वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के मध्य ठेकेदारों को उपखनिजों की लागत का भुगतान किया। रायल्टी के भुगतान के प्रमाण स्वरूप प्रपत्र एम0एम0–11 ठेकेदारों द्वारा देयकों के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये। इस तथ्य के बावजूद सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 1,095 प्रकरणों में ठेकेदारों के देयकों से रायल्टी की धनराशि की कटौती नहीं की गयी। हमनें पाया कि विभाग ठेकेदारों के देयकों से रायल्टी कटौती के सम्बन्ध में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से एक मासिक विवरण प्राप्त करने की प्रणाली को लागू करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 2.40 करोड़ की रायल्टी की वसूली नहीं/कम हुयी। विवरण **परिशिष्ट–XXII** में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली के साथ पठित फरवरी 2001 के शासनादेश के अनुसार विभाग/ठेकेदार/उपभोक्ता द्वारा पत्थर/गिट्टी के संग्रहण पर रायल्टी का भुगतान किया जायेगा। अगस्त 2002 एवं अक्टूबर 2006 के शासनादेशों के द्वारा शासन ने यह स्पष्ट किया कि आहरण एवं वितरण अधिकारी (आ0 एवं वि0अ0) रायल्टी की वसूली के लिये उत्तरदायी हैं। यदि ठेकेदार देयकों के साथ रायल्टी रसीद के रूप में प्रपत्र एम0एम0–11 या प्रपत्र सी★ प्रस्तुत नहीं करते तो आ0एवं वि0अ0 रायल्टी की कटौती ठेकेदारों के देयकों से करके खजाने में जमा करेंगे। यदि आ0एवं वि0अ0 ठेकेदारों के देयकों से रायल्टी की धनराशि की कटौती करने में विफल रहता है तो आ0एवं वि0अ0 हानि की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। संबन्धित कार्यदायी एजेन्सी/ आ0एवं वि0अ0 को जिलाधिकारी/निदेशक भू तत्व एवं खनिकर्म को एक मासिक विवरण/प्रमाणपत्र जिसमें कोई रायल्टी देय बकाया नही है अथवा कोई धनराशि खजाने में जमा किये जाने के लिये शेष नहीं है, प्रस्तुत करना होगा। पत्थर गिट्टी पर रायल्टी की दर ₹ 32 प्रति घनमीटर निर्धारित की गयी थी जिसे बढा कर 02 जून 2009 से ₹ 48 कर दिया गया।

★ प्रपत्र सी भंडारण की जगह से खनिजों के परिवहन के लिये एक पारगमन पास है जिसे भंडारण लाइसेंस धारक द्वारा निर्गत किया जाता है।

[43] अम्बेडकर नगर, बहराइच, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्द शहर, फैजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर।

[44] आगरा एवं फैजाबाद।

6.18.2 मृदा कार्य पर रायल्टी का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश संख्याः 1615/77–5–2001–200/77 दिनांक 28 मार्च 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली के नियम 21 की अनुसूची 1 में मिट्टी को गौण खनिज के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले भारत सरकार (खान विभाग) ने अपने अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर–95(ई0) 3 फरवरी 2000 द्वारा साधारण मिट्टी को उप खनिज घोषित कर दिया था। मिट्टी पर रायल्टी की दर 2001 में ₹ 4 प्रति घनमीटर तय किया गया था जिसे 16 दिसम्बर 2004 और 02 जून 2009 से बढ़ाकर कर क्रमशः ₹ 6 एवं ₹ 9 कर दिया गया था।

हमने ठेकेदारों के देयकों में देखा कि 19 जिलों[45] के लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/सिंचाई विभाग के 26 प्रखण्डों, दो विकास प्राधिकरणों[46] तथा दो जिला खान अधिकारियों[47] द्वारा मृदा कार्य कराया गया था। आहरण एवं वितरण अधिकारियों ने वर्ष 2005–06 से 2010–11 की अवधि के दौरान 1001 ठेकेदारों के देयकों से रायल्टी की राशि ₹ 1.39 करोड़ की कटौती नहीं की तथा 239 प्रकरणों में रायल्टी की राशि ₹ 26 लाख की कम कटौती की। विभाग ने ठेकेदारों के देयकों से कटौती के सम्बन्ध में आहरण एवं वितरण अधिकारियों से एक मासिक विवरण प्राप्त करने की प्रणाली को लागू नहीं किया फलस्वरूप रायल्टी की धनराशि ₹ 1.65 करोड़ वसूल नहीं किया जा सका। विवरण **परिशिष्ट–XXIII** में दिया गया है।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने फरवरी 2012 में बताया कि शासन के स्तर पर एक अन्तर्विभागीय बैठक बुलाई जायेगी तथा शासन को जवाबदेही तय करने के लिये अग्रिम कार्यवाही करने का सुझाव दिया जायेगा। फरवरी 2013 तक कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

6.19 प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाराबंकी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि

शासकीय नियमों और वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि कि सभी सम्बद्ध विभागों द्वारा भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग के एकत्रित राजस्व को उचित लेखा शीर्ष ''0853'' अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा किया जाय।

वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि में विभाग ने रायल्टी के रूप में ₹ 41.39 लाख[48] की वसूली की। इस वसूल की गयी धनराशि को लोक निर्माण विभाग के लेखा शीर्ष में जमा किया गया फलस्वरूप भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग की प्राप्तियाँ ₹ 41.39 लाख से कम दर्ज हुई।

प्रकरण को फरवरी 2012 में विभाग/शासन के संज्ञान में लाया गया। विभाग का उत्तर प्राप्त नही हुआ (फरवरी 2013)।

---

[45] आजमगढ, बाँदा, बाराबंकी, बिजनौर, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर।

[46] आगरा एवं लखनऊ।

[47] लखनऊ एवं मेरठ।

[48] 2005–06 में ₹ 7.7 लाख, 2006–07 में ₹ 12.68 लाख, 2007–08 में ₹ 8.95 लाख, 2008–09 में ₹ 4.73 लाख और 2009–10 में ₹ 7.33 लाख

अध्याय-VII
अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ

7.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2011–12 में मनोरंजन कर एवं वन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 539.95 करोड़ के कर एवं ब्याज को वसूल न किया जाना, राजस्व क्षति, निष्क्रिय निवेश आदि के 405 प्रकरण प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैः

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
मनोरंजन कर विभाग			
1.	ब्याज की वसूली न किया जाना	07	0.74
2.	कर की वसूली न किया जाना	15	0.29
3.	अन्य अनियमितताएं	14	15.54
	योग (अ)	**36**	**16.57**
वन विभाग			
1.	विविध हानियाँ/राजस्व क्षति	61	44.57
2.	निष्क्रिय निवेश,निष्क्रिय स्थापना,निधियों का अवरोधन	89	95.03
3.	लम्बित वसूलियाँ	13	4.39
4.	उद्देश्यों की प्राप्ति न होना	01	0.02
5.	अन्य अनियमितताएं	205	379.37
	योग (ब)	**369**	**523.38**
	महायोग (अ+ब)	**405**	**539.95**

वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग ने 51 प्रकरणों में निहित ₹ 7.32 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से 11 प्रकरणों में निहित ₹ 4.33 करोड़ 2011–12 के दौरान तथा शेष विगत वर्षों में इंगित किये गये थे। विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान 40 प्रकरणों में ₹ 3 करोड़ वसूल किया, जो विगत वर्षों से सम्बन्धित थे।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 82.88 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

7.2 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

नियंत्रक माँप एवं तौल, वन तथा मनोरंजन कर विभाग के अभिलेखों की हमारी जाँच में रायल्टी को कम वसूल किया जाना, माँप एवं तौल का सत्यापन न किया जाना, ब्याज को प्रभारित न किया जाना, निरर्थक व्यय आदि के मामले प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर अधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है; जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

मनोरंजन कर विभाग

7.3 कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित न किया जाना

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत सिनेमा मालिकों द्वारा सप्ताह की समाप्ति के तीन दिन के अन्दर तथा केबिल संचालकों द्वारा महीने की समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर मनोरंजन कर जमा करना होता है। उल्लघंन की दशा में सिनेमा मालिकों से प्रथम तीन माह के लिए 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके पश्चात दो प्रतिशत की दर से तथा केबिल संचालकों से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूली योग्य है।

जिला मनोरंजन कर अधिकारी, मऊ के अभिलेखों[1] की लेखापरीक्षा (अप्रैल 2011) के दौरान हमने देखा कि दो सिनेमा मालिकों एवं दो केबिल संचालकों से देय (सितम्बर 2004 से अक्टूबर 2008) मनोरंजन कर ₹ 30.63 लाख दिसम्बर 2005 एवं जनवरी 2011 के मध्य जमा/संग्रहीत किया गया। विलम्ब एक माह से 68 माह तक था। ब्याज की धनराशि ₹ 21.03 लाख आरोपणीय होने पर भी विभाग द्वारा प्रभारित नहीं की गयी। बकाया पंजिका में विवरण उपलब्ध होते हुए भी विभागीय शिथिलता के कारण ₹ 21.03 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा सितम्बर 2011 में मामले को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2012) कि दो केबिल संचालकों से ₹ 5,031 ब्याज एवं एक सिनेमा मालिक से ₹ 6 लाख आंशिक ब्याज की वसूली कर ली गई है। शेष बकाये की वसूली की प्रक्रिया जारी है। वसूली प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

[1] बकाया पंजिका, रोकड़ बही एवं कोषागार विवरण।

7.4 तेन्दू पत्ते पर रायल्टी का न वसूल किया जाना

शासनादेश संख्या 2109/14.02.2001–28/89 वन अनुभाग–2 दिनांक 25.07.2001 के अनुसार तेन्दूपत्ते की रायल्टी वन निगम द्वारा निम्नलिखित सूत्र (फार्मूले) के आधार पर देय थी:–

निर्धारण वर्ष की रायल्टी = पिछले वर्ष की रायल्टी + पिछले वर्ष निगम द्वारा बेचे गये तेन्दू पत्ते के भाव (विक्रय मूल्य) में जितने प्रतिशत की वृद्धि उससे पूर्व वर्ष के विक्रय मूल्य के सापेक्ष हुई हो, इस वृद्धि के बराबर धनराशि + निर्धारण वर्ष में तेन्दू पत्ते के बाजार भाव (विक्रय मूल्य) में हुई असाधारण वृद्धि के बराबर धनराशि।

रायल्टी निर्धारण के समय ऋणात्मक मूल्य वृद्धि, यदि हो, तो उसे भी हिसाब में लिया जायेगा।

दो वन प्रभागों[2] के अभिलेखों[3] की जाँच (फरवरी एवं मार्च 2011) तथा उनका उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0प्र0व0नि) से संग्रहीत सूचनाओं से मिलान (मई 2011) करने पर हमने देखा कि शासन द्वारा नियत सूत्र के अनुसार तेन्दू पत्तों की रायल्टी पुनरीक्षित करने के बजाय, वन विभाग द्वारा 2002–03 तक की रायल्टी सूत्र के अनुसार तथा वर्ष 2003–04 से 2009–10 के लिये अन्तरिम रायल्टी नियत किया गया। सूत्र के अनुसार 2003–04 से 2009–10 की अवधि के लिये इलाहाबाद परिक्षेत्र के सात प्रभागों[4] एवं झाँसी परिक्षेत्र के सात प्रभागों[5] द्वारा ₹ 96.36 करोड़ रायल्टी देय थी, परन्तु रायल्टी का वास्तविक भुगतान मात्र ₹ 49.72 करोड़ था। विभाग द्वारा सूत्र के अनुसार देय रायल्टी का आगणन न किये जाने के कारण जैसा कि **परिशिष्ट– XXIV** में वर्णित है, ₹ 46.64 करोड़ रायल्टी कम प्रभारित/वसूल हुई।

हमने मामले को दिसम्बर 2011 में विभाग/शासन को प्रेषित किया। हमे उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

7.5 निरर्थक व्यय

वानिकी मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक प्रजाति के पौधे दो साल में वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त ऊँचाई प्राप्त करते हैं। दो वर्ष के पश्चात् पौधों का अस्तित्व सिंचाई, स्थानान्तरण, कटाई–छटाई तथा जड़ कटान आदि पर निर्भर करता है।

वन आच्छादन बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने 12 फुट ऊँचाई के 30 करोड़ पौधों के रोपण की योजना तैयार की (दिसम्बर 2006) हालांकि राज्य में 2006–07 के दौरान केवल 10 करोड़ पौधे उगाये गये। शासन ने ₹ 24.83 करोड़ (2006–07 में उगाने हेतु मार्च 2007 में ₹ 12.33 करोड़ तथा 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान रख–रखाव हेतु क्रमशः नवम्बर 2007 में ₹ 8 करोड़ तथा अप्रैल 2008 में ₹ 4.50 करोड़) अवमुक्त किया। 2006–07 में उगाये गये पौधों को 2009–10 में रोपित किया जाना था।

छः जिलों के वन प्रभागों के अभिलेखों[6] की हमारी जाँच (दिसम्बर 2009 से मार्च 2010) एवं एकत्र की गई (दिसम्बर 2011) जानकारी से पता चला कि योजना एक वर्ष बाद बन्द कर दी गई (नवम्बर 2007)।

---

[2] प्रभागीय वन कार्यालय–सोनभद्र एवं वाराणसी।
[3] तेन्दूपत्ता रायल्टी पत्रावलियां, रोकड़ बही एवं कोषागार विवरण।
[4] रेनूकूट, ओबरा, मिर्जापुर, सोनभद्र, कैमूर वन्यजीव, काशी वन्य जीव एवं इलाहाबाद।
[5] हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बाँदा, ललितपुर, झाँसी एवं उरई/जालौन।
[6] 12 फुट ऊँचाई के पौधों की वृक्षारोपण पत्रावलियां, बिल्स एवं बाउचर, व्यय पत्रावलियाँ एवं कार्ययोजना पत्रावलियाँ।

फलस्वरूप रोपित न किये गये 39.29 लाख पौधों[7] को छोड़कर शेष उगाये गये पौधे या तो रोपित कर दिये गये या अन्य प्रभागों को स्थानान्तरित कर दिये गये (मार्च 2009)। शासन ने शेष बचे पौधों के रख–रखाव, सिंचाई, स्थानान्तरण, कटाई–छंटाई एवं जड़ कटान आदि के लिये 2009–10 हेतु बजट प्रावधान नहीं किया और ये अवशेष पौधे रोपण हेतु अनुपयुक्त हो गये। इस प्रकार इन पौधों को उगाने एवं रख–रखाव पर 2006–09 के दौरान व्यय किये गये ₹ 97.44 लाख[8] बेकार हो गये।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने बताया (अक्टूबर 2011) कि छः जिलों में मात्र 2.56 लाख पौधे अप्रयुक्त बने रहे तथा पौधों का रख–रखाव महात्मा गाँधी नेशनल रूरल इम्प्लायमेण्ट गारण्टी स्कीम (मनरेगस) एवं अन्य योजनाओं से किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति, 2008–09 के अंत में अवशेष पौधों पर आधारित है जो 2009–10 एवं 2010–11 में रख–रखाव हेतु बजट की अनुपलब्धता के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त हो गये थे। इस तथ्य को हरदोई प्रभाग द्वारा स्वीकार किया गया, जहाँ किसी भी योजना के अन्तर्गत रख–रखाव हेतु कोई भी बजट प्रावधान नहीं किया गया। इसी तरह मेरठ प्रभाग में 6.18 लाख पौधों में से 5.28 लाख पौधों की क्षति, जिन्हें स्थानान्तरित किया जाना प्रदर्शित किया गया था, स्वीकार किया गया। काशा वन्य जीव वन प्रभाग, रामनगर, वाराणसी में मनरेगस के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु निधियाँ प्राप्त हुई थीं परन्तु प्रभाग से संकलित (मार्च 2012) कार्य योजना एवं बजट दस्तावेजों की प्रतियों में पाया गया कि ये धनराशियाँ ''बुन्देलखंड/विन्ध्याचल विशेष वृक्षारोपण अभियान'' के लिये अवमुक्त की गयी थीं न कि ''12 फुट वृक्षारोपण योजना'' के लिये। इस कार्ययोजना में 12 फुट वृक्षारोपण योजना के अनुरक्षण/वृक्षारोपण का कोई जिक्र नहीं था।

इस प्रकार 39.29 लाख पौधे जो 2009–10 एवं 2010–11 में रोपित होने से रह गये थे, आगे वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं थे और इन पौधों पर किया गया व्यय ₹ 97.44 लाख निरर्थक रहा।

7.6 आवश्यकता के बिना नये पौधे उगाने पर परिहार्य व्यय

सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत (मार्च 2003) वृक्षारोपण संहिता के अनुसार पौधशालाओं में आवश्यकता से 35 प्रतिशत अधिक पौधे उगाये जाने चाहिए।

वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा के अभिलेखों[9] की जाँच (अप्रैल 2011) के दौरान हमने देखा कि 2009–10 के आरम्भ में वृत्त के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चार सामाजिक एवं वानिकी वन प्रभागों[10] की पौधशालाओं में वृक्षारोपण हेतु 2009–10 के पूर्व उगाये गए 107.56 लाख पौधे उपलब्ध थे। वन संरक्षक, आगरा वृत्त ने अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, लखनऊ को सूचित किया (नवम्बर 2009) कि वृत्त के पौधशालाओं में आवश्यकता के अनुसार पुराने पौधों की उपलब्धता के कारण नये पौधों को उगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूचना के बावजूद मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने, इस अभ्युक्ति के साथ कि 2010 की वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किये जाने हेतु उचित ऊँचाई के पौधों की आवश्यकता होगी, अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए यह उचित नहीं होगा कि पौधशालाओं में पौधों को उगाने के लक्ष्य में कमी की जाय, 2009–10 में

---

[7] आगराः 10.73 लाख, बहराइच 0.83 लाख, हरदोई 1.09 लाख, कानपुर देहात 5.45 लाख, मेरठ 9.74 लाख एवं वाराणसी 11.45 लाख।

[8] ₹ 39.29 लाख x ₹ 2.48 प्रति पौधा = ₹ 97.44 लाख।

[9] वन प्रभागों द्वारा भेजी गई विवरणियाँ, वृक्षारोपण पत्रावलियाँ एवं पत्राचार पत्रावलियाँ।

[10] आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी एवं मथुरा।

सामाजिक वानिकी तथा पौधशाला प्रबन्धन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजनाओं के अन्तर्गत वृत्त के पौधशालाओं में 33.99 लाख नये पौधे उगाने हेतु ₹ 63.48 लाख स्वीकृत तथा अवमुक्त किया (मार्च 2010)। तद्नुसार प्रभागों ने 2009–10 में 33.99 लाख पौधों को उगाने पर ₹ 63.48 लाख व्यय किये तथा आगे 2010–11 एवं 2011–12 में उनके रख–रखाव पर ₹ 49.09 लाख खर्च किये।

अप्रैल 2009 में वृत्त के पास उपलब्ध 107.56 लाख पुराने पौधों में से 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में क्रमशः मात्र 30.63 लाख, 20.69 लाख एवं 19.66 लाख पौधों का उपयोग किया गया तथा 2011–12 के अन्त में 36.58 लाख पौधे शेष बचे रहे। लेखापरीक्षा का मुख्य सरोकार 33.99 लाख पौधों से है जिन्हें 2009–10 में उगाया गया था। इस प्रकार, कुल 70.57 लाख पौधे (पूर्ववर्ती शेष के रूप में 36.58 लाख पौधे + 2009–10 में उगाये गये 33.99 लाख पौधे) जैसा कि **परिशिष्ट–XXV** में प्रदर्शित है, 2011–12 के अन्त में अप्रयुक्त बने रहे।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (जुलाई 2011) पर वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने बताया (अप्रैल 2012) कि विभाग द्वारा 2010–11 में नये पौधों को उगाने का लक्ष्य घटाकर शून्य कर दिया गया था। वन संरक्षक, आगरा का उत्तर स्वयं लेखापरीक्षा की आपत्ति, कि 2009–10 में उगाये गये पौधे अनावश्यक थे, की पुष्टि करता है।

इस प्रकार वृत्त ने बिना आवश्यकता के नये पौधों को उगाने एवं रख–रखाव पर ₹ 1.13 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग

7.7 यूजर चार्जेस का कम आरोपण

रोगियों को बेहतर गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश सं0 984/5–1–2000–4(80)/95 दिनांक 28.06.2000 द्वारा सरकारी चिकित्सालयों/ औषधालयों (सरकारी मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों को छोड़कर) में यूजर चार्जेस लागू किया गया था, जिसमें प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। उक्त वृद्धि वर्ष 2004 में शासनादेश सं0 4544/5–1–2003–4(143) दिनांक 31.12.2003 तथा 2008–09 व आगे के वर्षों के लिए शासनादेश सं0 595/5–1–08–4(80)/95 दिनांक 29.04.2008 द्वारा रोक दी गई थी और दिनांक 28 जून 2000 के आदेश की दूसरी सभी नियम एवं शर्ते पुर्नस्थापित कर दी गयी। शासनादेश दिनांक 28 जुन 2000 के द्वारा निर्धारित ग्रमीण व शहरी दोनो क्षेत्रों में ओ पी डी पंजीयन शुल्क शासनादेश सं0 3090/5–1–2003–4(80)/95 दिनांक 30.08.2003 द्वारा कम करके ₹ 1 निर्धारित किया गया । पुनः शासनादेश सं0 984/5–1–2000–4(80)/95 दिनांक 28.06.2000 की सभी नियम एवं शर्ते शासनादेश सं0 595/5–1–08–4(80)/95 दिनांक 29.04.2008 (प्रस्तर–5) द्वारा पुर्नस्थापित कर दी गयी।

हमने 251 मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अक्टूबर 2010 और सितम्बर 2012 के मध्य जाँच में, रजिस्टरों व सहायक रोकड बही के परीक्षण में पाया कि इन अस्पतालों/ औषधालयों[11] ने अप्रैल 2005 से मार्च 2012 के बीच आरोपणीय यूजर चार्जेस ₹ 59.46 करोड़ के विरूद्ध ₹ 30.47 करोड़ आरोपित किया। यूजर चार्जेस के पुनरीक्षित दर के बजाय बढोत्तरी पूर्व दर आरोपित किये जाने से, सारणी में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 28.99 करोड़ यूजर चार्ज का कम आरोपण हुआ:

(₹ में)

विवरण	प्रकरणों की संख्या	वसूलनीय शुल्क	आरोपित शुल्क	अन्तर
मेजर आपरेशन	1,25,370	7,05,39,696	4,82,06,988	2,23,32,708
मध्यम आपरेशन	79,821	2,83,56,084	2,03,38,980	80,17,104
माइनर आपरेशन	1,52,516	1,48,41,353	96,92,372	51,48,981
मेडिको लीगल	12,45,519	11,38,80,059	6,60,51,208	4,78,28,851
ई0सी0जी0	41,109	35,25,772	28,39,532	6,86,240
एक्स–रे	5,57,408	2,90,99,217	2,31,96,751	59,02,466
अल्ट्रासाउण्ड	1,02,983	2,53,94,588	1,99,00,287	54,94,301
भर्ती	8,50,021	3,52,93,117	2,68,40,721	84,52,396
सी0टी0 स्कैन[12]	4,251	46,25,138	32,20,734	14,04,404
परीक्षण		1,65,17,862	1,48,88,958	16,28,904
ओ पी डी	6,94,92,668	25,25,45,881	6,95,14,956	18,30,30,925
योग		**59,46,18,767**	**30,46,91,487**	**28,99,27,280**

[11] इलाहाबाद (20), अलीगढ (13), औरैया (4), बलिया (2), बरेली (10), चित्रकूट (4), देवरिया (16), एटा (5), इटावा (8), गाजियाबाद (8), गाजीपुर (15), हाथरस (5), जालौन (1), जौनपुर (15), झाँसी (10), कानपुर (7), ललितपुर (5), लखनऊ (11), महोबा (1), मैनपुरी (7), मेरठ (11), मुजफ्फरनगर (15), पीलीभीत (6), प्रतापगढ (12), रायबरेली (18), रामपुर (7) और वाराणसी (15)।

[12] मुचिअधी0 बलरामपुर, एसपीएम, लखनऊ, मुचिअधी0 (पु0) गाजियाबाद, मुचिअधी0 (पु0) कानपुर, मुचिअधी0 (पु0) रायबरेली, मुचिअधी0 (डीडीयू) वाराणसी और मुचिअधी0 बेली, इलाहाबाद।

हमने मई 2008 से मार्च 2011 के मध्य यह भी पाया कि 186 अस्पतालों / औषधालयों[13] ने निर्धारित दर से अधिक दर पर यूजर चार्जेस आरोपित किया। इन अस्पतालों ने पुनरीक्षित फीस ₹ 3.58 करोड़ के विरूद्ध ₹ 4.89 करोड़ आरोपित किया। स्थानीय स्तर पर मनमाने ढंग से बढ़ोत्तरी करने से सरकार के आदेश का उल्लंघन हुआ और निम्न विवरण के अनुसार ₹ 1.32 करोड़ का यूजर चार्जेस अधिक आरोपित किया गया:

(₹ में)

विवरण	प्रकरणों की संख्या	वसूलनीय शुल्क (अ)	आरोपित शुल्क (ब)	अतिरिक्त आरोपित (ब–अ)
ई0सी0जी0	15,453	7,72,650	10,79,502	3,06,852
एक्स–रे	2,98,843	89,65,290	1,19,95,304	30,30,014
अल्ट्रासाउण्ड	5,346	5,34,600	10,69,958	5,35,358
भर्ती	11,27,672	2,55,06,457	3,47,84,913	92,78,456
योग	**14,47,314**	**3,57,78,997**	**4,89,29,677**	**1,31,50,680**

हमारे द्वारा इन्हें इंगित करने पर शासन (जुलाई 2011) ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि स्पष्ट पुनरीक्षित आदेश निर्गत किया जायेगा। सच्चाई यह कि ₹ 28.99 करोड़ की राजस्व क्षति हुयी थी। यह भी कि अधिक आरोपित यूजर चार्जेस ₹ 1.32 करोड़ वापस नहीं किया जा सकता और जनता पर बोझ कम करने के सरकारी आदेश का उद्देश्य शून्य रहा। सरकार के पास यूजर चार्जेस के सरकारी आदेश को जाँच कर लागू करने का कोई तंत्र नहीं था।

7.8 रक्त व रक्त अवयवों के ट्रान्सफ्यूजन पर सर्विस चार्ज का कम आरोपण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 23 जनवरी 2008 द्वारा सरकारी और स्वैच्छिक रक्त बैंक द्वारा रक्त एव रक्त अवयव प्रदान करने पर ₹ 850 प्रति यूनिट की दर से सर्विज जार्च लागू किया गया था। ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के परिपत्र सं0 स्था0 सं0 438 / पांच–1–08 दिनांक 18 अप्रैल 2008 द्वारा जारी किये गये थे।

हमने 22 मुख्य चिकित्सा अधीक्षको (मुचिअधी0)[14] के अप्रैल 2005 और मार्च 2011 के अभिलेखों की जाँच में पाया कि अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2010 के दौरान 57,618 यूनिट रक्त व रक्त अवयवों को निर्गत करने से सर्विस चार्ज के आरोपणीय धनराशि[15] ₹ 4.90 करोड़ के विरूद्ध ₹ 2.25 करोड़ आरोपित किया गया। फलस्वरूप **परिशिष्ट–XXVI** में दर्शाये गये विवरण के अनुसार रक्त व रक्त अवयवों के ट्रान्सफ्यूजन पर सर्विस चार्ज के रूप में ₹ 2.65 करोड़ कम आरोपित हुआ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात इकाइयों ने उत्तर में कहा कि 24 महीने बाद आदेश प्राप्त हुआ था। शासन ने हानि को स्वीकार किया और संबंधित कर्मचारी से वसूली के आदेश (जुलाई 2011) दिये और आश्वस्त किया कि भविष्य में सरकारी आदेश वेवसाइट पर डाले जायेगें । वसूली संबंधी सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

---

[13] इलाहाबाद (15), अलीगढ (11), औरैया (2), बरेली (7), चित्रकूट (2), देवरिया (9), एटा (3), इटावा (5), गाजियाबाद (14), गाजीपुर (10), हाथरस (5), जालौन (1), जौनपुर (14), झाँसी (7), कानपुर (10), ललितपुर (5), लखनऊ (12), महोबा (2), मैनपुरी (5), मेरठ (6), मुजफ्फरनगर (7), पीलीभीत (8), रायबरेली (10), रामपुर (6) और वाराणसी (10)।

[14] मुचिअधी0 (पु0) अलीगढ, बरेली, बलरामपुर, देवरिया, एटा, इटावा, गाजीपुर, जौनपुर, झाँसी, कानपुर, ललितपुर, मैनपुरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, वाराणसी, मुचिअधी0, एम0एल0एन0, इलाहाबाद, मुचिअधी0 एम0एम0जी0, गाजियाबाद, मुचिअधी0, आर0एम0एल0, लखनऊ एवं मुचिअधी0, एस0पी0एम0, लखनऊ।

[15] चार्जेस देय ₹ 850 प्रति यूनिट, वास्तविक आरोपित ₹ 250 और ₹ 500 प्रति यूनिट की दर से।

7.9 पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पी एन डी टी) नियमो का अनुपालन नहीं किया जाना

7.9.1 बिना पंजीकरण के प्रतिष्ठानों के संचालन पर शास्ति का अनारोपण

अल्ट्रा साउन्ड की सुविधा उपलब्ध करा रहे केन्द्रों/संस्थानों का पंजीकरण समुचित प्राधिकारी द्वारा पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियमावली, 1996 के अर्न्तगत किया जाता है। उक्त नियमावली के नियम 11 मे किसी अल्ट्रा साउण्ड मशीन, स्कैनर, या कोई अन्य उपकरण, अपंजीकृत संगठन द्वारा उपयोग करते पाये जाने पर, सील व जब्त करने का प्रावधान है। जब्त की गई मशीन को पंजीकरण फीस के पाँच गुना शास्ति के भुगतान के बाद छोड़ा जा सकेगा ।

हमने 16 मुख्य चिकित्सा अधिकारियो[16] (मुचिअ0) के अक्टूबर 2010 से सितम्बर 2012 के मध्य जाँच में अल्ट्रा साउण्ड केन्द्र के पंजीकरण रजिस्टर में पाया कि अप्रैल 2005 और सितम्बर 2012 के मध्य 226 केन्द्र/संस्थान पंजीकरण वैधता तिथि समाप्त होने के पश्चात् नवीनीकृत किये गये। विलम्ब की अवधि एक से 24 माह रही। नियम 11 के अनुसार, विभाग को इन प्रकरणो में पंजीकरण फीस का पांच गुना शास्ति आरोपित करनी चाहिये थी। हमने पाया कि उन पर न तो शास्ति लगायी गयी न ही उनकी मशीन जब्त की गई। बिना वैध पंजीकरण के इन केन्द्रों/संस्थानों के चलते रहने से पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियमावली, 1996 के दुरूपयोग के अतिरिक्त ₹ 40.95 लाख की शास्ति वसूल नही हो पाई।

हमारे यह इंगित करने पर शासन (जुलाई 2011) ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पी एन डी टी नियमावली, 1996 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी[17] कर दिये गये हैं। दो इकाइयों[18] ने आपत्ति को माना और उत्तर दिया कि देय शास्ति ₹ 5.91 लाख आरोपित की गई और बैंक में जमा करा दी गई है। इस संबंध में अन्य वसूली प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

7.9.2 पंजीकरण शुल्क का कम आरोपण

पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीएनडीटी) नियम, 1996 के नियम 4, 5(अ) और 5(ब) के अनुसार जेनेटिक परामर्श केन्द्र, जेनेटिक प्रयोगशाला, जेनेटिक क्लीनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लीनीक या इमेजिंग केन्द्र की पंजीकरण फीस ₹ 3000 और अस्पताल/नर्सिंग होम या उक्त सेवाओं के संयुक्त रूप से संचालन की पंजीकरण फीस ₹ 4000 है। इस उददेश्य के लिए पंजीकरण का आवेदन समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत होने के तिथि से पॉच वर्ष के लिए वैध होगा।

हमने 11 (मुचिअ0)[19] के अल्ट्रा साउण्ड पंजीकरण रजिस्टर की नमूना जांच में पाया कि 329 अस्पतालों/नर्सिंग होमों या अल्ट्रा साउण्ड केन्द्रों जो कि अल्ट्रासाउण्ड के साथ अन्य सुविधायें भी उपलब्ध करा रहे हैं, ने निर्धारित ₹ 4000 के स्थान पर ₹ 3000 प्रति केन्द्र की दर से फीस जमा किया है। हमने यह भी देखा कि तीन जनपदो[20] ने इन्ही सुविधाओ के

[16] अलीगढ, अम्बेडकरनगर, औरैया, बांदा, बरेली, चित्रकूट, एटा, इटावा, गाजीपुर, हाथरस, जौनपुर, मैनपुरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ एवं रामपुर।

[17] डीजी पत्र सं0 प0क0/10–जे0डी0/05/2011/3900–16 दिनांक 18 जुलाई 2011।

[18] सीएमओ बरेली और प्रतापगढ।

[19] अलीगढ, बरेली, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ, वाराणसी, कानपुर, जौनपुर एवं झॉसी।

[20] एटा, मुजफ्फरनगर एवं प्रतापगढ़।

लिए सही पंजीकरण फीस ₹ 4000 की दर से जमा किया था। नियमो का अनुपालन न करने के फलस्वरूप ₹ 3.18 लाख कम जमा हुआ। जैसा कि **परिशिष्ट–XXVII** मे वर्णित है।

हमारे यह इंगित करने पर शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को नियमो के अनुसार कार्यवाही के निर्देश जारी[21] कर दिये गये हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ और वाराणसी ने निरीक्षण को माना और उत्तर दिया कि ₹ 40,000 अस्पताल/नर्सिग होम केन्द्रो से वसूल कर जमा कर दिया गया है। वसूली के संबंध में प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

7.10 निष्प्रयोज्य/बेकार वाहनों का निस्तारण न किया जाना

सरकार के आदेश सं0 1288(II)/30–4–2002–24 केएम/76 दिनांक 11 जून 2002 द्वारा सभी विभागों के निर्देश जारी कर कहा कि सभी आफ रोड वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी करें।

हमने 12 मुख्य चिकित्सा अधिकारियो[22] और उनके अधीनस्थ स्वास्थ्य केन्द्रो तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के अभिलेखों की जांच में पाया कि 112 वाहन 5 से 20 वर्षों से चलने की स्थिति में नहीं है। शासन के आदेश के अनुसार जो वाहन प्रयोग में नहीं हैं उन्हें नीलामी के द्वारा बेच दी जानी चाहिए। 62 वाहन जो कि 1992 से 2010 के मध्य निष्प्रयोज्य घोषित हो गये थे, अभी तक नीलाम नहीं किये गये थे, जिनका मूल्य ₹ 17 लाख था लेकिन ये 62 वाहन अभी तक नीलाम नहीं किये गये थे। शेष 50 वाहनों के जिनके कम से कम मूल्य ₹ 13 लाख[23] है के निष्प्रयोजनीकरण की प्रकिया नहीं आरम्भ की जा सकी जो कि 5 से 20 वर्षों से प्रयोग में नही थे । इन वाहनो को निष्प्रयोज्य घोषित कर उनके नीलामी मे लगे लम्बे समय के कारण उनकी दशा में आगे खराबी आई और उनसे वसूली योग्य सकल मूल्य ₹ 30.39 लाख की राजस्व में कमी आई।

हमारे यह इंगित करने पर शासन (जुलाई 2011) ने उत्तर दिया कि सभी संबंधित को तुरन्त कार्यवाही के निर्देश जारी[24] कर दिये गये है। हमारे विचार से विभाग को इन वाहनो का समयबद्ध निस्तारण/नीलामी सुनिश्चित करनी चाहिए। कार्यवाही किये जाने का विवरण प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

7.11 साइकिल स्टैण्ड की नीलामी से राजस्व की वसूली न हो पाना

अस्पताल परिसर में वाहनो के सुचारू संचालन के लिए साइकिल स्टैण्ड एक आवश्यक अंग है, यह न केवल एम्बुलेन्स बल्कि रोगियों, डाक्टरों व अस्पताल के कर्मचारियों के लिए भी सुविधाजनक है। नीलामी, ठेकेदार को खुली संविदा द्वारा, एक वर्ष हेतु की जाती है। अनुबन्ध दिनांक 18 अप्रैल 2008 के पैरा 5 के अनुसार ठेकेदार को बिड की धनराशि किस्तो में जमा करने की अनुमति थी, उल्लंघन करने पर ब्याज भी देय था। अनुबन्ध के पैरा 9 के अनुसार ठेकेदार को कार, मोटर साइकिल और साइकिल के लिए क्रमश ₹ 3, ₹ 2 और ₹ 1 की दर से पार्किंग फीस वसूला।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बरेली के अभिलेखों में हमने पाया कि वर्ष 2008–09 में एक ठेकेदार को उसके उच्चतम बोली ₹ 8 लाख में साइकिल स्टैण्ड का

[21] डी.जी पत्र संः प0क0/10–जे0डी0/05/2011/3891–8 दिनांक 18 जुलाई 2011।
[22] इलाहाबाद, बरेली, चित्रकूट, इटावा, जालौन, जौनपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली एवं रामपुर।
[23] आंकलित प्रति वाहन ₹ 25,000।
[24] डीजी पत्र सं0 15फ/120 बी/एम/11/421 दिनांक 19 जुलाई 2011।

आवंटन किया गया था । अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार को दिनांक 24 अप्रैल 2008 को ₹ 2 लाख तथा शेष धनराशि को तीन बराबर किस्तों में दिनांक 31 जुलाई 2008, 31 अक्टूबर 2008 और 31 जनवरी 2008 पर जमा करने की छूट प्रदान की गई थी उक्त के असफल होने पर संविदा को खत्म हो जाना था । किन्तु ठेकेदार ने उक्त शर्तो का उल्लंघन कर मात्र ₹ 1 लाख दिनांक 24 अप्रैल 2008 तक और कुल ₹ 2.9 लाख फरवरी 2009 तक जमा किया । ठेकेदार द्वारा अनियमित रुप से किस्त जमा किये जाने व कुल धनराशि ₹ 7.8 लाख[25] के नहीं जमा करने के वावजूद संविदा को समाप्त नही किया गया था। ठेकेदार जुलाई 2009 तक स्टैण्ड चलाता रहा और जनता से पार्किंग फीस वसूलता रहा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बरेली ने अप्रैल 2009 में ₹ 5.1 लाख के वसूली प्रमाणपत्र जारी किये।

हमारे यह इंगित करने पर शासन (जुलाई 2011) ने उत्तर दिया कि जिलाधिकारी को भू–राजस्व की तरह कार्यवाही के निर्देश दिये जा चुके है। जबकि अभी तक वसूली नही हुयी है (फरवरी 2013)।

गन्ना विकास विभाग

7.12 गन्ना क्रय कर, अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय कर अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कारखाने के मालिक द्वारा क्रय किये गये गन्ने की मात्रा पर गन्ना क्रय कर (ग0क्र0क0) आरोपित एवं संग्रहीत किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिये जिलाधिकारी निर्धारण प्राधिकारी है।

उप धारा (3) प्रावधानित करता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कोई कर यदि उसके लिये नियत भुगतान की तिथि तक अदा नहीं किया गया हो, तो ऐसी तारीख से भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज देय होगा।

आगे उपधारा (4) प्रावधानित करता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कोई कर या उसका ब्याज या दोनों, जैसा भी प्रकरण हो, उसके भुगतान हेतु नियत तिथि के बाद 15 दिन से अधिक अवधि तक बिना भुगतान के बना रहता है, तो उसका भुगतान करने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति जैसा नियत किया जाय उस दर से, आगणित दण्ड का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

हमने मेसर्स अकबरपुर चीनी मिल्स लि0 मिझोरा, अम्बेडकर नगर (बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 की एक इकाई) के अभिलेखों[26] से देखा (मई 2010) कि पेराई सत्र 2006–07 के दौरान 22.02.2007 तक (23.02.2007 के पहले की तिथि जिस दिन चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 की शर्तों के अन्तर्गत मिल को गन्ना क्रय कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ) चीनी मिल द्वारा 69,04,746.76 कुन्तल गन्ना क्रय किया गया। गन्ने की उपरोक्त मात्रा पर ₹ 1.38 करोड़ की धनराशि गन्ना क्रय कर के रूप में आरोपणीय थी, जिसके विरूद्ध चीनी मिल द्वारा मात्र ₹ 61.80 लाख का भुगतान किया गया। इस प्रकार गन्ना क्रय कर की शेष धनराशि ₹ 76.29 लाख एवं उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज आरोपित/वसूल नहीं किया गया।

[25] ₹ 5.10 लाख 2008–09 के लिए और ₹ 2.70 लाख अप्रैल 2009 से जुलाई 2009 तक के लिए।
[26] गन्ना क्रय पंजिका, गन्ना क्रय कर पंजिका एवं बकाया पंजिका।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (सितम्बर 2011) के पश्चात विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि गन्ना क्रय कर की शेष धनराशि ₹ 76.29 लाख एवं भुगतान न किये गये कर पर एक प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड के रूप में ₹ 76,000 की एक अतिरिक्त धनराशि जनवरी 2012 में वसूल की गई। ₹ 34.41 लाख के ब्याज की धनराशि फिर भी प्रभारित एवं संग्रहीत नहीं की गई।

बाट एवं माप विभाग

7.13 आटो रिक्शा से मीटर सत्यापन एवं मुद्रांकन शुल्क वसूल न किया जाना

हमने चार स0प0का0[27] एवं पाँच स0स0प0का0[28] के अभिलेखों[29] की जाँच किया (जून 2011 से मार्च 2012) और देखा कि जून 2008 से फरवरी 2012 की अवधि के दौरान 26,677 आटो रिक्शा बिना मीटर सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किये पंजीकृत किये गये। बाट एवं माप विभाग तथा परिवहन विभाग के बीच समन्वय की कमी थी जिसके कारण बाट एवं माप विभाग मीटर सत्यापन एवं मुद्रांकन शुल्क वसूल करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप मीटर सत्यापन एवं मुद्रांकन शुल्क ₹ 25.03 लाख वसूल नही किया गया।

उत्तर प्रदेश मानक बाट एवं माप (प्रवर्तन) नियमावली, 1990 के नियम 17(1) के अन्तर्गत प्रतिस्थापित बारहवी अनुसूची के अनुसार आटो रिक्शा में तय की गई दूरी की माप के लिये मीटर लगाया जाना चाहिए एवं ऐसे लगे हुए मीटर के सत्यापन एवं मुद्रांकन के लिए शुल्क के रूप में ₹ 50 देय है।
पुनश्च, उत्तर प्रदेश मानक बाट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985, की धारा 24 प्रावधानित करता है कि किसी भी संव्यवहार या औद्योगिक उत्पादन अथवा सुरक्षा के लिए प्रयुक्त अथवा प्रयोग किये जाने हेतु आशयित प्रत्येक बाट अथवा माप को कम से कम वर्ष में एक बार सत्यापित अथवा पुर्नसत्यापित एवं मुद्रांकित किया जायेगा।

हमने प्रकरण को जुलाई 2011 से अप्रैल 2012 की अवधि में विभाग/शासन को सूचित किया विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि आटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्तियों के लिये मीटर सत्यापित कराना अनिवार्य है तथा यह कि स0प0का0/स0स0प0का0 से पंजीकृत आटो रिक्शा की सूचनाओं के प्रतिसत्यापन की कोई प्रणाली नहीं है।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग स0प0का0/स0स0प0का0 के साथ प्रतिसत्यापन की प्रणाली विकसित करें ताकि मीटर सत्यापन किया जाय और राजस्व वसूल हो।

[27] आटोरिक्शा की पंजीयन पत्रावलियाँ, वाहनों का डाटाबेस।
[28] स0प0का0– आजमगढ़, बरेली, बाँदा एवं अलीगढ़।
[29] स0स0प0का0– गौतमबुद्धनगर, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, देवरिया एवं बुलन्दशहर।

7.14 शुल्क/अतिरिक्त शुल्क की वसूली न किया जाना

मानक बाट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (मा0बा0 एवं मा0) के प्रावधानों के साथ पठित उत्तर प्रदेश मानक बाट एवं माप नियमावली, 1990 (उ0प्र0 मा0बा0 एवं मा0) के नियम 14 एवं 15 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व, नियंत्रण अथवा संरक्षण में कोई बाट एवं माप (क्षमता मापक संग्रहण टैंक, लारीज एवं डिस्पेंसिंग माप आदि) हो, जिसे किसी लेनदेन या औद्योगिक उत्पादन में उपयोग करता हो, या उपयोग करने वाला हो, को सत्यापन या पुर्नसत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा और इन्हें पाँच वर्ष में कम से कम एक बार, जैसा भी मामला हो, निर्धारित फीस का भुगतान करके मुद्रांकित करायेगा। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर धारा 47 के अन्तर्गत अर्थदण्ड, जिसे ₹ 500 तक बढ़ाया जा सकता है, देय होगा। पुनश्च, उ0प्र0मानक बाट एवं माप नियमावली के नियम 17(3) के अन्तर्गत उ0प्र0मा0बा0मा0नि0 की अनुसूची बारह में निर्दिष्ट दर के आधी दर पर अतिरिक्त शुल्क भी पुर्नसत्यापन हेतु वैधता अवधि के समाप्ति के पश्चात वर्ष के प्रत्येक त्रैमास या उसके भाग के लिये देय होगा।

जून 2010 एवं दिसम्बर 2010 के मध्य, दो आसवनियों[30] के अभिलेखों[31] की नमूना जाँच में हमने देखा कि बाट एवं माप विभाग द्वारा सत्यापन किये बिना इन आसवनियों में संग्रहण सहित जैसे टंकियाँ/टैंकों का उपयोग उनकी स्थापना के समय से ही हो रहा था। विभाग ने जैसा कि नियम 15(7) में अभिलिखित है, के अनुसार सत्यापन/ पुर्नसत्यापन के लिये निरीक्षण नहीं किया और उपयोगकर्ताओं ने भी जैसा कि नियम 15(1) में अभिलिखित है के अनुसार वैट्स/संग्रहण टैंकों का सत्यापन नहीं कराया। इसके परिणामस्वरूप आरोपणीय शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क की धनराशि ₹ 11.59 लाख[32] साथ में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर आरोपणीय अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गयी। पुनश्च, वैट्स/संभरण टैंकों का अंशशोधन न करने से इनमें संग्रहीत मदिरा के आयतन के गलत निर्धारण का खतरा बना रहा जिसके परिणामस्वरूप गलत आबकारी शुल्क का निर्धारण हो सकता है।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) के पश्चात शासन ने हमारी आपत्ति कि जाँच नहीं की गयी थी, को स्वीकार किया और अक्टूबर 2012

---

[30] (i) जैन आसवनी, नगीना रोड़, बिजनौर जनवरी 2008 में स्थापना के समय से सत्यापित नहीं।
(ii) बलरामपुर चीनी मिल, गोण्डा 1999 से सत्यापित नहीं।

[31] अनुज्ञापनों एवं प्रमाण–पत्रों की पत्रावली, डिप बुक्स, वैट्स/टैंकों की रख–रखाव पत्रावली।

[32]

(धनराशि ₹ में)

आसवनी/ चीनी मिल का नाम	वैट्स/टैंकों की संख्या	वैट/टैंक की क्षमता के अनुसार सत्यापन शुल्क	वर्ष जब सत्यापन होना था	विलम्ब की अवधि	विलम्ब त्रैमासों में	देय सत्यापन शुल्क	विलम्बित अवधि हेतु देय अतिरिक्त शुल्क	कुल न वसूला गया शुल्क
जैन आसवनी, बिजनौर	14	2,454 से 5,000	जनवरी 2008	जनवरी 2008 से दिसम्बर 2011	16	52,354	4,18,832	4,71,186
बलरामपुर चीनी मिल, गोण्डा	5	5,000	जनवरी 1999	जनवरी 1999 से फरवरी 2012	53	25,000	6,62,500	6,87,500
योग	**19**					**77,354**	**10,81,332**	**11,58,686**

में बताया कि जून 2012 में जाँच किये जाने के पश्चात् पहली आसवनी ने देय शुल्क के रूप में ₹ 4.43 लाख जमा कर दिया। दूसरी आसवनी के मामले में ₹ 7.63 लाख की माँग की गई, यद्यपि प्रकरण अब न्यायालय में है। चूँकि राज्य में स्थित आसवनियों एवं चीनी मिलों की संख्या भलीभाँति ज्ञात है, विभाग द्वारा नियमानुसार नियमित रूप से संभरण वैट्स/टैंकों का निरीक्षण एवं सत्यापन किये जाने की हम संस्तुति करते हैं।

लखनऊ,
दिनांकः

(डा0 स्मिता एस0 चौधरी)
महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
दिनांकः

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का अनारोपण/कम आरोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 2.10.1)

(₹ लाख में)

क्र0 स0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनियमितताओं की प्रकृति)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1.	असि0कम0 खण्ड 10, वा0क0, आगरा	1	2007-08(मू0सं0क0) (जनवरी 2010)	गुड नाइट क्वायल (गलत दर से कर लगाया)	5.91	12.5/4	0.50
2.	डि0कमि0 खण्ड 11, वा0क0, आगरा	1	2008-09 (अप्रैल 2010)	इनट्रान्स ट्रान्समीटर, डिटेक्टर विथ डाटालिंक (गलत दर से कर लगाया)	6.93	12.5/4	0.59
3.	डि0कमि0 खण्ड 17, वा0क0, आगरा	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	टिशू पेपर (कर आरोपित नहीं किया)	2.39	11[1]/0	0.26
				साबुन (कर आरोपित नहीं किया)	0.81	13[1]/0	0.11
				कास्मेटिक (कर आरोपित नहीं किया)	3.02	17[1]/0	0.51
4.	डि0कमि0 खण्ड 19,वा0क0, आगरा	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	सीमेन्ट,वाल केयर पुट्टी, सील आदि (कर आरोपित नहीं किया)	38.44	12.5/0	4.81
5.	असि0कमि0 खण्ड 1, वा0क0, अलीगढ़	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	सैडलरी (गलत दर से कर लगाया)	16.08	12.5/4	1.37
6.	डि0कमि0 खण्ड 1, वा0क0, इलाहाबाद	1	2002-03 (अगस्त 2004)	ऑटो रिफरेक्टोमीटर एवं साइट सेविंग इलैक्ट्रानिक सामान (क0नि0प्रा0 द्वारा कर मुक्त घोषित)	24.06	8/0	1.92
			2003-04 (जून 2005)	––तदैव––	2.43	8/0	0.19
7.	असि0कमि0 खण्ड 7, वा0क0, इलाहाबाद	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जून 2009)	काटन लेबिल्स (क0नि0प्रा0 द्वारा कर मुक्त घोषित)	80.16	5/0	4.01
8.	डि0कमि0 खण्ड 14, वा0क0, इलाहाबाद	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	ए0सी0 शीट (कर आरोपित नहीं किया)	103.48	13[1]/0	13.45
9.	डि0कमि0 खण्ड 10, वा0क0, बरेली	1	2007-08(मू0सं0क0) (जून 2010)	डाक्टर फिक्सिट (पीडीलाइट) (गलत दर से कर लगाया)	7.16	12.5/4	0.61
10.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, गौतम बुद्ध नगर	1	2007-08(मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	पुरानी मशीनरी (कर आरोपित नहीं किया)	15.70	4/0	0.63
11.	डि0कमि0 खण्ड 3, वा0क0, गौतम बुद्ध नगर	1	2006-07 (फरवरी 2009)	पॉलीथीन बैग (गलत दर से कर लगाया)	16.95	8/4	0.68
			2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2010)	––तदैव––	10.61	8/4	0.42
		1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (फरवरी 2010)	धोने का साबुन (गलत दर से कर लगाया)	13.24	12.5/8	0.60

[1] विकास कर सहित।

क्र0 स0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनियमितताओं की प्रकृति)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय / आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
12.	ज्वा0कमि0 (कार्पो0स0)–ए वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	एलीसा किट (क0नि0प्रा0 द्वारा कर मुक्त घोषित)	12.35	12.5/4	1.54
13.	असि0कमि0 खण्ड 4, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	इलैट्रिक वर्क कान्ट्रैक्ट (गलत दर से कर लगाया)	36.28	4/2	0.73
14.	डि0कमि0 खण्ड 5, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	रिकार्डेड सी0डी0, वी0सी0डी0, डी0वी0डी0 और एमपी–3 (गलत दर से कर लगाया)	59.46	12.5/4	5.05
15.	असि0कमि0 खण्ड 7, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	शीतल पेय (गलत दर से कर लगाया)	7.87	12.5/4	0.67
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	एयर ड्रापर और स्पेयर्स (गलत दर से कर लगाया)	6.09	12.5/4	0.52
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	ट्रान्सफार्मर कोर (गलत दर से कर लगाया)	6.05	12.5/4	0.51
16.	डि0कमि0 खण्ड 8, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	एल्मुनियम शीट (गलत दर से कर लगाया)	134.93	12.5/4	11.47
17.	असि0कमि0 खण्ड 8, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	रेडीमिक्स कंक्रीट (गलत दर से कर लगाया)	13.75	12.5/4	1.17
		1	2007-08 (मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	कापर वायर (गलत दर से कर लगाया)	9.40	12.5/4	0.80
18.	डि0कमि0 खण्ड 9, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (जून 2009)	स्क्रब पैड (गलत दर से कर लगाया)	79.97	12.5/4	6.80
19.	डि0कमि0 खण्ड 13, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	लेमिनेटेड कैनवस बैग (गलत दर से कर लगाया)	22.74	12.5/4	1.93
20.	डि0कमि0 खण्ड 14, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	पेट परफार्म (गलत दर से कर लगाया)	52.84	12.5/4	4.49
21.	डि0कमि0 खण्ड 15, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	केबिल हारनेस (गलत दर से कर लगाया)	50.43	12.5/4	4.29
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	क्रेन (गलत दर से कर लगाया)	65.81	12.5/4	5.59
22.	असि0कमि0 खण्ड 15, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	रबर रोलर (गलत दर से कर लगाया)	19.63	12.5/4	1.67
23.	डि0कमि0 खण्ड 16, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2010)	वारंटी क्लेम ऑटो पार्टस (कर आरोपित नहीं किया)	94.19	$13^1/0$	12.24
		1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	वुडेन फ्लोर दरवाजे (कर आरोपित नहीं किया)	12.93	$9^1/0$	1.16
		1	2006-07 (मार्च 2009)	कन्जयूमेबिल स्टोर्स (कर आरोपित नहीं किया)	8.71	$11^1/0$	0.96
			2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2010)	––तदैव––	5.93	$11^1/0$	0.65
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	लिफ्ट (कर आरोपित नहीं किया)	14.13	12.5/0	1.77

क्र0 स0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनियमितताओं की प्रकृति)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय / आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
24.	डि0कमि0 खण्ड 17, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	चिकित्सकीय प्रयोग हेतु धातु के फर्नीचर (गलत दर से कर लगाया)	6.22	12.5/4	0.53
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	क्रेन (गलत दर से कर लगाया)	46.18	12.5/4	3.93
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	वाशिंग मशीन एवं इसके पुर्जे (गलत दर से कर लगाया)	20.50	12.5/4	1.74
25.	डि0कमि0 खण्ड 18, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	मासक्यूटो रिपलेन्ट (गलत दर से कर लगाया)	18.84	12.5/4	1.60
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	क्वायर शीट रबर (गलत दर से कर लगाया)	183.22	12.5/4	15.57
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	सिम कार्ड (क0नि0प्रा0 द्वारा कर मुक्त घोषित)	14.35	4/0	0.57
				सेट टाप बाक्स (गलत दर से कर लगाया)	3.50	12.5/4	0.30
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	बैटरी (गलत दर से कर लगाया)	84.25	12.5/4	7.16
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	पास्ता, स्नैक, बिसकिट, सिगरेट आदि (कर आरोपित नहीं किया)	30.83	12.5/0	2.62
26.	असि0कमि0 खण्ड 18, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	हार्डबोर्ड, माइका (गलत दर से कर लगाया)	13.34	12.5/4	1.13
27.	ज्वा0कमि0(कार्पो0स0) वा0क0, गोरखपुर	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	मौरंग (गलत दर से कर लगाया)	9.06	12.5/4	0.77
28.	असि0कमि0 खण्ड 1 वा0क0, हापुड	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	एडहेसिव (गलत दर से कर लगाया)	8.02	12.5/4	0.68
29.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, कानपुर	1	2007-08(मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	प्रोसेस्ड फूड (गलत दर से कर लगाया)	38.63	12.5/4	3.28
30.	असि0कमि0 खण्ड 3 वा0क0, कानपुर	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	मासक्यिूटो रिपलैन्ट मशीन (गलत दर से कर लगाया)	20.02	12.5/4	1.70
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	सैडलरी फिटिंग (गलत दर से कर लगाया)	8.08	12.5/4	0.68
31.	डि0कमि0 खण्ड 7, वा0क0, कानपुर	1	2006-07 (दिसम्बर 2010)	पैकिंग का सामान (गलत दर से कर लगाया)	12.54	10/4	0.75
32.	डि0कमि0 खण्ड 20, वा0क0, कानपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जून 2010)	सीमेन्ट (कर आरोपित नहीं किया)	13.03	$13^{1}/0$	1.69
33.	डि0कमि0 खण्ड 25, वा0क0, कानपुर	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	सैडलरी फिटिंग (गलत दर से कर लगाया)	51.68	12.5/4	4.39
34.	डि0कमि0 खण्ड 28, वा0क0, कानपुर	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	फिनायल (गलत दर से कर लगाया)	28.73	12.5/4	2.44
35.	डि0कमि0 खण्ड 29, वा0क0, कानपुर	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	फिनायल (गलत दर से कर लगाया)	37.99	12.5/4	3.23
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	चमड़ा, चमड़े का सामान (गलत दर से कर लगाया)	24.70	12.5/4	2.10
36.	डि0कमि0 खण्ड 30, वा0क0, कानपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2010)	मशीनरी (कर की संशोधित दर को न लगाना)	389.38	9/8	3.89

क्र0 स0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनियमितताओं की प्रकृति)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
37.	ज्वा0कमि0 (कार्पो0स0) 1 वा0क0, लखनऊ	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	कैमरा (गलत दर से कर लगाया)	124.00	16/10	7.44
				स्टूडियो उपकरण एवं पिक्चर (गलत दर से कर लगाया)	2242.05	16/12	89.68
38.	डि0कमि0 खण्ड 4, वा0क0, लखनऊ	1	2009-10 (अक्टूबर 2010)	केवड़ा जल, गुलाब जल एवं हारपिक (गलत दर से कर लगाया)	138.92	12.5/4	11.81
39.	डि0कमि0 खण्ड 5, वा0क0, लखनऊ	1	2008-09 (जनवरी 2011)	जी0आई0 फिटिंग एवं वाल्व सी0पी0 फिटिंग (गलत दर से कर लगाया)	37.65	12.5/4	3.20
40.	डि0कमि0 खण्ड 16, वा0क0, लखनऊ	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	गेहूँ (कर आरोपित नहीं किया)	51.19	4/0	2.05
		1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (फरवरी 2010)	रेडीमेड गारमेंट्स (कर आरोपित नहीं किया)	15.48	$6^{1}/0$	0.93
41.	असि0कमि0 खण्ड 9 वा0क0, मेरठ	1	2007-08(मू0सं0क0) (जनवरी 2011)	ट्रान्सफार्मर बाक्स (गलत दर से कर लगाया)	13.40	12.5/4	1.14
42.	ज्वा0कमि0(कार्पो0स0) ए वा0क0, नोएडा	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	स्क्रैप, पॉलिथीन, कचरा (गलत दर से कर लगाया)	25.41	11/2.5	2.16
43.	डि0कमि0 खण्ड 4, वा0क0, नोएडा	1	2007-08(मू0सं0क0) (नवम्बर 2010)	रिकार्डेड सी0डी0/वी0सी0डी0 (गलत दर से कर लगाया)	64.20	12.5/4	5.46
		1	2007-08(मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	हेड सिंक (गलत दर से कर लगाया)	19.51	12.5/4	1.66
44.	डि0कमि0 खण्ड 5, वा0क0, नोएडा	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	दरवाजा, खिडकी एवं कैबिनेट (कर आरोपित नहीं किया)	21.48	8/0	1.72
				स्टील कार्य (कर आरोपित नहीं किया)	14.45	4/0	0.58
				पार्टिशन/पैनल (कर आरोपित नहीं किया)	3.91	10/0	0.39
				फर्नीचर (कर आरोपित नहीं किया)	0.78	8/0	0.06
45.	डि0कमि0 खण्ड 6, वा0क0, नोएडा	1	2006-07 (अक्टूबर 2008)	वोल्टेज स्टेबलाइजर (गलत दर से कर लगाया)	11.43	12/10	0.23
			2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (नवम्बर 2009)	––तदैव––	22.05	12/10	0.44
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	फोम के सामान (गलत दर से कर लगाया)	30.96	12.5/4	2.63
46.	डि0कमि0 खण्ड 7, वा0क0, नोएडा	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2011)	सिक्योरिटी सिस्टम (गलत दर से कर लगाया)	64.21	10/8	1.28
		1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2010)	कास्मेटिक एवं टायलेट प्रिपरेशन (गलत दर से कर लगाया)	281.28	16/12	11.25
		1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2010)	सदस्यता फार्म (क0नि0प्रा0 द्वारा कर मुक्त घोषित)	65.00	$11^{1}/0$	7.15
		1	2007-08(मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	ट्रान्सफार्मर पार्टस (गलत दर से कर लगाया)	18.24	12.5/4	1.55

क्र0 स0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनियमितताओं की प्रकृति)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय / आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
47.	डि0कमि0 खण्ड 11, वा0क0, नोएडा	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	घरेलू एल0पी0जी0 (क0नि0प्रा0 द्वारा कर मुक्त घोषित)	213.19	4/0	8.53
48.	डि0कमि0 खण्ड 12, वा0क0, नोएडा	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (फरवरी 2010)	एयर कूलर कम्पोनेंट एवं एसेसरीज (गलत दर से कर लगाया)	122.26	$13^{1}/11$	2.45
		1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (नवम्बर 2010)	वुडेन लैमिनेटेड फ्लोरिंग (गलत दर से कर लगाया)	48.96	12/10	0.98
49.	डि0कमि0 खण्ड 13, वा0क0, नोएडा	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (फरवरी 2010)	जिंक के बने दरवाजे के हैण्डिल (गलत दर से कर लगाया)	84.46	10/8	1.69
		1	2007-08(मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	एस्केवेटर पार्टस (गलत दर से कर लगाया)	73.76	12.5/4	6.27
50.	असि0कमि0 खण्ड 13, वा0क0, नोएडा	1	2007-08(मू0सं0क0) (जनवरी 2011)	रॉक वुड (गलत दर से कर लगाया)	6.49	12.5/4	0.55
51.	असि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, रामपुर	1	2007-08(मू0सं0क0) (जनवरी 2011)	साबुन (गलत दर से कर लगाया)	7.01	12.5/4	0.60
52.	डि0कमि0 खण्ड 4, वा0क0, सहारनपुर	1	2007-08(मू0सं0क0) (जनवरी 2011)	आइसक्रीम (गलत दर से कर लगाया)	6.08	12.5/4	0.52
53.	डि0कमि0 खण्ड 12, वा0क0, सहारनपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (फरवरी 2010)	मशीन एवं इसके भाग (कर की संशोधित दर को न लगाना)	72.94	9/8	0.73
54.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, वाराणसी	1	2006-07 (दिसम्बर 2010)	धान (गलत दर से कर लगाया)	34.88	4/2	0.70
55.	असि0 कमि0 खण्ड 5, वा0क0, वाराणसी	1	2003-04 (जनवरी 2006)	पुराने लूम के पार्टस (गलत दर से कर लगाया)	9.36	8/5	0.28
			2004-05 (जनवरी 2007)	––तदैव––	7.77	8/5	0.23
	योग	**79**			**6,076.71**		**331.76**

परिशिष्ट–II

वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण व्या0क0/मू0सं0क0 का कम आरोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 2.10.2)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनियमितताओं की प्रकृति)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	वाटर स्टोरेज टैंक को प्लास्टिक कन्टेनर माना गया	17.34	12.5/4	1.47
2.	डि0कमि0 खण्ड 6, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	औद्योगिक नाइट्रोसेल्यूलोज एवं नाइट्रोसेल्यूलोज कॉटन को केमिकल माना गया	108.13	12.5/4	9.19
3.	असि0कमि0 खण्ड 15, वा0क0, कानपुर	1	2006-07 (उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2009)	फ्लोट ग्लास को प्लेन ग्लास शीट माना गया	9.09	16/10	0.55
4.	डि0कमि0 खण्ड 20, वा0क0, कानपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	रेजिन को केमिकल माना गया	27.84	10/4	1.67
5.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, लखनऊ	1	2006-07(उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2009)	फायरफाइटिंग औजार को मशीन एवं औजार माना गया	101.96	10/8	2.04
6.	असि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, लखनऊ	1	2005-06 (फरवरी 2009)	पेपर नैपकीन को पेपर उत्पाद माना गया	4.26	16/8	0.34
			2006-07 (फरवरी 2009)	––तदैव––	0.64	16/8	0.05
7.	डि0कमि0 खण्ड 12, वा0क0, लखनऊ	1	2006-07 (मार्च 2009)	खीर (कुक्ड फूड) को मिठाई माना गया (01.04.2006 से 31.07.2006)	6.32	8/5	0.19
				खीर (कुक्ड फूड) को मिठाई माना गया (01.08.2006 से 31.03.2007)	21.98	12.5/5	1.65
				फ्लेवर्ड दूध को अवर्गीकृत सामान माना गया	25.42	16/10	1.52
			2007-08(उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	खीर (कुक्ड फूड) को मिठाई माना गया	34.43	12.5/5	2.58
				फ्लेवर्ड दूध को अवर्गीकृत सामान माना गया	27.17	16/10	1.63
8.	डि0कमि0 खण्ड 19, वा0क0, लखनऊ	1	2007-08(उ0प्र0व्या0क0) (जुलाई 2009)	वाटर प्रूफिंग कम्पाउन्ड को अवर्गीकृत सामान माना गया	8.44	20/10	0.84
				कोल तार आधारित सीलिंग कम्पाउन्ड को अवर्गीकृत सामान माना गया	2.95	20/4	0.47
9.	डि0कमि0 खण्ड 1, वा0क0, मेरठ	1	2007-08(मू0सं0क0) (जनवरी 2011)	एडहेसिव को रेजिन माना गया	130.43	12.5/4	11.09
10.	असि0कमि0 खण्ड 12, वा0क0, मेरठ	1	2007-08(उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	स्पिलिट एअरकंडिशनर को इलेट्रिकल सामान माना गया	11.10	16/10	0.67
11.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, वा0क0, मिर्जापुर	1	2005-06 (फरवरी 2010	इसेन्सियल आयल को सिन्थेटिक फ्रेगरेन्स माना गया	25.89	10/8	0.52
12.	डि0कमि0 वा0क0, मोदी नगर	1	2005-06 (सितम्बर 2008)	इलेक्ट्रानिक्स गुड्स को इलेक्ट्रानिक कम्पोनेंट माना गया	11.63	8/4	0.47
			2006-07 (मार्च 2009)	––तदैव––	16.72	8/4	0.67
			2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (फरवरी 2010)	––तदैव––	14.75	10/4	0.88

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनियमितताओं की प्रकृति)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय / आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
13.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, नोएडा	1	2006-07(उ0प्र0व्या0क0) (सितम्बर 2010)	आर0 ओ0 सिस्टम को मशीनरी माना गया	21.18	10/8	0.42
					15.98	10/9	0.16
14.	डि0कमि0 खण्ड 5, वा0क0, नोएडा	1	2007-08(उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	मल्टीफंक्शनल डिजिटल कापियर को इलेक्ट्रानिक गुड्स माना गया	299.07	10/4	17.94
			2007-08 (मू0सं0क0) (जनवरी 2011)	––तदैव––	204.24	12.5/4	17.36
		1	2007-08(उ0प्र0व्या0क0) (मई 2010)	इलेक्ट्रानिक ऑटोलाक को इलेक्ट्रानिक गुड्स माना गया	54.33	12/8	2.17
		1	2006-07(उ0प्र0व्या0क0) (जून 2010)	थिनर और रिड्यूसर को औद्योगिक केमिकल माना गया	28.17	12/4	2.25
			2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (अक्टूबर 2010)	––तदैव––	18.71	12/4	1.50
15.	डि0कमि0 खण्ड 13, वा0क0, नोएडा	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	एलमुनियम आर्किटैक्चर फैब्रीकेशन को एलमुनियम सेक्शन माना गया	18.77	10/4	1.13
6.	**योग**	**17**			**1,266.94**		**81.42**

परिशिष्ट–III

कर की गलत दर लगाये जाने के कारण के0बि0क0 का अनारोपण/कम आरोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 2.10.3)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	आरोपणीय/ आरोपित कर (प्रतिशत में)	कम की दर में भिन्नता	कम आरोपित कर
1.	डि0कमि0 खण्ड 1, वा0क0, इलाहाबाद	1	2002-03 (अगस्त 2004)	ऑटो रिफरेक्टोमीटर एवं साइट सेविंग इलैक्ट्रानिक सामान	163.19	10/0	10	16.32
			2003-04 (जून 2005)	––तदैव––	123.12	10/0	10	12.31
2.	वा0क0अ0 खण्ड 1, वा0क0, गाजियाबाद	1	2006-07 (जनवरी 2011)	इंक और केमिकल	23.27	10/4	6	1.40
3.	डि0कमि0 खण्ड 13, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	कैनवस बैग	50.72	12.5/4	8.5	4.31
4.	डि0कमि0 खण्ड 15, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	रेलवे मशीनरी पार्ट्स	17.74	9/4	5	0.89
5.	असि0कमि0 खण्ड 15, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	रबर रोलर	14.25	12.5/4	8.5	1.21
6.	डि0कमि0 खण्ड 17, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	चिकित्सकीय प्रयोग के लिए धातु के फर्नीचर	26.18	12.5/4	8.5	2.23
7.	डि0कमि0 खण्ड 6, वा0क0, कानपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	डीजल लोकोमोटिव मशीनरी	20.03	9/4	5	1.00
8.	डि0कमि0 खण्ड 16, वा0क0, कानपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	स्लीपिंग बैग	45.50	10/5	5	2.28
9.	डि0कमि0 खण्ड 26, वा0क0, कानपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (फरवरी 2010)	स्टील जरीकेंन	261.11	5/4	1	2.61
10.	डि0कमि0 वा0क0, कोसीकला	1	2006-07 (मार्च 2009)	कास्मेटिक	20.85	16/10	6	1.25
11.	डि0कमि0 वा0क0, वा0क0, मोदीनगर	1	2006-07 (मार्च 2009)	तापमान मापने का सिस्टम	61.64	4/2	2	1.23
12.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, वा0क0, नोएडा	1	2006-07 (मार्च 2009)	इलेक्ट्रानिक अल्ट्रासाउन्ड स्कैनर	75.81	4/2	2	1.52
13.	डि0कमि0 खण्ड 5, वा0क0, नोएडा	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	मल्टीफंक्शनल डिजिटल कापियर	422.58	10/4	6	25.35
			2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	––तदैव––	196.96	12.4/4	8.5	16.74
योग		**13**			**1,522.95**			**90.65**

परिशिष्ट–IV

विलम्ब से कर जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 2.11.1)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिन में)	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	डि0कमि0 खण्ड 3, वा0क0, बरेली	1	2009-10 (मार्च 2011)	6.16	6-257	1.23
2.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, चन्दौसी	1	2005-06 (दिसम्बर 2008)	33.69	3-5	3.37
		1	2005-06 (फरवरी 2009)	17.76	3	1.78
3.	डि0कमि0 खण्ड 4, वा0क0, फिरोजाबाद	1	2007-08(उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	53.01	5-23	5.30
4.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, गौतम बुद्ध नगर	1	2007-08(मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	5.69	18-19	1.14
5.	डि0कमि0 खण्ड 1, वा0क0, गोरखपुर	1	2005-06 (फरवरी 2009)	14.58	3-83	1.46
			2006-07 (मार्च 2009)	5.50	5-231	0.55
			2007-08(उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	24.09	8-55	2.40
6.	असि0कमि0 खण्ड 5, वा0क0, झाँसी	1	2007-08(उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	10.16	71-106	1.02
7.	ज्वा0कमि0(कर्पो0स0) 2, वा0क0, कानपुर	1	2007-08(मू0सं0क0) (जनवरी 2011)	21.57	11	4.31
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	8.29	36-96	1.66
8.	डि0कमि0 खण्ड 5, वा0क0, कानपुर	1	2007-08(मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	12.32	5-759	2.46
9.	ज्वा0कमि0 (कार्पो0स0) आयल सेक्टर वा0क0, लखनऊ	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	107.42	102-163	21.48
10.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, लखनऊ	1	2007-08(उ0प्र0व्या0क0) (जनवरी 2010)	79.85	3-12	7.99
11.	असि0कमि0 खण्ड 21, वा0क0, लखनऊ	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	6.74	25-85	1.36
12.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, मथुरा	1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	4.24	4-31	0.85
13.	डि0कमि0 खण्ड 5, वा0क0, नोएडा	1	2006-07 (मार्च 2009)	8.24	5	0.82
	योग	**15**		**419.31**	**3-759**	**59.18**

परिशिष्ट–V

सकर्म संविदा कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 2.11.5)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिन में)	अधिकतम आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	डि0कमि0 खण्ड11, वा0क0, आगरा	1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	1.66	13–26	3.32
2.	डि0कमि0 खण्ड 16, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08 (मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	11.41	5–31	22.82
3.	असि0कमि0 खण्ड 18, वा0क0, गाजियाबाद	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (फरवरी 2010)	18.63	6–32	37.26
4.	डि0कमि0 खण्ड 17, वा0क0, कानपुर	1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	13.47	8–61	26.94
5.	असि0कमि0 खण्ड 7, वा0क0, मुजफ्फरनगर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2010)	0.89	11–311	1.78
6.	डि0कमि0 खण्ड 2, वा0क0, नोएडा	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2010)	2.98	158	5.96
7.	डि0कमि0 खण्ड 9, वा0क0, नोएडा	1	2007-08 (मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	11.53	18	23.06
		1	2007-08 (मू0सं0क0) (दिसम्बर 2010)	0.32	39	0.64
			2008-09 (दिसम्बर 2010)	0.84	162	1.68
		1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	1.25	45	2.50
8.	डि0कमि0, वा0क0, पलियाँकला	1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	1.33	36–152	2.66
9.	असि0कमि0 खण्ड 12, वा0क0, सहारनपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (दिसम्बर 2009)	0.98	32–93	1.96
10.	असि0कमि0 खण्ड 1, वा0क0, शामली	1	2007-08 (मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	1.17	37	2.34
11.	डि0कमि0 खण्ड 14, वा0क0, वाराणसी	1	2007-08 (मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	1.61	42	3.22
	योग	**13**		**68.07**	**5–311**	**136.14**

परिशिष्ट–VI

माडल शापों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 3.8)

(अ) 2010-2011

(₹ में)

जिले का नाम	क्र0 सं0	माडल शाप का नाम	02/2009 से 01/2010 के दौरान बिक्रीत विदेशी मदिरा के बोतलों की संख्या	02/2009 से 01/2010 के दौरान बिक्रीत बीयर के बोतलों की संख्या	प्रति बोतल ₹ 26 की दर से वास्तविक बिक्री के अनुसार वर्ष 2010–11 के लिए विदेशी मदिरा हेतु देय लाइसेंस फीस	प्रति बोतल ₹ 5 की दर से वास्तविक बिक्री के अनुसार वर्ष 2010–11 के लिए बीयर हेतु देय लाइसेंस फीस	पीने की सुविधा हेतु देय फीस	वास्तविक बिक्री के अनुसार माडल शाप की देय कुल लाइसेंस फीस	अधिकतम ₹ 22 लाख + पीने की सुविधा की फीस से परिसीमित करने के पश्चात देय लाइसेंस फीस	विभाग द्वारा वसूल किया गया लाइसेंस फीस	लाइसेंस फीस का अन्तर (अधिकतम ₹ 22 लाख से परिसीमित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6+7+8)	10	11	12 (10 - 11)
मथुरा	1	छटींकटा नं0–1	53325	56479	1386450	282395	0	1668845	1668845	1212300	456545
फैजाबाद	1	नाका माडल शाप	46578	52489	1211028	262445	50000	1523473	1523473	1276400	247073
	2	सिविल लाइन्स माडल शाप	49000	48459	1274000	242295	50000	1566295	1566295	1276400	289895
एटा	1	बस अड्डा माडल शाप	65575	70538	1704950	352690	50000	2107640	2107640	1253000	854640
लखीमपुर खीरी	1	मो0 रानीगंज स्टेशन रोड	75388	44741	1960088	223705	0	2183793	2183793	1251800	931993
	2	बरखेडवा महावा	93336	54183	2426736	270915	0	2697651	2200000	1251800	948200
रायबरेली	1	बस स्टेशन	37086	48696	964236	243480	0	1207716	1207716	800000	407716
झाँसी	1	रिमझिम माडल शाप स्टेशन रोड	69250	87915	1800500	439575	0	2240075	2200000	2018500	181500
लखनऊ	1	गोसांई गंज	31217	46175	811642	230875	100000	1142517	1142517	900000	242517
	2	तिवारी गंज	27815	53052	723190	265260	100000	1088450	1088450	900000	188450
	3	मोहन लाल गंज	29519	37494	767494	187470	100000	1054964	1054964	900000	154964
योग -अ (2010-11)			**578089**	**600221**	**15030314**	**3001105**	**450000**	**18481419**	**17943703**	**13040200**	**4903493**

(ब) 2011-12

(₹ में)

जिले का नाम	क्र0 सं0	माडल शाप का नाम	02/2009 से 01/2010 के दौरान बिक्रीत विदेशी मदिरा के बोतलों की संख्या	02/2009 से 01/2010 के दौरान बिक्रीत बीयर के बोतलों की संख्या	प्रति बोतल ₹ 30 की दर से वास्तविक बिक्री के अनुसार वर्ष 2011–12 के लिए विदेशी मदिरा हेतु देय लाइसेंस फीस	प्रति बोतल ₹ 6 की दर से वास्तविक बिक्री के अनुसार वर्ष 2011–12 के लिए बीयर हेतु देय लाइसेंस फीस	पीने की सुविधा हेतु देय फीस	वास्तविक बिक्री के अनुसार माडल शाप की देय कुल लाइसेंस फीस	अधिकतम ₹ 25 लाख + पीने की सुविधा की फीस से परिसीमित करने के पश्चात देय लाइसेंस फीस	विभाग द्वारा वसूल किया गया लाइसेंस फीस	लाइसेंस फीस का अन्तर (अधिकतम ₹ 25 लाख से परिसीमित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6+7+8)	10	11	12 (10 – 11)
फैजाबाद	1	नाका माडल शाप	99385	119689	2981550	718134	100000	3799684	2600000	1349600	1250400
	2	सिविल लाइन्स माडल शाप	103053	121253	3091590	727518	100000	3919108	2600000	1349600	1250400
गाजीपुर	1	मोहम्मदाबाद माडल शाप	37729	47321	1131870	283926	100000	1515796	1515796	988700	527096
रामपुर	1	गुरू नानक रोड	37820	35387	1134600	212322	0	1346922	1346922	1201700	145222
	2	मिडवे माडल शाप	42749	37143	1282470	222858	0	1505328	1505328	1201700	303628
	3	सिविल लाइन्स माडल शाप	36827	30222	1104810	181332	0	1286142	1286142	1201700	84442
	4	हमीद गेट माडल शाप	36089	30672	1082670	184032	0	1266702	1266702	1201700	65002
	5	मिश्टनगंज माडल शाप	33823	31463	1014690	188778	0	1203468	1203468	1201700	1768
	6	मिलक माडल शाप	27082	14874	812460	89244	0	901704	901704	900000	1704
	7	देव रिसार्ट	57621	36453	1728630	218718	0	1947348	1947348	900000	1047348
रायबरेली	1	रतापुर	39524	20736	1185720	124416	0	1310136	1310136	800000	510136
	2	सिविल लाइन्स	40952	44294	1228560	265764	0	1494324	1494324	800000	694324
	3	स्टेशन रोड	25874	31758	776220	190548	0	966768	966768	800000	166768
कांशी राम नगर	1	नदरई गेट	85897	143607	2576910	861642	0	3438552	2500000	900000	1600000
	2	गंज दुदवारा	79708	53892	2391240	323352	0	2714592	2500000	900000	1600000
	3	सिद्धपुर	56834	72506	1705020	435036	0	2140056	2140056	900000	1240056
योग -ब (2011-12)			**840967**	**871270**	**25229010**	**5227620**	**300000**	**30756630**	**27084694**	**16596400**	**10488294**
योग -अ (2010-11)			**578089**	**600221**	**15030314**	**3001105**	**450000**	**18481419**	**17943703**	**13040200**	**4903493**
महायोग – अ + ब (2010-11 + 2011-12)			**1419056**	**1471491**	**40259324**	**8228725**	**750000**	**49238049**	**45028397**	**29636600**	**15391787**

परिशिष्ट–VII (अ)

कुल अपचायक शर्करा (टी0आर0एस0) का मार्गस्थ छीजन

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 3.11.1)

(₹ में)

क्र0 सं0	आसवनी का नाम	शीरे की प्राप्ति का माह	एम.एफ.4 पासों की संख्या	प्राप्त शीरा (कुन्तल में)	टी0आर0एस0 का विवरण (प्रतिशत में)			टी0आर0एस0 में अन्तर (कुन्तल में)	किण्वीय शर्करा की मात्रा (टी. आर.एस. का 88 प्रतिशत) (कुन्तल में)	उत्पादित अल्कोहल की मात्रा (52.5 ए. एल.प्रति कुन्तल किण्वीय शर्करा)	पेय अल्कोहल		प्रति ए.एल. ₹ 420 की दर से पेय अल्कोहल पर देय शुल्क
					प्रेषित	प्राप्त	अन्तर				प्रतिशत	मात्रा	
1.	लॉर्ड आसवनी नन्दगंज, गाजीपुर	अगस्त 2010 से मार्च 2011	126	36514.85	41.05 – 47.71	40.00 – 44.00	1.05 – 5.90	1328.22	1168.834	61363.788	99.9	61302.424	25747018
2.	वेव आसवनी एण्ड ब्रेवरीज लि0 अहमदपुरा, अलीगढ़	अगस्त 2010 से मार्च 2011	215	63391.3	42.86 – 50.45	41.00 – 50.00	0.11 – 2.61	455.284	400.65	21034.14	100	21034.14	8834339
3.	मोहन मीकिंन आसवनी लि0 मोहन नगर, गाजियाबाद	मार्च 2011	25	4895.7	46.50	45.00 – 45.45	1.05 – 1.50	52.2175	45.95	2412.45	100	2412.45	1013229
	योग	**अगस्त 2010 से मार्च 2011**	**366**	**104801.85**	**41.05 – 50.45**	**40.00 – 50.00**	**0.11 – 5.90**	**1835.7215**	**1615.434**	**84810.378**	**99.9 – 100**	**84749.014**	**35594586 अथवा 3.56 करोड़**

परिशिष्ट–VII (ब)

कुल अपचायक शर्करा (टी0आर0एस0) का भण्डारण छीजन

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 3.11.2)

(₹ में)

क्र0 सं0	आसवनी का नाम	उपयोग में लाये गये शीरे की अवधि	सी.ओ.टी. की संख्या	प्राप्त शीरे में उपस्थित टी.आर.एस. का न्यूनतम प्रतिशत (चीनी मिल की लैब के अनुसार)	प्राप्त शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा का न्यूनतम प्रतिशत (टी. आर.एस. का 88 प्रतिशत)	भण्डारित/ उपयोग में लाया गया शीरा (कुन्तल में)	उपयोग में लाये गये शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा का प्रतिशत (ए.टी. लैब के अनुसार)	भण्डारण के दौरान किण्वीय शर्करा की क्षति		उत्पादित अल्कोहल की मात्रा (52.5 ए.एल. प्रति कुन्तल किण्वीय शर्करा)	पेय अल्कोहल		प्रति ए.एल. ₹ 420 की दर से पेय अल्कोहल पर देय शुल्क
								प्रतिशत	मात्रा (कुन्तल में)		प्रतिशत	मात्रा (कुन्तल में)	
1.	लॉर्ड आसवनी नन्दगंज, गाजीपुर	मई 2010 से अक्टूबर 2010	19	40	35.20	99100	34.22 – 35.12	0.11 – 0.98	414.978	21786.349	99.9	21764.562	9141116
2.	वेव आसवनी एण्ड ब्रेवरीज लि0 अहमदपुर, अलीगढ़	जून 2010 से जुलाई 2010	12	40	35.20	134640	34.90 – 35.06	0.14 – 0.30	272.748	14319.30	100	14319.30	6014106
3.	उन्नाव आसवनी एण्ड बेवरीज लि0 उन्नाव	मार्च 2010 से मार्च 2011	24	41	36.08	72210	32.04 – 34.28	1.80 – 3.07	1809.689	95008.67	100	95008.67	39903641
4.	केसर इन्टरप्राइजेज लि0 बाहेरी, बरेली	अगस्त 2011 से अक्टूबर 2011	4	41	36.08	52080	33.21 – 35.63	0.45 – 2.87	700.467	36774.51	62.26	22895.809	9616240
	योग	**मार्च 2010 से अक्टूबर 2011**	**59**	**40 -41**	**35.20 – 36.08**	**358030**	**32.04 – 35.63**	**0.11 – 3.07**	**3197.882**	**167888.829**	**62.26 – 100**	**153988.341**	**64675103 अथवा 6.47 करोड़**

परिशिष्ट–VIII

विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों पर लाइसेंस फीस का कम आरोपण/वसूली किया जाना

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 3.14)

(अ) वर्ष 2010–11 के लिये

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद जहाँ एफ.एल.–2 लाइसेंस व्यवस्थित नहीं हुआ		जिला जहाँ से आपूर्ति की गयी		पूर्ववर्ती वर्ष (2009–10) का आगणित उपभोग जिसके लिये एफ.एल.–2 लाइसेंस अधिकृत किया गया (बोतलों में)	पूर्ववर्ती वर्ष की आगणित बिक्री के आधार पर वसूली योग्य लाइसेंस फीस	एफ.एल.–2 अनुज्ञापी से वसूल किया गया लाइसेंस फीस	कम आरोपित/ वसूल किया गया लाइसेंस फीस
	जिले का नाम	पूर्ववर्ती वर्ष (2009–10) का आगणित उपभोग[2] (बोतलों में)	जिले का नाम	पूर्ववर्ती वर्ष (2009–10) का आगणित उपभोग (बोतलों में)				
1.	लखीमपुर खीरी	829078	सीतापुर	622986	2017133	20.00	5.00	15.00
2.	हरदोई	565069	सीतापुर					
3.	चन्दौली	491182	वाराणसी	2844291	3335473	40.00	30.00	10.00
4.	कांशीराम नगर	393133	एटा	642041	1035174	10.00	5.00	5.00
5.	अम्बेडकर नगर	318285	फैजाबाद	694359	1012644	10.00	5.00	5.00
6.	प्रतापगढ	293675	सुल्तानपुर	585894	879569	10.00	5.00	5.00
7.	सिद्धार्थनगर	250353	बस्ती	453842	704195	10.00	5.00	5.00
	योग (2010-11)					**100.00**	**55.00**	**45.00**

(ब) वर्ष 2011–12 के लिये

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद जहाँ एफ.एल.–2 लाइसेंस व्यवस्थित नहीं हुआ		जिला जहाँ से आपूर्ति की गयी		पूर्ववर्ती वर्ष (2010–11) का आगणित उपभोग जिसके लिये एफ.एल.–2 लाइसेंस अधिकृत किया गया (बोतलों में)	पूर्ववर्ती वर्ष की आगणित बिक्री के आधार पर वसूली योग्य लाइसेंस फीस	एफ.एल.–2 अनुज्ञापी से वसूल किया गया लाइसेंस फीस	कम आरोपित/ वसूल किया गया लाइसेंस फीस
	जिले का नाम	पूर्ववर्ती वर्ष (2010–11) का आगणित उपभोग (बोतलों में)	जिले का नाम	पूर्ववर्ती वर्ष (2010–11) का आगणित उपभोग (बोतलों में)				
1.	लखीमपुर खीरी	1028042	सीतापुर	782121	1810163	20.00	10.00	10.00
2.	पीलीभीत	471422	बरेली	2288316	2759738	20.00	10.00	10.00
3.	प्रतापगढ	444434	सुल्तानपुर	671680	1116114	10.00	5.00	5.00
4.	सिद्धार्थनगर	332193	बस्ती	573175	1108582	10.00	5.00	5.00
5.	सन्त कबीर नगर	203214	बस्ती					
6.	चित्रकूट	248762	बाँदा	642498	1237086	10.00	5.00	5.00
7.	हमीरपुर	232336	बाँदा					
8.	महोबा	133490	बाँदा					
	योग (2011-12)					**70.00**	**35.00**	**35.00**

[2] वर्ष 2010–11 के लिए आगणित बिक्री––फार्मूले के आधार पर निर्धारितः 10 माह (अप्रैल से जनवरी) की वार्षिक बिक्री + 2 x 10 माह की वार्षिक बिक्री का औसत
वर्ष 2011–12 के लिए आगणित बिक्री––11 माह (अप्रैल से फरवरी) की वार्षिक बिक्री + 11 माह की वार्षिक बिक्री का औसत

परिशिष्ट–IX

बीयर की थोक आपूर्ति पर लाइसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 3.15)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	वर्ष 2009–10						वर्ष 2010–11						2009–10 एवं 2010–11 के दौरान कुल राजस्व क्षति
		2008–09 के दौरान बिक्रीत विदेशी मदिरा के बोतलों की संख्या	2008–09 के दौरान बिक्रीत बीयर के बोतलों की संख्या	विदेशी मदिरा एवं बीयर के बिक्रीत बोतलों की कुल संख्या	देय लाइसेंस फीस	आरोपित लाइसेंस फीस	राजस्व की क्षति	2009–10 के दौरान बिक्रीत विदेशी मदिरा के बोतलों की संख्या	2009–10 के दौरान बिक्रीत बीयर के बोतलों की संख्या	विदेशी मदिरा एवं बीयर के बिक्रीत बोतलों की कुल संख्या	देय लाइसेंस फीस	आरोपित लाइसेंस फीस	राजस्व की क्षति	
1.	अलीगढ़	2401126	2361890	4763016	40	20	20	2893784	3068105	5961889	40	30	10	30
2.	इलाहाबाद	2274340	2818037	5092377	40	20	20	2652101	3172627	5824728	40	30	10	30
3.	अम्बेडकर नगर	244939	218004	462943	5	0	5	318286	277117	595403	5	0	5	10
4.	आजमगढ़	523284	470903	994187	10	5	5	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	5
5.	औरैया	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	409991	367659	777650	10	5	5	5
6.	बागपत	927449	176876	1104325	10	0	10	1097900	810725	1908625	20	0	20	30
7.	बहराइच	298114	442650	740764	10	5	5	359014	637594	996608	10	5	5	10
8.	बलिया	588214	269585	857799	10	5	5	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	5
9.	बलरामपुर	146863	262524	409387	5	0	5	186335	308246	494581	5	0	5	10
10.	बरेली	1679004	1407904	3086908	40	20	20	1938204	1609501	3547705	40	20	20	40
11.	बस्ती	365821	398124	763945	10	5	5	452942	450705	903647	10	5	5	10
12.	बिजनौर	1788694	1133635	2922329	30	20	10	2123926	1394489	3518415	40	20	20	30
13.	बुलन्दशहर	2081257	1480304	3561561	40	20	20	2498788	1748338	4247126	40	20	20	40
14.	चन्दौली	373346	319714	693060	5	0	5	491182	364574	855756	10	0	10	15
15.	चित्रकूट	132242	85076	217318	5	0	5	174652	129527	304179	5	0	5	10
16.	देवरिया	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	936716	868760	1805476	20	10	10	10
17.	एटा	418833	392239	811072	10	5	5	642041	647018	1289059	10	5	5	10
18.	इटावा	424072	335573	759645	10	5	5	526154	395546	921700	10	5	5	10
19.	फैजाबाद	550668	566062	1116730	10	5	5	694359	640107	1334466	10	5	5	10
20.	फर्रूखाबाद	518837	410623	929460	10	0	10	691005	521240	1212245	10	5	5	15
21.	फतेहपुर	352866	298456	651322	5	0	5	426182	343202	769384	10	5	5	10
22.	फिरोजाबाद	1316869	1170340	2487209	20	10	10	1548101	1480011	3028112	40	20	20	30

क्र0 सं0	जिले का नाम	वर्ष 2009–10						वर्ष 2010–11						2009–10 एवं 2010–11 के दौरान कुल राजस्व क्षति
		2008–09 के दौरान बिक्रीत विदेशी मदिरा के बोतलों की संख्या	2008–09 के दौरान बिक्रीत बीयर के बोतलों की संख्या	विदेशी मदिरा एवं बीयर के बिक्रीत बोतलों की कुल संख्या	देय लाइसेंस फीस	आरोपित लाइसेंस फीस	राजस्व की क्षति	2009–10 के दौरान बिक्रीत विदेशी मदिरा के बोतलों की संख्या	2009–10 के दौरान बिक्रीत बीयर के बोतलों की संख्या	विदेशी मदिरा एवं बीयर के बिक्रीत बोतलों की कुल संख्या	देय लाइसेंस फीस	आरोपित लाइसेंस फीस	राजस्व की क्षति	
23.	गाजीपुर	383407	378632	762039	10	5	5	552347	551956	1104303	10	5	5	10
24.	गोण्डा	359778	478585	838363	10	5	5	589300	735699	1324999	10	5	5	10
25.	गोरखपुर	1286587	1875499	3162086	40	10	30	1506795	2196844	3703639	40	20	20	50
26.	हमीरपुर	118855	134380	253235	5	0	5	169897	190588	360485	5	0	5	10
27.	हरदोई	471096	377510	848606	10	0	10	565070	427406	992476	10	0	10	20
28.	हाथरस	919493	742296	1661789	20	10	10	1038384	1062364	2100748	20	10	10	20
29.	जे0पी0 नगर	473380	345796	819176	10	5	5	596298	439560	1035858	10	5	5	10
30.	जौनपुर	521983	575563	1097546	10	5	5	823535	896156	1719691	20	10	10	15
31.	झाँसी	806179	1280268	2086447	20	10	10	937729	1473560	2411289	30	10	20	30
32.	कानपुर देहात	431686	254819	686505	5	0	5	540997	289945	830942	10	0	10	15
33.	कांशीराम नगर	232429	180595	413024	5	0	5	393133	356573	749706	10	0	10	15
34.	कौशाम्बी	121340	82849	204189	5	0	5	169865	102291	272156	5	0	5	10
35.	कुशीनगर	310022	245712	555734	5	0	5	392335	304805	697140	5	0	5	10
36.	लखीमपुर	654524	536419	1190943	10	0	10	829079	705458	1534537	20	0	20	30
37.	महोबा	64158	72503	136661	5	0	5	84122	98497	182619	5	0	5	10
38.	महराजगंज	156691	184832	341523	5	0	5	222956	261944	484900	5	0	5	10
39.	मैनपुरी	398644	409264	807908	10	5	5	641698	690551	1332249	10	5	5	10
40.	मथुरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	2321280	3794311	6115591	40	20	20	20
41.	मऊ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	399444	339117	738561	10	5	5	5
42.	मिर्जापुर	425173	400393	825566	10	5	5	577611	520839	1098450	10	5	5	10
43.	मुरादाबाद	1694929	984864	2679793	30	20	10	1916656	1186305	3102961	40	20	20	30
44.	मुज्जफरनगर	1892191	1608545	3500736	40	20	20	2250865	2030549	4281414	40	20	20	40
45.	पीलीभीत	345293	196958	542251	5	0	5	397507	220348	617855	5	0	5	10
46.	प्रतापगढ	254905	235472	490377	5	0	5	293675	256671	550346	5	0	5	10
47.	रायबरेली	422944	511608	934552	10	0	10	538550	630752	1169302	10	0	10	20
48.	रामपुर	395402	333697	729099	10	5	5	469934	400843	870777	10	5	5	10
49.	सहारनपुर	1829690	1241434	3071124	40	20	20	2165922	1474169	3640091	40	20	20	40
50.	सन्त कबीर नगर	108797	85121	193918	5	0	5	153927	107104	261031	5	0	5	10

क्र0 सं0	जिले का नाम	वर्ष 2009–10						वर्ष 2010–11						2009–10 एवं 2010–11 के दौरान कुल राजस्व क्षति
		2008–09 के दौरान बिक्रीत विदेशी मदिरा के बोतलों की संख्या	2008–09 के दौरान बिक्रीत बीयर के बोतलों की संख्या	विदेशी मदिरा एवं बीयर के बिक्रीत बोतलों की कुल संख्या	देय लाइसेंस फीस	आरोपित लाइसेंस फीस	राजस्व की क्षति	2009–10 के दौरान बिक्रीत विदेशी मदिरा के बोतलों की संख्या	2009–10 के दौरान बिक्रीत बीयर के बोतलों की संख्या	विदेशी मदिरा एवं बीयर के बिक्रीत बोतलों की कुल संख्या	देय लाइसेंस फीस	आरोपित लाइसेंस फीस	राजस्व की क्षति	
51.	सिद्धार्थनगर	173866	148345	322211	5	0	5	250354	298416	548770	5	0	5	10
52.	सीतापुर	487256	428364	915620	10	5	5	622986	508176	1131162	10	5	5	10
53.	सोनभद्र	492282	497192	989474	10	5	5	584603	703667	1288270	10	5	5	10
54.	श्रावस्ती	30506	45108	75614	5	0	5	77335	58771	136106	5	0	5	10
55.	सुल्तानपुर	495023	234431	729454	10	5	5	585895	509633	1095528	10	5	5	10
56.	उन्नाव	527650	614996	1142646	10	5	5	680998	706193	1387191	10	5	5	10
	योग	**34692997**	**30740570**	**65433567**	**715**	**290**	**425**	**45402745**	**43765152**	**89167897**	**875**	**375**	**500**	**925**

परिशिष्ट-X

टाटा मैजिक वाहन की सीटिंग क्षमता कम ग्रहण किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण

(संदर्भित प्रस्तर सं0 4.8)

(₹ में)

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या (लदान रहित भार 1000कि0ग्रा0)	अवधि	आरोपणीय कर	जमा कर	कम आरोपण
1.	स0प0का, मेरठ	164	अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2010	3102855	2659590	443265
		69	जनवरी 2011 से फरवरी 2011	1242780	1065240	177540
2.	स0स0प0का, इटावा	130	अक्टूबर 2009 से मार्च 2011	2428322	2081420	346902
3.	स0स0प0का, सन्त कबीर नगर	117	अक्टूबर 2009 से फरवरी 2011	1941170	1663860	277310
4.	स0स0प0का, महाराजगंज	97	अप्रैल 2010 से मार्च 2011	796949	683100	113849
5.	स0स0प0का, हमीरपुर	139	अक्टूबर 2009 से नवम्बर 2010	2465288	2113104	352184
6.	स0स0प0का,अम्बेडकर नगर	30	अक्टूबर 2009 से अप्रैल 2011	354714	304040	50674
7.	स0स0प0का,सिद्धार्थनगर	30	अक्टूबर 2009 से जनवरी 2011	743819	637560	106259
8.	स0प0का, गोरखपुर	151	नवम्बर 2010 से जनवरी 2011	2379300	2039400	339900
9.	स0स0प0का, मैनपुरी	11	अक्टूबर 2009 से जून 2011	2811270	2409660	401610
10.	स0स0प0का, रामपुर	100	दिसम्बर 2010 से सितम्बर 2011	1225840	1050720	175120
11.	स0स0प0का, कुशीनगर	259	अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2011	4580471	3926118	654353
12.	स0स0प0का, बागपत	125	अक्टूबर 2009 से अगस्त 2011	3884650	3329700	554950
13.	स0स0प0का, बुलन्दशहर	118	अक्टूबर 2009 से जुलाई 2011	2318477	1987266	331211
14.	स0स0प0का, जालौन (उरई)	167	सितम्बर 2010 से मई 2011	3445043	2952894	492149
15.	स0प0का, मिर्जापुर	171	मार्च 2010 से दिसम्बर 2011	3160080	2708640	451440
16.	स0स0प0का, औरैया	165	अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2011	5192880	4451040	741840
17.	स0स0प0का, गाजीपुर	81	फरवरी 2010 से जुलाई 2011	1182720	1013760	168960
18.	स0स0प0का, बलिया	128	नवम्बर 2009 से जून 2011	1708630	1464540	244090
19.	स0स0प0का, रायबरेली	376	जुलाई 2010 से जुलाई 2011	5351493	4586994	764499
20.	स0स0प0का, देवरिया	183	नवम्बर 2009 से मार्च 2011	3978590	3410220	568370
21.	स0स0प0का, लखीमपुर खीरी	135	जुलाई 2010 से जून 2011	1730960	1483680	247280
22.	स0स0प0का, चन्दौली	104	नवम्बर 2009 से मार्च 2011	3803030	3259740	543290
23.	स0प0का, आजमगढ़	22	दिसम्बर 2010 से नवम्बर 2011	388080	332640	55440
24.	स0स0प0का, कौशाम्बी	94	अक्टूबर 2010 से जून 2011	2721950	2333100	388850
25.	स0प0का, इलाहाबाद	46	जनवरी 2011 से सितम्बर 2011	723800	620400	103400
26.	स0स0प0का, काशीराम नगर	83	अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2011	2163436	1854380	309056
27.	स0स0प0का, ललितपुर	172	जनवरी 2011 से फरवरी 2012	3973200	3405600	567600
	योग	**3467**		**69799797**	**59828406**	**9971391 या ₹ 99.71 लाख**

परिशिष्ट-XI

तीन माह से अधिक समर्पित वाहनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना

(संदर्भित प्रस्तर सं0. 4.9)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या	समर्पण का माह	अवधि जिसके लिए कर आरोपणीय था	कर/अतिरिक्त कर जो वसूला नहीं गया (₹ में)
1.	स0प0का, गाजियाबाद	15	सितम्बर 2008 से अगस्त 2010	अप्रैल 2010 से अप्रैल 2011	1700449
2.	स0प0का,मेरठ	36	दिसम्बर 2009 से अगस्त 2011	अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2011	1144070
3.	स0स0प0का, हमीरपुर	26	दिसम्बर 2009 से दिसम्बर 2010	अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2011	1957546
4.	स0स0प0का,उन्नाव	47	मार्च 2009 से नवम्बर 2010	अप्रैल 2010 से जुलाई 2011	3983615
5.	स0प0का, लखनऊ	58	दिसम्बर 2009 से मार्च 2011	अप्रैल 2010 से जुलाई 2011	942544
6.	स0स0प0का, देवरिया	27	जून 2008 से अगस्त 2010	अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010	169903
7.	स0प0का, कानपुर नगर	7	मार्च 2010 से मार्च 2011	जुलाई 2010 से जुलाई 2011	142850
8.	स0स0प0का, मैनपुरी	22	अगस्त 2008 से दिसम्बर 2010	अप्रैल 2010 से जून 2011	1487275
9.	स0स0प0का,फर्रूखाबाद	15	नवम्बर 2008 से दिसम्बर 2010	अप्रैल 2010 से जुलाई 2011	1016396
10.	स0स0प0का, बागपत	23	अप्रैल 2010 से मार्च 2011	जुलाई 2010 से अगस्त 2011	437591
11.	स0स0प0का, मथुरा	20	मार्च 2009 से मार्च 2011	अप्रैल 2010 से जुलाई 2011	361205
12.	स0स0प0का,रामपुर	8	जनवरी 2011 से जून 2011	मई 2011 से अक्टूबर 2011	137325
13.	स0स0प0का,बलरामपुर	137	मार्च 2011 से जुलाई 2011	जुलाई 2011 से नवम्बर 2011	328467
14.	स0स0प0का,औरैया	24	अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2010	अप्रैल 2010 से सितम्बर 2011	2994300
15.	स0स0प0का,कुशीनगर	10	जून 2009 से मार्च 2011	अप्रैल 2010 से सितम्बर 2011	164586
16.	स0स0प0का,बिजनौर	42	अक्टूबर 2010 से अप्रैल 2011	फरवरी 2011 से दिसम्बर 2011	382405
17.	स0प0का, आगरा	4	अगस्त 2009 से अगस्त 2010	अप्रैल 2010 से नवम्बर 2011	378480
18.	स0स0प0का, फतेहपुर	6	नवम्बर 2010 से अगस्त 2011	मार्च 2011 से जनवरी 2012	100042
19.	स0स0प0का,फिरोजाबाद	43	दिसम्बर 2010 से जुलाई 2011	अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011	746800
20.	स0स0प0का,मुज्जफरनगर	14	मार्च 2010 से जुलाई 2010	जुलाई 2010 से जून 2011	133400
21.	स0स0प0का,पीलीभीत	9	दिसम्बर 2009 से दिसम्बर 2010	अप्रैल 2010 से जून 2011	99820
22.	स0प0का, बरेली	6	दिसम्बर 2009 से फरवरी 2011	अप्रैल 2010 से जून 2011	29786
23.	स0स0प0का, सीतापुर	12	जून 2009 से जून 2011	अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2011	164220
24.	स0स0प0का, इटावा	4	दिसम्बर 2010 से सितम्बर 2011	अप्रैल 2011 से मार्च 2012	34500
25.	स0स0प0का,बुलन्दशहर	10	अप्रैल 2010 से मार्च 2011	अगस्त 2010 से जुलाई 2011	164082
26.	स0स0प0का,शाहजहाँपुर	30	अगस्त 2010 से जुलाई 2011	दिसम्बर 2010 से नवम्बर 2011	371650
27.	स0प0का, सहारनपुर	8	फरवरी 2010 से जून 2011	जून 2010 से दिसम्बर 2011	171209
28.	स0प0का, गोरखपुर	34	सितम्बर 2008 से जून 2011	अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2011	905340
29.	स0स0प0का, बहराइच	7	सितम्बर 2006 से सितम्बर 2010	अप्रैल 2010 से मई 2011	678600
30.	स0स0प0का, रायबरेली	8	फरवरी 2010 से मार्च 2011	जून 2010 से जुलाई 2011	287400
31.	स0स0प0का,जौनपुर	5	अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2010	अप्रैल 2010 से नवम्बर 2011	536700
32.	स0प0का, इलाहाबाद	34	जून 2005 से जुलाई 2011	अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2011	676123
33.	स0प0का, बाँदा	2	अगस्त 2010 से अगस्त 2011	दिसम्बर 2010 से दिसम्बर 2011	101160
	योग	**753**			**22929839 अथवा 2.29 करोड़**

परिशिष्ट-XII

अधिक भार का परिवहन करने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण

(संदर्भित प्रस्तर सं0 4.10.1)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	वाहन जिससे अधिक भार ढोया गया	परिवहित उप खनिज	अवधि जिनमें ओवरलोडेड वाहन संचालित थे	वाहन द्वारा ढोया गया भार (टन में)	वाहनों के प्रमाण पत्रों द्वारा अनुमन्य ढोये जाने वाला भार (टन में)	अनुमन्य सीमा से अधिक परिवहित भार (टन में)	प्रत्येक वाहन पर आरोपणीय शास्ति (₹ में)	वाहनों की संख्या	आरोपणीय शास्ति की धनराशि जो आरोपित और वसूल नहीं की गयी (₹ में)
1.	स0स0प0का0, रायबरेली	ट्रैक्टर ट्राली (दो पहिया)	बालू	फरवरी 2010 से अप्रैल 2011	6	3	3	5000	91	455000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	फरवरी 2011 से जून 2011	24	9	15	17000	283	4811000
2.	स0स0प0का0, उन्नाव	ट्रैक्टर ट्राली (दो पहिया)	बालू	फरवरी 2011 से मार्च 2011	6	3	3	5000	70	350000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	फरवरी 2011 से मार्च 2011	24	9	15	17000	200	3400000
		मिनि ट्रक (छः पहिया)	बालू	फरवरी 2011 से मार्च 2011	12	9	3	5000	21	105000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	फरवरी 2010 से मई 2011	40	15	25	27000	99	2673000
3.	स0स0प0का0, प्रतापगढ़	ट्रैक्टर ट्राली (दो पहिया)	बालू	अक्टूबर 2008 से मार्च 2011	6	3	3	5000	163	815000
		ट्रैक्टर ट्राली (दो पहिया)	बालू	अक्टूबर 2008 से मार्च 2011	8	3	5	7000	58	406000
		ट्रैक्टर ट्राली (छः पहिया)	बालू	अक्टूबर 2008 से मार्च 2011	16	5.25	10.75	13000	48	624000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	अप्रैल 2008 से अप्रैल 2009	16	9	7	9000	5	45000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	अप्रैल 2008 से जून 2010	24	9	15	17000	74	1258000
		ट्रक (छः पहिया)	बालू	अप्रैल 2008	28	9	19	21000	2	42000
4.	स0स0प0का0, बलरामपुर	ट्रैक्टर ट्राली (चार पहिया)	बालू	अगस्त 2011 से सितम्बर 2011	6	5.25	0.75	3000	86	258000
5.	स0स0प0का0, लखनऊ	ट्रैक्टर ट्राली (दो पहिया)	सधारण मिट्टी	जनवरी 2010 से मार्च 2010	6	3	3	5000	136	680000
6.	स0स0प0का0, औरैया	ट्रैक्टर ट्राली (दो पहिया)	बालू	जुलाई 2009 से नवम्बर 2009	6	3	3	5000	100	500000
		मिनि ट्रक (छः पहिया)	बालू	जुलाई 2009 से नवम्बर 2009	12	9	3	5000	30	150000
7.	स0स0प0का0, हरदोई	ट्रैक्टर ट्राली (चार पहिया)	बालू	जनवरी 2010	6	5.25	0.75	3000	35	105000
8.	स0स0प0का0, ललितपुर	ट्रक (छः पहिया)	गिट्टी	जुलाई 2009 से अगस्त 2009	20 से 36	9	11 से 27	13000 से 29000	16	277000
		ट्रक (दस पहिया)	गिट्टी	जुलाई 2008	34 से 40	15	19 से 25	21000 से 27000	28	644000
9.	स0स0प0का0, सिद्धार्थनगर	ट्रक (छः पहिया)	बालू	जनवरी 2011 से जनवरी 2012	14.12	9	5.12	8000	73	584000
10.	स0स0प0का0,	ट्रैक्टर ट्राली (दो पहिया)	बालू	जुलाई 2010 से फरवरी 2011	5.29	03	2.29	5000	284	1420000

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	वाहन जिससे अधिक भार ढोया गया	परिवहित उप खनिज	अवधि जिनमें ओवरलोडेड वाहन संचालित थे	वाहन द्वारा ढोया गया भार (टन में)	वाहनों के प्रमाण पत्रों द्वारा अनुमन्य ढोये जाने वाला भार (टन में)	अनुमन्य सीमा से अधिक परिवहित भार (टन में)	प्रत्येक वाहन पर आरोपणीय शास्ति (₹ में)	वाहनों की संख्या	आरोपणीय शास्ति की धनराशि जो आरोपित और वसूल नहीं की गयी (₹ में)
	श्रावस्ती	ट्रैक्टर ट्राली (दो पहिया)	बालू	जुलाई 2010 से फरवरी 2011	7.0	03	4	6000	21	126000
		ट्रैक्टर ट्राली (चार पहिया)	बालू	जुलाई 2010 से फरवरी 2011	8.82	5.25	3.57	6000	03	18000
		ट्रैक्टर ट्राली (चार पहिया)	बालू	जुलाई 2010 से फरवरी 2011	10.59	5.25	5.34	8000	11	88000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	जुलाई 2010 से फरवरी 2011	21.18	15	6.18	9000	05	45000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	जुलाई 2010 से फरवरी 2011	26.47	15	11.47	14000	02	28000
		ट्रक (दस पहिया)	बालू	जुलाई 2010 से फरवरी 2011	31.76	15	16.76	19000	01	19000
11.	स0स0प0का0, सन्त कबीर नगर	ट्रैक्टर ट्राली (दो पहिया)	बालू	मार्च 2011 से नवम्बर 2011	6	5.25	0.75	3000	168	504000
	योग								**2113**	**20430000 अथवा 2.04 करोड़**

परिशिष्ट-XIII

कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर जो वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे, पर कर तथा अर्थदण्ड का अनारोपण

(संदर्भित प्रस्तर सं0 4.12)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	वाहन का लदानरहित भार (टन में)	वाहनों के संचालन की अवधि	वाहनों की संख्या		आरोपणीय कर की धनराशि ₹ 500 प्रति त्रैमास प्रति टन लदान रहित भार के लिए (₹ में)	आरोपणीय अर्थदण्ड			कर अर्थदण्ड की कुल धनराशि (₹ में)
				अगस्त 2010 के पहले	अगस्त 2010 के बाद		₹ 2500 प्रति वाहन (₹ में)	₹ 4000 प्रति वाहन (₹ में)	योग	
1.	स0स0प0का, मथुरा	02	मार्च 2009 से मार्च 2011	102	29	131000	255000	116000	371000	502000
2.	स0स0प0का, उन्नाव	02	नवम्बर 2009 से जुलाई 2011	38	1	39000	95000	4000	99000	138000
3.	स0स0प0का, हरदोई	02	जनवरी 2010	29	0	29000	72500	0	725000	754000
4.	स0स0प0का, रायबरेली	02	नवम्बर 2009 से जुलाई 2011	1	64	65000	2500	256000	258500	323500
5.	स0प0का, लखनऊ	02	अप्रैल 2008 से जुलाई 2011	10	0	10000	25000	0	25000	35000
6.	स0स0प0का, औरैया	02	नवम्बर 2009 से सितम्बर 2011	24	0	24000	60000	0	60000	84000
7.	स0स0प0का, रामपुर	02	दिसम्बर 2010 से सितम्बर 2011	22	0	22000	55000	0	55000	77000
8.	स0स0प0का, मैनुपरी	02	दिसम्बर 2010 से मार्च 2011	0	35	35000	0	140000	140000	175000
9.	स0प0का, इलाहाबाद	02	मई 2009 से मार्च 2011	6	53	59000	15000	212000	227000	286000
10.	स0स0प0का, सद्धिार्थनगर	02	जनवरी 2012	0	76	76000	0	304000	304000	380000
11.	स0स0प0का, सन्त कबीर नगर	02	मार्च 2011 से नवम्बर 2011	16	0	16000	40000	0	40000	56000
12.	स0स0प0का, श्रावस्ती	02	जुलाई 2010 से जनवरी 2011	27	0	27000	67500	0	67500	94500
	योग		**अप्रैल 2008 से जनवरी 2012**	**275**	**258**	**533000**	**687500**	**1032000**	**2372000**	**2905000**

परिशिष्ट-XIV

आवास विकास परिषद द्वारा अन्तरित सम्पत्तियों के पंजीयन न कराये जाने से स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

(संदर्भित प्रस्तर संख्या 5.5.15.2)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	आवंटियों की संख्या	कब्जा दिये जाने की अवधि	कुल मालियत	स्टाम्प शुल्क की दर (प्रतिशत में)	देय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	विलम्ब की अवधि (माह में)
1.	आगरा	13	सितम्बर 1988 से मार्च 1998	8.08	6 से 7	0.55	0.08	144 से 279
2.	बलिया	39	मई 1993 से अप्रैल 2000	61.02	6 से 7	4.12	0.81	140 से 223
3.	बुलन्दशहर	12	नवम्बर 1988 से जुलाई 1994	18.70	6 से 7	1.22	0.25	209 से 277
4.	फिरोजाबाद	159	जनवरी 1984 से अक्टूबर 2006	112.25	6 से 7	7.44	1.12	71 से 335
5.	गाजीपुर	19	दिसम्बर 1992 से जनवरी 1995	9.28	6 से 7	0.63	0.09	203 से 228
6.	गोरखपुर	62	मार्च 1976 से अगस्त 2007	58.86	6 से 7	3.90	0.73	52 से 429
7.	झाँसी	98	अप्रैल 1980 से मार्च 2004	48.67	6 से 7	3.33	0.57	93 से 373
8.	मेरठ	71	अप्रैल 1988 से सितम्बर 2007	66.63	6 से 7	4.49	0.69	51 से 284
9.	मिर्जापुर	36	नवम्बर 1984 से सितम्बर 1998	136.36	6 से 7	9.45	1.68	159 से 325
10.	मुज्जफरनगर	279	जनवरी 1992 से दिसम्बर 2010	333.09	6 से 7	22.22	4.13	12 से 239
11.	वाराणंसी	56	अप्रैल 1985 से जून 1985	88.13	6 से 7	6.11	0.65	318 से 320
	योग	**844**	**मार्च 1976 से दिसम्बर 2010**	**941.07**	**6 से 7**	**63.46**	**10.80**	**12 से 429**

परिशिष्ट –XV

विक्रय विलेख के निष्पादन में स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

(संदर्भित प्रस्तर संख्या 5.5.19.1 – बुलेट 2)

(₹ में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	निष्पादन का माह	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपित स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क जो कम आरोपित हुआ	निबंधन फीस जो कम आरोपित हुआ
1.	उप निबंधक–द्वितीय आगरा	10	04/2008 से 08/2011	25628000	130436000	10066840	1968100	8098740	0
2.	उप निबंधक–पंचम आगरा	1	02/2011	1004000	2168000	151760	76000	75760	0
3.	उप निबंधक–प्रथम अलीगढ़	1	02/2009	567000	2281000	159670	39700	119970	0
4.	उप निबंधक–द्वितीय इलाहाबाद	1	05/2008	903000	2207000	200700	72300	128400	0
5.	उप निबंधक बाराबंकी	1	07/2010	8322728	37720000	2640400	416150	2224250	0
6.	उप निबंधक बस्ती	1	08/2009	1070000	3616000	243120	64900	178220	0
7.	उप निबंधक–द्वितीय बुलन्दशहर	2	02/2009 से 03/2011	29050000	74148000	5180360	1457280	3723080	0
8.	उप निबंधक चित्रकूट	1	09/2011	1264000	1580000	100600	81600	19000	0
9.	उप निबंधक एटा	5	02/2009 से 01/2010	1479500	23782000	1644740	95180	1549560	23100
10.	उप निबंधक इटावा	1	03/2010	80000	1152000	80640	5600	75040	9200
11.	उप निबंधक–प्रथम फिरोजाबाद	1	05/2009	3873000	6383000	446810	271000	175810	0
12.	उप निबंधक–द्वितीय फिरोजाबाद	2	07/2009 से 07/2010	1172000	1758000	105480	70500	34980	0
13.	उप निबंधक–प्रथम नोएडा	13	06/2009 से 04/2011	69750500	80359000	4000670	3473060	527610	0
14.	उप निबंधक–तृतीय नोएडा	3	01/2010 से 09/2010	8892400	9897000	484850	435100	49750	0
15.	उप निबंधक–प्रथम गाजियाबाद	6	07/2008 से 06/2009	24795466	53878000	3761460	1725300	2036160	0
16.	उप निबंधक–तृतीय गाजियाबाद	1	11/2011	2948000	6357000	444990	206500	238490	0
17.	उप निबंधक–चतुर्थ गाजियबाद	1	07/2011	2512000	6858000	480060	176000	304060	0
18.	उप निबंधक–द्वितीय गोरखपुर	1	07/2011	390000	546000	27300	19500	7800	2200
19.	उप निबंधक कन्नौज	1	06/2009	400000	1296000	90720	28000	62720	0
20.	उप निबंधक–प्रथम कानपुर	5	09/2008 से 05/2011	14074340	43313000	3031910	976350	2055560	0
21.	उप निबंधक–प्रथम लखनऊ	2	04/2010 से 07/2010	15508900	41885000	2921950	2809000	112950	0

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	निष्पादन का माह	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपित स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क जो कम आरोपित हुआ	निबंधन फीस जो कम आरोपित हुआ
22.	उप निबंधक–तृतीय लखनऊ	1	07/2009	1595706	2660000	186200	111750	74450	0
23.	उप निबंधक–चतुर्थ लखनऊ	1	03/2010	11235000	14044000	983080	778000	205080	0
24.	उप निबंधक–प्रथम मेरठ	3	04/2008 से 02/2011	5037000	10548000	951900	521400	430500	7630
25.	उप निबंधक–तृतीय मेरठ	2	12/2010 से 07/2011	10307000	15934000	1115380	722000	393380	0
26.	उप निबंधक–चतुर्थ मेरठ	1	12/2011	229000	262000	13100	9200	3900	2940
27.	उप निबंधक–प्रथम मुरादाबाद	1	02/2012	6875000	19625000	981250	343000	638250	0
28.	उप निबंधक–द्वितीय मुज्जफरनगर	1	05/2011	222710	2564000	128200	11150	117050	7770
29.	उप निबंधक–द्वितीय सहारनपुर	1	11/2010	1882000	2822000	187540	121800	65740	0
30.	उप निबंधक–तृतीय सहारनपुर	3	08/2008 से 04/2011	19475000	40314000	2168340	1017100	1151240	0
	योग	**74**	**04/2008 से 02/2012**	**270543250**	**640393000**	**42980020**	**18102520**	**24877500**	**52840**

परिशिष्ट -XVI

विक्रय विलेख के निष्पादन में स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

(संदर्भित प्रस्तर संख्या 5.5.19.1 – बुलेट 5)

(₹ में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निष्पादन का माह	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपित स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क जो कम आरोपित हुआ	निबंधन फीस जो कम आरोपित हुआ
1.	उप निबंधक–प्रथम आगरा	1	4761.66	03/2009	14285000	26190000	1833300	1000000	833300	0
2.	उप निबंधक–द्वितीय आगरा	1	1414.00	04/2010	1132000	4525000	316750	80000	236750	0
3.	उप निबंधक–चतुर्थ आगरा	2	3673.00	11/2009 से 01/2010	1564000	7108000	497560	109800	387760	0
4.	उप निबंधक–पंचम आगरा	2	3521.00	03/2010 से 04/2010	354000	8803000	616210	24850	591360	12410
5.	उप निबंधक–प्रथम अलीगढ़	5	13210.00	05/2010 से 06/2011	6336000	17828000	1247960	443810	804150	0
6.	उप निबंधक–द्वितीय अलीगढ़	1	1540.00	05/2008	235000	2156000	215600	23500	192100	300
7.	उप निबंधक–तुतीय अलीगढ़	1	4281.00	06/2009	652000	2997000	199790	39200	160590	0
8.	उप निबंधक–द्वितीय इलाहाबाद	2	5563	05/2008 से 05/2011	7398000	15887000	1158300	526970	631330	0
9.	उप निबंधक–बस्ती	1	760.00	01/2010	440000	3040000	212800	30000	182800	1200
10.	उप निबंधक–प्रथम बुलन्दशहर	1	1653.00	06/2009	219000	1488000	74400	10950	63450	620
11.	उप निबंधक–द्वितीय बुलन्दशहर	2	6543.00	04/2011 से 06/2011	1636000	6306000	326800	70100	256700	8250
12.	उप निबंधक–एटा	3	3020.00	02/2009 से 02/2011	796000	6395000	417650	48910	368740	11300
13.	उप निबंधक–इटावा	1	890.00	06/2008	331000	2136000	193600	26560	167040	0
14.	उप निबंधक–प्रथम फिरोजाबाद	5	5605.00	12/2008 से 09/2011	1767000	7511000	505770	112640	393130	18030
15.	उप निबंधक–द्वितीय फिरोजाबाद	2	4236.00	12/2009 से 10/2010	706000	3406000	238420	49570	188850	5880
16.	उप निबंधक–ग्रेटर नोएडा	19	36052.30	05/2008 से 06/2011	25227000	122807000	6100350	1257450	4842900	2840
17.	उप निबंधक–प्रथम नोएडा	1	3064.00	12/2008	1991437	3064000	143200	95000	48200	0
18.	उप निबंधक–तृतीय नोएडा	3	6480.00	01/2009	4213000	29160000	1458000	210650	1247350	0
19.	उप निबंधक–चतुर्थ गाजियबाद	4	6744.52	07/2010	11778000	21248000	1487360	825200	662160	0

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निष्पादन का माह	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपित स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क जो कम आरोपित हुआ	निबंधन फीस जो कम आरोपित हुआ
20.	उप निबंधक–प्रथम गोरखपुर	1	688.84	01/2009	310000	1723000	78920	12400	66520	0
21.	उप निबंधक–द्वितीय गोरखपुर	5	20178.00	04/2010 से 05/2011	15834000	73632000	5144240	1498750	3645490	0
22.	उप निबंधक–ज्योतिबा फुले नगर	1	690.00	12/2011	70000	207000	8280	3120	5160	1370
23.	उप निबंधक–प्रथम झाँसी	3	12823.30	04/2011 से 05/2011	7481000	62991000	4405030	498100	3906930	6920
24.	उप निबंधक–द्वितीय झाँसी	6	23074.60	09/2010 से 02/2011	4124000	24558000	1709060	279220	1429840	9580
25.	उप निबंधक–द्वितीय कानपुर	2	10623.00	02/2011 से 02/2012	11871000	52238000	3656660	831200	2825460	0
26.	उप निबंधक–प्रथम लखनऊ	3	12847.00	07/2008 से 08/2010	1127310	30364000	2115480	72150	2043330	3780
27.	उप निबंधक–द्वितीय लखनऊ	1	1390.00	01/2011	312750	2085000	145950	33200	112750	3740
28.	उप निबंधक–चतुर्थ लखनऊ	1	557.62	06/2009	1562000	10038000	692660	99400	593260	0
29.	उप निबंधक–प्रथम मथुरा	2	5015.00	03/2011	1080000	6520000	448790	72130	376660	2980
30.	उप निबंधक–द्वितीय मथुरा	1	940	07/2010	581000	2820000	197400	41000	156400	0
31.	उप निबंधक–द्वितीय मेरठ	1	940.00	07/2010	581000	2820000	197400	41000	156400	0
32.	उप निबंधक–तृतीय मेरठ	1	800.00	03/2010	800000	2400000	168000	56000	112000	0
33.	उप निबंधक–प्रथम मुज्जफ्फरनगर	2	2475.50	04/2008	586000	4456000	445600	58600	387000	0
34.	उप निबंधक–द्वितीय मुज्जफ्फरनगर	7	2263.70	09/2010 से 03/2011	1288000	4469000	216130	63840	152290	34720
35.	उप निबंधक–प्रथम वाराणसी	2	2080.00	09/2010 से 04/2011	2255000	8426000	525560	143480	382080	940
36.	उप निबंधक–द्वितीय वाराणसी	4	7735.00	06/2008 से 07/2010	5334000	14663000	1232410	413130	819280	0
37.	उप निबंधक–चतुर्थ वाराणसी	4	11405.00	11/2010 से 12/2011	9609000	35975000	2508250	662900	1845350	0
	योग	**103**	**228598.04**	**04/2008 से 02/2012**	**145285497**	**629620000**	**40942240**	**9823780**	**31118460**	**124860**

परिशिष्ट -XVII

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 के तहत आवश्यक तथ्यों को छिपाने जाने से अवमूल्यन

(संदर्भित प्रस्तर संख्या 5.5.19.3)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निष्पादन का माह	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया	चौहद्दी में छिपाये गया तथ्य	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपित स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क जो कम आरोपित हुआ	निबंधन फीस जो कम आरोपित हुआ
1.	उप निबंधक–प्रथम आगरा	1	283.00	06/2010	1.84	आराजी सं0 एवं भूमि का स्वामी का नाम अंकित नही	5.10	0.36	0.11	0.25	0.06
2.	उप निबंधक–तृतीय आगरा	1	15970.00	03/2011	180.00	भूमि की प्रकृति एवं भूस्वामी का विवरण अंकित नही	399.25	27.95	12.60	15.35	0
3.	उप निबंधक–प्रथम अलीगढ़	4	32650.00	06/2008 से 05/2011	114.17	विक्रय विलेख की चौहद्दी *अंकित नही*	284.56	20.86	8.75	12.11	0
4.	उप निबंधक–द्वितीय अलीगढ़	3	4993.00	10/2008 से 10/2009	19.30	सही एवं पूर्ण सूचना अंकित नही है	66.85	4.58	1.29	3.29	0
5.	उप निबंधक–प्रथम इलाहाबाद	1	3990.00	01/2011	16.97	भूमि की प्रकृति एवं भूस्वामी का विवरण अंकित नही	111.72	7.72	1.09	6.63	0
6.	उप निबंधक–द्वितीय इलाहाबाद	1	16900.00	08/2011	81.30	भूमि की प्रकृति एवं भूस्वामी का विवरण अंकित नही	591.50	41.40	0.57	40.84	0
7.	उप निबंधक एटा	1	1610.00	07/2010	1.54	200 मी0 की त्रिज्या में भूमि की प्रकृति/ नजरी नक्शा का उल्लेख नही ह	17.71	0.79	0.06	0.72	0.09
8.	उप निबंधक इटावा	5	10319.14	03/2009 से 04/2011	35.84	• सही एवं पूर्ण सूचना अंकित नही है • आराजी सं0 एवं भूमि का स्वामी का नाम अंकित नही.	371.29	25.69	2.08	23.61	0.03
9.	उप निबंधक–प्रथम फिरोजाबाद	9	59308.54	02/2009 से 09/2011	188.27	• 200 मी0 की त्रिज्या में भूमि की प्रकृति/ नजरी नक्शा का उल्लेख नही है. • विक्रय विलेख की चौहद्दी *अंकित नही.*	883.40	61.84	13.18	48.65	0

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निष्पादन का माह	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया	चौहद्दी में छिपाये गया तथ्य	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपित स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क जो कम आरोपित हुआ	निबंधन फीस जो कम आरोपित हुआ
10.	उप निबंधक–ग्रेटर नोएडा	1	5375.00	10/2008	32.25	सही एवं पूर्ण सूचना अंकित नही है	80.63	4.03	1.61	2.42	0
11.	उप निबंधक–प्रथम नोएडा	1	300.00	08/2010	60.00	सही एवं पूर्ण सूचना अंकित नही है	360.00	18.00	3.00	15.00	0
12.	उप निबंधक–तृतीय नोएडा	3	250.83	07/2010	11.31	भूमि की प्रकृति एवं भूस्वामी का विवरण अंकित नही	87.81	4.19	0.49	3.70	0.07
13.	उप निबंधक–पंचम गाजियाबाद	3	1200.00	10/2008 से 09/2011	39.83	सही एवं पूर्ण सूचना अंकित नही है	140.85	9.86	2.80	7.06	0
14.	उप निबंधक–द्वितीय झाँसी	1	6290.00	09/2010	4.72	सही एवं पूर्ण सूचना अंकित नही है	47.18	3.30	0.33	2.97	0.01
15.	उप निबंधक–प्रथम कानपुर	2	7785.00	08/2008 से 02/2010	27.77	• भूमि की प्रकृति एवं भूस्वामी का विवरण अंकित नही • आराजी सं0 एवं भूमि का स्वामी का नाम अंकित नही.	154.66	10.83	1.94	8.89	0
16.	उप निबंधक–द्वितीय कानपुर	3	16409.09	09/2008 से 01/2012	414.20	• भूमि की प्रकृति एवं भूस्वामी का विवरण अंकित नही • आराजी सं0 एवं भूमि का स्वामी का नाम अंकित नही	995.16	69.66	29.00	40.66	0
17.	उप निबंधक–तृतीय कानपुर	1	3180.00	08/2008	27.85	भूमि की प्रकृति एवं भूस्वामी का विवरण अंकित नही	206.70	14.47	1.95	12.52	0
18.	उप निबंधक–प्रथम लखनऊ	1	6290.00	06/2008	44.98	भूमि की प्रकृति एवं भूस्वामी का विवरण अंकित नही	138.38	13.84	4.50	9.34	0
19.	उप निबंधक–चतुर्थ लखनऊ	1	1260.00	01/2010	4.09	भूमि की प्रकृति एवं भूस्वामी का विवरण अंकित नही	23.94	1.68	0.29	1.39	0.02
20.	उप निबंधक–द्वितीय मथुरा	3	30409.80	08/2010	45.75	विक्रय विलेख की चौहद्दी *अंकित नही*	364.92	18.25	2.31	15.94	0

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निष्पादन का माह	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया	चौहद्दी में छिपाये गया तथ्य	सम्पत्ति की मालियत जिसपर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपित स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क जो कम आरोपित हुआ	निबंधन फीस जो कम आरोपित हुआ
21.	उप निबंधक–तृतीय मेरठ	2	16710.00	12/2010 से 07/2011	79.62	200 मी0 की त्रिज्या में भूमि की प्रकृति / नजरी नक्शा का उल्लेख नही है	174.62	12.22	4.74	7.49	0
22.	उप निबंधक–प्रथम मुज्जफ्फरनगर	2	2870.00	01/2010	4.59	भूमि की प्रकृति एवं भूस्वामी का विवरण अंकित नही	14.35	1.00	0.30	0.71	0.15
23.	उप निबंधक–द्वितीय वाराणंसी	1	5330.00	05/2011	16.03	सही एवं पूर्ण सूचना अंकित नही है।	117.26	8.21	1.12	7.09	0
	योग	**51**	**249683.40**	**06/2008 से 01/2012**	**1452.22**	[3]	**5637.84**	**380.73**	**94.11**	**286.63**	**0.43**

[3] (i) आराजी सं0 एवं भूमि का स्वामी का नाम अंकित नही.
(ii) भूमि की प्रकृति एवं भूस्वामी का विवरण अंकित नही.
(iii) विक्रय विलेख की चौहद्दी *अंकित नही*
(iv) 200 मी0 की त्रिज्या में भूमि की प्रकृति / नजरी नक्शा का उल्लेख नही है
(v) सही एवं पूर्ण सूचना अंकित नही है।

परिशिष्ट -XVIII

स्टाम्प शुल्क के कम भुगतान पर शास्ति का कम आरोपण

(संदर्भित प्रस्तर संख्या 5.5.26.2)

(₹ में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	प्रकरणों की संख्या	निर्णय का माह	आरोपित स्टाम्प शुल्क की धनराशि	आरोपित शास्ति की धनराशि	आरोपणीय शास्ति की धनराशि	कम आरोपित धनराशि
1.	आगरा	11	जनवरी 2011 से मार्च 2012	21294930	64920	21294930	21230010
2.	अलीगढ़	12	मई 2010 से दिसम्बर 2011	6138085	416175	6138085	5721910
3.	इलाहाबाद	8	जनवरी 2009 से मार्च 2010	6624480	376500	6624480	6247980
4.	बाराबंकी	7	अप्रैल 2011 से जनवरी 2012	1293160	91000	1293160	1202160
5.	बस्ती	10	अप्रैल 2011 से फरवरी 2012	167720	18544	167720	149176
6.	बुलन्दशहर	11	अक्टूबर 2010 से नवम्बर 2011	88474623	1542215	88474623	86932408
7.	चित्रकूट	10	जनवरी 2011 से जनवरी 2012	804230	75300	804230	728930
8.	एटा	32	जून 2008 से अक्टूबर 2011	682210	13750	682210	668460
9.	इटावा	6	मई 2011 से सितम्बर 2011	372802	37672	372802	335130
10.	फिरोजाबाद	20	जनवरी 2011 से मार्च 2012	828619	62260	828619	766359
11.	गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)	10	अप्रैल 2011 से अगस्त 2011	6249758	945000	6249758	5304758
12.	गाजियाबाद	13	अप्रैल 2010 से जनवरी 2012	65528260	1719180	65528260	63809080
13.	गोरखपुर	10	अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2010	638110	2600	638110	635510
14.	झाँसी	20	मई 2010 से सितम्बर 2011	3284420	414290	3284420	2870130
15.	जे0पी0 नगर (अमरोहा)	11	अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011	40978980	20057940	40978980	20921040
16.	कन्नौज	5	मई 2008 से मार्च 2011	166290	31673	166290	134617
17.	कानपुर	20	नवम्बर 2010 से मई 2011	2459597	53100	2459597	2406497
18.	लखनऊ	14	जुलाई 2011 से मार्च 2012	1734915	423183	1734915	1311732
19.	मथुरा	11	अप्रैल 2010 से सितम्बर 2011	4603698	51917	4603698	4551781
20.	मेरठ	9	नवम्बर 2008 से अक्टूबर 2011	2429235	155300	2429235	2273935
21.	मुरादाबाद	13	अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011	3134030	1063654	3134030	2070376
22.	मुज्जफ्फरनगर	6	दिसम्बर 2008 से मार्च 2009	301880	17580	301880	284300
23.	सहारनपुर	12	मई 2009 से जुलाई 2011	5627875	113000	5627875	5514875
24.	वाराणसी	13	फरवरी 2009 से फरवरी 2012	3733438	274082	3733438	3459356
	योग	**294**		**267551345**	**28020835**	**267551345**	**239530510**

परिशिष्ट-XIX

ईट बनाने की मिट्टी के अवैध हटान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

(संदर्भित प्रस्तर सं0 6.7)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		ईंट भट्टों की कुल संख्या	कुल रायल्टी	आरोपणीय अर्थदण्ड (उप खनिज का मूल्य)
		ईंट भट्टों की संख्या	रायल्टी	ईंट भट्टों की संख्या	रायल्टी	ईंट भट्टों की संख्या	रायल्टी	ईंट भट्टों की संख्या	रायल्टी	ईंट भट्टों की संख्या	रायल्टी	ईंट भट्टों की संख्या	रायल्टी			
1.	इलाहाबाद	1	0.21	1	0.21	2	0.43	4	1.07	0	0.00	6	2.10	14	4.02	20.1
2.	बाराबंकी	270	71.36	248	63.68	235	62.31	253	68.49	300	95.45	368	114.43	1674	475.73	2378.64
3.	चन्दौली	156	39.89	156	39.89	165	41.27	175	44.43	183	68.47	222	81.91	1057	315.87	1579.35
4.	फैजाबाद	0	0.00	158	30.11	158	30.11	158	30.11	97	28.04	211	57.74	782	176.11	880.545
5.	गोरखपुर	0	0.00	245	44.80	245	38.65	245	41.50	245	60.21	329	93.21	1309	278.37	1391.85
6.	हमीरपुर	15	1.56	15	0.99	15	1.76	15	1.00	15	3.84	13	3.94	88	13.09	65.45
7.	जालौन	6	1.49	6	1.49	7	1.76	5	1.22	5	1.85	5	1.85	34	9.64	48.21
8.	कानपुर	236	59.42	188	59.42	171	59.42	194	59.42	194	99.07	194	99.07	1177	435.82	2179.12
9.	कौशाम्बी	156	42.97	156	42.97	156	42.97	156	42.97	156	64.49	140	57.24	920	293.61	1468.05
10.	मथुरा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	89	46.50	89	46.52	89	46.52	267	139.55	697.725
11.	मेरठ	0	0.00	200	74.11	200	74.11	200	74.11	200	111.17	203	110.39	1003	443.89	2219.45645
12.	मिर्जापुर	165	32.77	167	33.38	194	39.13	194	39.13	194	59.16	233	70.48	1147	274.05	1370.25
13.	सहारनपुर	0	0.00	184	63.59	151	52.50	150	52.84	112	58.65	208	108.55	805	336.13	1680.65
योग		**1005**	**249.68**	**1724**	**454.64**	**1699**	**444.43**	**1838**	**502.80**	**1790**	**696.91**	**2221**	**847.42**	**10277**	**3195.9**	**15979.396**

परिशिष्ट - XX

विलम्ब से भुगतान की गयी रायल्टी पर ब्याज का अनारोपण

(संदर्भित प्रस्तर संख्या 6.9)

(₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	देय अवधि	प्रकरणों की संख्या	देय धनराशि	जमा धनराशि	आरोपणीय ब्याज	ब्याज सहित कुल देय धनराशि	विलम्ब की अवधि (माह में)	वसूलनीय शुद्ध देय ब्याज
1	इलाहाबाद	2005-06 से 09-10	183	7249900	7249900	632701	7882601	3 से 26	632701
2	बाराबंकी	2009-10	187	7674300	7726941	502151	8176451	3 से 18	449510
3	गोरखपुर	2005-06 से 09-10	4	82000	82000	62859	144859	1 से 56	62859
4	हमीरपुर	2009-10	17	364700	364700	22753	387453	3 से 8	22753
5	लखीमपुर खीरी	2009-10	31	1270000	1270000	74324	1344324	2 से 8	74324
6	मथुरा	2008-09 से 2009-10	62	2347200	2347200	228825	2576025	2 से 14	228825
7	मेरठ	2006-07 से 2009-10	328	12208800	12288792	1269476	13478276	1 से 48	1189484
8	मिर्जापुर	2009-10	25	719000	719000	71798	790798	6 से 9	71798
9	मुजफ्फरनगर	2005-06 से 09-10	16	647600	647600	69898	717498	1 से 14	69898
10	सहारनपुर	2006-07 से 2009-10	197	9302900	9302900	853803	10156703	2 से 17	853803
11	शाहजहाँपुर	2010-11	52	2626200	2626200	89722	2715922	1 से 7	89722
12	सोनभद्र	2009-10	5	152100	152100	19118	171218	6 से 7	19118
	योग	**2005-06 से 2010-11**	**1107**	**44644700**	**44777333**	**3897428**	**48542128**	**1 से 56**	**3764795**
					पट्टा				
1	इलाहाबाद	2006-07 से 2009-10	2	1017450	1017450	101106	1118556	1 से 48	101106
2	गोरखपुर	2005-06 से 09-10	1	261544	261544	61376	322920	1 से 56	61376
3	हमीरपुर	2006-07 से 2009-10	1	405000	522500	131287	536287	14 से 18	13787
4	ललितपुर	2007-08 से 2009-10	5	1041788	1068703	177516	1219304	4 से 12	150601
5	महोबा	2004-05 से 2008-09	6	222340	222340	161946	384286	5 से 70	161946
6	मिर्जापुर	2007-08 अ2009-10	9	2885727	2822829	290951	3176678	1 से 28	353849
7	मुजफ्फरनगर	2005-06	2	502894	502894	16289	519183	1 से 7	16289
	योग		**26**	**6336743**	**6418260**	**940471**	**7277214**	**1 से 70**	**858954**
	महा योग	**2005-06 से 2010-11**	**1133**	**50981443**	**51195593**	**4837899**	**55819342**	**1 से 70**	**4623749**

परिशिष्ट -XXI

रायल्टी की वसूली न/कम किया जाना
(संदर्भित प्रस्तर संख्या 6.11.1)

(₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पट्टाधारकों की संख्या	बन्द पट्टों की संख्या	पट्टों की वर्तमान संख्या	अदत्त अवधि	देय धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि	अन्तर	ब्याज	कुल धनराशि
1.	गोरखपुर	6	6**	0	मई 2005 से मार्च 2011	2482280	239850	2242430	1640877	3883307
2.	जालौन	15	15[&]	0	जून 2005 से मार्च 2011	17074944	6444117	10630827	9687421	20318248
3.	ललितपुर	10	1[$$]	9[Ω]	अक्टूबर 2000 से मार्च 2011	1491941	0	1491941	1040451.8	2532392.8
4.	मिर्जापुर	3	3[#]	0	अगस्त 2007 से मार्च 2011	1714300	129375	1584925	697881	2282806
5.	मुजफ्फरनगर	4	4[¥]	0	जून 2003 से मार्च 2011	320366	240300	80066	52844	132910
	योग	**38**			**अक्टूबर 2000 से मार्च 2011**	**23083831**	**7053642**	**16030189**	**13119475**	**29149664**

* उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा क्रमशः दि0 11.07.09 और 19.02.10 को पट्टे निरस्त

** पट्टावधि समाप्त क्रमशः दि0 14.05.08, 19.05.09, 03.06.08, 12.04.09,13.05.08, और 23.08.10 को

& 6 विभाग द्वारा पट्टे निरस्त दि0 10.04.07(4), जनवरी 07(1), दिसम्बर 06 (1)
5 पट्टे समर्पित {अक्टूबर 06 (2), दिसम्बर 06 (1), फरवरी 07 (1), जनवरी 08 (1) }
4 पट्टे समाप्त {मार्च 08(1), जून 08(2), और अक्टूबर 08(1)}

$$ पट्टे समाप्त दि0 08.03.10 और 23.10.10

Ω पट्टे संचालन में नवम्बर 2012 (1), दिसम्बर 2012 (1), सितम्बर. 2012 (1),
अक्टूबर 2012 (1), जनवरी 2016 (2), और अगस्त 2017 (3). तक

पट्टे समाप्त क्रमशः दि0 27.11.10, 15.08.10, और 28.11.10

¥ पट्टे समाप्त क्रमशः दि0 04.09.06. और 01.09.08.

परिशिष्ट -XXII

पत्थर गिट्टी/मिट्टी के संग्रहण पर रायल्टी का अनारोपण/कम आरोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 6.18.1)

(₹ लाख मे)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	प्रयुक्त मात्रा (घन मी0 में)	रायल्टी की क्षति
1.	आगरा	आगरा विकास प्राधिकरण	4	3013.29	1.45
2.	अम्बेडकर नगर	प्रा0खण्ड अम्बेदकर नगर	95	6417.91	3.07
3.	बहराइच	प्रा0खण्ड, बहराइच	10	21561.00	7.49
4.	बाराबंकी	प्रा0खण्ड (पी0डब्ल्यू0डी0) बाराबंकी	88	43459.30	14.06
5.	बाराबंकी	ग्रा0अभि0से0, बाराबंकी	50	32806.46	10.50
6.	बाराबंकी	अधि0 अभि0,हैदरगढ़,बाराबंकी	4	4164.93	1.70
7.	बस्ती	प्रा0खण्ड, बस्ती	24	12108.66	3.87
8.	बुलन्दशहर	प्रा0खण्ड, बुलन्दशहर	21	2061.50	0.99
9.	फैजाबाद	प्रा0खण्ड, फैजाबाद	139	98149.22	31.99
10.	फैजाबाद	नि0खण्ड–2, फैजाबाद	52	37662.69	14.79
11.	फैजाबाद	फैजाबाद विकास प्राधिकरण	16	38028.78	12.17
12.	गौतमबुद्ध नगर	प्रा0खण्ड, गौतमबुद्ध नगर	18	345.20	4.17
13.	गाजियाबाद	नि0खण्ड–गाजियाबाद	34	20087.95	6.99
14.	गोरखपुर	नि0खण्ड–1, गोरखपुर	19	38186.78	13.09
15.	झॉसी	प्रा0खण्ड(पी0डब्ल्यू0डी0)झॉसी	6	3499.80	1.27
16.	कानपुर	प्रा0खण्ड, कानपुर	35	43078.11	13.78
17.	कानपुर	ग्रा0अभि0से0, कानपुर	107	38238.32	16.10
18.	लखनऊ	प्रा0खण्ड(पी0डब्ल्यू0डी0),लखनऊ	68	45896.27	14.77
19.	लखनऊ	नि0खण्ड–2, लखनऊ	60	70912.28	22.69
20.	लखनऊ	ग्रा0अभि0से0, लखनऊ	74	43676.38	15.74
21.	मिर्जापुर	प्रा0खण्ड (पी0डब्ल्यू0डी0) मिर्जापुर	25	14854.35	4.92
22.	मुजफ्फरनगर	प्रा0 खण्ड (पी0डब्ल्यू0डी0) मुजफ्फरनगर	29	22058.42	7.48
23.	मुजफ्फरनगर	ग्रा0अभि0से0,मुजफ्फरनगर	55	2656.21	0.59
24.	सोनभद्र	प्रा0खण्ड (पी0डब्ल्यू0डी0) सोनभद्र	30	24345.38	7.79
25.	सोनभद्र	ग्रा0अभि0से0,सोनभद्र	14	4418.84	1.69
26.	सुल्तानपुर	अधि0 अभि0,शारदा सहायक खण्ड–16, सुल्तानपुर	7	6066.57	1.94
27.	लखनऊ	नि0खण्ड–2, लखनऊ	11	683.29	4.65
		योग	**1095**	**678437.89**	**239.74**

परिशिष्ट -XXIII

मृदा कार्य पर रायल्टी का वसूल न किया जाना

(*संदर्भित प्रस्तर सं0* **6.18.2**)

(₹ लाख मे)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	मिट्टी की मात्रा (घन मी0 मे)	देय रायल्टी	भुगतान की गयी रायल्टी	आरोपित न की गयी रायल्टी
1–रायल्टी का कम आरोपण							
1.	आगरा	आगरा विकास प्राधिकरण	3	30004.99	2.70	1.80	0.90
2.	बॉदा	ग्रा0अभि0से0, बॉदा	5	15351.58	0.92	0.44	0.48
3.	बाराबंकी	प्रा0खण्ड, बाराबंकी	6	63239.35	4.15	1.81	2.34
4.	बाराबंकी	ग्रा0अभि0से0, बाराबंकी	8	16669.98	1.08	0.26	0.82
5.	बिजनौर	अधि0अभि0, पूर्वी गंगा कैनाल	71	39361.53	3.54	2.36	1.18
6.	फैजाबाद	प्रा0खण्ड, फैजाबाद	2	17718.90	1.06	0.33	0.73
7.	गोरखपुर	प्रा0खण्ड, गोरखपुर	47	301476.75	27.13	18.09	9.04
8.	गोरखपुर	निर्माण खण्ड, गोरखपुर	38	150041.96	13.50	8.52	4.98
9.	गोरखपुर	ग्रा0अभि0से0, गोरखपुर	29	35629.70	3.21	0.98	2.23
10.	झाँसी	प्रा0खण्ड, झॉसी	3	21656.40	1.70	1.04	0.66
11.	कानपुर	प्रा0खण्ड, कानपुर	9	35758.16	2.15	1.44	0.71
12.	कानपुर	ग्रा0अभि0से0, कानपुर	3	2686.35	0.24	0.14	0.10
13.	ललितपुर	प्रा0खण्ड, ललितपुर	3	1417.49	0.09	0.03	0.06
14.	लखनऊ	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	1	27434.00	1.65	0.11	1.54
15.	मेरठ	जि0खा0अ0, मेरठ	5	6340.00	0.57	0.38	0.19
16.	मिर्जापुर	प्रा0खण्ड, मिर्जापुर	2	2944.82	0.22	0.17	0.05
17.	सोनभद्र	ग्रा0अभि0से0, सोनभद्र	2	4546.26	0.27	0.05	0.22
18.	सोनभद्र	प्रा0खण्ड, सोनभद्र	2	2111.59	0.13	0.05	0.08
योग			**239**	**774389.81**	**64.31**	**38.01**	**26.31**
2–रायल्टी का अनारोपण							
1.	आगरा	आगरा विकास प्राधिकरण	27	112108.50	10.09	0.00	10.09
2.	आजमगढ़	अधि0 अभि0, शारदा सहायक खण्ड	36	88218.90	5.48	0.00	5.48
3.	बाँदा	ग्रा0अभि0से0, बॉदा	16	48319.72	2.90	0.00	2.90
4.	बाराबंकी	ग्रा0अभि0से0, बाराबंकी	71	103804.18	6.23	0.00	6.23
5.	बाराबंकी	प्रा0खण्ड, बाराबंकी	18	12767.30	0.86	0.00	0.86
6.	बाराबंकी	अधि0 अभि0, शारदा सहायक खण्ड	4	76359.15	4.58	0.00	4.58
7.	देवरिया	अधि0 अभि0, सिंचाई संभाग, देवरिया	93	20525.59	1.48	0.00	1.48

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	मिट्टी की मात्रा (घन मी0 मे)	देय रायल्टी	भुगतान की गयी रायल्टी	आरोपित न की गयी रायल्टी
8.	इटावा	अधि0 अभि0, निचली गंगा कैनाल	33	39749.37	2.38	0.00	2.38
9.	फैजाबाद	प्रा0खण्ड, फैजाबाद	28	119799.33	7.40	0.00	7.40
10.	गोरखपुर	निर्माण खण्ड गोरखपुर	12	37263.69	3.35	0.00	3.35
11.	गोरखपुर	ग्रा0अभि0से0, गोरखपुर	10	17513.87	1.05	0.00	1.05
12.	झॉसी	प्रा0खण्ड, झॉसी	17	31033.55	2.13	0.00	2.13
13.	कानपुर	प्रा0खण्ड, कानपुर	7	15514.00	0.93	0.00	0.93
14.	कानपुर	ग्रा0अभि0से0, कानपुर	108	30297.80	2.28	0.00	2.28
15.	लखीमपुर खीरी	ग्रा0अभि0से0, लखीमपुर खीरी	38	11548.00	1.81	0.00	1.81
16.	ललितपुर	प्रा0खण्ड, ललितपुर	7	9677.06	0.58	0.00	0.58
17.	लखनऊ	जि0खा0अ0 लखनऊ	1	100000.00	9.00	0.00	9.00
18.	लखनऊ	प्रा0खण्ड, लखनऊ	78	471101.10	28.44	0.00	28.44
19.	लखनऊ	निर्माण खण्ड–2 लखनऊ	37	56192.91	3.37	0.00	3.37
20.	लखनऊ	ग्रा0अभि0से0, लखनऊ	87	63088.79	4.23	0.00	4.23
21.	लखनऊ	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	16	119734.90	10.78	0.00	10.78
22.	मिर्जापुर	प्रा0खण्ड, मिर्जापुर	7	13323.82	0.80	0.00	0.80
23.	मुजफ्फरनगर	ग्रा0अभि0से0, मुजफ्फरनगर	29	3053.73	0.18	0.00	0.18
24.	रायबरेली	अधि0 अभि0,शारदा कैनाल संभाग	91	51783.81	4.56	0.00	4.56
25.	सोनभद्र	प्रा0खण्ड, सोनभद्र	58	289985.00	17.40	0.00	17.40
26.	सोनभद्र	ग्रा0अभि0से0, सोनभद्र	65	89611.06	5.70	0.00	5.70
27.	सुल्तानपुर	अधि0 अभि0,शारदा सहायक खण्ड–16	7	9244.63	0.55	0.00	0.55
योग–II			**1001**	**2041619.75**	**138.56**	**0.00**	**138.56**
महायोग–I+II			**1240**	**2816009.56**	**202.87**	**38.01**	**164.87**

परिशिष्ट-XXIV

तेंदू पत्ते पर रायल्टी वसूल न किया जाना

(संदर्भित प्रस्तर सं0 7.4)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्धारित अन्तरिम रायल्टी	फार्मूले के अनुसार वास्तविक रायल्टी[4]	भुगतान की गयी रायल्टी	अन्तर (3–4)
1	2	3	4	5
2003-04	11.84	1.09	11.84	(-) 10.75
2004-05	11.84	4.29	11.84	(-) 7.55
2005-06	4.71	1.55	4.71	(-) 3.16
2006-07	10.70	11.69	4.71	6.98
2007-08	10.70	23.56	4.71	18.85
2008-09	10.70	26.93	4.71	22.22
2009-10	15.70	27.25	7.20	20.05
योग	**76.19**	**96.36**	**49.72**	**46.64**
समायोजन के बाद कम जमा की गयी रायल्टी			**46.64**	

[4] निर्धारण वर्ष की रायल्टी = पिछले वर्ष की रायल्टी + पिछले वर्ष निगम द्वारा बेचे गये तेन्दू पत्ते के भाव में जितने प्रतिशत वृद्धि उससे पूर्व वर्ष के तेन्दू पत्ते के भाव के सापेक्ष हुई हो, इस वृद्धि के बराबर धनराशि + निर्धारण वर्ष में तेन्दू पत्ते के बाजार भाव (विक्रय मूल्य) में हुई असाधारण वृद्धि के बराबर धनराशि।

रायल्टी निर्धारण के समय ऋणात्मक मूल्य वृद्धि, यदि हो, तो उसे भी हिसाब में लिया जायेगा।

फार्मूले के अनुसार वर्ष 2003–04 हेतु रायल्टी की गणनाः

विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
रायल्टी (₹ में)	118400000	47094295	10864176
विक्रय की धनराशि (₹ में)	350623429	368251168	391650274
बोरों की संख्या	391351.82	467386.82	535861
विक्रय दर (₹ में)	895.93	787.89	730.88
पिछले वर्ष के दर में भिन्नताः का प्रतिशत	गणना आवश्यक नहीं	-17.577	-12.058
रायल्टी पर प्रभाव (अ) (₹ में)		-20811486	-5678844
विक्रय दर में भिन्नताः (₹ में)		-108.04	-57.01
रायल्टी पर प्रभाव (ब) (₹ में)		-50494219	-30551274
रायल्टी पर कुल प्रभाव (अ + ब) (₹ में)		-71305705	-36230118
निर्धारण वर्ष की रायल्टी {पिछले वर्ष की रायल्टी + (अ + ब)} (₹ में)		47094295	10864176

परिशिष्ट-XXV

आवश्यकता के बिना नये पौधे उगाने पर परिहार्य व्यय

(संदर्भित प्रस्तर सं0 7.6)

(आँकड़े लाख में)

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	01 अप्रैल 2009 को उपलब्ध शेष पौधे एवं उनका उपयोग					मार्च 2012 के अन्त में उपयोग में न लाये गये शेष बचे पौधों की संख्या			बिना आवश्यकता के 2009–10 में उगाये गये नये पौधों पर किया गया व्यय			
		01 अप्रैल 2009 को शेष पुराने पौधों की संख्या	2009–10 के दौरान उपयोग में लाये गये पौधों की संख्या	2010–11 के दौरान उपयोग में लाये गये पौधों की संख्या	2011–12 के दौरान उपयोग में लाये गये पौधों की संख्या	2009–10 से 2011–12 के दौरान उपयोग में लाये गये पौधों की संख्या (4+5+6)	01 अप्रैल 2009 के पूर्व उगाये गये पुराने[4] पौधों की संख्या (3–7)	2009–10 के दौरान उगाये गये पौधे	योग (8+9)	2009–10 में नये पौधों को उगाने पर	2010–11 में रख–रखाव पर	2011–12 में रख–रखाव पर	योग (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आगरा	29.20	13.00	1.85	6.14	20.99	8.21	10.19	18.40	12.17	3.05	10.96	26.18
2	फिरोजाबाद	35.81	5.10	3.08	6.17	14.35	21.46	6.55	28.01	18.96	0.63	6.05	25.64
3	मैनपुरी	22.08	4.32	6.30	3.34	13.96	8.12	4.47	12.59	24.03	1.93	7.90	33.86
4	मथुरा	20.47	8.21	9.46	4.01	21.68	(-) 1.21	12.78	11.57	8.32	2.08	16.49	26.89
योग		**107.56**	**30.63**	**20.69**	**19.66**	**70.98**	**36.58**	**33.99**	**70.57**	**63.48**	**7.69**	**41.40**	**112.57**

[4] 01 अप्रैल 2009 से पूर्व उगाये गये।

परिशिष्ट – XXVI

रक्त एवं रक्त अवयवों के ट्रांसफ्यूजन पर सर्विस चार्ज का कम आरोपण

(संदर्भित प्रस्तर सं0 7.8)

(₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	अवधि	रक्त (यूनिट में)	प्रति यूनिट ₹ 850 की दर से आरोपणीय धनराशि	आरोपित धनराशि	कम आरोपित धनराशि
1.	मु0 चि0 अधीक्षकएस0एम0पी0 लखनऊ	18/04/2008 से 16/04/2009	1534	1303900	64623	1239277
2.	मु0 चि0 अधीक्षक आर0एम0एल0 लखनऊ	18/04/2008 से 25/05/2009	1369	1163650	88771	1074879
3.	मु0 चि0 अधीक्षक बलरामपुर	18/04/2008 से 25/05/2009	1156	982600	54332	928268
4.	मु0 चि0 अधीक्षक एम0एम0जी0 गाजियाबाद	18/04/2008 से 08/02/2009	1256	1067600	478900	588700
5.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) देवरिया	01/05/2008 से 13/06/2010	1455	1236750	602710	634040
6.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) यू0एच0एम0 कानपुर	05/2008 से 19/02/2010	1735	1474750	516400	958350
7.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) एस0एस0पी0जी0 वाराणसी	01/05/2008 से 31/12/2010	2144	1822400	596750	1225650
8.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) गाजीपुर	01/05/2008 से 18/05/2010	616	523600	154000	369600
9.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) जौनपुर	01/05/2008 से 27/04/2010	1430	1215500	581500	634000
10.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) रायबरेली	01/05/2008 से 07/02/2009	370	314500	133750	180750
11.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) बरेली	18/04/2008 से 21/09/2009	621	527850	155250	372600
12.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) पीलीभीत	01/05/2008 से 31/03/2010	1812	1540200	453000	1087200
13.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) रामपुर	01/05/2008 से 18/07/2009	1117	949450	351000	598450
14.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) मेरठ	01/05/2008 से 11/09/2009	16688	14184800	8850700	5334100
15.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) मुज्जफ्फरनगर	01/05/2008 से 28/07/2010	16157	13733450	7375000	6358450
16.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) ललितपुर	01/05/2008 से 17/05/2010	2626	2232100	575350	1656750
17.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) झाँसी	01/05/2008 से 03/02/2010	1092	928200	273000	655200
18.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) अलीगढ़	01/05/2008 से 20/11/2009	2615	2222750	653750	1569000
19.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) एटा	01/05/2008 से 23/10/2009	46	39100	11500	27600
20.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) मैनपुरी	01/05/2008 से 26/03/2010	348	295800	87000	208800
21.	मु0 चि0 अधीक्षक (एम) इटावा	01/05/2008 से 29/07/2010	668	567800	167000	400800
22.	मु0 चि0 अधीक्षक एम0एल0एन0 इलाहाबाद	01/05/2008 से 17/06/2010	763	648550	298250	350300
	योग		**57618**	**48975300**	**22522536**	**26452764**

परिशिष्ट –XXVII

पंजीकरण शुल्क का कम आरोपण

(संदर्भित प्रस्तर सं0 7.9.2)

(₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	नर्सिंग होमों की संख्या	आरोपणीय पंजीकरण शुल्क		आरोपित पंजीकरण शुल्क		कम आरोपित शुल्क
			प्रति केन्द्र	कुल	प्रति केन्द्र	कुल	
1.	मु0चि0अ0 वाराणसी	78	4000	312000	3000	234000	78000
2.	मु0चि0अ0 पीलीभीत	15	4000	60000	3000	45000	15000
3.	मु0चि0अ0 बरेली	72	4000	288000	3000	216000	72000
4.	मु0चि0अ0 प्रतापगढ़	19	4000	76000	3000	57000	19000
5.	मु0चि0अ0 प्रतापगढ़	16	2000	32000	1500	24000	8000
6.	मु0चि0अ0 अलीगढ़	21	4000	84000	3000	63000	21000
7.	मु0चि0अ0 हाथरस	7	4000	28000	3000	21000	7000
8.	मु0चि0अ0 हाथरस	2	2000	4000	1500	3000	1000
9.	मु0चि0अ0 मैनपुरी	9	4000	36000	3000	27000	9000
10.	मु0चि0अ0 इटावा	11	4000	44000	3000	33000	11000
11.	मु0चि0अ0 कानपुर	43	4000	172000	3000	129000	43000
12.	मु0चि0अ0 कानपुर	5	2000	10000	1500	7500	2500
13.	मु0चि0अ0 जौनपुर	17	4000	68000	3000	51000	17000
14.	मु0चि0अ0 झाँसी	14	4000	56000	3000	42000	14000
	योग	**329**					**317500**